अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Friday, 17th March, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 17 मार्च, 1989/26 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
41	8	"पी वल्नल" के स्थान पर "पी वल्लल" पढ़िये ।
55	नीचे से 11	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
82	नीचे से 3	"मनफल सिंह" के स्थान पर "मनफूल सिंह" पढ़िये ।
107	4	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
108	16	"(च)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
111	नीचे से 15	[illegible] के नाम के पश्चात "(क) से (घ)" अंतःस्थापित करिये ।
200	नीचे से 11	शीर्षक में "नियुक्त" के स्थान पर "नियुक्ति" पढ़िये ।

विषय–सूची

अष्टम माला, खंड 47, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 18, शुक्रवार, 17 मार्च, 1989/26 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-121
*तारांकित प्रश्न संख्या : 326, 327, 330, 332, 334, 337 और 343	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20-121
तारांकित प्रश्न संख्या : 328, 329, 331, 333, 336, 340, 341 और 344 से 347	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3057, 3058, 3060, 3061, 3063 से 3065, 3067, 3069, से 3072, 3074 3075, 3077, 3079, 3080, 3082, 3083, 3086, 3087, 3089, से 3091, 3094, से 3103, 3105, से 3109, 3111, 3113, 3114, 3116, से 3120, 3122, से 3128, 3131 से 3157, 3161, 3162, 3164 से 3178, 3181, 3184, 3187 से 3214, 3219 से 3224, 3228 से 3232, 3236, 3241 से 3249, 3258 से 3260, 3264 से 3270, 3272 से 3274, 3276 से 3287,	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	125-126
लोक लेखा समिति	127
143वां प्रतिवेदन	
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	127
21वां प्रतिवेदन	
पंजाब बजट, 1989-90	127
विवरण	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1988-89	129
विवरण	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	129-133
(एक) महाराजगंज मीटर गेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में शीघ्र बदले जाने की मांग	129
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	
(दो) हथकरघा बुनकरों की स्थिति में सुधार किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	129
श्री मदन पांडे	
(तीन) "विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम" का उड़ीसा के गंजम जिले के सभी खण्डों तक विस्तार किए जाने तथा इसे मार्च, 1989 के बाद भी चालू रखे जाने की आवश्यकता	130
श्री सोमनाथ रथ	
(चार) टोंक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को विशेष वित्तीय सहायता अथवा अनुदान दिए जाने की आवश्यकता	131
श्री बनवारी लाल बेरवा	
(पांच) पश्चिम तट नहर को "राष्ट्रीय जलमार्ग" घोषित किए जाने के लिए विधान बनाए जाने, क्विलोन-त्रिवेन्द्रम क्षेत्र में जल साप संबंधी सर्वेक्षण कराए जाने तथा वेली-कोवलम जलमार्ग के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को अन्तिम रूप दिए जाने की आवश्यकता	131
श्री ए० चार्ल्स	
(छः) देश में एक विशेष योजना द्वारा टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	131
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	
(सात) मौलाना अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खां की स्मृति में शताब्दी समारोह आयोजित किए जाने की आवश्यकता	132
श्री अजीज कुरैशी	
(आठ) गोपालगंज (बिहार) में एक श्रम न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	133
श्री काली प्रसाद पांडेय	
(नौ) उड़ीसा के कटक जिले के सुकिंदा क्षेत्र में प्रस्तावित निकल निष्कर्षण संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	133
डा० कृपासिन्धु भोई	

विषय	पृष्ठ
सामान्य बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा	134
श्री काली प्रसाद पांडेय	134
श्री जगन्नाथ राव	136
श्रीमती जयन्ती पटनायक	139
श्री विलियमसन संगमा	142
श्रीमती ऊषा वर्मा	145
श्री दिलीप सिंह भूरिया	146
श्री पी० आर० कुमार मंगलम	148
श्री एस० बी० चव्हाण	150
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989	173
पुरःस्थापित	173
विचार करने के लिए प्रस्ताव	173
श्री बी० के० गढ़वी०	173
खंडवार विचार	173
पारित करने के लिए प्रस्ताव	174
श्री बी० के० गढ़वी	174
रेल अभिसमय समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प	174
रेल बजट, 1989-90 अनुदानों की मांगें और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1988-89	174
श्री माधव राव सिंधिया	174
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	177
श्री जी० एम० बनातवाला	179
श्री महाबीर प्रसाद यादव	184
श्री अब्दुल रशीद काबुली	185
श्री शंकर लाल	187
श्री जुझार सिंह	188
श्री सी० पी० ठाकुर	190
श्री गिरधारी लाल व्यास	191
श्री आर० जीवरत्नम	192
श्री चिन्तामणि जेना	192
विनियोग (रेल) विधेयक, 1989	197
पुरःस्थापित	197
विचार करने के लिए प्रस्ताव	198
श्री माधव राव सिंधिया	198

विषय	पृष्ठ
खंडवार विचार	198
पारित करने के लिए प्रस्ताव	198
श्री माधव राव सिंधिया	198
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1989	199
पुरःस्थापित	199
विचार करने के लिए प्रस्ताव	199
श्री माधव राव सिंधिया	199
खंडवार विचार	199
पारित करने के लिए प्रस्ताव	200
श्री माधव राव सिंधिया	200
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	200
61वां प्रतिवेदन	200
राज्यपालों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में संकल्प	200
श्री गिरधारी लाल व्यास	200
डा० गौरीशंकर राजहंस	204
श्री एन० टोम्बी सिंह	206
डा० फूलरेणु गुहा	208
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	209
श्री हरीश रावत	213
श्री रामसिंह यादव	216
श्री डालचन्द्र जैन	219
श्री राम नगीना मिश्र	219
श्री वीर सेन	223
श्री संतोष मोहन देव	226
ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	230
श्री राजीव गांधी	230

लोक सभा

शुक्रवार, 17 मार्च, 1989/26 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बासमती चावल का निर्यात

[अनुवाद]

*326. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बासमती चावल का कितनी मात्रा में और किस मूल्य पर निर्यात किया गया;

(ख) चावल का निर्यात किस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है ;

(ग) किन-किन देशों को चावल का निर्यात किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का देश में बासमती चावल की मांग पूरी करने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) नीचे की तालिका में गत तीन वर्षों के निर्यात किए गए बासमती चावल की मात्रा तथा मूल्य दिया गया है :–

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1985-86	2,35,213*	173.23*
1986-87	2,37,153*	206.78*
1987-88	3,66,111*	339.98*

*–अनन्तिम

(स्रोत : कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

(ख) बासमती चावल के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत की जाती है ।

(ग) जिन देशों को बासमती चावल का मुख्यतः निर्यात किया जाता है, वे हैं : सोवियत-संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, कुवैत, यू० के०, संयुक्त राज्य अमरीका तथा बहरीन ।

(घ) जी, नहीं ।

श्री चिन्तामणि जैना–मैंने मन्त्री महोदय से निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल का भाव पूछा था, लेकिन मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर एक विवरण देकर दिया है जिसमें कुल लागत/मूल्य के आँकड़े दिए हुऐ हैं लेकिन भाव नहीं बताये गये हैं ।

तथापि मैं यह जान सकता हूं कि क्या ए० पी० ई० डी० ए० ने बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के कई उपाय सुझाये हैं और यदि हाँ तो ये सिफारिशें क्या हैं और क्या इन सिफारिशों में बासमती चावल के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने का और उसकी मात्रा बढ़ाने का भी कोई सुझाव है ?

यदि हाँ तो उनकी प्रत्येक सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? और सरकार द्वारा उनको लागू करने की क्या योजना है ? इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या 1988-89 के लिए निर्धारित लक्ष्य बासमती चावल के निर्यात से कम है और यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : पहली बात मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि यह कहना कि उनके द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, ठीक नहीं है। दरअसल, माननीय सदस्य ने बासमती चावल के निर्यात की मात्रा पूछी थी। हमने उसका उत्तर दे दिया है। फिर उन्होंने ऐजेंसी के बारे में पूछा था। हमने उसका भी उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य ने बासमती चावल की किसी विशेष किस्म या विशेष मात्रा के बारे में नहीं पूछा था। अब मैं उनके प्रश्नों का ही उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात जो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा वह यह है कि चावल का उत्पादन और इस क्षेत्र विशेष के सामान्य उत्पादन की क्रमशः राज्य सरकारों द्वारा उनके कृषि विभागों के माध्यम से देखा जाता है। लेकिन यह सच्चाई है कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बासमती चावल के निर्यात से अच्छे दाम मिल रहे हैं–हमने विशेषकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमन्त्रियों को जहाँ चावल की इस विशेष किस्म की खेती होती है - उनके अपने तरीकों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिये लिखा था। और हमें आशा है कि राज्य सरकारें इसमें अपना विशेष सहयोग देगी। हमें पंजाब और (कोटा) राजस्थान से आशाजनक उत्तर प्राप्त हुये हैं। जहाँ तक कीमतों का प्रश्न है, बासमती चावल के निर्यात की हमारी एक प्रणाली है। प्रणाली यह है कि इसकी न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित होता है। इस समय न्यूनतम निर्यात मूल्य 8000 रुपये प्रति मीटरी टन है और जहाज पर लदान से पहले कृषि विपणन सलाहकारों या निर्यात संवर्द्धन एजेंसी द्वारा जांच का प्रावधान है और इस जांच के जरिये निर्यात किया जाता है। जहाँ तक 1988-89 के चालू वर्ष के कार्य निष्पादन की बात है मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जहाँ तक अप्रैल 1988 से जनवरी 1989 तक बासमती चावल के निर्यात की औसत यूनिट लागत का प्रश्न है, वह पिछले वर्ष से थोड़ी ज्यादा है ; यह 9,696 रुपये प्रति मीटरी टन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा न्यूनतम निर्यात मूल्य 800/- प्रति मीटरी टन है। जहाँ तक कुल निर्यात का प्रश्न है, 1987-88 में अनुमानित मात्रा तीन लाख 66 हजार टन थी, जिससे 339.98 करोड़ रुपये निर्यात मूल्य के रूप में वसूल हुए ।

श्री चिंतामणि जेना : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने ए० पी० ई० डी० ए० द्वारा बासमती चावल के निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई सिफारिशों के बारे में पूछा था। यह सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? इन प्रश्न का मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह उस प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : जैसा कि मैं कह चुका हूं, कोई विशेष सिफारिशें नहीं की गई हैं। ए० पी० ई० डी० ए० निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली एक एजेंसी है। ए० पी० ई० डी० ए० समय-समय पर सुझाव देती है। दिल्ली में हुए एक सेमिनार में आपकी उपस्थिति में हमने बासमती चावल के निर्यात से सम्बन्धित कई बातों पर चर्चा की थी। हम इसके लिए राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वह किस तरह चुनीदा क्षेत्र में चावल उगायें और एक क्षेत्र विशेष में उनके उत्पादन को बढ़ायें। यही बात है। कोई और विशेष सिफारिशें नहीं की गई थी ।

श्री सोमनाथ रथ : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि बासमतीं चावल का निर्यात करते वक्त इसमें मिलावट की जाती है, जिसके कारण निर्यात में कमी आई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस पहलू पर स्थिति जानना चाहूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : निर्यात में कमी नहीं आई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आँकड़ों में बताया है, पिछले वर्ष हमने 3,66,111 टन का निर्यात किया था जिससे 339.98 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। और पिछले वर्ष से पूर्व हमने 2,37,153 टन का निर्यात किया था और 206.78 करोड़ रुपये प्राप्त किये थे। इस तरह 1986-87 की तुलना में 1987-88 में निर्यात की मात्रा कहीं अधिक थी। जहाँ तक 1988-89 के हाल के वर्ष का सम्बन्ध है तो इस समय स्थिति बताना संभव नहीं है।

श्री सोमनाथ रथ : क्या यह आपके ध्यान में आया है कि निर्यात करते समय इसमें मिलावट की जाती है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यदि कोई शिकायत हमारे पास आती है तो हम उसकी विशेष जांच करते हैं लेकिन हमारे पास शिकायतें ही नही आयी हैं। यह एक चुनीदा उत्पादन है या तो निर्यातकों को कृषि विपणन सलाहकार के माध्यम से या निर्यात संवर्धन एजेंसी के माध्यम से एगमार्क प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। दूसरी बात, यदि सरकारी विभाग सरकार से सरकार द्वारा खरीद के अधार पर खरीद करता है तो जो विदेशी खरीददार सरकार की तरफ से खरीददारी करता है अपनी संतुष्टि के लिये अपनी जांच एजेंसी नियुक्त कर सकता है हमारी जांच प्रक्रिया का इस्तेमाल किये बिना। इसलिए किसी देश को चावल के निर्यात में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हो सकती ।

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में बासमती चावल का उत्पादन होता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री महोदय ने राज्य सरकार से इस बारे में जानकारी प्राप्त की है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : हम सम्बन्धित राज्य सरकारों से सम्पर्क नहीं करते हैं। महोदय जैसा कि आप जानते हैं और माननीय सदस्य महोदय भी जानते होंगे। निर्यातक सारे देश में घूमकर बाजार में बासमती चावल के क्षेत्रों का पता लगाते हैं ।

जहाँ तक बासमती चावल की खेती के लिये क्षेत्र चुनने की बात है, हमने उन राज्यों को पहले ही सूचना दे दी है जहाँ इसकी खेती होती है। जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा और हम मुख्यमन्त्री को लिखेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी घरेलू बिरयानी के लिए ज्यादा बासमती चावल का प्रयोग करते हैं और संभवतः इस कारण निर्यात के लिए वहाँ कुछ नहीं बच पाता।

गुजरात के ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

*327. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्ष 1988 के दौरान गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई समय पर कर सका;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य में विद्युत उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) इस वर्ष के दौरान गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों को आबंटित कोयले की मात्रा की तुलना में उन्हें सप्लाई की गई मात्रा का ताप विद्युत केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की समय पर सप्लाई करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

[हिन्दी]

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) कुल मिलाकर गुजरात राज्य के ताप बिजली घरों के लिए कोयले की मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1988 (जनवरी से दिसम्बर) के दौरान गुजरात राज्य को कोयले के आबंटन और सप्लाई के सम्बन्ध में कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से)

बिजली घर	कार्यक्रम	आबंटन	सप्लाई	सप्लाई का प्रतिशत कार्यक्रम से	आबंटन से
साबरमती	80672	75831	73272		
गाँधी नगर	43633	20084	32900		
उकई	125652	113437	119995		
गणाकबोरी	233966	238248	195172		
सिक्का	12766	5323	4010		
जोड़	496689	452923	425349	85 प्रतिशत	94 प्रतिशत

[अनुवाद]

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर प्रभावशाली है। लेकिन, क्या यह सच नहीं कि कोयले की असामायिक सप्लाई के कारण तापीय विद्युत घर के ऊर्जा उत्पादन में कमी आयी है, जिसकी शिकायत गुजरात सरकार ने की है ? मैं महोदय से निरपेक्ष रूप से यह जानना चाहूंगा कि इस दिशा में उनका मंत्रालय क्या कदम उठाना चाहती है जिससे कि राज्य के बिजली उत्पादन में कमी न आये ।

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है । इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री सोमजीभाई डामर : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के लिए जो कोयला भेजा जाता है वह ट्रेन हरियाणा में आकर खाली हो जाती है, क्या बात सही है ?

श्री माधवराव सिन्धिया : अभी माननीय सदस्य ने मुझे जो जानकारी दी उसके बारे में मैं अवश्य जांच करूंगा ।

कर्नाटक में भूमिगत जल संगठन सुदृढ़ बनाना

(अनुवाद)

\+

*330 **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य भूमिगत जल संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपकरण खरीदने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अब तक कोई निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राज्य सरकार को चालू वर्ष के दौरान राज्य भूजल संगठन को सुदृढ़ बनाने के वास्ते 30.47 लाख रुपये की खर्च न की गई राशि को उपयोग करने हेतु अनुमति दे दी गई है ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सरकार ने 1987 में एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें 1988-89 के दौरान कुछ उपकरणों के लिए धन देने को कहा गया था ताकि भूमिगत जल संगठन को मजबूत बनाया जा सके । मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने करीब 30 लाख रुपये के उपयुक्त धन के उपयोग के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है । मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक सरकार ने कुछ उपकरण

खरीदने के लिए लाइसेंस और विदेशी मुद्रा हेतु आग्रह किया है ताकि भूमिगत जल संगठन को सुदृढ़ किया जा सके। क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय लिया है, अगर हाँ, तो क्या इस बात की सूचना कर्नाटक सरकार को दी गयी है ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह सामान की खरीदारी से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटक सरकार को अनुमति दी गई है लेकिन बावजूद उसके कर्नाटक सरकार ने राशि का उपयोग नहीं किया है। आप सभी जानते हैं कि पानी की कितनी कीमत होती है। अनुमति उनको चाहिए थी और 9 मार्च, 1989 को भारत सरकार से उन्हें अनुमति दे दी गयी है जिस राशि का उन्होंने इस्तेमाल नही किया है। इस्तेमाल करने का प्रश्न आप जानते हैं राज्य सरकार से सम्बन्धित है। सम्भवतः पैसों का वहाँ डाईवर्जन किया गया है, भूमिगत जल के विकास में खर्च नहीं किया गया है और इसलिए यह परेशानी उत्पन्न हुई है ।

माननीय सदस्या का जो प्रश्न इम्पोंट लाइसेन्स के बारे में है वह हमारे डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित नहीं है। कर्नाटक सरकार ने कन्सर्न्ड डिपार्टमेन्ट को एप्रोच किया है, उसकी जानकारी तो हमें डायरेक्ट नहीं होती है, परन्तु जहाँ तक मुझे जानकारी है, कर्नाटक सरकार ने रा-मैटीयल्स के इम्पोर्ट के लिए ।

[अनुवाद]

जहाँ तक हम जानते हैं, आयात-निर्यात के मुख्य निमंगक पहले ही उन्हें लिख चुके हैं कि निर्बाध सामान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत सरकारी विभाग पूंजीगत सामान कच्चा माल, पुर्जे इत्यादि मंगा सकते हैं ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, कुछ राज्य सरकारों के लिए अब यह आम बात हो गई है कि वे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित रुपयों का या तो वास्तविक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं करते या फिर उसका गलत उपयोग करते हैं चाहे वह सिंचाई के लिए हो या भूमिगत जल संगठन के लिए, जिसे कुछ हद तक मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकारा भी गया है। इसको देखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राज्य को सिंचाई व्यवस्था के लिए और भूमिगत जल संगठन के लिए कितने रुपये आबंटित किए गये हैं और कर्नाटक सरकार ने इस पर अब तक कितने रुपये खर्च किए हैं । आगे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आबंटित रुपयों का दूसरी जगह उपयोग करना या गलत उपयोग करने का कोई विशेष उदाहरण भारत सरकार के ध्यान में आया है ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र संचालित जो योजनायें हैं उनका पहली बार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया था और उसमें तकरीबन 5 करोड़ रुपये का प्रावधान था और जब यह प्रावधान किया गया था उस समय से 50 : 50 मैचिंग ग्रान्ट से वह काम चलाया गया था 50 प्रतिशत भारत सरकार देती थी, 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। 6ठी योजना में भी यह योजना चालू रही यद्यपि इसका स्वरूप थोड़ा बदल गया। उसके बाद इसमें 5 करोड़ से 25 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। 1982-83 के बाद से इसे हमेशा ही प्राथमिकता दी गई है। इसका आउटले सेंक्थि प्लान में 25 करोड़ रहा। यह माननीय सदस्य

ने सही कहा है। कि जो राशि दी जाती है और कर्नाटक सरकार को जो राशि दी गई है, उसमें डाइवर्शन हुआ और उसका पूरा इस्तेमाल नही किया गया। मैंने अपने उत्तर में बताया है कि उनको 34.97 लाख रुपए केन्द्र से दिये गये थे और उसमें से मात्र साढ़े चार लाख रुपये कर्नाटक सरकार ने, इस्तेमाल किये और बाकी इस्तेमाल नहीं किये और स्तेमाल न करने के कारण वहां योजनायें आगे नहीं बढ़ सकी। 1985-89 में 1947 लाख रुपये गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने पूरे देश में दिये थे और उसमें कर्नाटक सरकार को जो राशि दी गई, वह मैंने माननीय सदस्य को बता दी है।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवई वेलू : जहाँ तक भूमिगत जल का सम्बन्ध है, तो यह एक चिन्ता की बात है क्योंकि सूखे की स्थिति में ज्यादातर पानी गहरे कुओं और दूसरी ऐसी सुविधाओं के द्वारा निकाला जाता है। तमिलनाडु में भी 80 प्रतिशत से ज्यादा भूमिगत जल को इस तरह से निकाला जाता है। अगर लोग इस तरह से जल को निकालते रहे तो तमिलनाडु दूसरा राजस्थान हो जायेगा। मेरा सवाल यह है कि आप भूमिगत जल के लिए 50 प्रतिशत की राज सहायता देते हैं। क्या केन्द्र सरकार भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठा रही है। क्योंकि वर्षा तथा बारहमासी नदियों का राज्य में अभाव होने के कारण भूमिगत जल स्वतः धीरे-धीरे कम होता जायेगा क्योंकि यह जल लोगों के द्वारा निकाला जा रहा है और कुछ समय बाद कहीं भी भूमिगत जल उपलब्ध नहीं होगा। भूवैज्ञानिकों ने भी इस बात की भविष्यवाणी की है कि 10 से 15 साल के बाद तमिलनाडु में कोई भूमिगत जल नहीं होगा।

वस्तुतः यह राज्य का विषय नहीं है; यह एक केन्द्र का विषय है। क्या केन्द्र द्वारा इस दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है जिसमें कि पूरी सहायता का केवल इसके लिए ही उपयोग किया जाय ? माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर मूर्ति ने रुपयों के गलत उपयोग के बारे में पूछा है। लेकिन मैं आप से पूछ रहा हूं कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ऐसा निर्देश दिया है जिससे कि प्राप्त राज सहायता की पूरी राशि उसी योजना पर खर्च की जाय जिसके लिये यह आबंटित है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह तमिलनाडु से सम्बन्धित है जब कि यह प्रश्न कर्नाटक से सम्बन्ध रखता है। तमिलनाडू के बारे में अलग से नोटिस की जरूरत है लेकिन जैसा माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवई वेलू : मैं एक सामान्य सवाल पूछ रहा हूं।

श्रीमती कृष्णा साही : भारत सरकार सूखे से प्रभावित क्षेत्र को भी सहायता दे रही है। अपने बारे में पूछा है। भारत सरकार पहले से ही सूखे से प्रभावित क्षेत्र को केन्द्रीय सहायता दे रही है।

श्री पी० कुलनवई वेलू : आप 50 प्रतिशत राजसहायता दे रहे हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : कभी-कभी हम पूरी सहायता भी देते हैं।

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : माननीय सदस्य ने जल की अन्धाधुन्ध खुदाई जिससे की भूमिगत जल में और भी गिरावट आई है के बारे में ठीक प्रश्न किया है इसके लिए भारत सरकार कुछ वर्ष पूर्व एक आदर्श विधेयक लायी थी जिससे कि भूमिगत जल और प्रबन्धन को विनियमित किया जा सके । गुजरात को छोड़कर किसी भी राज्य ने इस विधेयक को पारित करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया । इसे लागू करने की बात तो दूर रही । जब धनी किसान गहरे नलकूपों के द्वारा पानी निकालते हैं तो निश्चय ही छोटे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि इससे उनके नल-कूप और कुएँ सूख जाते हैं । इस विषय पर राज्यों को गहन रूप से सोचना चाहिए और इस विधेयक को पारित करना चाहिये जिसे हमने भूमिगत जल को विनिमयन और प्रबन्ध के लिए परिचालित किया था ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

[हिन्दी]

*332. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या इन बैंकों के कर्मचारियों को वाणिज्यक बैंकों के समकक्ष कर्मचारियों से कम वेतनमान दिया जाता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में शामिल उपबन्धों के अनुसार किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक सम्बद्ध राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के तुलनीय स्तर और दर्जे के कर्मचारियों के वेतन ढाँचे को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है । अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं तथा उनकी तुलना सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अखिल भारतीय ढाँचे से नहीं की जा सकती है ।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय के एक निर्देश के अनुसरण में, सरकार ने पहले से ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य लाभों से सम्बन्धित प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया है ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग एक्टिविटीज को फैलाने में सबसे इफैक्टिव मीन्स हैं । इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में डवेलपमेंट एक्टिविटीज में मदद

भी मिल रही है। लेकिन उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी क्या है ? दूसरों की तुलना में, जो कामर्शियल बैंक हैं, बहुत कम हैं और कई मामलों में तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को जितने सैलरी एलाउन्सेस मिलते हैं, उनसे भी कम हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार इनके सैलरी एलाउन्सेज को बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है या इसके लिए कोई कमेटी गठित की गई है या इस समय सरकार के पास क्या स्कीम है—वह बताने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, इसका जवाब सभापटल पर रखे गये वक्तव्य में दे दिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कर्मचारी प्रादेशिक बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 (1) के अनुसार संचालन किये जाते हैं। विधेयक को पारित करते वक्त संसद द्वारा यह भी विचार किया गया था कि एक या दो जिलों में, जहाँ वे काम कर रहे है, तथा उनके काम की मात्रा भी दूसरे वाणिज्यक बैंकों की जैसी नहीं हैं। जहाँ पर क्षेत्र भी ज्यादा है और उन पर उत्तरदायित्व भी ज्यादा है लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा प्रादेशिक बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार होने के कारण, कर्मचारी ऐसा महसूस करते हैं कि वे भी वाणिज्यक बैंकों के जैसा ही काम कर रहे हैं। इसलिये उन्होंने एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों यानी सरकार और कर्मचारियों से विचार करने के बाद एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार किया। सरकार भी इससे सहमत है। अब न्यायाधिकरण इसकी विस्तार पूर्वक जाँच कर रही है। न्यायाधिकरण जो भी अपना मत देगा सरकार उस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, यों तो न केवल कर्मचारियों के पे–स्ट्रक्चर के मामले को देखने की जरूरत है, बल्कि आरआरबी के टोटल फंगशनिंग और इसके लिक्विडिटी रेशा इत्यादि का जो प्रपोंशन है, उन सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। इधर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह रिस्ट्रिक्शन लगा दी है आर आर बी के ऊपर कि लिमिटेड मामलों में ही नहीं ब्रान्चेज खोलने के विषय में लाइसेन्स दिये जायेंगे। यह स्थिति करीब-करीब जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, उन सबके विषय में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, क्या फाईनेंस मिनिस्ट्री ने या रिजर्व बैंक ने कुछ इन्स्ट्रक्शन्स क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी है कि वे अपनी और शाखायें न खोलें या फिर लिमिटेड एरियाज में ही शाखायें खोलें ? यदि ऐसे निर्देश दिए गए हैं, तो उनका औचित्य क्या है और अगर जहाँ शाखायें खोलने की आवश्यकता है, उनके अनुरूप खोलने की इजाजत दी जायेगी, लाइसेन्स दिये जायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, जैसा कि मैंने कहा, जहाँ तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, न्यायाधिकरण उनके मामले को देख रहा है। जहाँ तक नए बैंक खोलने का सम्बन्ध है, इसका अर्थ है कि अधिकांश बैंकों को घाटा हो रहा है। इसलिए यह जानने के लिए इस मामले की छानबीन की जा रही है कि क्या कदम उठाए जाएं ताकि वह अर्थ क्षमम हो सके और घाटे में न जाएं। यह प्रक्रिया पूरी होने पर सरकार निश्चित रूप से इसकी जाँच करेगी।

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवा क्षेत्र परिकल्पना के बारे में जारी किये गये नए मार्ग निर्देशों के अनुसार चाहे वाणिज्यक बैंक शाखा हो या ग्रामीण बैंक शाखा, इसका लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी। किन्तु इन ग्रामीण बैंकों में लोगों की सहायता करने की क्षमता नहीं है। इसलिये जिन गाँवों में भी वाणिज्यक बैंक की शाखायें हैं, उन्हीं के निवासी कवर होते हैं तथा उन्हीं के द्वारा उनकी सहायता की जाती है। किन्तु ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत आने वाले लोगों को सहायता के अभाव में परेशान होना पड़ता है।

इसलिए वाणिज्यक बैंकों के अन्तर्गत आने वाले लोगों तथा ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत आने वाले लोगों के बीच इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है।

श्री ए० के० पांजा : महोदय इस प्रकार का कोई अन्तर नही है। या ग्रामीण बैंक जिनका जिक्र चल रहा है, मुख्यत: लघु और सीमान्तक किसानों के लिए स्थापित किए गए थे और छोटे तथा सीमान्तक किसानों की अच्छी प्रकार से देखभाल हो सके, इसलिए 1976 के विधान में पहले ही यह परिकल्पना की गई थी कि इनका क्षेत्र छोटा, एक या दो जिले ही हो ताकि वह वहाँ जा सके। इसलिए इन दोनों अर्थात इन बैंकों और वाणिज्यक बैंकों के बीच कोई समानता नहीं है। छोटे सीमान्तक किसान वाणिज्यक बैंकों का लाभ उठा सकते हैं। किन्तु यह ग्रामीण बैंक तो हैं ही निर्धनों छोटे और सीमान्तक किसानों के लिए, जो उनका विशेष ध्यान रखते हैं।

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न गाँवों के छोटे किसानों को बैंकिंग सुविधा देने की दृष्टि से है। छोटे किसानों का संगठन मुख्य रूप से ग्राम पंचायत है। क्या ग्राम पंचायतों को बैंकिंग सुविधा देने की कोई व्यवस्था की जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : ग्राम पंचायतों को सुविधाएं देने का प्रश्न नहीं है। इनका गठन छोटे और सीमान्तक किसानों के लिये किया गया है, जो इसके संविधान तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित मान दण्डों के अनुसार उनके पास जाते हैं और ग्रामीण बैंक उनकी सहायता करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उनके वेतनमान और भत्तों के लिए एक नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राईब्युनल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी जब तक उनका निर्णय न आ जाए तब तक विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में प्रदेश सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से मिल कर जो विनिमय वेजिज तय किये हैं कम से कम उनको एम्पलाईज खास करके फोर्थ क्लास के एम्पालाईज को देने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : जैसा कि मैंने कहा, 1976 के विधान के अन्तर्गत जिन परिलब्धियों का प्रावधान किया गया है, उनका भुगतान किया गया है। यह धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियन्त्रित है और मुझे विश्वास है कि जब संसद ने इसका अनुमोदन किया था, उन्होंने न्यूनतम वेतन से नीचे किसी वेतनमान का अनुमोदन नहीं किया था।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी इन बैंकों की जो कार्य प्रणाली है वह सन्तोषजनक बिल्कुल नहीं है। अनेक राज्यों में किसान उपभोक्ताओं और ग्रामीण जनता में उनकी कार्यप्रणाली के बारे में कतई सन्तोष नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक यह कि रीफाईनंस करने की प्रोपर व्यवस्था नहीं है। दूसरा यह है कि इन बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को बैंकिंग सर्विसज के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं दी गई है। किसी ने किसी बैंक में 6 महीने या एक साल क्लर्क का काम किया हो उनको मेनेजर बना कर इनमें भेज दिया जाता है। बाद में उनकी पोस्ट ट्रेनिंग भी नहीं होती। उनका व्यवहार और कार्यप्रणाली उपभोक्ताओं के प्रतिकूल है। उनका पूर्ण रूप से प्रशिक्षण हो, वे सही तरह काम पर ध्यान दें, उनकी सही दृष्टि हो, इस बात के लिए उन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : जब यह समस्याएं सरकार की जानकारी में लाई गई तो एक कार्य दल का गठन किया गया था और कार्य दल ने सिफारिशें की थी और सिफारिश संख्या 3 में मैंने देखा कि स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जाना है। सरकार कार्यदल की सिफारिशों के ब्यौरे की छान बीन कर रही है और इन ग्रामीण बैंकों के कार्य चालन में सुधार लाने के लिए कार्य दल द्वारा कई उपाय करने की सिफारिश की गई हैं।

उड़ीसा की खैरांबंकी सिंचाई परियोजना को मंजूरी प्रदान करना

*334 : **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गंजम जिले में खैरांबंकी सिंचाई परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं, ऐसी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोमनाथ रथ : अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना की आधार शिला, उड़ीसा राज्य के सिंचाई मन्त्री द्वारा चार वर्ष पूर्व रखी गयी थी। अधिकारियों के वेतन पर आवश्यक व्यय किया गया है तथा कुछ क्वार्टरों और सड़कों का निर्माण भी किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण और वन मन्त्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। इसलिए मुख्य परियोजना कार्य आरम्भ नही हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय, पर्यावरण और वन मन्त्री से बात करेंगी ताकि इसे मंजूरी मिल सके और परियोजना का कार्य शीघ्र आरम्भ हो सके।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : यह सिंचाई परियोजना की मंजूरी से सम्बन्धित है। यह आपके विभाग जल संसाधन से सम्बन्ध रखती है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मेरे विभाग में सैन्ट्रल वाटर कमीशन में ऐसी योजना आई ही नहीं है, मैंने कहा है कि सब प्रोजेक्ट है रिपोर्ट हैज नाट बीन रिसीव्ड (ऐसी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है) जब विभाग में आयी ही नहीं तो मैं क्या कर सकती हूं ।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता दूं कि हमने पर्यावरण मन्त्रालय से पूछताँछ की है । उन्होंने बताया है कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री सोमनाथ रथ : मैं, आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में ऐसी कितनी सिचाई परियोजनाएं जारी हैं जिसका खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है और प्रत्येक परियोजना के लिए वह और कितना धन दे रहे हैं ।

श्रीमती कृष्णा साही : आप गंजम जिले में चल रही परियोजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री सोमनाथ रथ : उड़ीसा में ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हरभंगी, बधुआ स्टेज-2, रूशीकलिया नाधुनिकीकरण, दाहा, बंधालाती, ये चार योजनाएं स्वीकृत हैं औरां पांचवीं सेंट्रल वाटर कमीशन जांच रिपोर्ट के लिए परामर्श कमेटी को भेज दी है, परामर्श कमेटी ने योजना विभाग को भेजा है और प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार को चाहिए कि जंगल संबंधी को पूरा करे । जहां तक राशि के बारे में इन्होंने जानना चाहा है तो लेटेस्ट एस्टीमेटेड कास्ट 9449 लाख है, एक्सपेंडीचर छटी पंचवर्षीय योजना में 2358 लाख हुआ है और सातवीं पंचवर्षीय में प्लान आउट ले 364 लाख का है ।

श्री कुंवर राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में अपरसकरी जलाशय योजना केन्द्र सरकार ने स्वीकृति की है और इसका शिलान्यास भी हुआ है । हमने शंकरानंद जी से पत्र द्वारा प्रार्थना की थी और उनका उत्तर आया था कि 50 करोड़ रुपए इस वर्ष दे रहे हैं तथा इस योजना के प्रारम्भिक स्तर के काम को चालू किया जाएगा । इसकी क्या प्रगति है ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह बिहार से सम्बन्धित नहीं है, उड़ीसा से सम्बन्धित है ।

श्री कुंवर राम : इनका क्षेत्र भी वहीं पड़ता है ।

श्रीमती कृष्णा साही : माननीय सदस्य अपरसकरी जलाशय योजना के बारे में जानना चाहते हैं, यह प्रोजेक्ट आया था और स्वीकृत हो गया है, परन्तु पर्यावरण विभाग द्वारा बहुत से तकनीकी सवाल किये गये हैं, इसलिये बिहार सरकार को वापिस कर दिया गया है, अभी तक वहाँ से उत्तर नही आया है ।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्रालय में मन्जूरी के लिए, बाढ़ से बचाव तथा सिंचाई सम्बन्धित कितनी परियोजनायें लम्बित पड़ी हैं तथा पिछड़ा राज्य होने के नाते उड़ीसा में उन परियोजनाओं को मन्जूरी देने में कोई विशेष प्राथमिकता दी जा रहीं है या नहीं। तत्पश्चात मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार द्वारा कृष्णा प्रसाद एम्बार्कमेन्ट परियोजना पर विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है, इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, मन्त्रालय को चाहिए था कि वह माननीय मन्त्री जी को पूरी जानकारी देता।

[हिन्दी]

डा० कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, हमारी मन्त्री महोदया ने जो उत्तर दिया हैं, उस उत्तर से सप्लीमेंटरी पैदा होता है....**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उत्तर से पुत्तर पैदा होता है....**(व्यवधान)**

डा० कृपासिन्धु भोई : उत्तर से प्रश्न पैदा होता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जेन्डर क्यों बदल दिया।

डा० कृपासिन्धु भोई : इन्होंने जनरल उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है लेकिन आपने जेन्डर क्यों बदल दिया।

डा० कृपासिन्धु भोई : हिन्दी में थोड़ा गड़बड़ होता है। आपने हिन्दी में बोलने के लिए कहा है इसलिए हिन्दी बोल रहा हूं। कोई गलती हो जाये तो माफ कर देना। जो एडवांस प्लान स्कीम है उसमें राजीव जी ने 1989 तक 175 मिलियन टन फूड प्रोडक्शन करने के लिए तय किया हुआ है इसलिए 180 मिलियन टन तक हो सकता है। एक प्रपोजल है। हिराकुड माडर्नाइजेशन एण्ड एक्सपेन्सन प्रोग्राम, उसमें देर लगेगी। हमने शंकरानन्द जी को पत्र लिखा है। वे भोलेनाथ न होकर हमको एडवांस प्लान स्कीम से कुछ पैसा दिला सकते हैं क्या।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो बिल्कुल पिनपाइन्ट है। माननीय सदस्य का जो प्रश्न पूर्व में था उसमें खैराबंकी इरीगेशन प्रोजेक्ट के क्लीयरेंस के बारे में पूछा है। अब जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, वह मैं प्राप्त करके इनके पास भेज सकती हूं। क्या सही है और क्या सही नहीं है, अभी मैं तत्काल नहीं बता सकती।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में महिला उद्यमियों के लिए पृथक सेल

[अनुवाद]

+

***337 श्री एच. एन. नन्जे गौडा :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने महिला उद्यमियों के ऋण सम्बन्धी आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में पृथक सेल स्थापित करने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने इस बीच ऐसी कोई सेल बनाया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का महिला उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से समुचित लाभ प्रदान करने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि उसने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को महिला उद्यमियों से प्राप्त ऋण आवेदनों का निपटान करने के लिये पृथक सेल बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन उसने बैंकों को महिला उद्यमियों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने तथा उस पर नजर रखने और राज्य स्तरीय बैंक समितियों की बैठकों में इस सम्बन्ध में कार्य निष्पादन की संवीक्षा करने के अनुदेश दिये हैं ।

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : महोदय, यह बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिये हैं कि वह महिला उद्यमियों को अधिक ऋण दे और उस ऋण पर निगरानी रखें । यह निर्देश कब जारी किये गये थे ? क्या यह निर्देश जारी करने के पश्चात राज्य स्तर पर कोई पुनरीक्षा की गई थी ? यदि हाँ, तो इस निर्देश के परिणाम स्वरूप महिला उद्यमियों को मिलने वाले ऋण की क्या स्थिति है ?

श्री ए० के० पांजा : यह निर्देश जारी किए जाने की वास्तविक तारीख मेरे पास नहीं है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्देश, विकास आयुक्त, लघु उद्योग के तत्वाधान में उद्योग मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर की एक समिति हमारी मन्त्री, श्रीमती मारग्रेट अल्वा जिसकी सभापति थी का गठन किए जाने के पश्चात जारी किये गये थे । मई, 1987 में, श्रीमती मारग्रेट अल्वा के सभापतित्व में समिति द्वारा कुछ सिफारिशें की गई । तत्पश्चात रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश जारी किये गए । रिजर्व बैंक के निर्देश यह थे कि राज्य स्तर की जो समितियाँ काम कर रही हैं, महिला उद्यमियों को दिए जाने वाले लाभों की निगरानी के लिए बेहतर संगठन है तथा किसी विशेष सेल की आवश्यकता नहीं होगी । अधिकॉश समितियों ने अपनी सिफारिशें की हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से बहुतों ने कोई सिफारिश नहीं की है ।

श्री एच० एम० नन्जे गौड़ा : प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक है । प्रत्येक जिला एक लीड बैंक से जुड़ा है । इसलिए यदि विशेष कक्ष के माध्यम से नहीं तो लीड बैंक के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है । क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी किये जाएं जो, प्रत्येक नगर में आगे लीड बैंकों को निर्देश जारी करे कि वह महिला उद्यमियों की सहायता करे ताकि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके ?

श्री ए० के० पांजा : लीड बैंक को केवल हिदायत देने से ही महिला उद्यमियों को कोई फायदा नहीं होगा । इसलिये, जहाँ कहीं भी राज्य स्तर की बैंकर समिति हैं, रिजर्व बैंक ने निर्देश दिए हैं कि महिला उद्यमियों की निगरानी इन्ही समितियों के माध्यम से होनी चाहिए ।

यदि जिला मुख्यालय में कोई लीड बैंक है, तो वह सम्पूर्ण जिले में महिला उद्यमियों की सहायता नहीं कर सकता। इसलिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, वूमैन इंटरप्रिनर डवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मन्त्री जी गये थे और वहाँ पर रिजर्व बैंक के अलावा अन्य बैंकों के भी अधिकारी थे। वहाँ पर इन्होंने आदेश दिया था बैंकों को कि आप इनके लिए अलग से सेल बनायें। उत्तर में यह आया कि रिजर्व बैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत सरकार के वित्त मन्त्री के कहने के बावजूद रिजर्व बैंक ने इनकी बात को नहीं माना, इसके क्या कारण हैं। इन्होंने जो निर्देश दिये उसके बाद में क्या नतीजा आया है यानि कितने प्रतिशत लोन बढ़ा है यह बतायें ? इनके आँकड़े क्या बताते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : मन्त्रालय द्वारा रिजर्व बैंक को सैल खोले जाने के बारे में हिदायत देने सम्बन्धी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक संविधान के तहत एक स्वतंत्र निकाय है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि रिजर्व बैंक ने सभापति के रूप में श्रीमती अल्वा की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात पृथक सैल बनाने का निर्देश नहीं दिया क्योंकि इससे दोहरापन हो जाता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, विकलांग महिलाओं, सामान्य महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिये एक पृथक सैल हो सकता है। किन्तु निर्देश दिया गया है कि राज्य स्तर की समितियां इसके ब्यौरे को देखेंगी और इसकी जांच करेगी।

जहाँ तक बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 12 अर्थात महिला उद्यमियों की ओर विशेष ध्यान देने का सम्बन्ध है, आंकड़ों से पता चलता है कि दिसम्बर, 1987 के दौरान 9·35 लाख खाते खोले गये और बकाया 267.96 करोड़ रुपये था। खातों की संख्या बढ़ कर 11,42,000 हो गई है तथा जून 1988 तक राशि बढ़ कर 350.61 लाख रुपए हो गई है। इसलिए यह देखा गया है कि अधिकाधिक महिला उद्यमी आगे आ रही है और लाभ उठा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह न्यूज आइटम है हिन्दुस्तान टाइम्स की।

[अनुवाद]

"हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 फरवरी, नई दिल्ली राजस्व राज्य मन्त्री श्री अजित पांजा ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से यह आग्रह किया है कि वह महिला उद्यमियों के सब आवेदनों के तेजी से निपटाने के लिए पृथक कक्ष बनाए।"

[हिन्दी]

यह न्यूज गलत है या सही है, यह बताएं।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : यह समाचार सही है। महिला उद्यमियों के दिल्ली सम्मेलन में जब मुझे बुलाया गया तो मेरी व्यक्तिगत राय पूछी गयी थी। मैंने वहाँ पर उपस्थित बैंकरों से इसकी छानबीन करने को कहा था।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मन्त्री महोदय, अधिकारियों से कह रहे थे ।

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्य को यह बात समझनी चाहिए कि रिजर्व बैंक; कानून के अन्तर्गत एक स्वतंत्र निकाय है । हम उनसे आग्रह करते हैं और हम जब भी किसी नीति सम्बन्धी मामले में उन्हें कुछ कहते हैं तो वह विचार करते हैं । इसलिए इन निर्देशों का पालन एक सैल खोल कर नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभिन्न वर्गों की विभिन्न महिलाओं के कार्यों में दोहरापन आ जायेगा । किन्तु यह राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाता है जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री जी ने कहा महिलाओं एन्ट्रेप्रेन्यौर्स के लिए सैपरेट सैल होने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जायेगा, ऐसी मेरी मान्यता है । मैं प्रधान मन्त्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए 30 परसेंट रिजर्वेशन का प्रावधान किया है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि किसी नेशनेलाइन्ड बैंक की टोटल रिस्पौन्सिबिलिटी आप क्या महिलाओं के सुपुर्द किये जाने की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं, जिसमें मैनेजर भी महिला हो, बैंक के सभी कर्मचारी महिला रहें और दूसरे स्तर के सभी कर्मचारी भी महिला हों क्या सरकार किसी ऐसे प्रोपोजल पर विचार कर रही है ।

श्री हरीश रावत : फिर तो सर, मिनिस्टर भी महिला ही होगी ।....**व्यवधान**

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : सुझाव नोट कर लिया गया है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल को कहीं पार्लियामैंट ही अलग न मांग लें ।

श्री पी० एम० सईद : फिर तो अध्यक्ष भी महिला को ही बनाना पड़ेगा ।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, सुझाव नोट कर लिया गया है । किन्तु पुरुष होकर भी प्रधान मन्त्री यह सब निर्देश महिलाओं की ओर से दे रहे हैं । **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : क्या माननीय मन्त्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे ? **(व्यवधान)**

बिहार में रेल परियोजनायें

*343. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में खनिज और अयस्कों की परिवहन सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए परिवहन सुविधायें अपर्याप्त हैं ;

(ख) बिहार में ऐसे क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई रेल लाइन सम्बन्धी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या खनिजों और अवस्कों के शीघ्र परिवहन के लिए इन क्षेत्रों में कुछ और नई रेल लाइनें बिछाने हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है;

(घ) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार में बड़ी लाइनों वाले रेल मार्गों का विस्तार करने के प्रस्ताव हैं, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[हिन्दी]

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें खनिज और अयस्क के परिवहन में सुधार लाने के लिए इस समय बिहार राज्य में चल रही अनुमोदित परियोजनाओं को सूची बद्ध किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) 85.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अंशतः बिहार में, पड़ने वाले छपरा-औडिहार सी० ता० खण्ड (171 कि० मी०) को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव 1989-90 के बजट में रखा गया है ।

विवरण

खनिज और अयस्क के परिवहन में सुधार लाने के लिए बिहार में अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	12/88 तक प्रगति (प्रतिशत)
1.	सिगसिगी और बगहा विष्णुपुर के बीच (79 कि०मी०) दोहरी लाइन बिछाना	50.28	5
2.	गढ़वा रोड से सिगसिनी (6 कि० मी०) और गोमनगर से बगहा विष्णुपुर) (8 कि० मी०) पर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना	7.49	80
3.	बोकारो स्टील सिटी स्टेशन और बोकारो स्टील सिटी "ए" केबिन के बीच (4.5 कि० मी०) दोहरी लाइन बिछाना	2.20	96
4.	बोकारो और पुन्दाज के बीच कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना तथा राध गाँव और बोकारो विन्यास यार्ड "ए" केबिन के बीच (3 कि०मी०) जुड़वां इकहरी लाइन बिछाना	6.24	99
5.	कंद्रा-योम्हारिया खंड (10 कि० मी०) का दोहरीकरण	8.53	75
6.	गया-मुगलसराय खंड-खंडीय क्षमता बढ़ाना	8.41	25
7.	बरवाडीह-उत्तरी करनपुरा क्षेत्र में डिपो यार्ड का विकास	31.44	–

डा० गौरीशंकर राजहंस : अध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री जी हमारे बिहार के बिल्कुल नजदीक के क्षेत्र से आते हैं लेकिन बिहार से इनका लगाव बहुत कम है ।

अध्यक्ष महोदय : पड़ोसी कहिये न ।

डा० गौरीशंकर राजहंस : जब भी मैं ट्रेन से जाता हूं तो मैंने यह नोट किया है कि हमारे मन्त्री जी को बिहारियों का ख्याल ज्यादा है, लेकिन यह बिहार का ख्याल नहीं रखते हैं । इन्होंने कहा है कि छपरा-औडिहार मीटरगेज लाइन को ब्रौडगेज में बदले जाने का प्रस्ताव बजट में शामिल कर लिया गया है, शायद इसलिये कि इस लाइन का एक छोटा पार्ट बिहार से होकर गुजरता है । क्या मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर दरभंगा मीटर गेज रेलवे लाइन को आप कब तक ब्रौडगेज लाइन में परिवर्तित करेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन्, माननीय विद्वान सदस्य ने समस्तीपुर-दरभंगा रेलवे लाइन को ब्रौडगेज में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी मांगी है । इस लाइन को ब्रौडगेज में बदलने के लिये 1974-75 में अनुमोदित किया गया था लेकिन जब उस पर आगे विचार हुआ और सर्वेक्षण में उसकी लागत 26 करोड़ रुपये बतायी गयी, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसका प्रतिफल नगण्य आया, ऋणात्मक आया, इसलिये उस लाइन को ब्रौडगेज में परिवर्तन करने का प्रस्ताव व्यावहारिक नही पाया गया, उस पर आगे विचार नहीं किया गया ।

डा० गौरीशंकर राजहंस : मन्त्री जी ने बहुत अच्छा कहा : क्या मन्त्री जी दावे के साथ कह सकते हैं कि जहां जहां इन्होंने मीटरगेज को ब्रौडगेज में परिवर्तित किया हैं, सब का प्रतिफल ठीक आया था, सभी लाइनें लाभकारी पायी गयी थीं । मन्त्री जी ने मुझे लिखकर भी दिया है कि सर्वे हुआ था परन्तु उसे लाभकारी नहीं पाया गया इसलिए इसे ब्रौडगेज में परिवर्तित नहीं किया जायेगा····

क्या मैं मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि जहां-जहां पिछले दस वर्षों में बदला गया है, क्या वह वह सब लाभकारी है ? फिर मैं चेलेंज के साथ कहूंगा कि यह नहीं है और समस्तीपुर दरभंगा के साथ अन्याय हुआ है । यही नही समस्तीपुर और दरभंगा की लाइन बिछ रहीं थी एक रेल मन्त्री उठाकर उसे अपनी कौंस्टीट्यूएंसी में ले गया था । अब आप कहिए हां या नहीं ?

श्री महावीर प्रसाद : अब, श्रीमन्, कौन सम्मानित रेल मन्त्री थे, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं । जहां तक शेहरीकरण या आमान परिवर्तन की बात आती है, इसमें हम विशेष कर इस पर ध्यान देते है कि यातायात का घनत्व जहां पर अधिक पाया जाता है उस आधार पर हम आमान परिवर्तन विशेषरूप से करते हैं ।

डा० गौरीशंकर राजहंस : वहां तो अध्यक्ष महोदय, एशिया का सबसे बड़ा घनत्व है । मैं प्रिवलेज लाना चाहता हूं । वहां तो एशिया का सबसे बड़ा घनत्व है । मन्त्री जी जबाब देने के पहले सोच लीजिएगा कि क्या जबाब दे रहे हैं । एक रेल मन्त्री अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में उठाकर ले जाता है और आप कहना चाहते हैं कि घनत्व नहीं है । यह बिहार के साथ बिलकुल अन्याय है । हम बिहारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे····**(व्यवधान)** हम बिहारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे···· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सब क्यों बोल रहे हैं ? ऐसे गाड़ी कैसे चल सकती है ?

(व्यवधान)

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : अध्यक्ष महोदय, हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं **(व्यवधान)** इसलिए प्रत्येक रेलवे लाइन के बारे में सर्वेक्षण करने के पश्चात् मुख्यरूप से उसके रिटर्न के आधार पर हम अपना निर्णय लेते हैं। कभी-कभी दूसरे कारण भी होते हैं। पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं रेलवेज को स्टेट की दृष्टि से नहीं, ऑपरेशनल दृष्टि से आदरणीय सदस्य लोग देखा करें, तो ज्यादा ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

यह एक आप्रेशनल मंत्रालय है और इसे तमाम देश के हितों की रक्षा करनी होती है।

[हिन्दी]

पर इतना मैं कहना चाहता हूं कि कई गेज कन्वर्शन बिहार में भी हुए हैं जबकि उस समय देश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो रहे थे। प्रत्येक की बारी आती है। छठवें प्लान में लगभग 587 किलो मीटर का बाराबंकी-समस्तीपुर गेज कन्वर्शन कम्पलीट किया गया। 182 किलोमीटर का बरौनी कटिहार गेज कन्वर्शन कम्पलीट किया गया। सदैव ही, प्रत्येक वर्ष अपना टर्न आना यह भी उचित नहीं होगा····**(व्यवधान)**

इतना भी मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, हालांकि मैंने कई बार यह निवेदन किया है कि अखिल भारतीय दृष्टिकोण से हमें रेलवे के आपरेशन को देखना चाहिए, पर तब भी अगर आप स्टेट की दृष्टि से देखें, तो रेलवे लाइन पर थाउजेंड स्क्वेयर किलोमीटर जो हिसाब-किताब है, जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार देश में औसत 18.8 है और बिहार का औसत 30.1 आता है। तो उस लिहाज से भी, उस दृष्टिकोण से भी काफी कुछ रेलवे लाइन बिहार में हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रेलवेज यह मानती है कि अब बिहार में कुछ न हो। मैं सिर्फ यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक नैग्लैक्ट होने का सवाल है, अगर बिहार के लोग यह कहना चाहते हैं कि बिहार नैग्लैक्ट हो रहा है, तो कुछ दूसरे क्षेत्र देश में ऐसे भी हैं जहां अभी तक रेलवे लाइन के दर्शन तक लोगों ने नहीं किए है। **(व्यवधान)**

डा० गौरीशंकर राजहंस : सर, बिहार के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। एक रेल मन्त्री वहां से उठाकर रेलवे लाइन को अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में ले गए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से बात करेंगे, तो कोई मतलब नहीं निकल सकता है। अगर आप इसी तरह से शोर करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सी०पी० ठाकुर बोलिए···

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्य कुछ भी कहें रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतांत में सम्मलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

यदि श्री सी०पी० ठाकुर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अनुमति है । अन्यथा किसी को अनुमति नहीं है । सीधी सी बात है ।

[हिन्दी]

श्री सी०पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, बिहार तो वैसे भी पिछड़ा प्रान्त है लेकिन उसमें जो एक प्रौजैक्ट है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सर, हमारा भी ख्याल करिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सारे हाउस का ही ख्याल कर रहा हूं जैसे वे सारे देश का ख्याल कर रहे हैं ।

श्री सी०पी० ठाकुर : उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, दोनों के विकास के लिए जो गंगा का रेलवे पुल है, वह बनना चाहिए था । उसका सर्वेक्षण भी हो चुका है और मन्त्री महोदय ने कहा था कि अब होने वाला है । गंगा जी पर जो पुल है वह आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों को मिलाएगा और उम्मीद है कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से भी वह लाभकारी होगा, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मन्त्री जी कब तक गंगा के उस पुल को बनाने का प्रयास करेंगे ?

श्री माधवराव सिन्धिया : अध्यक्ष जी, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा, तो उस पर विचार करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्वीडन के साथ व्यापार

[अनुवाद]

*328. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1988 में स्वीडन को कुछ वस्तुओं का निर्यात करने सम्बन्धी कोई करार किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत और स्वीडन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ङ) वर्ष 1989 के लिए दोनों देशों के बीच हुए समझोतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेशसिंह : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान राज्य व्यापार निगम ने 52.94 लाख रुपए की वस्तुओं के निर्यात के लिए करार किए, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

मद	राशि
सिले-सिलाए परिधान	0.20
चमड़े के परिधान	5.65
चमड़े की वस्तुएं	2.05
साइकिल/मोपेड तथा आटो रिक्शा	1.00
ऊनी दरी	44.04
रुपए	52.94 लाख

(ग) से (ङ) : वर्ष 1988-89 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान स्वीडन को भारत के निर्यात अनन्तिम रूप से 38.27 करोड़ रुपए तथा आयात 124.85 करोड़ रुपए के हुए जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान निर्यात 36.81 करोड़ रुपए के तथा आयात 96 करोड़ रुपए के हुए थे ।

वर्ष 1989 के दौरान सरकारी स्तर पर कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ ।

खाता बाह्य बिक्री पर आयकर

*329. **श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उपभोक्ता बिक्री-कर न अदा करने के उद्देश्य से नकदी रसीद नहीं लेता, जिसके परिणामस्वरूप, खुदरा बिक्रेता खाता-बाह्य बिक्री से आयकर का अपवंचन करता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता द्वारा इस प्रकार का अवैध तरीका अपनाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यह गलत तरीका रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी, हाँ। बिक्री वाउचर जारी नहीं करने की गैर कानूनी पद्धति को हतोत्साहित करने के लिए आयकर विभाग ने जो उपाय किए हैं उनमें ये उपाय शामिल हैं।

(i) नकदी, लेखा बहियों और स्टाक आदि की "मौके पर" जांच करने के लिए आयकर विभाग द्वारा व्यापारिक तथा वाणिज्यक परिसरों का सर्वेक्षण किया जाता है। कभी-कभी लेखों के रख-रखाव में पाई जाने वाली विगसंतियों से बिक्री से प्राप्त रकमों के छिपाये जाने का पता चल जाता है ।

(ii) व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिये आयकर अधिनियम में लेखों का उस स्थिति में अनिवार्य रूप से रखा जाना निर्धारित किया गया है यदि उनकी व्यापार से होने वालीं वार्षिक आय 25,000 रुपये से अधिक हो जाती है अथवा उसकी कुल वार्षिक बिक्री/व्यापार 2,50,000 रुपए से अधिक का हो जाता है। इस प्रकार ऐसे सभी व्यापारियों को उनके द्वारा की गई बिक्री के सम्बन्ध में बिक्री वाउचर जारी करना कानूनन आवश्यक है ।

(iii) आयकर विभाग राज्य सरकारों के बिक्री कर विभागों से, बिक्री कर विभाग द्वारा लगाये गये अर्थ-दण्डों के बारे में सूचना प्राप्त करता है ताकि उन व्यक्तियों के विरुद्ध आयकर नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सके जिनके बारे में यह पाया गया हो कि उन्होंने बिक्री को छिपाया है ।

राज्य व संघ-राज्य क्षेत्र भी, जो कि बिक्री कर की समुचित उगाही के लिये जिम्मेदार हैं, बिक्री-कर के किसी भी प्रकार के अपवंचन को रोकने के लिए उपाय करते हैं ।

एन्टीबायोटिक औषधियों का निर्यात

*331. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

चौधरी खुर्शीद अहमद : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कुछ औषध निर्माताओं द्वारा अति लाभप्रद एन्टीबायोटिक औषधियों के "निर्यात" के घोटाले की जानकारी है जिनके लिए निर्माताओं द्वारा निर्यात लाइसेंस लिये जाते हैं लेकिन जिन्हें वे निर्यात न करके अपने ही देश में बेच देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा कदाचार कर रहे औषध निर्माताओं का पता लगाने हेतु कोई प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रेल विभाग में ऊर्जा की बचत के लिए उपाय

*333. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग द्वारा उर्जा की खपत कम करने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं,

(ख) इस सम्बन्ध में और क्या उपाय किये जायेंगे, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) ऊर्जा संरक्षण के लिये रेलों द्वारा अपनाये गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में, जिनसे ऊर्जा की खपत में कमी आई है, रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय तथा मण्डल स्तरों पर संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना, भाप इंजनों को तेज गति से हटाना, रेल पटरियों की झलाई तथा उनमें स्नेहक लगाना, ड्राइवरों का प्रशिक्षण, डीजल रेल इंजन उप प्रणालियों का बेहतर अनुरक्षण, डीजल तथा स्नेहक तेल की खपत के सम्बन्ध में रेल इन्जनों की अलग-अलग निगरानी की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, फेरा ईधन का निर्धारण तथा प्रमुख रेल संस्थापनाओं की ऊर्जा लेखा परीक्षा शामिल हैं ।

(ख) और (ग) जी हाँ, यह सतत प्रक्रिया है । उर्जा संरक्षण के लिये कुछ और महत्वपूर्ण उपाय करने का प्रस्ताव है, वे हैं-डीजल तथा बिजली रेल इन्जनों पर पहिया कोर स्नेहक लगाना

तीखे ढलानों वाले खण्डों पर स्टियर्ड बोगियों का प्रयोग, माल डिब्बों में प्लेन बेयरिंगों के बदले रोलर बेयरिंग लगाना, माल डिब्बे का भार कम करने के लिये कम्प्यूटर की सहायता से तैयार किये गये अभिकल्पों का इस्तेमाल, चल स्टाक का वायुगतिकीय पार्श्वन, बिजली गाड़ियों में थापर कन्ट्रोल की शुरुआत, उच्च गति टर्न आउटों की व्यवस्था, रेल इंजनों के लिये अति कुशलता वाले टर्बो चार्जरों तथा ईंधन की खपत की दृष्टि से किफायती किटों का स्तेमाल ।

बंगलौर-जोलारपेट रेल मार्ग को दोहरा करना यथा इसका विद्युतीकरण करना

*336. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-जोलारपेट रेल मार्ग को दोहरा करने तथा इसका विद्युतीकरण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) मार्ग को दोहरा करने तथा इसके विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस समय जोलारपेटट्टै-बेंगलरू मार्ग पर कुप्पम-व्हाइट फील्ड के मौजूदा इकहरी लाइन वाले खण्ड के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जोलारपेटट्टै-बेंगलूरू मार्ग के विद्युतीकरण के लिये 1988-89 के दौरान 4.37 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है और इस कार्य के आठवी पंचवर्षीय योजना में पूरा होने की सम्भावना है ।

रूमानिया को लौह-अयस्क का निर्यात

*340. **श्री सांभाजीराव काकाडे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गोवा से रूमानिया को उच्च श्रेणी के लौह अयस्क की बिक्री के बारे में अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या यह अयस्क भारत से जापान को निर्यात किए जा रहे सामान उच्च श्रेणी के लौह अयस्क से 2 डालर प्रति टन सस्ता है ;

(ग) क्या रेडी पत्तन के माध्यम से निम्न श्रेणी का लौह अयस्क निर्यात करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम का रूमानिया के साथ करार पूरा हो गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) एम एम टी सी गोआ से रोमानिया को उच्च ग्रेड के अयस्क का निर्यात नहीं कर रहा है । परन्तु एम एम टी सी मूल (65/63 प्रतिशत फी) और कम ग्रेड (62/60 प्रतिशत फी) के अयस्क का गोआ से रोमानिया को निर्यात करता है । गोआ से जापान को निर्यातित इसी ग्रेड के अयस्क की कीमत रोमानिया की कीमत से लगभग 2 अमरीकी डालर प्रति टन अधिक है । इसका कारण गोआ में जापान द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे बड़े आकार के जहाजों से प्राप्त होने वाले लाभ तथा रोमानिया की तुलना में गोआ से जापान के बीच की कम दूरी के लिये भाड़े की बचत होना है ।

(ग) और (घ) : 8 सितम्बर, 1988 के संशोधित समझौता ज्ञापन के अनुसार मार्च, 1991 तक रेडी से 15 लाख मी. टन लौह अयस्क का प्रति वर्ष निर्यात किया जाना था । इसकी तुलना में फरवरी, 1989 के अन्त तक रोमानिया को 3.63 लाख मी. टन का निर्यात कर दिया गया है । इसके 31-3-1989 तक 6 लाख मी. टन तक पहुँच जाने की आशा है ।

भारत-जापान सहयोग

*341. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-जापान सहयोग को बढ़ाने हेतु कुछ और क्षेत्रों का चयन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ये कौन-कौन से क्षेत्र हैं ;

(ग) इन क्षेत्रों के लिये कितनी जापानी सहायता मिलने की संभावना है ; और

(घ) इन क्षेत्रों में जापानी सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हाँ ।

(ख) विद्युत, दूर-संचार, सिंचाई, रेल, औद्योगिक विकास केन्द्रों में आधारभूत ढाँचे का विकास, झींगा मछली पालन आदि ।

(ग) और (घ) आशा है कि वर्ष 1989-90 के लिये मिलने वाली जापानी सहायता की संभावित राशि और उस सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा इस वर्ष जून में पेरिस में होने वाली भारत सहायता संघ की बैठक के समय पर ही ज्ञात होगा ।

व्यापार घाटा

*344. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान कितने-कितने रुपयों के मूल्यों का आयात और निर्यात होने तथा कितना व्यापार घाटा रहने का अनुमान है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : वित्त वर्ष 1988-89 के दौरान भारत के व्यापार सम्बन्धी अनन्तिम कुल आँकड़े अप्रैल दिसम्बर, 1988 की अवधि के लिये उपलब्ध हैं । इन आँकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान भारत का निर्यात, आयात तथा व्यापार संतुलन क्रमश: 13926.68 करोड़ रुपये, 20528.38 करोड़ रुपये तथा 6601.70 करोड़ रुपये का था ।

सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

*345. **श्री नटवर सिंह सोलंकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सरकारी कर्मचारियों को जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवास में उनके साथ रहते हैं, मकान किराया भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या केन्दीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अपने माता-पिता या पति को आवंटित आवास में उनके साथ रहते हैं, मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार सभी सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मंजूर करने का है, सरकारी आवास के आबंटिती के साथ उनका चाहे कोई भी रिश्ता क्यों न हो ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) मकान किराया भत्ता उस ऊंचे किराये की प्रतिपूर्ति के लिये दिया जाता है जो किसी सरकारी कर्मचारी को गैर सरकारी आवास किराये पर लेने के लिये देना होता है। दूसरी ओर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आबंटित किये जाने वाला सरकारी आवास रियाती दरों पर होता है तथा उसमें जगह भी अधिक होती है। मकान किराया भत्ता केवल तभी स्वीकार्य होता है जब कर्मचारी किराये पर कुछ राशि व्यय करते हैं अथवा किराये के लिये कुछ अंशदान करते हैं। ऐसे मामले में जहां पर पति/पत्नी तथा बच्चे/माता-पिता सरकारी आवास विकास में साथ-साथ रहते हैं तथा उनमें से एक मुख्य आबंटी है, उनके आपसी सम्बन्ध को देखते हुये, दूसरे हिस्सेदार द्वारा अंशदान अथवा किराये का भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। तदनुसार, पति/पत्नी तथा बच्चों/माता-पिता को आबंटित सरकारी आवास में साथ रहने वाले को मकान किराया भत्ता स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडलों में कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

*346. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन योजनाओं का वित्तपोषण करने वाले बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के निदेशक मण्डलों में कृषि क्षेत्र के निम्नतम स्तर के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ख) क्या सरकार इन संस्थानों के निदेशक मण्डलों में किसानों को शामिल करने के तरीकों पर विचार करेगी जिनको कृषि क्षेत्र की समस्याओं तथा आवश्यकताओं का व्यावहारिक ज्ञान है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेश-मण्डलों में उचित स्थान दिया जाये। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के वास्ते, किसानों सहित उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है।

सोना जब्त करना

*347. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रका-

जित एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि राजस्व गुप्तचर अधिकारियों ने 25 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में इस बीच कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सोने की तस्करी के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और क्या सरकार ने इस बीच प्रत्येक मामले की जांच करली है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य वित्त विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। फरवरी, 1989 में राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने छः अलग-अलग मामलों में लगभग 24.37 करोड़ रुपये मूल्य का 743 किलोग्राम सोना पकड़ा है। इनमें से एक मामले ने 10 करोड़ रुपये मूल्य का समुद्री यान भी पकड़ा गया है इन मामलों में 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) विगत दो वर्षों अर्थात कैलेण्डर वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सोने की तस्करी के सम्बन्ध में दर्ज किये गये मामलों की संख्या और पकड़े गये सोने की मात्रा तथा उसका मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :

वर्ष	सोने की तस्करी के सम्बन्ध में दर्ज किये गये मामलों की संख्या	पकड़े गये सोने की मात्रा (किलोग्राम में)	पकड़े गये सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1987	2049	2255	65.78
1988	3352	6094	200.51

ऐसे प्रत्येक मामलों में जांच-पड़ताल की जाती है जिनमें सोने की तस्करी की जाती है और उसे पकड़ा जाता है। सोना पकड़ा जाता है तथा तस्करी में ग्रस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। अपराधियों के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं तथा उपयुक्त मामलों में मुकदमा चलाया जाता है। उपयुक्त मामलों में तस्करी में ग्रस्त व्यक्ति विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजर बन्द भी किये जाते हैं।

निर्यात लाइसेंस प्रदान करना

[अनुवाद]

3057. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात लाइसेंस देने के प्रयोजनार्थ देश को कुछ डिवीजनों में विभक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन डिवीजनों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक डिवीजन का लाइसेंस अधिकारी कौन है ;

(ग) क्या ऐसा कोई डिवीजन उड़ीसा में नहीं है ;

(घ) यदि हां, यो क्या सरकार का उड़ीसा के लिये निर्यात प्रयोजनार्थ एक लाइसेन्स देने वाला अधिकारी, जिसका मुख्यालय कटक अथवा भुवनेश्वर में हो, नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जी, हां। 27 लाइसेंस अधिकारियों की घोषणा उनके संशोधित अधिकारक्षेत्र के सहित दिनांक 12 जनवरी, 1989 की सार्वजनिक सूचना सं० 1-ई टी सी (पी एन) 89 के तहत की गई है। इस सार्वजनिक अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 7591/89]

(ग) सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के नेतृत्व में कटक स्थित कार्यालय उड़ीसा राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कम्पनियों को स्टाक एक्सचेंज की सूची में सम्मिलित करना

3058. **श्री एच० डी० पाटिल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टाक एक्सचेंज की सूची में किसी कम्पनी को सम्मिलित करने हेतु हाल ही में लगाई गई 3 करोड़ रुपये की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी सम्बन्धी शर्त में छूट देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार कम्पनियों को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से चुनिंदा मामलों में इक्विटी मानदण्डों में संशोधन करने के लिए भी सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) यह मामला विचाराधीन है।

धान की भूसी का निर्यात

[हिन्दी]

3060. **श्री अख्तर हसन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार धान की भूसी का निर्यात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का भविष्य में इसका निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सिंचाई पम्पसेटों के लिए धन देना

[अनुवाद]

3061. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने सिंचाई पम्पसेटों के लिए धन दिया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य को ऐसे कितने सेट सप्लाई किये गये;

(ग) क्या सरकार को इन सेटों के ठीक कार्य न करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) इन पम्पों को जिन फर्मों/कम्पनियों से खरीदा गया था, उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास इन सेटों की गुणवत्ता परखने तथा उनके संचालन की जांच करने का कोई तरीका है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षेत्र के लिये कुल कितनी धनराशि उपलब्ध की है; और

(छ) खराब सेटों की सप्लाई करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (छ) प्रश्न में जिस प्रकार से जानकारी मांगी गई है, वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से उस प्रकार सूचना प्राप्त नहीं होती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने गत तीन वर्षों में नलकूपों, खोदे गये कुंओं और वर्तमान कुंओं पर लगाये गये 5.27 लाख पम्पसेटों का वित्त-पोषण किया है। जिन राज्यों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अधिक संख्या में पम्पसेटों का वित्त-पोषण किया गया है, उनके नाम हैं : बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल।

साधनों का कुशल उपयोग और उपयुक्त पम्पसेटों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये, ताकि परिचालन लागत कम से कम हो, ऊर्जा की बचत हो तथा अधिक कुशलता से काम हो, राष्ट्रीय बैंक ने आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चुने हुए कुछ भागों में कुछ अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनों से पता चलता है कि किसान सिंचाई के जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उनसे उन्हें सर्वाधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह निश्चय किया है कि 1 जनवरी, 1988 से पुनर्वित्त सुविधा केवल बी. आई. एस. मार्क वाले पम्पसेटों के लिये ही दी जायेगी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह भी बताया है कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये 1384 करोड़ रुपये की राशि पुनर्वित्त व्यवस्था के रुप में वितरित की है।

नंदापुर लोको शेड (दक्षिण मध्य रेलवे)

3063. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के नियंत्रणाधीन नंदापुर लोको शेड 521 पास एक्सकुइडाफ से गुंतकल तक के लिये प्रतिदिन केवल एक भाप इन्जन उपलब्ध कराता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नंदापुर लोको शेड में इस थोड़े से कार्य के लिये लगभग एक सौ पचास कर्मचारी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस ढांचे को तर्क संगत बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे का नंदलूर भाप इन्जन शेड एक जोड़ी यात्री गाड़ियों के लिये इन्जनों की व्यवस्था करता है। इस समय इस शेड में कुल आठ भाप इन्जन हैं।

(ख) नंदलूर में भाप इन्जनों के लिये प्रत्यक्ष अनुरक्षण कर्मचारियों की संख्या 92 हैं।

(ग) कर्मचारियों की संख्या इन्जन बेड़े के अनुरुप है।

दिल्ली राजहरा-जगदलपुर रेलवे लाइन

[हिन्दी]

3064. **श्री मानकूराम सोढी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान मंत्रालय के परामर्श से दल्ली राजहरा-जगदलपुर रेलवे लाइन के निर्माण के लिये अब तक वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर दाताओं को वास्तविक आय घोषित करने के लिये प्रोत्साहन

[अनुवाद]

3065. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में आयकर-दाताओं को अपनी वास्तविक आय घोषित करने तथा करों की शीघ्र अदायगी करने के लिये कुछ प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्यमंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) क्योंकि प्रत्येक करदाता का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी वास्तविक तथा सही आय घोषित करे तथा करों की आयकर अधिनियम के अध्यधीन निर्धारित समयावधि के भीतर अदायगी करे, इसलिये आयकर विभाग ने करदाताओं को अपनी वास्तविक आय घोषित करने तथा करों की शीघ्र अदायगी करने के लिये कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में जल संसाधनों से संबंधित कृतिक बल

3067. **श्री प्रकाश बी. पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल संसाधनों से संबद्ध कृतिक बल ने महाराष्ट्र में क्या-क्या कार्य किये हैं ;

(ख) क्या प्रारम्भ किये गये कार्यों को पूरा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्य के पूरा होने पर लोगों को मिलने वाले लाभ क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जल संसाधन मंत्रालय ने महाराष्ट्र में जल संसाधनों पर कोई कार्य-बल गठित नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सांसदों के पत्रों के उत्तर

3069. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान सांसदों के कितने पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) इनमें से कितने पत्र उत्तर हेतु विचाराधीन हैं ;

(ग) इन पत्रों का उत्तर न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) इन पत्रों के उत्तर कब तक दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्यमंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ब्याज रहित अग्रिम राशि देने के बारे में चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश

3070. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या वित्त मंत्री केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ब्याज रहित अग्रिम राशि के बारे में 4 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य भविष्य निधि नियमों संबंधी आयोग की सिफारिश के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आधा महीने के मूल वेतन के बराबर ब्याज रहित अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस मामले में सरकार को अभी निर्णय लेना है।

उद्योग स्थापित करने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा सहायता

3071. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राव वाडियर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे सहकारी बैंकों को, उद्योग स्थापित करने के लिए भी ऋण प्रदान करने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या मार्ग निर्देश जारी किये हैं और इस नीति से कृषि तथा सहकारी क्षेत्रों को धन उपलब्ध कराने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यरत सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं दी जाती हैं। सहकारी बैंक औद्योगिक सहकारी समितियों तथा प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों के अन्य ग्रामीण कारीगर सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक उन अलग-अलग कारीगरों/शिल्पकारों/छोटे उद्यमियों को भी प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करते हैं जो कुटीर उद्योगों, अति लघु उद्योगों के मोटे-मोटे 22 समूहों में कोई एक धन्धा शुरू करते हैं।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि औद्योगिक सहकारी समितियों को दी जाने वाली इस सहायता से कृषि क्षेत्र के लिए धनराशियों की कमी नहीं होगी।

मद्रास में मंत्रालय के निजी भवन

3072. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास नगर में उनके मंत्रालय के उन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनके कार्यालय उनके अपने निजी भवनों में स्थित हैं;

(ख) किराए के भवनों में कार्यरत कार्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भवनों का कितना किराया दिया जाता है और इन भवनों के मालिकों के क्या नाम हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गड़वी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में फूलपारस ब्लाक में बैंक शाखा खोलना

3074. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि जिले के प्रत्येक ब्लाक में भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की कम से कम एक शाखा खोली जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के मधुबनी जिले में फूलपारस ब्लाक में भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोली जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो उस ब्लाक में कब तक बैंक की शाखा खोली जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मधुबनी जिले के फूलपारस ब्लाक में इस समय सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा इलाहाबाद बैंक की एक-एक शाखा तथा मधु-

बनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 8 शाखाएं कार्य कर रही हैं। वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने फूलबारस में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को दो और केन्द्रों पर एक-एक शाखा खोलने के लिए दो और केन्द्र आवंटित किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभी इन केन्द्रों पर शाखाएं नहीं खोली गयी हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आवंटित केन्द्रों पर केवल आकस्मिक मामलों को छोड़कर, जहां आधार भूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, मार्च 1989 के अन्त तक बैंक शाखायें खोलने के लिए कहा है।

रामपुरा (दिल्ली) रेलवे क्रासिंग पर अंडर ब्रिज

3075. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में लारेंस रोड के समीप रामपुरा रेलवे क्रासिंग पर एक अंडर ब्रिज बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह मामला अभी किस स्तर पर है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) **जी, नहीं। दिल्ली** प्रशासन/नगर निगम ने रेलवे को अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है।

रसायनों और सहायक उत्पादों का निर्यात

[हिन्दी]

3077. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनों और सहायक उत्पादों के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों की तुलना में 1988-89 के दौरान निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या 1989-90 के दौरान इनके निर्यात में और वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान रसायन और सहबद्ध उत्पादों के अनुमानित निर्यात आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

वर्ष	निर्यात का अनुमानित मूल्य (रु० करोड़)
1985-86	919
1986-87	991
1987-88	1281

अप्रैल 1988 से जनवरी, 1989 के दौरान रसायन और सहबद्ध उत्पाद के निर्यात 1507 करोड़ रुपये मूल्य के हुए जबकि अप्रैल 1987-जनवरी, 1988 के दौरान ये 851 करोड़ रुपये मूल्य के थे।

स्रोत : मूल्य रसायन मेषज और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई, रसायन और सहबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकता और प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई ।

ऐसी आशा है कि वर्ष 1989-90 के दौरान भी रसायन और सहबद्ध उत्पादों के निर्यात बढ़ते रहेंगे ।

बम्बई में वाणिज्यिक पोत से सोना जब्त किया जाना

[अनुवाद]

3079. **श्री महेन्द्रसिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने फरवरी, 1989 के दूसरे सप्ताह में बम्बई में एक वाणिज्यिक पोत से 221 किलोग्राम सोना जब्त किया था;

(ख) यदि हां, तो जब्त सोने से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(ग) वाणिज्यिक पोतों के माध्यम से तस्करी रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) और (ख) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने 10 फरवरी, 1989 को "मेडरिक क्लेमेंटाइन' नामक एक वाणिज्यिक पोत से लगभग 7.23 करोड़ रुपये मूल्य के 221 किलोग्राम वजन के दस-दस तोले के विदेशी मार्के के 1895 स्वर्ण-बिस्कुटों का अभिग्रहण किया था । लगभग 10 करोड़ रुपए मूल्य के उक्त पोत को भी अभिगृहीत कर लिया गया है । इस जलयान के चीफ-कुक को 12 फरवरी, 1989 को गिरफ्तार कर लिया गया था ।

(ग) आसूचना का तस्करी सम्बन्धी ऐसे प्रयासों के लिए इस्तेमाल किया जाता है । अन्तर राष्ट्रीय बन्दरगाहों तर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा वाणिज्यिक जलयानों की तलाशी ली जाती है और इस तरीके से तस्करी किए जाने का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धियों अभिकरणों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है । जिन व्यक्तियों को तस्करी में लिप्त पाया जाता है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उनको विभागीय कार्यवाहियों द्वारा दण्डित किए जाने के अलावा, उपयुक्त मामलों में उन पर न्यायालयों में मुकदमा भी चलाया जाता है । उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्द भी किया जाता है ।

राज्यों द्वारा प्रशासन और विकास पर व्यय

3080. **श्री एस०जी० घोसप** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों द्वारा प्रशासन तथा विकास कार्यों पर वर्ष 1987-88 के दौरान कितना व्यय किया गया ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी०के० गढ़वी) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1987-88 के दौरान राज्यों का प्रशासनिक और विकास सम्बन्धी व्यय (संशोधित अनुमान)

(करोड़ रुपये में)

	राज्य	प्रशासनिक व्यय	विकास पर व्यय
	1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	302	3480
2.	अरूणाचल प्रदेश	70	224
3.	असम	169	1284
4.	बिहार	376	2701
5.	गोवा	24	173
6.	गुजरात	241	3207
7.	हरियाणा	117	1260
8.	हिमाचल प्रदेश	65	607
9.	जम्मू और कश्मीर	99	854
10.	कर्नाटक	211	2527
11.	केरल	139	1446
12.	मध्य प्रदेश	289	2936
13.	महाराष्ट्र	553	5034
14.	मणिपुर	48	236
15.	मेघालय	48	213
16.	मिजोरम	45	238
17.	नागालैण्ड	83	300
18.	उड़ीसा	149	1470
19.	पंजाब	198	1963
20.	राजस्थान	184	2419
21.	सिक्किम	12	120
22.	तमिलनाडु	271	2931
23.	त्रिपुरा	42	284
24.	उत्तर प्रदेश	493	4507
25.	पश्चिम बंगाल	320	2643
	जोड़	4548	43057

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र में औद्योगिक इकाइयों को दी गई सहायता

3082 : **डा० दत्ता सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को महाराष्ट्र की औद्योगिक इकाइयों से दिसम्बर, 1988 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इन औद्योगिक इकाइयों में कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है; और

(ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र की रूग्ण इकाइकों को दिसम्बर, 1988 तक कुल कितनी आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अन्तर्गत महाराष्ट्र की औद्योगिक इकाइयों के 118 मामले रजिस्टर किए थे।

(ख) इन में कपड़ा एककों के 18 मामले शामिल हैं।

(ग) रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए राहत/सहायता संबंधित एजेंसियों अर्थात वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों आदि द्वारा दी जाती है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि बोर्ड द्वारा समूचे अथवा राज्यवार आधार पर अनुशंसित/प्रदान की गई सहायता राशि के आंकड़े संकलित नहीं किए जाते।

डायमंड इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना

3083. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रयोजनार्थ पालिश किये हुए हीरों का उत्पादन करने हेतु "डायमंड इंडस्ट्रीयल पार्कों" की स्थापना करने जैसी नई योजनायें शुरू की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन से रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत नियमित हीरा और रत्न विकास निगम नामक सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनी साचिन, गुजरात में एक हीरा औद्योगिक केन्द्र स्थापित कर रही है। निगम जयपुर और हल्द्वानी में ऐसे दो और केन्द्रों का निर्माण कर रहा है। निगम ने सूचित किया है कि इन केन्द्रों में लगभग 70,000 कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

3086. **श्री शरद दिघे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवासीय सहकारी समितियों तथा अन्य आवासीय क्षेत्रों के लिए तत्काल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने नए आवासीय इकाइयों के निर्माण के साथ-साथ देश में वर्तमान आवासीय इकाइयों में सुधार, नवीकरण तथा विस्तार हेतु, निम्न आय वर्ग की आवास संबंधी आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, उदारतापूर्वक धनराशि उपलब्ध करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार किये गये पूर्वानुमानों के अनुसार, सहकारी क्षेत्र के लिए कुल 4,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें से नये मकान बनाने के लिए आवास सहकारी समितियों का अंशदान 2,000 करोड़ रुपये होगा।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर-नवम्बर, 1988 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के मानकों को काफी उदार बना दिया है। उदार किये गये इन मानकों का संबंध ऋण की अधिकतम राशि, मार्जिन, ब्याज दर, वापसी अदायगी की अवधि, जमानत मानक आदि से है। सारांश नीचे दिया गया है।

(1) आवास ऋण की वापसी अदायगी की अधिकतम अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गयी है।

(2) अधिकतम मार्जिन की राशि 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गयी है।

(3) आवास ऋण पर ब्याज की दर में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है।

ऋण की रकम	ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर
20,000 रुपये तक	12.5
20,000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये तक	13.5
50,000 रुपये से अधिक और 1,00,000 रुपये तक	14·0
1,00,000 रुपये से अधिक	14.5-16.0

* अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए 50,000 रुपये तक और उसके सहित के आवास ऋणों की ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वह 40 प्रतिशत वार्षिक ही रहेगी।

(4) जिन मामलों में सम्पत्ति का रहन अथवा सरकारी गारंटी संभव न हो, बैंकों को अन्य प्रकार की जमानत स्वीकार करने की अनुमति दे दी गयी है।

(5) बैंकों को वापसी अदायगी की किस्तें इस प्रकार निर्धारित करने का विवेकाधिकार दे दिया गया है कि निम्न आय वर्ग के लोग और आसानी से आवास ऋण प्राप्त कर सकें और वापसी अदायगी की किस्तें प्रायः ऋणकर्ता की आय के 30 प्रतिशत से अधिक न हों।

(6) उन व्यक्तियों के मामले में, जिन्होंने अन्य साधनों से धनराशियाँ जुटायी हों, बैंकों को पूरक वित्त की व्यवस्था करने की अनुमति दे दी गयी है।

(7) मकानों का विस्तार करने, उनकी मरम्मत करने और परिवर्तन करने के लिए भी ऋण दिये जाएंगे।

(8) बैंक से मकान बनाने के लिए प्रति व्यक्ति अधिक से अधिक 3 लाख रुपये का ऋण मिल सकेगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक के उदार मानकों का, विशेष रूप से 50,000 रुपये तक के ऋणों से सम्बद्ध मानकों का, राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम आवास बैंक द्वारा जारी किये गये मार्ग निर्देशों में अनुसरण किया गया है ।

राष्ट्रीय आवास बैंक नये मकान/फ्लेटों के निर्माण के लिए व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं को 50,000 रुपये और उससे कम के ऋणों की पूरी रकम के वास्ते पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करेगा ।

समुद्र के रास्ते निर्यात करने वालों को सहायता प्रदान करने के लिए नियमों को उदार बनाना

3087. **श्री वी० तुलसीराम :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुद्र के रास्ते निर्यात करने वालों को सहायता देने के लिये मौजूदा नियमों को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) इस समय, अलग से ऐसे कोई नियम नहीं हैं जो केवल समुद्री उत्पाद के निर्यातकों पर लागू हों । समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 में अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री उत्पाद के निर्यातकों का पंजीकरण किए जाने का भी प्रावधान है । इस समय, इन नियमों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

घग्घर नदी से बाढ़ का पानी निकालना

[हिन्दी]

3089. **श्री मनफूलसिंह चौधरी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घग्घर नदी के बाढ़ के पानी को गड्ढों में छोड़ने के लिये घग्घर नहर मार्ग का निर्माण किया गया था ;

(ख) घग्घर नहर मार्ग में घग्घर नदी का बाढ़ का पानी कितने दिनों में छोड़ा गया और कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया ;

(ग) घग्घर नहर मार्ग से कितने गड्ढे भरे गये थे और उनने कितना पानी भरा गया, सूरतगढ़ नगर के गड्ढों के जल स्तर की तुलना में यह जल स्तर कितना अधिक है और सूरतगढ़ नगर से गड्ढा संख्या 15, 16, 17 और 18 कितनी दूर हैं; और

(घ) इन गड्ढों का पानी कब तक निकाला जायेगा ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां, लेकिन केवल 340 क्यूसेक तक ।

(ख) वर्ष 1988 के दौरान, 6 जुलाई से 31 अक्टूबर तक 77 दिनों के अन्दर 12.11 मि. घन मीटर बाढ़ जल व्यतवर्तन में छोड़ा गया था।

(ग) 16 गड्ढे (डिप्रेशन) व्यपवर्तक चैनल के जल से भरे जाते हैं तथा इस समय 333 मिलियन घन मीटर जल गड्ढों में इकट्ठा किया गया है। गड्ढा सं. 1 से 15 तक में जल का स्तर सूरतगढ़ शहर के स्तर से 11 मीटर अधिक ऊंचा है तथा गड्ढा सं. 16 में यह स्तर 7.25 मीटर अधिक ऊंचा है। सूरतगढ़ शहर से गड्ढा सं. 15, 16, 17 और 18 की दूरी क्रमशः 9 कि.मी., 1.2 कि.मी., 7.5 कि.मी. तथा 10 किलोमीटर है।

(घ) प्रत्येक वर्ष मानसून से पहले गड्ढा सं. 16 का जल खाली करने के लिये राजस्थान सरकार ने 8.8 क्यूसेक की करनीजी सम्पर्क चैनल बनानी शुरू की है तथा आशा है कि यह कार्य 31 मार्च, 1988 तक पूरा हो जायेगा। राजस्थान सरकार का इन गड्ढों का जल खाली करने के वास्ते निकट भविष्य में निम्नलिखित स्कीमों को भी क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

(एक) 68.9 क्यूसेक क्षमता की अनूपगढ़ शाखा सम्पर्क चैनल का निर्माण।

(दो) विद्यमान मानकथेरी तथा किशनपुरा लघुकाओं (माइनर्स) को जोड़ना।

(तीन) 85 क्यूसेक क्षमता के एक निकास का निर्माण।

पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से ऋण

[अनुवाद]

3090. **श्रीमती बसवाराजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, और

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक से कितनी राशि के ऋण प्राप्त किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्यमन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही महाराष्ट्र पेट्रो-रसायन परियोजना के लिये विश्व बैंक अभी 30 करोड़ डालर का ऋण प्रदान कर रहा है। पेट्रो-रसायन क्षेत्र की एक अन्य परियोजना के लिये संभावित ऋण हेतु विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को देय बकाया धनराशि

3091. **श्रीमती बसवाराजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के किसानों को और अधिक राहत उस स्थिति में नहीं दी जायेगी यदि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार पर भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिये जोर डाला गया था, और

(घ) यदि हां, तो शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्यमन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ध्यान में ये बात आई थी कि कुछ सहकारी बैंक ब्याज दरों, दरों के रूपांतरण आदि से संबंधित अनुदेशों का पूर्णतया पालन नहीं कर रही थी। अतः राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी अनुदेशों/मार्ग निर्देशों का अनुसरण करने का आश्वासन देने और इस प्रकार का आश्वासन न मिलने पर पुनर्वित्त सुविधायें बन्द कर देने की बात कही थी। ऐसी परिस्थितियों में सहकारी बैंकों को अपने साधनों से किसानों को ऋण देने पड़े होंगे। चूंकि कर्नाटक के सहकारी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अनुदेशों के अनुपालन का अपेक्षित आश्वासन दे दिया है, अतः राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इन बैंकों को पहले से ही पुनर्वित्त सुविधायें देनी शुरू कर दी हैं।

मीटर गेज रेल लाइनों के रेल डिब्बों का नवीकरण

[हिन्दी]

3094. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मीटर गेज रेलमार्गों पर चल रही अनेक रेलगाड़ियों के डिब्बों की हालत बहुत अधिक खराब है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे डिब्बों को बदलने/नवीनीकरण करने के लिये क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) केन्द्रीय सरकार का राजस्थान राज्य की किन-किन डिवीजनों में ऐसे डिब्बों का नवीनीकरण कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। तथापि, मीटर लाइन प्रणाली पर 23 प्रतिशत सवारी डिब्बे मतायु हो गये हैं।

(ख) सवारी डिब्बों की निर्माण क्षमता बढ़ाई जा रही है।

(ग) दो मण्डलों अर्थात अजमेर और जयपुर में रेक के नवीनीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

चाय का निर्यात और नीलामी

[अनुवाद]

3095. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान चाय के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य और गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार हुआ है;

(ख) क्या चाय की बड़ी मात्रा की नीलामी अभी भी लंदन बाजार के माध्यम से की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कदम उठाने का है ताकि निर्यात हेतु चाय की नीलामी की व्यवस्था केवल कलकत्ता से ही की जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां 1 अप्रैल 1988 से जनवरी 1989 के दौरान 194.50 मि. किग्रा (अनन्तिम) के निर्यात हुए, जिनकी प्रति यूनिट एफ ओ बी कीमत 30.78 प्रति किग्रा थी जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 30.38 प्रति किग्रा यूनिट कीमत पर 177.03 मि. किग्रा के निर्यात हुए। इस प्रकार मात्रा में 17.47 मि. किग्रा तथा प्रति यूनिट एफ ओ बी कीमत में 0.34 प्रति किग्रा की बेहतरी हुई।

(ख) साठ और सत्तर के दशकों की तुलना में हाल के वर्षों में लन्दन नीलामी द्वारा बिकने वाली भारतीय चाय की मात्रा में काफी गिरावट आई है। 1988 के दौरान बेची गई भारतीय चाय की मात्रा 8.8 मि. किग्रा रही जबकि 1968 के दौरान यह मात्रा 67.3 मि. किग्रा तथा 1978 दौरान 28.7 मि. किग्रा थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंसधारा परियोजना को मंजूरी

3096. **श्री भट्टम श्रीरामूर्ति** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बंसधारा परियोजना की रिपोर्ट तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत की गई थी;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) इस मामले में किस स्तर पर कार्यवाही चल रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उड़ीसा सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन

[हिन्दी]

3097. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अपनी 128 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि सरकार को वकीलों द्वारा लिए जाने वाले न्यूनतत तथा अधिकतम शुल्क को निर्धारित करना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाही की है ;

(ग) क्या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में कुछ खामियां पाई गई हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का कानून में संशोधन करने का विचार है; यदि हां तो कब तक;

(ङ) क्या आयोग ने महिला वकीलों के अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वकीलों के लिए विशेष प्रावधान करने की भी सिफारिश की है; और

(च) क्या सरकार का इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद से राय मांगी गई है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) जी, नही।

(च) प्रश्न ही नहीं उडता।

मीटर गेज रेल मार्गों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

3098. **श्री पी. वलनल पेरुमन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मीटर गेज रेल मार्ग प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है ताकि मीटर गेज रेल मार्गों के वेगनों और इंजनों की परिवर्तन क्षमता बढ़ाई जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) रेल पथ तथा सिगनल प्रणाली का ग्रेडोन्नयन और नया चल स्टाक शुरु करने के संबंध में विनिश्चय किया गया है जिसमें 14 टन धुरा भार वाले माल डिब्बे और उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजन भी शामिल होंगे। इसके अलावा कतिपय महत्वपूर्ण मार्गों पर यात्री गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार बढ़ाकर 100 कि.मी. प्रतिघंटा या इससे अधिक करने का प्रस्ताव है।

त्रिनिडाड और टौबागों में भारतीय पूंजी निवेश

3099. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** :

श्री वी० तुलसीराम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिनिडाड और टोबागों में पूंजी निवेश करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह पूंजी निवेश किन क्षेत्रों में किये जाने की आशा है ;

(ग) क्या विशेष रूप से चीनी और मत्स्य उद्योगों में पूंजी निवेश करने की संभावना है; और

(घ) किन राज्यों के निवेशकर्ताओं को किन-किन शर्तों पर अनुमति दी जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी) : (क) जी नही।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकिंग संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

3100. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, और 1 फरवरी, 1989 को नयी दिल्ली में आयोजित बैंकिंग संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये, और

(ख) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही शुरु की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) और (ख) सम्मेलन में कोई औपचारिक सुझाव नहीं दिए गए । अलबत्ता, विचार-विमर्शों के दौरान बैंकिंग प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए थे जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है ।

पूर्वोत्तर राज्यों में नशीली औषधियों की तस्करी

3101. **प्रा० रामकृष्ण मोरे :**

श्री हरिहर शोरन :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नशीली औषधियों की तस्करी में वृद्धि हो रही है जैसाकि दिनांक 16 फरवरी, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में नशीली औषधी की तस्करी के कितने मामलों का पता चला है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में नशीली औषधियों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री [श्री ए० के० पांजा] : (क) से (ग) नशीले अवैध द्रव्यों की सप्लाई के मुख्य स्रोतों में से एक स्रोत अर्थात् "गोल्डन ट्राइऐन्गल क्षेत्र" के समीप होने के कारण, भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य उक्त क्षेत्र से नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार के लिए सामान्य क्षेत्र बने हुए है । तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए विभिन्न नशीले औषध द्रव्यों के अभिग्रहणों से, इस क्षेत्र में नशीले औषध द्रव्यों की तस्करी में बड़ी मात्रा में वृद्धि होने के संकेत नहीं मिलते हैं । विगत तीन वर्षों के दौरान तथा फरवरी, 1989 तक उत्तर पूर्वी राज्यों में किए गए नशीले औषध द्रव्यों के अभिग्रहणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्र. सं.	नशीले औषध द्रव्य का नाम	1986	1987	1988	1889 (फरवरी तक) (मात्रा किलोग्राम में)
1.	अफीम	501	637	22	....
2.	हेरोइन	4	3	6	....
3.	गांजा	2,660	2,582	1,525	....

(आंकड़ों को निकटतम किलोग्राम में पूर्णांकित कर दिया गया है)

सरकार के विभिन्न जोरदार प्रत्युपाय शुरु किए है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार करने वालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करना, निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना (विशेषतया सीमाओं और तस्करी के लिए सुगम्य बने हुए क्षेत्रों के आस-पास) अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना लागू करना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाना (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित), शामिल हैं । स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988

में नशीले औषध द्रव्यों संबंधी अपराधों के लिए अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए निवारक नजरबन्दी किए जाने की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के तहत अब तक 250 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

इस अधिनियम के तहत व्यवस्थित अधिकतम अवधि के लिए निवारक नजरबन्दी के प्रयोजनार्थ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैण्ड राज्यों की भारत-वर्मा सीमा से 100 किलो मीटर चौड़ाई के अन्तर्देशीय क्षेत्र को नशीले ओषध द्रव्यों के अवैध व्यापार के लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में सीमांकित किया गया है। इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उक्त अधिनियम के अध्याय IV ख के उपबंधों के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्य सौंपे गये हैं ताकि "एसिटिक एन्हाइड्राइड" को जो एक रसायनिक पूरोग्रामी है, जिसका हेरोइन के अवैध निर्माण में प्रयोग किया जाता है और जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11-1 के तहत विशिष्ट मद के रूप में अधिसूचित किया गया है, अवैध रूप से लाने-ले-जाने और इसकी तस्करी किए जाने से रोका जा सके।

संसद द्वारा हाल ही में पारित किए गए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ निनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, जिनमें कतिपय नशीले औषध द्रव्यों की विनिर्दिष्ट मात्रा शामिल हो, दूसरी बार दोषी पाए जाने के लिए मृत्यु दण्ड दिए जाने और नशीले औषधि द्रव्यों का गैर-कानूनी धन्धा करने वालों की सम्पत्ति जब्त किए जाने की व्यवस्था है। इसके साथ-साथ, औषधि द्रव्यों संबंधी सभी अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय बना दिया गया है।

अमरीका को काली मिर्च का लदान

3102. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन से अमरीका को पोत द्वारा भेजी गयी 100 टन काली मिर्च की खेप वहां से पोत द्वारा वापस भेज दी गई है;

(ख) क्या काली मिर्च के भेजे माल को उसी जहाज से वापस भेज दिया गया था अथवा अमरीकी प्राधिकारियों ने उसे वापस भेजा था; और

(ग) काली मिर्च को उसी पोत द्वारा भारत वापस भेजने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) इसे निर्यातकों ने स्वयं जहाज द्वारा वापस कर दिया।

(ग) काली मिर्च की कीमतों के कम हो जाने से अमरीकी क्रेताओं ने कुछ रियायतें प्राप्त करने के लिए कीमत संबंधी पुनः वार्ता करने के प्रयास किए।

अमरीका को निर्यात किए गये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता

3103. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यू एस ए ने अमरीका को निर्यात किये गये भारतीय खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में आगे क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ तथा औषधी प्रशासन के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

रेलवे "केटरिंग" प्रणाली में ऐलुमिनियम पन्नी का प्रयोग

[हिन्दी]

3105. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाली के स्थान पर ऐलुमिनियम पन्नी में खाना दिए जाने के विरुद्ध लोगों में रोष है, और क्या खाने की क्वालिटी भी खराब है जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, जबकि इसके दाम अधिक हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि रेलवे में ठंडा और खराब खाना "कैसरोल" में दिया जाता है, जिससे लोगों में रोष है; और

(ग) क्या सरकार का विचार "कैसरोल" में खाना दिये जाने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर थाली व्यवस्था शुरु करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) की गयी गहन रायसुमारी से पता चला है कि अधिकांश यात्रियों ने केसरोलों में दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को अच्छा तथा गर्म/ताजा पाया है।

(ग) जी, नहीं।

कानपुर में कम्प्यूटर द्वारा रेलवे आरक्षण

3106. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कानपुर में रेलवे आरक्षण के लिये कम्प्यूटर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कानपुर स्टेशन पर कम्प्यूटर स्थापित करने का कार्य कब से आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो कम्प्यूटर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण प्रणाली को सुचारू रूप से चालू रखने के लिये क्या उपाय करने का विचार है और इन उपायों को कब तक करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुमोदित स्टेशनों में अभी तक कानपुर को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल आरक्षण प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

समुद्र-तल से सोने/चांदी की प्राप्ति

[अनुवाद]

3107. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों का पीछा किए जाने पर उनके द्वारा समुद्र में फेंके गये निषिद्ध सोने और चांदी को समुद्र तल से निकालने की कुछ पार्टियों ने पेशकश की;

(ख) यदि हां, तो किन पार्टियों ने ऐसी पेशकश की है; और

(ग) ये पार्टियां किन शर्तों पर समुद्र की तलहटी से सोना और चांदी निकालने को तैयार हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) से (ग) जी, हां । तस्करों का पीछा किए जाने के दौरान उनके द्वारा समुद्र में फेंके गये निषिद्ध सोने और चांदी को समुद्र तल से ढूढ़ निकालने की दो पार्टियों, अर्थात् मैसर्स लैगन ऑफशोर कम्पनी लिमिटेड और मैसर्स मडगावकर सालवेज, पणजी, गोआ ने पेशकश की है । मैसर्स ऑफशोर प्रा० लि० ने उक्त निषिद्ध माल को समुद्र से ढूंढ निकालने की पेशकश इस शर्त पर की है कि वे निकाले गये सोने का एक हिस्सा अपने पास रख लेंगे, जबकि मैसर्स मडगावकर सालवैज ने अपनी कोई शर्त नहीं रखी है ।

बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

3108. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों को विशेष रूप से लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारियों में सरकार द्वारा उनके वेतनमानों में संशोधन न कर पाने के कारण भारी असन्तोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धन की ओर से एवार्ड स्टाफ कर्मचारियों की यूनियनों के साथ उनके वेतनमानों में संशोधन आदि मामलों पर बात चीत करता है । चौथे द्विपक्षीय समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भारतीय बैंक संघ ने पांचवे द्विपक्षीय समझौते के लिए यूनियनों के साथ बातचीत शुरू की है । बताया जाता है कि वेतन में संशोधन सम्बन्धी प्रमुख मामलों पर भारतीय बैंक संघ और अधिसंख्य कामगार यूनियनों के बीच सहमति हो गई है ।

कटक में शेयर बाजार

3109. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में कटक में शेयर बाजार स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) कटक में शेयर बाजार स्थापित करने की मूलभूत शर्तों और आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डे फैलीरो) : (क) और (ख) उड़ीसा में कटक में स्टाक एक्सचेंज स्थापित करने के सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वदेशी बाजार में रबड़ का मूल्य

3111. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने अक्तूबर, 1988 में अधिक रबड़ उत्पादन की अवधि के दौरान रबड़ उपलब्ध कराई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने छोटे किसानों की रक्षा हेतु "सरप्लस मार्केट" से रबड़ खरीदा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा अधिक उत्पादन अवधि के दौरान बाजार मूल्य को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रचालित प्राकृतिक रबड़ के लिए बफर स्टाकिंग स्कीम का उद्देश्य उपजकर्ताओं को लाभकारी मूल्य दिलाना तथा प्रयोक्ता उद्योग को समुचित कीमत पर रबड़ की आपूर्ति कराना है। अक्तूबर, 1988 में एस. टी. सी. द्वारा बाजार में हस्तक्षेप किये जाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रयोक्ता उद्योग को सामर्थ्य कीमतों पर लगातार रबड़ की सप्लाई होती रहे।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन को गेहूं का निर्यात

3113. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान चीन को कितनी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 में गेहूं के निर्यात को बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चीन ने गेहूं खरीदने के भारत को क्रयादेश दिए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) 1988-89 में चीन को गेहूं का कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका को काली मिर्चों का निर्यात

3114. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान अमरीका को कितनी मात्रा में काली मिर्च का निर्यात किया गया अथवा किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : अप्रैल, 88 फरवरी, 89 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात की गई काली मिर्च की मात्रा अनुमानतः 4465 एम टी रही ।

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में स्थापित विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों की घरेलू बाजार में सप्लाई

3116. **श्री सत्येन्द्र नरायण सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्षेत्रों में उत्पादित 25 प्रतिशत माल को घरेलू बाजार में बेचे जाने की व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

तस्करों की गिरफ्तारी

3117. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 के दौरान कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से विदेशियों की संख्या और उनकी राष्ट्रीयता क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : वर्ष 1988 के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनमें से जो विदेशी राष्ट्रिक हैं उनकी संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गयी है ।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या
3253	505

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

ये विदेशी किन-किन देशों के होते हैं इस बारे है ब्यौरे अलग-से नहीं रखे जाते हैं ।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त

3118. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

श्री वी० तुलसीराम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त दिये जाने के लिए आदेश जारी किये जाने से सम्बंधित ब्यौरे का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त देने के लिए आदेश जारी करने में कितना विलम्ब होगा; और

(घ) महंगाई भत्ते की किस्तों के भुगतान हेतु अन्तिम आदेश कब तक जारी किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1.1.1989 से संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किए जाने के बारे में जारी किए गए उन कपटपूर्ण आदेशों की जांच करने के लिए सरकार ने कोई समिति गठित नहीं की है जिनसे यह आभास होता था कि वे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इन कपटपूर्ण आदेशों के जारी होने की वजह से 1.1.89 से देय महंगाई भत्ते की किस्त दिए जाने के आदेश जारी करने में कोई विलम्ब नहीं होगा ।

(घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

पेरूमन रेल दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा राशि

3119 : **श्री ए० चार्ल्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1988 को क्विलोन के निकट हुई पेरूमन रेल दुर्घटना में मरे लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मुआवजा-राशि के भुगतान के लिए तदर्थ दावा आयुक्त के समक्ष कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये;

(ख) कितने मामलों पर विचार किया जा चुका है;

(ग) कितने मामलों में दावे, स्वीकार किये गये तथा कितने मामलों में इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया; और

(घ) दावे स्वीकार न करने के मुख्य आधार क्या हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 101 मृतकों के लिए 111 मामले दर्ज कराए गये हैं ।

(ख) 110 ।

(ग) 90 मामलों में मुआवजा दिया गया । 20 मामले खारिज कर दिये गये हैं ।

(घ) मामलों को इस लिए खारिज किया गया था क्योंकि-

(1) दावेदार मृतकों के आश्रित नहीं थे ।

(2) दोहरे दावे प्रस्तुत किये गये थे ।

बैंक आफ बड़ौदा में गबन के मामले

[हिन्दी]

3120. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंक आफ बड़ौदा में गबन के कितने मामले प्रकाश में

(ख) क्या इनमें अधिकांश मामले गुजरात से हैं।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(घ) इन मामलों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसकी वर्तमान आंकड़ा रखरखाव प्रणाली से बैंकों में पता लगाये गये धोखाधड़ी से संबंधित आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं मिलता है। फिर भी, बैंक आफ बड़ौदा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1986, 1987 और 1988 में घटित धोखाधड़ी की कुल संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	धोखाधड़ी की संख्या (भारत में)	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये में)
1986	80	361.64
1987	97	165.22
1988	77	56.10

(आंकड़े अनंतिम)

(घ) वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 के दौरान धोखाधड़ी के मामलों में सम्मिलित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक आफ बड़ौदा द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है।

	1986	1987	1988
(1) धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाये गये कर्मचारियों की संख्या	-	-	2
(2) बड़ी छोटी सजा प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	28	26	33

(आंकड़े अनन्तिम)

भारतीय बैंक एसोसिएशन

[अनुवाद]

3122. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंक एसोसिएशन राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंकों में "अवार्ड स्टाफ" के वेतन में संशोधन के लिए बैंकिंग उद्योग में श्रमिक संघों के साथ बातचीत करता रहता है;

(ख) क्या भारतीय बैंक एसोसिएशन बैंक प्रबंधकों का एक पंजीकृत श्रमिक यूनियन है अथवा क्या इसे बैंकों में "अवार्ड स्टाफ" के श्रमिक संघ के साथ बातचीत करने के लिए सरकार द्वारा कोई कानूनी अधिकार दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारतीय बैंक एसोसिएशन और बैंकिंग उद्योग के श्रमिक संघों के बीच हुए समझौते वैध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) जी हाँ,

(ख) और (ग) भारतीय बैंक संघ विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एक संघ है जो इन बैंकों की ओर से एवार्ड स्टाफ की सेवा शर्तों संबंधी मामलों में एवार्ड स्टाफ यूनियनों के साथ बातचीत करता है। भारतीय बैंक संघ और यूनियनों के बीच समझौता ज्ञापनों पर सम्बद्ध औद्योगिक कानूनों के उपबन्धों के अन्तर्गत हस्ताक्षर किए जाते हैं, अतः ये ज्ञापन दोनों पक्षों को मान्य होते हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

3123. **श्री एल. टोम्बी सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इम्फाल, अगरतला और अन्य राज्यों की राजधानियों में प्रस्तावित स्थाई खंडपीठों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) गुवाहाटी उच्च न्यायालय में वर्तमान स्वीकृत संख्या 12 न्यायाधीश से बढ़ाकर 17 स्थाई न्यायाधीश और 2 अपर न्यायाधीश करने का निश्चय किया गया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के कारण बीड़ी श्रमिक कल्याण को उपकर का घाटा

[हिन्दी]

3124. **श्री मदन पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बीड़ी श्रमिक एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के कारण बीड़ी श्रमिक कल्याण को उपकर का घाटा होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) और (ख) सरकार को अखिल भारतीय बीड़ी कामगार संघ से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिस में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी का आरोप लगाया गया हो जिससे बीड़ी कामगार कल्याण उपकर की हानि हुई है। तथापि, अखिल भारतीय बीड़ी, सिगार और तम्बाकू कामगार महासंघ से प्राप्त एक अभ्यावेदन श्रम मन्त्रालय द्वारा इस मन्त्रालय को भेजा गया है। उक्त अभ्यावेदन में अन्य अनुरोधों के साथ-साथ एक अनुरोध यह भी किया गया है कि एक वित्तीय वर्ष में अनुमत बिना ब्रांड की 20 लाख बीड़ियों पर दी जाने वाली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

छूट वापस ले ली जाय और साथ ही यह आरोप लगाया गया है कि बेईमान बीड़ी निर्माताओं द्वारा ऐसी छूट का नाजायज लाभ उठाया जा रहा है जिससे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा बीड़ी कल्याण उपकर दोनों की चोरी की जा रही है। इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और प्रशासनिक कारणों की वजह से यह निर्णय किया गया है कि उक्त छूट समाप्त नहीं की जाय क्योंकि यह छूट मुख्यतः उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाती है जो असंगठित/कुटीर उद्योग क्षेत्र में काम करते हैं।

रेल अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करना

[अनुवाद]

3125. **श्री आर. एम. भोये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि नामांकित रेल अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जायें ताकि वे बिना टिकट यात्रा, अतिक्रमण, छतों पर यात्रा करना और पुरुषों द्वारा महिला डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश करना जैसे अपराधों पर निर्णय दे सकें;

(ख) इन मामलों के संबंध में अन्य क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेल विधेयक, 1986 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कुछ अपराधों की न्यायिक जांच करने के लिये नामित रेलवे अधिकारियों को दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जायें।

(ग) कानूनी अड़चनों की जांच की जा रही है।

राजस्थान को नर्मदा जल की सप्लाई

[हिन्दी]

3126. **श्री बुद्धिचन्द्र जैन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नहर के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों में नर्मदा नहर का पानी कब तक पहुँच जायेगा और पानी की मात्रा क्या होगी और इससे कितना क्षेत्र सिंचित होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राजस्थान में नर्मदा नहर का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। राजस्थान को आवंटित नर्मदा जल के 616 मिलियन घन मीटर जल से राजस्थान में 1.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई-लाभ पहुँचने की आशा है।

तटीय रेल परियोजना

[अनुवाद]

3127. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना का कार्य दासगांव तक पूरा करने की योजना थी;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में तटीय रेलवे के लिये निर्धारित कार्यक्रम क्या है, और

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दासगांव से चिपलंग तक तटीय रेल लाइन बिछाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मंगलोर से रोहा तक की लाइन के शेष भाग के लिये किये गये ताजा सर्वेक्षण के आधार पर इस लाइन के प्रस्ताव को विचारार्थ तथा स्वीकृति के लिये योजना आयोग को भेजा गया था। योजना आयोग ने मंगलोर-उदुपी खंड के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा इसे 1989-90 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) योजना आयोग की स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कनाडा के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी सम्बंध

3128. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा और भारत के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी सम्बन्धों ने और वृद्धि करने की पर्याप्त गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, यो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने व्यपार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और कनाडा के बीच संबंध बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं और क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है। मुख्यतः निम्नलिखत मुद्दों पर बल दिया गया है।

(1) निश्चित मदों को अभिज्ञात करने पर विशेष महत्व देते हुए द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना।

(2) प्रौद्योगिकी अन्तरण और औद्योगिक सहयोग के अवसरों का पता लगाना : तथा

(3) कनाडा को तथा वहां से वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं के स्रोत का पता लगाना।

भारत से निर्यात की अनेक मदों को अभिज्ञात किया गया है जैसे इन्जीनियरी माल, आटोमोबाइल अनुषंगी, इलैक्ट्रानिक संघटक, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, कृषि समुद्री उत्पाद तथा इसी प्रकार कनाडा से जिन संभावित क्षेत्र की वस्तुओं कों अभिज्ञात किया गया है वे हैं : इलैक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक इलैक्ट्रीकल संघटक, प्रोद्यौगिकी। इन उपायों के फलस्वरुप दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की संभावना है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की भारतीय बाजार में रुचि

3131. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य राज्यों ने भारतीय बाजार में अपनी गहरी रुचि प्रदर्शित की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संगठन द्वारा प्रदर्शित रुचि से लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

(ग) क्या सरकार ने इस संगठन के सदस्य देशों के साथ अंतरिक्ष, रक्षा और अन्य महत्व पूर्ण क्षेत्रों में अधुनातन प्रौद्योगिकी के अन्तरण का मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) हमारी आयात नीति में ओ.ई.सी.डी. देशों सहित "गाट" के सदस्य देशों से होने वाले आयात के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता। इन देशों के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध, इन देशों को "परम-मित्र राष्ट्र" का दर्जा देने के सिद्धांत पर आधारित हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न देशों के साथ परिष्कृत तकनालाजी के अन्तरण पर बातचीत और उसकी व्यवस्था सामरिक और प्रतियोगी सुविधा के आधार पर की जाती है।

तम्बाकू बोर्ड द्वारा उप-कर वसूली

3132. **श्री एन० बेंकटरत्नम** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड गुंटूर (आंध्र प्रदेश) तम्बाकू बेचने वाले उत्पादकों और खरीदने वाले व्यापारियों से उप-कर वसूल करता है;

(ख) यदि हां, तो यह उप-कर किस दर से वसूल किया जा रहा है और इस प्रकार अब तक वसूल, खर्च और शेष धनराशि, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खर्च की गई धनराशि और प्रयोजन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तम्बाकू बोर्ड उपजकर्ताओं विक्रेताओं में से नीलामी मंचों पर बेची जाने वाली तम्बाकू पर उपकर वसूल कर रहा है।

(ख) तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अनुसार उपजकर्ताओं से नीलामी मंचों पर बेची गयी तम्बाकू पर 1 पैसा प्रति किग्रा. की दर से उप कर वसूल किया जाता है। वर्ष 1984 में नीलामी प्रणाली में शुरू होने से अब तक कर्नाटक में पाँच नीलामी मौसमों में तथा आन्ध्र प्रदेश में चार नीलामी मौसमों में 38,78,931. 38 रुपये वसूल किए गए हैं।

(ग) तम्बाकू बोर्ड इस राशि को भारत की समेकित निधि में कर देता है।

बैंकों में गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे को सार्वजनिक छुट्टियों के रूप में घोषित करना

3133. **के० वी० थामस** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक" गुड फ्राइडे" और क्रिसमस डे" को सार्वजनिक छुट्टी के रूप में घोषित नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बैंकों को "क्रिसमस डे" और "गुड फ्राइडे" को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने के निर्देश देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) राज्यों में सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा राज्य सरकारों द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अधीन सम्बद्ध राज्यों में स्थानीय रीति रिवाजों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टियां रखनी पड़ती हैं।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा संयुक्त उद्यम लगाना

(हिन्दी)

3134. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के दो से अधिक सदस्य देशों के संयुक्त उद्यमों को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बाजार में प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का संयुक्त उद्यम लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और इस संबंध में भारतीय उद्यमियों ने कितनी दिलचस्पी जाहिर की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जिन अनुमोदित औद्योगिक संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में दो अथवा अधिक "एसीआन" देशों की भागीदार होती है उन्हें एशियाई बाजार में 90 प्रतिशत टेरिफ प्राथमिकता मिलती है।

(ख) विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय उद्यमियों से जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो सरकार उन पर वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार करती है।

वर्ष 1988-89 के दौरान निर्धारित लक्ष्य

(अनुवाद)

3135. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1988-89 के दौरान रेल पटरियों का नवीकरण करने, स्क्रैप को निपटाने विद्युतीकरण करने, डीजल और इलैक्ट्रिक इंजनों तथा सवारी डिब्बों का निर्माण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य प्राप्त हुए; और

(ग) यदि लक्ष्य प्राप्ति में कमी रही तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चूंकि वर्ष 31-3-89 को समाप्त होगा, इसलिए इस स्तर पर उत्तर देना असामयिक होगा।

विवरण

1988-89 के लिए निर्धारित लक्ष्य

(1) रेलपथ नवीकरण	3750 कि.मी.
(2) रद्दी निपटान	220 करोड़ रुपये
(3) विद्युतीकरण	680 मार्ग कि.मी.
(4) रेल इंजनों का निर्माण	
(क) बिजली	110
(ख) डीजल	184 (10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए शामिल हैं)
(5) सवारी डिब्बों का निर्माण	1642

हशीश का पकड़ा जाना

3136. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान कितनी मात्रा में हशीश पकड़ी गई और उसका कितना मूल्य था; और

(ख) इन दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनमें से कितने व्यक्ति दोषी पाए गए ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान हशीश (चरस) निम्नलिखित मात्रा में पकड़ी गई थी :-

1987 (किलोग्राम) में	1988
14,796	17,390

नशीले औषध द्रव्यों से संबंधित अपराधों में ग्रस्त होने के कारण वर्ष 1987 में 2018 व्यक्तियों तथा वर्ष 1988 में 2007 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1987 में 333 व्यक्ति दोषी सिद्ध हुए थे।

अभिग्रहीत नशीले औषध द्रव्यों के मूल्य का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह उनकी शुद्धता, उद्गम, स्थान, स्थानीय मांग तथा आपूर्ति आदि जैसे अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि ऋण दिया जाना

3137. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान और वर्ष 1988-89 के दौरान अब तक कितना कृषि ऋण मंजूर किया गया, और राज्य वार कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने पंजाब और अन्य राज्यों में सितम्बर, 1988 में आई भारी वर्षा और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋणों पर ब्याज में छूट दी है अथवा छूट देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्यमन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) दिसम्बर 1985 तथा दिसम्बर 1986 के अन्त में (अद्यतन उपलब्ध) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि अग्रिमों की बकाया राशि और ऋण खातों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि वे प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों और पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करें। इन मार्ग निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पवधिक उत्पादन ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने, विद्यमान सावधि ऋणों की किस्तों का पुनर्निर्धारण करने का तथा प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

विवरण

दिसम्बर 1985 और 1986 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम

(खाते लाखों में)
(रकम करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य	दिसम्बर 1985		दिसम्बर 1986	
क्षेत्र का नाम	खाते	रकम	खाते	रकम
उत्तरी क्षेत्र	16.31	1768.08	17.87	2008.47
हरियाणा	3.85	350.25	4.27	408.64
हिमाचल प्रदेश	1.19	41.40	1.22	49.44
जम्मू और कश्मीर	0.48	22.18	0.45	24.09
पंजाब	5.82	671.26	6.54	761.82
राजस्थान	4.72	389.54	5.14	459·27
चण्डीगढ़	0.04	185.98	0.05	199.30
दिल्ली	0.21	107.48	0.20	105.90
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2.74	96.06	3.21	117.75
असम	1.74	63.15	1.90	77.55
मणिपुर	0.13	3.27	0.14	4.18
मेघालय	0.20	6.33	0.21	6.92
नागालैण्ड	0.06	7.97	0.07	9.61
त्रिपुरा	0.53	11.89	0.58	15.09
अरुणाचल प्रदेश	00.02	0.53	0.02	1.30
मिजोरम	0.01	0.70	0.01	1.10
सिक्किम	0.05	2.22	0.27	2.00
पूर्वी क्षेत्र	26.31	982.55	29.10	1141.34
बिहार	9.57	401.28	10.40	471.23
उड़ीसा	6.92	223.53	8.17	258.70
पश्चिम बंगाल	9.80	356.37	10.49	409.40
अण्डमान व निको. द्वीप समूह	0.02	1.37	0.04	2.02
मध्य प्रदेश	25.38	1434.47	27.27	1628.53
मध्य क्षेत्र	7.17	450.88	8.08	548.77
उत्तर प्रदेश	18.21	983.60	19.20	1079.76

पश्चिमी क्षेत्र	17.92	1315.49	19.76	1560.96
गुजरात	6.86	471.60	7.49	555.73
महाराष्ट्र	10.75	823.16	11.96	984.79
गोवा दमन और दीव	0.30	20.56	0.30	20.13
दादरा व नागर हवेली	0.01	0.17	0.01	0.30
दक्षिणी क्षेत्र	71.33	3196.79	77.92	3850.42
आन्ध्र प्रदेश	26.27	1183.14	27.42	1398.08
कर्नाटक	14.38	770.54	16.25	927.46
केरल	9.65	355.83	10.33	404.06
तमिलनाडु	20.44	868.54	23.20	1096.72
पांडिचेरी	0.58	18.44	0.71	23.76
लक्षद्वीप	0.00	0·30	0.01	0.35
अखिल भारत	160.00	8793.45	175.14	10307.46

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण संभव है जोड़ मेल न खाए ।

तुर्की के साथ आर्थिक सहयोग

3138. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तुर्की के साथ आर्थिक सहयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) तुर्की के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं । व्यापार, आर्थिक तकनीकी सहयोग सम्बन्धी एक भारत तुर्की संयुक्त समिति बनी हुई है जो समय-समय पर बैठक करती रही है । हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति भारत में दौरे के दौरान किसी भी देश में तथा तीसरे विश्व के देशों में संयुक्त सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने और व्यापार के प्रसार तथा विविधीकरण पर विचार विमर्श किया गया । यह सहमति हुई कि दोनों देशों में व्यापार संगठन एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित करें ताकि ऐसी सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके ।

बम्बई के उपनगरीय सेक्शन का दहानू तक विस्तार

3139. **श्री अनूप चन्द्र शाह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में बिरार के बजाय चर्चगेट से उपनगरीय रेलवे सेक्शन का दहानू तक विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसका सर्वेक्षण कार्य अन्तिम चरण में है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है जिसमें विरार- दहानु खंड शामिल है।

सिल्चर-बदरपुर रोड पर ऊपरी पुल

3140. **श्री सुदर्शन दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के बदरपुर घाट तथा पंचग्राम रेलवे स्टेशनों के बीच सिल्चर-बदरपुर रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53) पर 27.67 किलोमीटर पर ऊपरी पुल के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या निर्माण में कोई विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) सिल्चर तथा अरुणाचल रेलवे स्टेशनों के बीच 27.8 किमी. पर सिल्चर बदरपुर रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 53) पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव सीमा सड़क संगठन द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में प्रायोजित किया गया है।

सामान्य व्यवस्था की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। रेलवे ने सीमा सड़क संगठन को विस्तृत अनुमान भेज दिया है।

(ख) और (ग) सीमा सड़क संगठन द्वारा अनुमान को मंजूर कर लिये जाने तथा अनुमानित लागत जमा कराये जाने के बाद कार्य निष्पादन शुरू किया जायेगा।

सोवियत संघ को रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्यात

3141. **श्री कमलनाथ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सोवियत संघ को कुल कितनी रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का निर्यात किया गया ;

(ख) उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ग) निर्यात करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इन ट्यूबों के निर्यात के लिए किन-किन नए विदेशी बाजारों का पता लगाया गया है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) गत दो वर्षों में रंगीन पिक्चर ट्यूबों के निर्यात की खुली अनुमति दी गई थी। इन निर्यातों को 4 नवम्बर 1988 से ई टी तथा टी की मार्फत सरणीकृत किया गया है। वर्ष 1988 के दौरान सोवियत संघ को 6.5 लाख के रंगीन टेलिविजन पिक्चर ट्यूबों का निर्यात किया गया। सही रूप में निर्यात की गई रंगीन पिक्चर ट्यूबों की संख्या तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे डी. जी. सी. आई. ऐण्ड एस. द्वारा वस्तुवार आंकड़े संकलित करने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे। इन निर्यातों के शामिल कम्पनियाँ हैं फीनिक्स वेस्टन, जेसीटी, सोनोडायन, आदि। इन निर्यातों के लिए जिन नए विदेशी बाजारों का पता लगाया जा रहा है वे हैं हंगरी, पाकिस्तान, बंगलादेश, रोमानियाँ आदि।

न्यू इण्डिया ऐश्योरेंस कंपनी में सुपरिटेंडेंट ग्रेड समाप्त करना

3142. **श्रीमती ऊषा वर्मा :** क्या वित्त मंत्री न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी में दावा निरीक्षकों के बारे में 13 मई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10965 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इन्डिया एश्योरेंस कम्पनी में दावा निरीक्षकों, मैकेनिकल इन्जीनियरों आदि जैसे तकनीकी कर्मचारियों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड में भर्ती किए जाने से पूर्व सुपरिटेंडेंट के ग्रेड में भर्ती किया जा रहा था ;

(ख) यदि हां, तो सुपरिटेंडेंट के ग्रेड, जिसमें तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी, को कब से समाप्त किया गया है ; और

(ग) सुपरिटेंडेंट के ग्रेड को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ऐदुआर्दो फ़ैलीरो) : (क) जी हां। न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी ने वर्ष 1973 से पूर्व मोटरों के दावों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए मोटर दावा निरीक्षकों की नियुक्ति, अधीक्षक ग्रेड में की थी। ये अधीक्षक सामान्य तौर पर, आटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा प्राप्त थे तथा इन्हें कुछ वर्षों का व्यावहारिक अनुभव भी था। ऐसे अधीक्षकों में से अधिकांश को सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है।

(ख) अधीक्षक के ग्रेड को समाप्त नहीं किया गया है। तथापि, 1974 के बाद से इस ग्रेड में कोई भर्ती नहीं की गई है।

(ग) प्रशासनिक कारणों से यह निर्णय लिया गया था कि अधीक्षक के ग्रेड में भर्ती न की जाए। साधारण बीमा (पर्यवेक्षण लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारीवर्ग के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का मुक्तिकरण तथा संशोधन) संशोधन योजना 1985 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कम्पनी द्वारा अधीक्षक के पद के लिए कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। साधारण बीमा निगम द्वारा तैयार गई भर्ती संबंधी नीति अथवा पदोन्नत संबंधी नीति में भी इस संवर्ग में भर्ती करने का कोई प्रावधान नहीं है।

नशीली औषधियों का पता लगाने के लिए स्वदेशी किट

3143. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या वित्त मंत्री औषधों का व्यापार रोकने ने उपकरण के बारे में 3 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न सं. 1331 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नशीली औषधियों का पता लगाने वाली किट की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) क्या आयातित किट की तुलना में इसका कार्य निष्पादन संतोषजनक है ;

(ग) देश की मांग पूरी करने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार इसका निर्यात करने पर भी विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए.के. पांजा) : (क) से (घ) नशीली औषधियों का पता लगाने वाली किट की अनुमानित लागत 1,500/- रुपये है और इसके साथ-

साथ करों की रकम अतिरिक्त होगी। स्वदेशी किट का नमूना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नशीली औषधियों का पता लगाने के लिए तैयार मानक किट के आधार पर तैयार किया गया है, अतः आशा है कि इनका कार्य निष्पादन संयुक्त राष्ट्र संघ किट के समतुल्य होगा। तथापि, क्षेत्रीय प्रवर्तन एजेन्सियों को निदेश दिये गये हैं कि वे इनके सम्बन्ध में अपने अनुभवों के बारे में सूचित करें तथा इन किटों के कार्य निष्पादन के बारे में सुझाव दें। हिन्दुस्तान एन्टीबाइटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल, 1989 तक ऐसी 2000 किटों को निर्मित करने की योजना बनाई है। आशा है कि इनकी वर्तमान संख्या स्वदेशी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी तथा वस्तुतः, फर्म इनका निर्यात करने की स्थिति में होगी। नशीले औषध द्रव्यों के संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभाग को इस विषय पर पहले ही लिखा जा चुका है।

राज्य व्यापार निगम का कार्य-निष्पादन

3144. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम का वर्ष-वार कितना कार्य-निष्पादन रहा है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने अपने विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यों में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो वर्ष 1988-89 के पहले नौ महीने के दौरान राज्य व्यापार निगम का निर्यात संबंधी कार्य-निष्पादन क्या रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम का व्यापार कारोबार के रूप में कार्य-निष्पादन निम्नोक्त अनुसार रहा है :-

	(करोड़ रुपये में)
1985-86	2551
1986-87	2735
1987-88	3646

(ख) जी, हाँ। एस टी सी ने अपने निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान एस टी सी के निर्यात 263 करोड़ रु. मूल्य के हुए।

अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद

(हिन्दी)

3145. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या विधि और न्यायमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद किया गया है तथा कितने अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद अभी किया जाना है ;

(ख) इन अधिनियमों के अनुवाद हेतु क्या प्रबंध किये गये हैं और क्या ये प्रबंध इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हैं; और

(ग) शेष अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद कब तक कर लिया जायेगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) तारीख 28-2-1989 तक 1425 केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है। वर्ष 1988 में अधिनियमित दो केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद किया जाना शेष है। इस समय कुछ प्रवर्ग के अधिनियमों का, जैसे अस्थाई अधिनियम, विनियोग अधिनियम और ऐसे अधिनियमों का जो अप्रचलित हो गये हैं, अनुबाद नहीं किया जाता है। मूल अधिनियमों के पाठ में संशोधन करने वाले कुछ संशोधनकारी अधिनियमों का अलग से अनुवाद नहीं किया जाता है, क्योंकि वे मूल अधिनियमों में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

(ख) केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद का कार्य विधाई बिभाग के राजभाषा खंड को सौंपा गया है। इसके लिये विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त है।

(ग) यह कार्य लगभग 6-8 मास में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

भू-जल संसाधनों के दुरुपयोग के कारण जमीन का बंजर हो जाना

[अनुवाद]

3146. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भू-जल संसाधनों के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों, जिससे व्यापक क्षेत्रों में जमीन बंजर हो जाती है, के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक पानी का दुरुपयोग हुआ है और इसके कारण कितनी भूमि बंजर हो गई है, और

(ग) सरकार ने देश के जल संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के जल संसाधनों को सुरक्षित रखने तथा उनका उपयोग करने के लिये किये गये उपायों में ये शामिल हैं:-बांधों तथा जल एकत्र करने वाली संरचनाओं का निर्माण, अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में माइक्रो-जल विभाजकों में वनरोपण, एकीकृत भूमि और जल प्रबंध, जलग्रहण क्षेत्र निरुपण, मृदा संरक्षण और ड्रिप तथा स्प्रिन्कलर सिंचाई प्रणालियों जैसे जल बचाने वाले विभिन्न साधनों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

बकरे तथा भैंस के मांस का निर्यात

3147. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकरे तथा भैंस के मांस का निर्यात किया जा रहा है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में मांस का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) इसका निर्यात किस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है और किन-किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या कुछ देशों ने भारत से बकरे तथा भैंसे के मांस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस व्यापार को बढ़ाने के लिये नये बाजारों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये बकरे तथा भैंस के मांस का मूल्य तथा उसकी मात्रा नीचे दी गई है:-

बकरे का मांस

वर्ष	मात्रा (मि. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1985-86	10,618	24.12
1986-87	9,378	22.97
1987-88	7,968	21.91

भैंस का मांस

वर्ष	मात्रा (मि. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1985-86	31,623	31.18
1986-87	30,064	45.84
1987-88	51,540	67.04

(ख) मांस का निर्यात अनेक गैर सरकारी निर्यातकों द्वारा किया जा रहा है। जिन प्रमुख देशों को मांस का निर्यात किया जा रहा है वे हैं : यूएई, मलेशिया, ओमान, कुवैत तथा बहरीन।

(ग) और (घ) जी हां। सऊदी अरब ने भारतीय मवेशियों में कथित बीमारी फैलने के कारण 1982-83 से भारत से भैंस के मांस का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुवैत ने भी इसी कारण से 1985 में भैंस के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे अब आंशिक रूप से हटा लिया गया है।

(ङ) निर्यातकों और एपीडा द्वारा अधिक बाजारों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विदेशों में औषध निर्माता एककों की स्थापना

[हिन्दी]

3148. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ भारतीय औषध निर्माता एककों ने विदेशों में औषध निर्माता एकक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माता कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा इनका किन किन देशों में ऐसे एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में स्वीकृति दे दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) औषधियों के उत्पादन के लिये सोवियत संघ में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये मैसर्स यूनीकेप लैबोटरीज लि. से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

हांगकांग और सिंगापुर से रंगीन टी. वी. सैट तथा वी. सी. आर. लाना

[अनुवाद]

3149. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे सिंडीकेट बन गये हैं जो भारतीय पर्यटकों को रंगीन टी. वी. सैट तथा वी. सी. आर. लाने हेतु मात्र दो या तीन दिन के लिये हांगकांग और सिंगापुर बार बार भेजते रहते हैं और वहां से लाई गई उक्त वस्तुओं को बहुत अधिक लाभ लेकर बेचते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में प्रति दिन औसतन कितने टी.वी. सैट और वी.सी.आर. देश में लाये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) सरकार को ऐसे किसी संगठित गिरोह के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो मुनाफे पर बेचने के लिये रंगीन टी. वी. सैट और वी. सी. आर. लाने के वास्ते भारतीय "पर्यटकों" को नियमित रूप से केवल दो अथवा तीन दिन के लिये हांगकांग और सिंगापुर भेजता हो। तथापि प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि कुछ व्यक्ति सिंगापुर, हांगकांग और बैंकाक अपने वाहकों (केरियर्स) को कम अवधि की यात्रा पर भेज कर वहां से टी. वी. सैटों जैसे इलैक्ट्रानिकी उपकरणों को आयात करने का प्रबंध करते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं।

(ख) सरकार इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) समाहर्तालियों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसे अधिसूचित माल के हाकर्स और डीलरों पर छापे मारें। सिंगापुर और हांगकांग से आने वाले विमान यात्रियों के असबाब की व्यापक छानबीन की जाती है। जहां तिजारती माल असबाब के रूप में लाया जाता है उन मामलों में उसे न्यायनिर्णयन अधिकारियों द्वारा तत्काल जब्त कर लिया जाता है ?

भारत में कार्यरत विदेशी बैंक

3150. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं और इनमें से प्रत्येक की शाखाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक बैंक को भारत में अपने कारोबार से पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों में जमा राशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय भारत में 21 विदेशी बैंकों की 137 शाखायें कार्यरत हैं। इन शाखाओं की बैंक-वार संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की जमा राशियां दिसम्बर 1985 के अन्तिम शुक्रवार को 2680.90 करोड़ रुपये थी जो दिसम्बर 1988 के अन्तिम शुक्रवार को बढ़ कर 5276.27 करोड़ रुपये हो गई हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमाराशियों में भी लगातार वृद्धि हुई है और उनके आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

(राशि : करोड़ रुपये)

दिसम्बर 1985	52366.91
दिसम्बर 1986	63666.71
दिसम्बर 1987	74135.81
दिसम्बर 1988	88693.57

जमा राशियां जुटाना राष्ट्रीयकृत बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य है और वे अपनी सेवाओं/बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से इसके लिये निरन्तर प्रयास करते रहते हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	लाभ 1985	1986	1987
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ग्रिंडलेज बैंक पी.एल.सी	56	7.68	14.05	16.86
2. सिटी बैंक एन.ए.	6	18.10	8.35	7.56
3. दी हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	20	4.80	5.28	11.27
4. स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	24	1.87	9.17	4.63
5. बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल (ओवरसीज लि.)	1	2.14	8.84	5.70
6. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	3	0.87	5.00	6.88
7. बैंक आफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंस एसोसियेशन	4	5.35	8.32	3.24
8. दी बैंक आफ टोकियो लि.	3	1.24	3.76	0.47
9. दी ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट	1	1.09	1.22	2.75
10. बैंक नेशनल दे पेरिस	5	0.38	1.50	1.24
11. अल्गेमन बैंक निदरलैंड एन.वी.	3	0.98	1.00	1.27

12. बैंक इण्डोसूज	1	0.61	0.62	1.40
13. डचेस बैंक ए.जी.	2	0.52	0.53	0.42
14. बैंक आफ ओमान लि.	1	0.41	0.34	0.46
15. सोसिएट जेनराल	1	0.04	0.64	0.13
16. ओमान इंटरनेशनल बैंक ए.एस.ओ.	1	(....) 0.13	0.60	1.14
17. आबूधाबी कार्मशियल बैंक लि.	1	(....) 0.04	0.08	0·09
18. दी मितसुइ बैंक लि.	1	0.36	0.26	0.36
19. दी बैंक आफ नोवा स्कोटिया	1	(....) 0.01	0.30	0.41
20. सोनाली बैंक	1	0.15	0.20	0.19
21. बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत बी.एस.सी.	1	....	....	0.12
जोड़	137	36.41	70.04	66.59

(....) घाटा दर्शित करता है।

उत्पाद शुल्क की चोरी का पता लगाने के लिए छापे

3151. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988 के दौरान उत्पाद शुल्क की चोरी का पता लगाने के लिए पूरे देश में छापे मारने का काम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन-किन क्षेत्रों में ऐसे छापे मारे हैं;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार ने उत्पाद शुल्क की चोरी में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के अपवंचन का पता लगाना सरकार की सतत् अपनायी जाने वाली एक नीति है। वर्ष 1988 के दौरान, समस्त भारत में केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के अपवंचन के कुल 5334 मामलों का पता लगाया गया था जिनमें 352.22 करोड़ रुपये का शुल्क ग्रस्त था। इस अवधि के दौरान समस्त भारत में कुल 1543 तलाशियां ली गई थीं। वर्ष 1988 के दौरान पकड़े गए माल का मूल्य लगभग 42.16 करोड़ रुपये है।

पता लगाए गए मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात्, विभागीय अधिकारियों द्वारा न्याय निर्णयन संबंधी कार्यवाहियां की जाती हैं। न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाहियों में शुल्क की मांग करने के अलावा, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करते हुए जुर्माने और अर्थ-दण्ड भी लगाये जाते हैं। उपर्युक्त कार्यवाही के अतिरिक्त उपयुक्त पाये गये मामलों में अभियोजन संबंधी कार्यवाहियां भी की जाती हैं। वर्ष 1988 के दौरान चलाए गए अभियोजन की संख्या 130 है।

पर्यटक डिब्बों के रोक प्रभार में वृद्धि

3152. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पर्यटक डिब्बों के रोक प्रभार में 500 रुपये प्रतिदिन से वृद्धि करके 2400 रुपये प्रतिदिन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार आयोजित यात्राओं से पर्यटन संवर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या शैक्षणिक यात्राओं के लिए रियायतें दी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) गैर वातानुकूलित आरक्षित सवारी डिब्बों, पर्यटन यानों/सैलूनों के लिए स्कौनी प्रभारों में 12 घण्टे के लिए 200/-रुपये या उसके भाग के रूप में 100/-रुपये प्रति घंटे के हिसाब से संशोधन किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में गन्दी बस्तियों में नागरिक सुविधायें

3153. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गन्दी बस्ति सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत बम्बई में रेलवे भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और वहां के निवासियों को भू-धृति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य रेलवे ने इसके लिये आवश्यक स्वीकृति दे दी है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

मछली पालन में चारे पर होने वाला व्यय

3154. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पालन में, जो कि एक निर्यातोन्मुखी उद्योग है चारे पर बहुत धनराशि व्यय होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग को झींगा मछली के लिए आयातित चारे पर तब तक निर्भर रहना पड़ेगा जब तक कि देश में चारा तैयार करने वाली फैक्टरियां पर्याप्त संख्या में स्थापित नहीं हो जातीं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार झींगा मछली के निर्यात के मामले में विश्व बाजार में स्पर्द्धा कायम रखने की दृष्टि से आयातित चारे पर आयात शुल्क हटाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक भारत में कोई कम्पनी पौष्टिक रूप से संतुलित, हाई एनर्जी का झींगा खाद्य नहीं बना रही है ।

(ग) सरकार दिनांक 16.5. 1988 से क्रीमा खाद्य के आयात पर पहले ही आयात शुल्क को घटाकर 35 प्रतिशत करके शुल्क रियायत दे चुकी है ।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिये गये ऋण

3155. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने कुल कितने ऋण दिए ;

(ख) गत वर्ष के दौरान विभिन्न प्राथमिक क्षेत्रों को, क्षेत्र-वार कितने ऋण दिए ;

(ग) इस वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को और कमजोर वर्गों, अल्प संख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के लोगों को दिए गए ऋण का अनुपात क्या है; और

(घ) क्या भारतीय स्टेट बैंक को अपने कुल ऋणों में कमजोर वर्गों का हिस्सा बढ़ाने और प्राथमिक क्षेत्र के ऋण में वृद्धि करने के लिए कोई निदेश जारी किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से, किसी वर्ष में दिए गए अग्रिमों से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती । अलबत्ता, दिसम्बर 1988 के अंत में भारतीय स्टेट बैंक के बकाया बैंक ऋणों की राशि 18824 करोड़ रुपये थी । दिसम्बर 1988 के अंत में भारतीय स्टेट बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अन्तर्गत, बकाया राशियों का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिम 8478 करोड़ रुपये

(1) कृषि अग्रिम	3489 करोड़ रुपए
(2) लघु उद्योगों को अग्रिम	3560 करोड़ रुपए
(3) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	1429 करोड़ रुपए

(ग) और (घ) दिसम्बर 1988 के अंत में, समाज के कमजोर वर्गों (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों सहित) को दिये गये ऋणों की बकाया राशियों का अनुपात उसी तारीख को, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की बकाया राशि का 25.1 प्रतिशत बैठता है । भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया है कि अपने कुल ऋणों का 40 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत हिस्सा क्रमशः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों को दें । दिसम्बर 1988 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने इन लक्ष्यों को पूरा कर लिया था ।

काजू का आयात तथा निर्यात

3156 . **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितनी मात्रा में हरे काजू का आयात किया गया;

(ख) इसी अवधि के दौरान, वर्ष-वार कितनी मात्रा में संशोधित काजू का निर्यात किया गया;

(ग) देश में हरे काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) खुदरा पैकटों में बन्द किये जाने के अतिरिक्त थोक में कितने प्रतिशत संसाधित काजू का निर्यात किया जाता है ; और

(ङ) अद्यतन वर्ष के लिए आयात की प्रति यूनिट लागत एवं निर्यात के औसत मूल्य, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए कच्चे काजू की मात्रा निम्नलिखित है ।

1985-86	1986-87	1987-88 (अ)
23310 एमटी	49045 एमटी	42256 एमटी

नोट (अ) अनन्तिम

* स्रोत: काजू निर्यात संवर्धन परिषद, डी. जी. सी. आई ऐंड एस, कलकत्ता और राजस्व केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई काजू गिरी (कच्चे काजू से संसाधित) की मात्रा :

1985-86	1986-87	1987-88 (अ)
37097 एमटी	41759 एमटी	36949 एमटी

नोट: (अ) अनन्तिम ।

* स्रोत: काजू निर्यात संवर्धन परिषद, डी. जी. सी. आई. ऐंड एस, कलकत्ता और राजस्व केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर .

(ग) देश में हरे काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों में शामिल हैं:-

(1) काजू की खेती के अंतर्गत कृषि भूमि में वृद्धि ।

(2) उच्च उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग कीट नियंत्रण और उन्नति तकनीकों के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि ।

(3) उत्पादकता वृद्धि के उद्देश्य से अनुसंधान करना ।

(घ) भुनी हुई और नमक लगी हुई काजू गिरियों का फुटकर उपभोक्ता पैकटों में मूल्य-वार निर्यात, काजू गिरी के कुल निर्यात मूल्य का 0.2 प्रतिशत के लगभग होता है ।

(ङ) वर्ष 1987-88 (अनन्तिम) के लिए आयात की एकक लागत रु. 15.92 किग्रा थी और (2) काजू गिरी की निर्यात मात्रा रु. 322.71 करोड़ थी ।

* स्रोत: काजू निर्यात संवर्धन परिषद, डी. जी. सी. आई ऐंड एस, कलकत्ता और राजस्व केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर .

बम्बई में हैरोइन का पकड़ा जाना

3157. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1989 को "इण्डियन एक्सप्रेस" में "हेरोइन वर्थ 5 करोड़ सीज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) जी, हाँ। नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो, बम्बई के अधिकारियों ने 8.2. 1989 को बम्बई के एक होटल से 5 किलोग्राम हेरोइन को पकड़ा था ।

पकड़े गये नशीले औषध-द्रव्य के मूल्य का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्यों कि यह उसकी शुद्धता, स्रोत-स्थान, क्षेत्रीय मांग तथा आपूर्ति आदि जैसे अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है ।

इस सम्बन्ध में स्वापक औषध द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत उपयुत कार्रवाई हेतु नाइजीरिया के दो राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया था ।

केरल में गांजे की खेती

3161. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री पी०ए० एन्टनी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गांजे की खेती में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह खेती किन-किन स्थानों पर होती है ;

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा केरल में वर्ष 1988 में गांजे की खेती को किस सीमा तक नष्ट किया गया है ; और

(घ) केरल के कौन-कौन से मुख्य जिलों में यह खेती नष्ट की गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि केरल के इडुकी जिले के माथीकेट्टनपारा, कम्बाक्कल, कदावेरी, कोटाकोम्बू, बट्टावदाई आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में गांजे की अवैध खेती की जाती है। वर्ष 1988 में, 867 एकड़ में ऐसी फसल को नष्ट किया गया था तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों ने 7,096 किलोग्राम गांजा अभिगृहीत किया था ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा साक्षा निधि से व्यापार

3162. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को साक्षा निधि से व्यापार करने की अनुमति दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ऐडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को साझा निधि से क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं दी है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उत्तर (क) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठते ।

राजस्थान में घग्घर नदी बाढ़ संरक्षण योजना

[हिन्दी]

3164. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में घग्घर नदी का बाढ़ का पानी किन-किन स्थानों पर एकत्र होता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार घग्घर नदी में बाढ़ से एकत्र पानी का स्तेमाल करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राजस्थान को कितनी धनराशि दी गई है और बाढ़ के पानी से भूमि क्षेत्र को होने वाली क्षति से बचाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इस समय घग्घर नदी का बाढ़ जल हरियाणा में ओटूबीयर तथा राजस्थान में डिप्रेशनों में एकत्र होता है ।

(ख) भाखड़ा नांगल करार, 1959 में सिंचाई के लिए घग्घर नदी के जल के उपयोग की परिकल्पना की गई है । हरियाणा सिंचाई के लिये ओटूबीयर पर घग्घर नदी में की जा रही जल आपूर्ति का पहले ही उपयोग कर रहा है तथा राजस्थान नदी तल में जल आप्लावन सिंचाई के वास्ते ओटूबीयर के जल प्रवाह के नीचे बाढ़ जल का उपयोग कर रहा है । राजस्थान का डिप्रेशनों में एकत्र जल के उपयोग करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) घग्घर नदी के बाढ़ जल से होने वाली क्षति से इस क्षेत्र को बचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने घग्घर बाढ़ नियन्त्रण स्कीम शुरू की है, जिसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 लाख रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई थी । सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिये हरियाणा सरकार का टांगड़ी नदी पर जसपुर बराज तथा मारकण्डा नदी पर घनौरा बराज के निर्माण का भी प्रस्ताव है । ये नदियां घग्घर की सहायक नदियां हैं । इन स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में पहले जांच की गई थी तथा सलाहकार समिति द्वारा विस्तृत अन्वेषण की सिफारिश की गई है ।

उड़ीसा में लौह अयस्क खानों से लौह अयस्क प्राप्त करना

[अनुवाद]

3165. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न लौह अयस्क खानों के नाम क्या हैं जिनसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम लौह अयस्क प्राप्त कर रहा है ; और

(ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान उड़ीसा में विभिन्न लौह अयस्क खानों से खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अब तक कुल कितना लौह अयस्क प्राप्त किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) उड़ीसा स्थित ऐसी लौह अयस्क खानों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जहां से भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लौह अयस्क प्राप्त करता रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा की विभिन्न लौह अयस्क खानों के लिये गए लौह अयस्क की मात्रा नीचे दी गई है :–

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	मात्रा
1986-87	20.25
1987-88	19.21
1988-89	9.23
(जनवरी, 1989 तक)	

विवरण

1. दंसपानी
2. जजांग
3. झीलिंग-लंगलोटा
4. मुगबिरदा
5. खांड बन्ध
6. गुरुबेदा
7. बैतरानी
8. जोरुरी
9. ओलीबुरु
10. खुंडापानी
11. सन-इंदुपुर
12. रोआयदा
13. कासिया
14. सेरेमदा
15. गुआली
16. गंधमर्दन
17. दैतारी
18. टोमका
19. उरमुंडी
20. गोरुमाहिसानी (गुमी)
21. बदम्फर
22. बलदागुदा
23. काला पर्वत
24. चमकपुर
25. रायकेला
26. ओराघाट
27. नाओगांव
28. बोनाई
29. बारसुअन
30. भंजापल्ली
31. कासीरा
32. बारपादा-कासला
33. डालकी
34. घाटकुरी
35. कोयरा
36. पुतलीपानी
37. नादिदी

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना

3166. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता प्राप्त गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना काफी समय से मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हुई है ;

(ख) क्या विश्व बैंक इस परियोजना का वित्त पोषण करने को सहमत हो गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाये उये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना के वित्त पोषण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के 11.96 करोड़ डालर के एक ऋण के लिये 12 मई, 1987 को विश्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

सीमा शुल्क/आयकर/बिक्री कर अधिकारियों के घर छापे

3167. **श्री मोहन भाई पटेल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीमा शुल्क, आयकर और बिक्री कर के कितने अधिकारियों के घरों पर छापे मारे गए हैं ;

(ख) उनके घरों से जब्त किए गए लेखा-बाह्य धन और अन्य सामान की कीमत क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ऐ. के. पांजा) : (क) चालू वर्ष के दौरान अर्थात् 1-1-89 से 10-3-89 तक केन्द्रीय जांच ब्यूरों की विभिन्न शाखाओं द्वारा सीमा शुल्क के 18 अधिकारियों तथा आयकर विभाग के एक अधिकारी के आवासीय/कार्यालय परिसरों में, 23 तलाशियां ली गई थी । ये तलाशियां इन व्यक्तियों के विरुद्ध, उनके द्वारा अपनी आय के ज्ञात: साधनों के अनुपात से अधिक परिसम्पतियां हासिल करने और प्राईवेट पार्टियों/लोगों के प्रति अनुचित पक्षपात करने के आरोप में रजिस्टर किए गए आठ मामलों की जांच के सिलसिले में की गई थीं । बिक्री कर के अधिकारियों के कार्यालय/आवासीय परिसरों पर कोई छापा नहीं मारा गया था ।

(ख) तलाशियों के दौरान निम्नलिखित चल/अचल परिसम्पतियां पाई गई हैं:-

नकदी, सावधि जमा रसीदें, राष्ट्रीय बचत पत्र; बैंक शेष आदि	54,78,230-00 रुपए
चल परिसम्पतियों जैसे-टी. वी., फ्रिज तथा अन्य कीमती घरेलू सामान	31,30,838-00 रुपए
अचल परिसम्पतियां जैसे फ्लेट, मकान तथा प्लॉट	11,92,000-00 रुपए

इनके अलावा उपर्युक्त मामलों से संबंधित कई अपराधरोपणीय दस्तावेज पकड़े गए थे।

(ग) और (घ) जांच चल रही है, तथा जांच कार्य पूरा हो जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ताप विद्युत केन्द्र और गुजरात विद्युत बोर्ड के विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई

3168. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के विभिन्न विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए प्रति टन/कि. मी. क्या भाड़ा लिया गया ;

(ख) इस अवधि दौरान प्रति वर्ष खानों से गुजरात राज्य के ताप विद्युत केन्द्र तक कोयले की ढुलाई के लिए राज्य से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और कुल कितनी मात्रा में कोयले की ढुलाई की गयी ;

(ग) क्या गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा रेल भाड़े के भुगतान में विलम्ब किया जा रहा है और कोयले की ढुलाई की अत्यधिक धनराशि की अदायगी बकाया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा अदायगी में विलम्ब होने के क्या कारण बताए गए हैं; और

(च) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) गुजरात राज्य में ताप बिजली घर विभिन्न कोयला-खानों से कोयला प्राप्त करते हैं और एक कोयला-खान से एक ताप बिजली घर तक वसूल किए जाने वाले भाड़ा-प्रभारों में दूरी के अनुसार अन्तर होता है।

(ख) कोयले की ढुलाई के लिए गुजरात में बिजली घरों से प्राप्त भाड़ा-प्रभारों की अनुमानित राशि के आंकड़े तथा ढोये गये कोयले की मात्रा इस प्रकार है:-

वर्ष	प्राप्त राशि (करोड़ रुपयों में)	ढोये गये कोयले की मात्रा (मिलियन टनों में)
1985-86	141	5.9
1986-87	202	7.6
1987-88	280	9.4

(ग) जी हां।

(घ) से (च) 31.12.1988 को गुजरात बिजली बोर्ड पर 38 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। गुजरात राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दिये गये साख पत्र एवं चैकों पर धनराशि न दिये जाने और दर सूची के उपबन्धों के अनुसार भुगताये जाने वाले भाड़े के संबंध उसके द्वारा उठाये गये विवाद के कारण रेलवे के देय राशि के भुगतान में विलम्ब हो रहा है। बकाया देय राशि के निपटारे के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निरन्तर लिखा जा रहा है।

वडोदरा डिवीजन में कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

3169. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के वडोदरा डिवीजन के कई स्टेशनों पर यात्रियों के लिए कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण किए जाने की योजना बनाई गई है,

(ख) यदि हां, तो यात्रियों के लिए आरक्षण हेतु कम्प्यूटर का उपयोग करने वाले स्टेशनों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक स्टेशन में कम्प्यूटर लगाने पर कितनी लागत आएगी, और

(ग) इस कार्य को कितने समय में पूरा किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) गुजरात में वडोदरा मण्डल के एक स्टेशन अर्थात् अहमदाबाद स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण शुरू करने की योजना बनायी गयी है। इस परियोजना पर लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसे दिसम्बर, 1989 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सोने और चांदी के मूल्य

3170. **श्री एस. एम. गुरड्डी :**

श्री जी. एस. बासवराजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 के दौरान सोना और चांदी के मूल्य क्या रहे ;

(ख) क्या इसके मूल्यों में भारी वृद्धि हुई ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) 1989 में, बम्बई में, सोने व चांदी का औसत मूल्य (रुपयों में):-

	प्रति 10 ग्राम मानक सोना	प्रति 1 किलोग्राम चांदी
जनवरी, 1989	3253	6585
फरवरी, 1989	3261	6784

(ख) और (ग) सोने के मूल्यों में भारी वृद्धि नहीं हुई थी। फरवरी, 1989 में चांदी के मूल्यों में कोई 200/-रु. मात्र की वृद्धि हुई है। परन्तु आवश्यक वस्तुएं न होने के कारण इनके मूल्य सरकार द्वारा विनियमित नहीं किये जाते हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार

3171. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों और अधिकृत डीलरों को गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों के पक्ष में भारत से प्राप्त साख निर्यात पंजों को सीधे स्वीकार करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति व्यापार सम्बन्धी मानदंडों को सरल बनाने हेतु कुछ अन्य उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाकिस्तान में बैंकों को भी आयात से सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के अभिकरण को बिना बताए ही, निजी क्षेत्र के एककों की ओर से निश्चित मदों हेतु भारत से

आयात के लिए साख-पत्र खोलने की अनुमति दी गयी है। यह परिवर्तन पाकिस्तान सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 1988 की अधिसूचना के बाद किया गया है जिसमें वे 249 मदें हैं, जिन्हें भारत से पाकिस्तान में निजी पार्टियों द्वारा आयात किया जा सकता है।

सोवियत संघ के साथ व्यापार में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करना

3172. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग और वाणिज्य मंत्रालयों ने सोवियत संघ और गैर-सरकारी क्षेत्र के संयुक्त उद्यमों के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सोवियत संघ ने दोनों देशों के बीच व्यापार में गैर सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (ङ) सोवियत संघ और भारत दोनों व्यापार संवर्धन और सहयोग के नए तरीकों के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं जिनमें शामिल है भारत, सोवियत संघ और तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना, उत्पादन सहयोग, सेवा क्षेत्रों में सहयोग, आदि। इनमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे चमड़ा, वस्त्र, बर्तों पर आधारित उत्पाद, रसायन और इलेक्ट्रानिक्स, आदि में अनेक संयुक्त उद्यमों पर भारत और सोवियत संघ के संबंधित संगठनों के बीच वार्ता चल रही है।

आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अन्तर-सरकारी भारत-सोवियत आयोग की 12 वीं बैठक 7 से 9 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी तथा अपने ढांचे में सहयोग के नये तरीकों पर एक अलग कार्यग्रुप की स्थापना का निश्चय किया गया ताकि उत्पादन सहकारिता, संयुक्त उद्यम और भारत और सोवियत उद्यमों के बीच सीधे सम्पर्क सहित सहकारिता के नए तरीकों को बढ़ाया जा सके और सुविधाजनक बनाया जा सके। इस कार्यग्रुप की पहली बैठक मई-जून, 1989 में मास्को में होना निर्धारित है।

कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना के लिए "कोल्ड स्टोरेज" संयंत्रों पर सीमाशुल्क से छूट

3173. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना के लिए जापान से आयातित "कोल्ड स्टोरेज" संयंत्रों पर शुल्क में छूट देने के लिये केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में सीमाशुल्क में छूट देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पाँजा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत 13 शीतागार संयंत्रों को सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट दी है जितना मूल्यानुसार 45 प्रतिशत से अधिक हो और इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए की राजस्व-हानि अन्तर्गस्त है।

उत्तर प्रदेश में ऊपरी पुलों (फ्लाई ओवर) का निर्माण

[हिंदी]

3174. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां वर्ष 1989-90 के दौरान रेलवे लाइनों पर सरकार का विचार ऊपरी पुल बनाने का है;

(ख) क्या हापुड़, मुरादाबाद और रामपुर के निकट रेलवे फाटकों पर भी ऊपरी पुल बनाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) सूबेदारगंज (इलाहाबाद), फाफामऊ, राय बरेली, निशातगंज (लखनऊ) में ऊपरी सड़क पुल तथा गाजियाबाद (गौशाला) में, निचले सड़क पुल के निर्माण की स्वीकृति के लिए रेलवे के 1989-90 के निर्माण कार्यक्रम में प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा निर्माण पहले से स्वीकृत 17 ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) और (ग) मुरादाबाद में एक ऊपरी सड़क पुल को अगस्त, 1988 में यातायात के लिए खोल दिया गया है। हापुड़, रामपुर और मुरादाबाद के निकट किसी अन्य स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने प्रायोजित नहीं किया है।

बैंकों के कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र भत्ता

3175. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के जीवन बीमा निगम जैसे कुछ संगठनों के उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को भी यह भत्ता दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जीवन बीमा निगम के कर्मचारी इस मन्त्रालय के बीमा प्रभाग द्वारा जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र भत्ते के पात्र हैं।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एवार्ड कर्मचारियों को यह भत्ता द्विपक्षीय समझौते और अधिकारियों को अधिकारी सेवा विनियमों के उपबंधों के अनुसार दिया जाता है।

शहरों का दर्जा बढ़ाना

3176. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भत्ते मंजूर करने के प्रयोजनार्थ त्रिवेन्द्रम, चंडीगढ़ ओर तिरुपति शहरों का दर्जा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन शहरों में भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण यहां अन्य शहरों की तुलना में मूल्य सूचकांक अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन शहरों का दर्जा बढ़ाने का है ?

वित्त मन्त्रालय व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों भत्ते दिए जाने के उद्देश्य से इन शहरों का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) हांलाकि त्रिवेन्द्रम और चंडीगढ़ के लिए औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मल्य सूचकांक उपलब्ध हैं (तिरुपति के लिए नहीं) किन्तु इन सूचकांकों का प्रयोग भिन्न-भिन्न केन्द्रों के बीच मंहगाई की तुलना के वास्ते नहीं किया जा सकता क्यों कि उनके उपभोग की वस्तुएं भिन्न हैं जो उपभोग की अलग-अलग आदतों ओर अलग-अलग परिवार-आकारों पर आधारित हैं।

(ग) जी, नहीं। शहरों का दर्जा बढ़ाया जाना उनकी जनसंख्या में वृद्धि से सम्बन्धित है न कि शहरों की मंहगाई से।

उत्तर प्रदेश में रेलवे परीक्षा केन्द्र

3177. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिये उत्तर प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्र हैं ;

(ख) ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और क्या अल्मोड़ा में भी एक ऐसा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव मन्त्रालय के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कोई निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेल भर्ती बोर्ड जो रेलों पर ग्रुप "सी" पदों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं, जहां औचित्य होता है वहां वहां परीक्षा केन्द्र निर्धारित करते हैं। इन केन्द्रों की संख्या समय-समय पर अलग-अलग होती है।

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वारानसी, आगरा, बरेली, पीलीभीति, सीतापुर आदि जैसे शहरों को रेल भर्ती बोर्डों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के रूप में चुना गया है।

बहरहाल, अल्मोड़ा में परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने के लिए रेलवे बोर्ड को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

रेल भर्ती बोर्डों द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने के लिए मन्त्रालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है ।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

व्यापार सम्बन्धी विवादों के समाधान के लिए संयुक्त समिति

[अनुवाद]

3178. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार के आयात और निर्यात सम्बन्धी विवादों के समाधान के लिए शीघ्र कदम उठाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके लिये कोई समिति नियुक्ति की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात आयुक्त, मुख्य नियन्त्रक आयात निर्यात का कार्यालय, को व्यापार विवादों और शिकायतों को निपटाने तथा उनकी शीघ्रता से हल सुनिश्चत कराने के उद्देश्य से, नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया । इसी उद्देश्य के लिए मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात के कार्यालय में एक व्यापार विवाद प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । व्यापार विवादों और शिकायतों के निपटाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये हैं और उन सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेज दिये गये हैं जिन्हें सामान्यतया ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं ।

(ग) और (घ) बम्बई, कलकत्ता कोचीन, दिल्ली, अहमदाबाद बंगलौर और कानपुर में गुणवत्ता शिकायतों पर क्षेत्रीय उप समितियां स्थापित की गई है ताकि गुणवत्ता शिकायतों की जांच की जा सके और विदेशी क्रेताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके ।

चुनाव लड़ने के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु

3181. **श्री वी० कृष्ण राव :** क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समाज के विभिन्न वर्गों ने चुनाव लड़ने के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु को घटाकर 22 वर्ष करने की मांग बड़े पैमाने पर की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्यात संवर्धन हेतु रियायतें देने के बारे में भारतीय निर्यातक संगठन परिसंघ के सुझाव

3182. **श्री एच० एस० नन्जे गौडा :**

श्री बनवारीलाल पुरोहित : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातक संगठन संघ ने सरकार से निर्यात संवर्धन हेतु कुछ रियायतें देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात कार्यों में सुधार लाने के लिए निर्यातकों को कोई रियायत देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) भारतीय निर्यायक संगठन परिसंघ ने एक "निर्यातों का मध्यावधि मूल्यांकन" पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न सुझाव निहित हैं जैसे : एच. एस. आई एककों का निवेश बढ़ाना, निर्यात वित्त पर ब्याज दरें घटाना, वाणिज्यक बैंकों के जरिये नकद मुआवजा सहायता/शुल्क वापसी का वितरण, विदेश में भारतीय मिशनों को सुदृढ़ करना और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के मूल्यवर्धन मानदण्ड आदि ।

(ख) सरकार ने हाल ही में लदान पूर्व और लदान पश्चात निर्यात वित्त पर ब्याज दरें घटा दी हैं, वाणिज्यक बैंकों के जरिए नकद मुआवजा सहायता और शुल्क वापसी के वितरण से होने वाली सुविधा का भी पता लगाया जा रहा है ।

(ग) और (घ) निर्यातकों को जिन उपायों से राहत दी जा रही है वे हैं नकद मुआवजा सहायता, शुल्क वापसी, पंजीकृत निर्यातक नीति योजना, रियायती निर्यात वित्त और अग्रिम लाइसेंस जैसे शुल्क मुक्त अर्थात लाइसेंस और आयात-निर्यात पास-बुक योजना ।

रबड़ का उत्पादन

3184. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रबड़ का प्रति वर्ष कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन इस प्रकार रहा है :

1985-86	200,465 एम. टी. एस.
1986-87	219,520 एम. टी. एस.
1987-88	135,197 एम. टी. एस.

(ख) प्राकृतिक रबड़ की खेती/उत्पादन/उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के लिए रबड़ बोर्ड जो उपाय पहले ही कर चुका है उनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(1) रबड़ रोपण विकास स्कीम ;

(2) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में विसास को तेज करने के लिए स्कीम ;

(3) नर्सरियों की स्थापना तथा रोपण सामग्री का वितरण ;

(4) छोटे धारकों को उत्पादन प्राप्त दरों पर एस्टेट निवेशकी सप्लाई ;

(5) परामर्श तथा प्रशिक्षण की सेवाएं ;

(6) रबड़ रोपणों में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए स्कीम ; तथा

(7) सामुदायिक त्रिपणन तथा प्रसाधन इन्हीं उपायों के कारण प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 1977-78 के 1,46,987 से बढ़कर 1987-88 में 2,35,197 टन हो गया है तथा प्रति हैक्टेयर उत्पादन 770 कि.ग्राम से बढ़कर 944 कि.ग्राम हो गया है ।

व्यावसायिक ऋण

3187. **श्री सैयद शाहनुद्दीन :** क्या वित्त मन्त्री विदेशी ऋणों में व्यावसायिक ऋणों की प्रतिशतता के बारे में 5 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1581 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावसायिक ऋणों का देश-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान व्यावसायिक ऋणों पर दिये गये/दिये जाने वाले अनुमानित ब्याज का देश-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान और 31 दिसम्बर, 1988 तक अतिरिक्त व्यावसायिक ऋण कितना था ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्वर्ड फैलीरो : (क) ऋण उधार का देश-वार ब्यौरा देना केवल द्विपक्षीय ऋण के मामलों में ही संभव है । वाणिज्यक उधारों के उन मामलों में जहाँ, ऋणदाता सामान्यता बैंक अथवा ऐसे अन्य संस्थान हैं जो विभिन्न देशों से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति के लेनदेन सम्बन्धी कार्य करते हैं, ऐसा ब्यौरा देना व्यवहार्य नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त कारणों से अदायगी किए/देय अनुमानित ब्याज के देश-वार ब्यौरो का हिसाब लगाना व्यवहार्य नहीं है । तथापि, वाणिज्यक उधारों पर 1987-88 और 1988-89 में दिये गये/देय कुल ब्याज के अनुमान इस प्रकार हैं :

वर्ष	करोड़ रुपए
1987-88	888.40
1988-89	1,047.73

(ग) वर्ष 1987-88 में और वित्तीय वर्ष 1988-89 में 31.12.88 तक वचनबद्ध अतिरिक्त वाणिज्यक उधार इस प्रकार हैं :

वर्ष	करोड़ रुपए
1987-88	2654.48
1988-89	3273.93

(31 दिसम्बर, 1988 तक)

ऋण में वृद्धि

3188. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 31 जनवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स में "इंडिया फालिंग इनटु डेब्ट ट्रेप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) चिन्ताजनक आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्आर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) देश की कुल मिलाकर विदेशी ऋण की स्थिति प्रबन्ध योग्य सीमा में है । देश की विदेशी ऋण ग्रस्तता के स्तर और ऋण परिशोधन के संभावित बोझ पर सदा निगरानी रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण परिशोधन का दायित्व उचित सीमाओं में बना रहे ।

भारत के विदेशी ऋण की अदायगियों की संभावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार विदेशी ऋण पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से, निर्यातों की गति तेज करने और सक्षम आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने की नीति का अनुसरण करती रही है । हाल ही में प्रस्तुत किये गये केन्द्रीय बजट में भी निर्यात के संवर्धन, सक्षम आयात के प्रतिस्थापन और अनावश्यक आयातों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में बहुत से उपायों का उल्लेख किया गया है ।

राज्यों में वित्तीय संकट

3189. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें गंभीर वित्तीय संकट में है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस वित्तीय संकट से क्या कारण है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को वित्तीय संकट से बचाने लिए कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बम्बई में "ब्राउन शूगर" का पकड़ा जाना

3190. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री गुरुदास कामत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि बम्बई के निकट 81 करोड़ रु. मूल्य का "ब्राउन शूगर" पकड़ा गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) सरकार द्वारा गत छः महीनों के दौरान अनुमानतः कितनी मात्रा में ब्राउन शूगर पकड़ा गया ; और

(ङ) क्या सरकार ने देश से इस बुराई को दूर करने/समाप्त करने के लिये कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पांजा) : (क) से (ङ) जी, हां। 14-2-1989 को, महाराष्ट्र सरकार के मद्यनिषेध और आबकारी विभाग के उड़न दस्ते के अधिकारियों ने, सेन्ट्रल बम्बई स्थित होटल हैरिटेज में मोहम्मद साहिब मोहम्मद जुबेर नामक एक व्यक्ति के पकड़े जाने और उससे 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने के परिणामतः, मदनपुरा, बंबई स्थित एक भण्डार स्थल से 80 किलोग्राम ब्राउन शूगर/हेरोइन अभिगृहीत की थी। इसलिए सिलसिले में कुल मिलाकर 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था (जिनमें से दो व्यक्ति पाकिस्तान के थे) और उन्हें 14-3-89 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।

अभिगृहीत नशीले औषध द्रव्यों का ठीक-ठीक मूल्य नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह उसकी शुद्धता, उद्गम स्थान, स्थानीय मांग और आपूर्ति आदि जैसे कई कारणों पर निर्भर करता है।

सितम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 के विगत छः महीनों में (ब्राउन शूगर सहित) 1,785 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी।

सरकार ने विभिन्न जोरदार प्रत्युपाय शुरु किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं - नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार करने वालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करना, निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना (विशेषतः सीमाओं और तस्करी के लिये सुगम्य बने हुए क्षेत्रों के आसपास) अधिकारियों और मुखबिरों दोनों के लिए उदार पुरस्कार योजना लागू करना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) को मजबूत बनाना। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध द्रव्यों सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक से अधिक दो वर्ष की निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के तहत अब तक 250 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

स्वापक औषध द्रव्य तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को सुदृढ़ बनाने के लिए इसका आगे और भी संशोधन किया गया है। इसमें जो संशोधन किए गए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये संशोधन भी शामिल हैं - नशीले औषध द्रव्यों के अवैध धन्धे से अर्जित धन से गैरकानूनी रूप से प्राप्त की गई सम्पत्ति अथवा उसके सिलसिले में इस्तेमाल की गई सम्पत्ति को समपहृत करने की व्यवस्था ; नशीले औषध द्रव्यों के अवैध धन्धे हेतु वित्त-पोषण की गतिविधि को आपराधिक करार देने की व्यवस्था और विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए दूसरी बार दोषी पाए जाने पर मृत्यु दण्ड की व्यवस्था।

हनुमानगढ़-सूरतगढ़ रेल लाइनों में परिवर्तन

(हिन्दी)

3191. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) क्या हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बीच कैनाल लूप लाइन में अभी भी मीटर रेल लाइन है ;

(ग) क्या गंग नहर और इन्दिरा गांधी नगर के प्रमुख वाणिज्यिक विपणन केन्द्रों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये इस मीटर कैनाल लूप लाइन पर स्थित हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हनुमानगढ़ और जैतसर के बीच कैनाल लूप लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने का है ताकि इन विपणन केन्द्रों को घाटे का सामना न करना पड़े ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) रेलवे को सम्बन्धित विपणन केन्द्रों द्वारा हुए घाटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल, इस समय हनुमानगढ़ और जैतसार के बीच कैनाल लूप लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गंगा नगर और जयपुर के रेल मार्ग पर रेत के जमाव को रोकने के लिए उपाय

3192. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नगर और जयपुर के बीच पुरानी रेल लाइनों को बदलने तथा बजरी बिछाने का कार्य कब से चल रहा है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या गंगा नगर-जयपुर रेल लाइन पर मई और जून के महीनों में विभिन्न स्थानों पर रेत जमा हो जाता है क्योंकि इस रेत को जमा होने से रोकने हेतु कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किया गया है; और

(ग) क्या ऐसी कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) श्रीगंगा नगर से जयपुर तक के खंड के रेलपथ का अपेक्षित नवीकरण तथा बिना गिट्टी वाले रेलपथ पर गिट्टी बिछाने का कार्य 1983-84 से किया जा रहा है और इसके 1991-92 तक पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि धनराशि उबलब्ध हो।

(ख) और (ग) आंधी के दौरान रेलपथ पर रेत जमा हो जाता है जिसे रेलपथ का अनुरक्षण करने वाले गैंगमैनों द्वारा हटा दिया जाता है। इस समस्या का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। बहरहाल, समस्या को कम करने के लिए जहां कहीं सम्भव है, वृक्षारोपण किया जा रहा है।

गंगा नगर एक्सप्रेस की गति

3193. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नगर एक्सप्रैस के सवारी डिब्बे तथा यात्री सुविधायें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने एवं इसके साथ एक टुटाइर वातानुकूलित डिम्बा छोड़ने का विचार है ;

(ग) क्या यह गाड़ी गंगा नगर और जयपुर के बीच धीमी गति से चलती है ; और

(घ) क्या सरकार का इस की गति बढ़ाने के लिए इसके साथ डीजल इंजन लगाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) (क): जी नहीं। गंगा नगर एक्सप्रेस के दोनों रेकों का नवीकरण 12 जून तथा 17 जुलाई, 1988 को कर दिया गया है और ये अच्छी हालत में हैं।

(ख) इस गाड़ी में वातानुकूल सवारी डिब्बा लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

निर्यात संवर्धन में अनिवासी भारतीयों को शामिल करने के लिए समिति

3194. **श्री शांति धारीवाल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1988 में भारत के निर्यात व्यापार के संवर्धन हेतु अनिवासी भारतीयों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित करने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ समिति का गठन कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति द्वारा अब तक उनके साथ किन-किन विषयों पर बातचीत की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) भारत के विदेशी व्यापार के संवर्धन के लिए फरवरी, 1988 में वाणिज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में विदेशों में स्थित अनिवासी भारतीयों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इसके सदस्य हैं- वाणिज्य राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष), वाणिज्य सचिव, एक संयुक्त सचिव और विभिन्न देशों के अनिवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 अन्य सदस्य/समिति की पहली बैठक 9 सितम्बर, 1988 को हुई थी। इसमें भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया जो विदेशों में भारतीय सामान की छवि दर्शाने, क्वालिटी नियंत्रण, भाड़े से संबंधित समस्याओं और भारत से निर्यातों में अनिवासी भारतीयों की भूमिका के संदर्भ में रहा।

उकनिया रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे)

3195. **श्री शांति धारीवाल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उकनिया रेलवे स्टेशन (कोटा डिवीजन, पश्चिम रेलवे) के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव पास हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके विकास पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) सरकार का इस स्टेशन के विकास कार्य के कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) पश्चिम रेलवे पर डकनिया नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कोटा-चित्तौड़गढ़ के बीच चलने वाली रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन

3196. **श्री शांती धारीवाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोटा और चित्तौड़गढ़ के बीच चलने वाली रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन करने की कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) कोटा-चित्तौड़गढ़ लाइन अभी निर्माणाधीन है।

रामगंज मंडी में फ्रन्टियर मेल का रुकना

3197. **श्री शांति धारीवाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रामगंज मण्डी रेलवे स्टेशन पर फ्रन्टियर मेल को रोकने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बम्बई सेंट्रल और नयी दिल्ली के बीच चल रही तीन जोड़ी गाड़ियां इस स्टेशन की यातायात की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रही हैं।

द्वितीय श्रेणी के गैर वातानुकूलित शायिका डिब्बे

[अनुवाद]

3198. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टू-टायर द्वितीय श्रेणी के गैर-वातानुकूलित शयिका डिब्बा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है, जो थ्री-टायर डिब्बों से अधिक आरामदायक होगा ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या द्वितीय श्रेणी के शायिका डिब्बों को और अधिक आरामदायक बनाने और अधिक डिब्बे उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या अन्तर नगरीय एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में बिना वातानुकूलित वाले चेयर कारें सामान्यतः उसी प्रकार हो जायेंगी जैसा कि ताज और गोमती एक्सप्रेस आदि में है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) अब दूसरे दर्जे के सभी शयनयानों में गद्दीदार शयिकाओं की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) जी, हां आगे चलकर।

उत्पादनों द्वारा हुए नुकसान के लिए निर्माताओं की जिम्मेदारी

3199. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी मामले में हुए समझौते के परिणाम स्वरूप निर्माता की अपनी फैक्टरी में निर्मित उत्पाद से हुए संभावित नुकसान के लिए निर्माता की जिम्मेदारी का मामला अनिर्णीत रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक अलग विधान बनाने पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि, नहीं तो भविष्य में यदि ऐसी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कैसे निर्धारित की जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज): (क) **विनिर्माता द्वारा**, विनिर्माता के कारखाने में विनिर्मित उत्पादों से होने वाले संभावित नुकसान के लिए उसकी जिम्मेदारी का मुद्दा भोपाल गैस त्रासदी के मामले में नहीं उठाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बंसधारा परियोजना की प्रगति

3200. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 57 टी एम सी जल के उपयोग संबंधी बंसधारा की द्वितीय चरण की परियोजना रिपोर्ट फरवरी, 1979 में केन्द्रीय जल आयोग और उड़ीसा सरकार को भेजी गई थी;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) वर्ष 1982-83 की स्थिति के अनुसार परियोजना की मूल और संशोधित लागत कितनी है ; और

(घ) इस परियोजना से कितने क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) **जी हां।**

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रस्तावों को संशोधित कर दिया है।

(ग) 75 करोड़ लागत की मूल लागत के स्थान पर अनुमानित संशोधित लागत (1982-83) 154 करोड़ रुपए है।

(घ) लगभग 43.400 हेक्टेयर।

53 अप और 54 डाउन हिमाचल एक्सप्रेस को बरास्ता "डुक" चलाना

3201. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 53 अप और 54 डाउन हिमाचल एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर इसका मार्ग बरास्ता "डुक" करने संबंधी मांग पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सही निर्णय क्या है और यह किस समय और कौनसी तारीख को लिया गया; और

(ग) यह रेलगाड़ी करनाल से गुजरते हुए किस तारीख से चलना प्रारम्भ कर देगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) 1.5.89 से 53/54 हिमाचल एक्सप्रेस करनाल के रास्ते चलाई जायेगी। इस गाड़ी का दिल्ली से छूटने का समय 22.25 बजे और नंगल डैम में पहुँचने का समय 6.50 बजे होगा। वापसी दिशा में इस गाड़ी का नंगल डैम से छूटने का समय 20.20 बजे और दिल्ली पहुँचने का समय 4.30 बजे होगा।

स्विटजरलैंड सरकार के साथ समझौता

3202. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल में पारस्परिक सहयोग प्रदान करने के लिये स्विटजरलैंड की सरकार के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किये गये; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) आपराधिक मामलों की जांच में परस्पर सहायता करने के उद्देश्य से स्विटजरलैंड की सरकार के साथ पत्रों का आदान-प्रदान करके एक समझौता किया गया हैं। पत्रों का आदान प्रदान 20 फरवरी, 1989 को किया गया था। इस समझौते में यह व्यवस्था है कि दोनों सरकारें आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल में पारस्परिकता और दोहरी आपराधिकता के आधार पर सहयोग करेंगी और सहायता प्रदान करेंगी।

टेट्रासाइक्लिन के लिये आयात लाइसेंस

3203. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल अथवा इसके कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या मापदंड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में लघु क्षेत्र के विरुद्ध पक्षपात करने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) आयात लाइसेंस प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अनिवार्यता प्रमाणीकरण, देशी निर्बाधन तथा प्रतिपूरक लाइसेंसिंग समिति के अनुमोदन के आधार पर जारी किये जाते हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में कुछ छोटे पैमाने के औषधि विनिर्माताओं से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसपर सरकार विचार कर रही है।

छोटे कागज मिलों को दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर

[हिन्दी]

3204. **डा. शेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इन्डिया एसोसिएशन आफ स्माल पेपर मिल्स ने कागज उद्योग को न्यूनतम दर पर ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त ऋण कब तक देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे आल इन्डिया एसोसिएशन आफ स्माल पेपर मिल्स से, न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण दिये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता, छोटे तथा मझोले अखबारों कागज एककों ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस आशय का अभ्यावेदन दिया था कि बैंक मुख्यत: ऋण-गारंटी कवच उपलब्ध न होने के कारण, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने में आनाकानी कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को, छोटे और मझोले अखबारी कागज एककों को दिये गये उन अग्रिमों को, जो लघु उद्योग एककों के लिए निर्धारित निवेश सम्बन्धी मानदण्डों के अनुरूप हों और परिणामत: गारंटी-कवच के पात्र हों प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम मानने के लिए कहा है।

ब्रिटेन के साथ व्यापार संतुलन

[अनुवाद]

3205. **श्रीमती बसवाराजेश्वरी :**

डा. कृपासिंधु भोई : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार घाटा में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(ग) इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) वाणिज्य जानकारी और अंक संकलन महानिदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1986-87 से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1987-88 में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम है :

(मूल्य करोड़ रुपए)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार सन्तुलन
1986-87	1622	736	(-) 886
1987-88	1804	1032	(-) 772
1988 (अप्रैल-सितम्बर)	1187	543	(-) 644
1987 (अप्रैल-सितम्बर)	897	481	(-) 416

द्विपक्षीय व्यापार घाटे में योगदान देने वाली ब्रिटेन से आयातित मुख्य मदों में शामिल हैं। अपरिष्कृत हीरे, मशीनरी और अन्य इंजीनियरी माल, फिर भी ये मदें निर्यात बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक हैं। व्यापार अन्तर कम करने के उद्देश्य से से हमारे निर्यात बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं : निर्यात-निविधीकरण, व्यापार-संवर्धन उपाय कार्यान्वित करना, व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान, क्रेता-विक्रेता बैठकें, व्यापार मेलों में भाग लेना, प्रचार, आदि।

काफी पर क्रय कर की बकाया राशि

3206. **श्रीमती बसवाराजेश्वरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काफी उत्पादकों की ओर क्रय कर की बकाया राशि की वसूली संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : काफी बोर्ड ने कर्नाटक सरकार को वर्ष 1974-75 से 1982-83 तक के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में काफी पर लगाए गए प्रभारित क्रय कर की पूरी बकाया राशि, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में उपार्जित ब्याज सहित अदा कर दी गई है।

जापान सरकार के साथ समझौता

3207. **श्रीमती बसवाराजेश्वरी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और जापान सरकार के बीच सरकारी विकास सहायता विस्तार के बारे में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अन्तर्गत बर्नपुर वर्क्स आफ इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड का किस हद तक आधुनिकीकरण किया जायगा; और

(घ) इसे कब से कार्यान्वित किया जायगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकारी विकास सहायता के बारे में किसी भी सामान्य करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गए हैं। तथापि, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लिमिटेड के बर्नपुर, स्टील वर्क्स के आधुनिकीकरण के लिए जापान सरकार ने 5,546 मिलियन येन (लगभग 67.30 करोड़ रुपए के बराबर) का एक इंजीनियरी सेवा ऋण प्रदान किया है। इंजीनियरी परामर्श दात्री सेवाओं के लिए ठेका दिया जा चुका है और इस संबंध में निर्माण कार्यों के क्षेत्र में, जापानी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा, आधारभूत आयोजना की तैयारी, तकनीकी जांच/विशिष्टीकरण की तैयारी, संगठन, के लिए मास्टर प्लान प्रबन्ध प्रणाली, कार्मिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण और कार्यचालन संप्रवर्तन तथा लागत के अनुमानों को अद्यतन बनाने के कार्य शामिल है।

(ग) इस संयंत्र के आधुनिकीकरण द्वारा इसकी इस्पात उत्पादन क्षमता में लगभग 21.5 लाख टन वार्षिक की वृद्धि हो जाएगी और जन-शक्ति के हिसाब से 27 टन प्रति कामगार प्रतिवर्ष की मौजूदा उत्पादकता बढ़कर 152 टन प्रति कामगार प्रतिवर्ष हो जाएगी।

(घ) संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए निवेश का निर्णय इंजीनियरी के विस्तृत अध्ययन के पश्चात् किया जाएगा जिसके कि दिसम्बर, 1989 में पूरा होने की आशा है।

कृषि ऋणों पर ब्याज की दर

3208. **डा० इता सामन्त :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जनवरी, 1989 के "इंडियन पोस्ट" में कृषि ऋणों पर ब्याज दर में कटौती के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कृषि ऋणों पर ब्याज की दर घटाने की अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार का बराबर यह मत रहा है कि ब्याज दर ढांचे के साथ छेड़-छाड़ करने से, चाहे वह किसी प्रकार की जाए, ग्रामीण ऋण-व्यवस्था को हानि पहुंचती है। दूसरी बात यह है कि किसानों को फसल ऋण सहकारी ऋण समितियों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये जाते हैं तथा सहकारी ऋण समितियों के ऋणकर्ताओं के लिए ब्याज की दरों में यदि कोई कटौती की जाती है तो इसका बहु-एजेंसी ऋण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरे, ब्याज दर में कटौती कर दिये जाने से आमदनी में जो कमी होगी उस से सहकारी ऋण ढांचा और भी कमजोर हो जायेगा।

किसानों को राहत देने के उद्देश्य से मार्च 1988 में 15,000 रुपए तक के कृषि उत्पादन ऋणों के ब्याज की दर में कटौती की गई थी और 1 मार्च, 1989 से 15,000 रु० और और 25,000 रुपए के बीच के ऋणों पर ब्याज की दर में और कटौती कर दी गई थी। घटाई गई ब्याज दरों के अन्तर्गत 7,500 रुपए तक के फसल ऋणों के ब्याज की दर प्रति फसल मौसम 10% वार्षिक के न्यून स्तर पर रखी गई है। साथ ही, छोटे और सीमांतिक किसानों द्वारा लिए जाने वाले किसी प्रकार के निवेश ऋणों की ब्याज की दर मात्र 10% वार्षिक है। इसके अलावा प्राकृतिक विपदाओं और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के मामले में, विभिन्न वर्गों के ऋण-कर्ताओं को राहत पहुँचाने के लिए कई प्रावधान हैं और आवश्यकतानुसार इन प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। इन सब बातों को देखते हुए, सरकार ब्याज की दर में कोई और कटौती करने के पक्ष में नहीं हैं।

जी० टी० एक्सप्रेस का रद्द किया जाना

3209. **श्री पी० वल्लल पेरुमल :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर 1988 से जनवरी, 1989 के दौरान, नई दिल्ली और मद्रास और दिल्ली के मध्य चलने वाली जी० टी० एक्सप्रेस को अनेक बार रद्द किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार गाड़ियों का विशेषकर लम्बी दूरी की एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों के सही समय पर चलाना सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पर्याप्त डिब्बों की व्यवस्था करेंगी ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) दिसम्बर 88/जनवरी 89 के दौरान केवल दो बार यह गाड़ी रद्द की गयी थी ।

(ख) मार्ग में दुर्घटना हो जाने के कारण ।

(ग) ऐसा करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

- प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रदर्शनी

3210. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री वी० तुलसीराम : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में प्रौद्योगिकी संबंधी प्रदर्शनी लगायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो लगायी जाने वाली ऐसी प्रदर्शनियों का राज्यवार ब्यौरा तथा संख्या क्या है;

(ग) कृषि, जनसंख्या और रोजगार के किन-किन विशेष क्षेत्रों को प्रदर्शित किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को प्रदर्शनियों के लिए नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान की तरह राज्यों में स्थानों का चयन करने का निर्देश दिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) भारत की स्वतन्त्रता की 40 वीं वर्ष गांठ समारोह और जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में "नेहरू और विज्ञान" शीर्षक के अन्तर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति का चित्रण करते हुए प्रदर्शनियां की जा रही हैं, प्रदर्शनियों की सूची नीचे दी गई है :-

1. दिल्ली - 14 नवम्बर से 29 नवम्बर, 1988 तक
2. भोपाल - 11 जनवरी से 25 जनवरी, 1989 तक
3. अहमदाबाद - 8 से 20 मार्च, 1989 तक
4. हैदराबाद - मई, 1989 (अस्थायी)
5. भुवनेश्वर - अगस्त, 1989 (अस्थायी)

(ग) इन प्रदर्शनियों में अनेक विषयों का समावेश होगा और इनमें केन्द्रीय सरकार के सभी प्रमुख विभाग और संगठन शामिल होंगे जैसे : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आणविक ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास, जैव प्रौद्योगिकी, दूर संचार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, कृषि और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आदि ।

(घ) सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों में प्रदर्शनी-कांम्पलैक्स स्थापित करने की उपयोगिता बता दी है ।

सोवियत संघ के साथ संयुक्त उद्यम

3211. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री वी तुलसीराम :
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और सोवियत संघ के बीच संयुक्त उद्यमों के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा ;

(ग) इसके परिणाम स्वरुप भारत को कितना लाभ होने की आशा है ;

(घ) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन राज्यों से निर्यात की जाएगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) सोवियत संघ की पोलित ब्यूरो की स्थानापन्न सदस्या और मन्त्री परिषद की अध्यक्ष श्रीमती ए. पी. बिरुकोवा की 13 से 19 फरवरी, 1989 तक हाल की यात्रा के दौरान भारतीय निजी क्षेत्र के संगठनों और सोवियत उद्यमों के बीच चार संयुक्त उद्यम समझौतों को सैद्धांतिक तौर से अन्तिम रूप दे दिया गया। यह चमड़ा संसाधन, टेनरी तथा पटसन के क्षेत्रों में थे। सम्बन्धित भारतीय निजी पार्टियों को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में सरकार को प्रस्तुत करने हैं। चूंकि यह संयुक्त उद्यम है इसलिए इनपर आधारित कोई निश्चित मदें निर्यात नहीं की जा सकेगी। तथापि, यह विभिन्न राज्यों विशेषकर, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, आदि से चमड़ा मदों और पटसन मदों के निर्यात में सहायक सिद्ध होंगे।

मीटर गेज रेलमार्गों की रेल लाइनों को बदलना

3212. **श्री के० राममूर्ति :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर गेज रेल लाइनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए रेल विभाग द्वारा किये जा रहे पांच "मिशन ओरिएन्टेड" कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 25,000 कि.मी. में फैली मीटर गेज रेल लाइनों और मौजूदा 650 इंजनों को बदलने के लिए दस वर्ष पूर्व तैयार की गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी विकास योजना में चुने गये पाँच मिशनों में से एक मिशन मीटर आमान की प्रणालियों के उन्नयन के लिये प्रौद्योगिकी के विकास से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत यात्री तथा मालगाड़ी सेवाएं और यानान्तरण सुविधाएं आती हैं। मीटर आमान के उन्नयन का उद्देश्य अधिक रफ्तार वाली गाड़ियां तथा अधिक धुरा भार वाले माल डिब्बों की जरूरतों को पूरा करने के लिये आरम्भ की जा रही गतिविधियों में निम्नलिखित गतिविधियों शामिल हैं :-

(1) अधिक तेज रफ्तार वाली यात्री गाड़ियों तथा भारी माल गाड़ियों के लिए मीटर आमान के कुछ मार्गों का उन्नयन;

(2) बेहतर माल डिब्बा बोगियों तथा कपतरों से युक्त अधिक धुरा भार वाले माल डिब्बों का अभिकल्प तैयार करना ताकि वे 75 कि. मी. प्रति घन्टे की रफ्तार से चलायी जाने वाली गाड़ियों के लिये उपयुक्त हो सकें ।

(3) 2200 अश्व शक्ति वाले रेल इन्जनों का अभिकल्प तथा आशोधन जो 120 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार तक गाड़ियां कर्षित करने में सक्षम हों ; और

(4) मीटर लाइन के उच्च गति वाले सवारी डिब्बों का अभिकल्प तथा निर्माण तथा जो 110-120 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी के लिए उपयुक्त हों ।

(ख) "मीटर लाइन परिचालन समिति" (नायर समिति), जिसने मई, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, की सिफारिशों पर यातायात में वृद्धि तथा संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई थी । तदनुसार अब मीटर लाइन प्रणाली के उन्नयन को उच्चतर प्राथमिकता दी जा रही है, जहां तक 31-3-1988 तक 10 वर्ष की अवधि में मीटर लाइन के भाप रेल इंजनों को बदलने का सम्बन्ध है, 1070 रेल इंजन सेवा से हटा दिये गये हैं तथा शेष 1896 रेल इंजनों को सन् 2000 तक सेवा से हटा दिया जायेगा ।

बैंक अधिकारियों द्वारा हड़ताल

3213. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक अधिकारियों ने 25 जनवरी, 1988 और 25 जनवरी 1989 को भी हड़ताल की थी ;

(ख) क्या "काम नहीं तो वेतन नहीं" नियम के अनुसार वेतन में कटौती की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन बैंकों का बैंकवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने वेतन में कटौती का नियम लागू नहीं किया और यह कितने अधिकारियों के मामले में लागू नहीं किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा बैंकों के नाम जारी स्थायी अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ, दोषी बैंक कर्मचारियों के लिये "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त पर वेतन पर कटौती करने का प्रावधान किया गया है । बैंकों से आवश्यकतानुसार इन अनुदेशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है । इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है कि क्या सभी बैंकों द्वारा सरकार के अनुदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगलादेश के साथ संयुक्त उद्यम

3214. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री हरिहर सोरन :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में संयुक्त उद्यम की स्थापना करने की संभावना के बारे में चर्चा करने के लिये बंगला देश से एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने हाल ही में दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो बंगला देश के शिष्टमण्डल के साथ इस सम्बन्ध में हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस वार्ता का क्या परिणाम निकले ;

(घ) किन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिये इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हाँ। ढाका के मैट्रोपालिटिन चैम्बर आफ कामर्स ऐण्ड इन्डस्ट्री के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 19 से 22 फरवरी 1988 तक भारत की यात्रा की।

(ख) से (घ) प्रतिनिधि मण्डल ने कान्फडरेशन आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, पी एच डी चैम्बर आफ कामर्स, फेडरेशन आफ इन्डियन चैम्बर आफ कामर्स ऐन्ड इन्डस्ट्री से विचार विमर्श किया और भारतीय इन्जीनियरी व्यापार मेले को देखा। प्रतिनिधिमन्डल ने बंगला देश गैस पर आधारित उद्योगों, चमड़ा, वस्त्र आदि क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की रुचि दिखाई। वे परिष्कृत उत्पादों की भारत द्वारा वापिसी खरीद या उत्पादों को तीसरे देशों को निर्यात करने के भी इच्छुक थे।

(ङ) आशा की जाती है कि नई दिल्ली में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप वर्ष 1988-89 और 1989-90 में भारत और बंगला देश के व्यापारी अपने हितों की रक्षा लिये आपस में संबंध बनाए रहेंगे।

तमिलनाडु एक्सप्रेस और जी० टी० एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का देर से चलना

3219. **श्री आर० जीवरत्नम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण को जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस और जी. टी. एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पिछले तीन महीनों से अपने गन्तव्य स्थान पर प्रायः निर्धारित समय से कई घंटे देरी से पहुंचती है ;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों के देरी से चलने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन रेलगाड़ियों को मद्रास और नई दिल्ली से समय पर चलाने की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) विद्युतीकरण का कार्य, जंजीर खींचना और उपस्कर फेल होना ।

(ग) उत्तर-दक्षिण मार्ग पर विद्युतीकरण कार्य के पूरा होते ही समय पालन में शीघ्र सुधार हो जायेगा ।

जाजपुर-क्योंझर में ऊपरि पुल का निर्माण

3220. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जाजपुर क्योंझर सड़क पर ऊपरि पुल के निर्माण सम्बन्धी अनुमानों पर राज्य सरकार की सहमति प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

काला धन और सोना जब्त किया जाना

3221. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले छः महीने के दौरान उत्तर भारत में मारे गये छापों से लगभग कितने मूल्य का काला धन और सोना जब्त किया है; और

(ख) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान देश में आयकर विभाग द्वारा 8958.84 लाख रुपये की लेखा बाह्य परिसम्पत्ति (नकदी, गहने, इत्यादि) तथा स्वर्ण नियंत्रण व तस्करी-निवारण प्राधिकारियों द्वारा 171.77 करोड़ रुपये मूल्य का 5154 किलोग्राम सोना पकड़ा ;

(ख) काले धन की उत्पत्ति पर नियंत्रण रखने के लिये, समय-समय पर आवश्यक एवं यथोचित विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किये जाते हैं ।

कंक्रीट स्लीपर यूनिट, पालघाट

3222. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट स्थित कंक्रीट स्लीपरों का निर्माण करने वाली यूनिट ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार इसकी क्षमता, निर्धारित लक्ष्य और उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं । अभी उत्पादन शुरु नहीं हुआ है ।

(ख) ठेके की शर्तों के अनुसार पहले 10,000 अदद 27 मई, 89 तक सप्लाई किये जाने हैं तथा इसके बाद प्रतिवर्ष कम से कम 65,000 कंक्रीट स्लीपर सप्लाई किये जायेंगे ।

रुग्ण एकक

3223. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून, 1987 और 30 जून, 1988 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्रमश: कितने औद्योगिक एककों को "रुग्ण एकक" के रूप में घोषित किया गया;

(ख) इन तिथियों तक रुग्ण एककों में कितना बैंक ऋण अन्तर्ग्रस्त था;

(ग) क्या इस संबंध में 31 दिसम्बर, 1988 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना हेतु गत दो वर्षों के दौरान इन रुग्ण एककों को क्या लाभ हुआ ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, जून 1987 के अंत में लघु रुग्ण उद्योग एककों, गैर-लघु रुग्ण उद्योग एककों और गैर-लघु उद्योग कमजोर एककों की स्थिति निम्नानुसार ही थी:-

		(करोड़ रुपये में)
	एककों की संख्या	राशि
1. रुग्ण लघु उद्योग एकक	158226	1542.25
2. गैर लघु रुग्ण उद्योग एकक (रुग्ण औद्योगिक कम्पनी विशेष) उपबंध) अधिनियम, 1985 में दी गई परिभाषा के अनुसार)	1057	2680.44
3. गैर लघु उद्योग कमजोर एकक (जो अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते)	655	1515.19

(घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने 15.5.87 से कार्य करना आरम्भ कर दिया था । दिनांक 28.2.89 को उसके द्वारा अनुमोदित, स्वीकृत आदि मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

1. रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुमोदन अर्थात कंपनियां अपनी शुद्ध मालीयत को स्वयं लाभप्रद बना सकती हैं	59
2. स्वीकृत योजनायें	23
3. संबंधित उच्च न्यायालयों को समापन के वास्ते भेजी गई सिफारिशें	16
4. तैयार की गई प्रारुप योजनायें और टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के वास्ते प्रकाशित संक्षिप्त विवरण	19

5. प्रथम दृष्टया यह राय व्यक्त की गई कि यह युक्तिसंगत होगा कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाये तथा कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया जाये/समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जाये 31

6. उच्चतम न्यायालय से संदर्भ का निपटान 1

7. चलाये न जा सकने वाले निपटाये गये मामले 48

कॉफी पर निर्यात-शुल्क

3224. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988 के दौरान कॉफी पर लगाये गये निर्यात-शुल्क में क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) कॉफी पर निर्यात-शुल्क सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कॉफी उत्पादकों से काफी पर निर्यात शुल्क में छूट के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ङ) 18 अगस्त, 1988 से, कॉफी पर निर्यात शुल्क को 1700/-रुपये प्रति मीटरी टन से कम करके 1000/-रुपये प्रति मीटरी टन कर दिया था। कॉफी पर निर्यात शुल्क को समाप्त करने के लिए सरकार को कॉफी-उत्पादकों की विभिन्न एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। कॉफी पर निर्यात शुल्क से 26 अगस्त, 1988 से पूर्णतः छूट दी गई थी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिये लाइसेंस जारी करना

3228. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने ब्रांच लाइसेंसिंग पोलिसी, 1985-90 के द्वितीय चरण को लागू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने की स्वीकृति देने के लिये कोई कदम उठाये गये है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में द्वितीय चरण के दौरान कितनी शाखाएं खोलने का विचार है और हिमाचल प्रदेश में राज्य-वार, ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) कितनी शाखाएं खोली गई और इन लाइसेंसों को कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है तथा उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश में नई शाखाएं खोलने के लिये जारी किये गये है अथवा किये जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने यह परिकल्पना की थी कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति दो चरणों में पूरी की जायेगी। पहला चरण अप्रैल 1985 से मार्च 1988 तक होगा और दूसरा चरण अप्रैल 1988 से मार्च 1990 तक। चूंकि अधिकांश राज्यों से चुने गये केन्द्रों की सूचियां बड़ी देर से मिली थी, इसलिये यह महसूस किया गया कि

आवंटित केन्द्रों में बैंकों को ग्रामीण शाखाएं खोलने के वास्ते बहुत कम समय मिल पायेगा। अतः पात्र केन्द्रों का आवंटन एक बार में पूरा किया गया। फरवरी 1987 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ये अनुदेश दिये कि वर्तमान नीति की शेष अवधि के दौरान आवंटित केन्द्रों में शाखाएं खोलने का काम चरणबद्ध रीति से पूरा किया जाए। ग्रामीण ऋण के प्रयोजन से सेवा क्षेत्र योजना स्वीकार कर लिये जाने के कारण यह जरूरी है कि बैंक इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवंटित केन्द्रों में शीघ्रता से अपनी शाखाएं खोलें। ऐसी स्थिति में शाखा लाईसेंसिंग नीति को दो चरणों में कार्यरूप देने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। लेकिन, वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत आवंटित 5359 ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों में से, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंकों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अब तक 2627 शाखाएं खोली हैं।

सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य में केन्द्रों के आबंटन का काम पूरा हो चुका है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुसार बैंकों को 23 पात्र केन्द्र आवंटित किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय को आवंटित बैंकों के नाम आवश्यक लाइसेंस जारी करने के अनुदेश दे दिये हैं। सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने के लिऐ केन्द्रों का जिलावार और बैंकवार ब्यौरा अनुबन्ध संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखा खोलने के लिए आवंटित केन्द्रों का जिलावार और बैंक वार ब्यौरा

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	जिले का नाम	आवंटित किए गए बैंक का नाम
1.	जासना	ऊना	सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया
2.	मलयवार	बिलासपुर	यूको बैंक
3.	मारोतान	,,	यूको बैंक
4.	बैरछा	सोलन	यूको बैंक
5.	पिंगला	मंडी	पंजाब नैशनल बैंक
6.	बाडु	,,	,, ,, ,,
7.	तेबान	,,	,, ,, ,,
8.	खुफरी	,,	,, ,, ,,
9.	सुधार	,,	,, ,, ,,
10.	महाकाल	,,	,, ,, ,,
11.	घर जामगुला	,,	,, ,, ,,
12.	बालकरुपी	,,	,, ,, ,,
13.	रामलोटी	,,	,, ,, ,,
14.	खंडबारी	,,	,, ,, ,,
15.	नलियान	,,	,, ,, ,,
16.	धारचंदना	शिमला	यूको बैंक
17.	टिक्कर	,,	,, ,,
18.	शिल्लारु	,,	,, ,,
19.	दारगी	,,	,, ,,

20.	पानेश	,,	पंजाब नेशनल बैंक
21.	खतनोल	,,	यूको बैंक
22.	बसेततुर	,,	पंजाब मेशनल बैंक
23.	चैल्ली	,,	,, ,, ,,

हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं खोलना

3229. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंक, यूको बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश के उना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिलों में अपनी शाखाएं खोलने के लिये किन्हीं नये स्थानों का सर्वेक्षण/चयन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के बैंक-वार और जिले-वार नाम क्या हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें कब तक लाइसेंस जारी किये जायेंगे और बैंक शाखाएं कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, यूको बैंक ने हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने के वास्ते कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। अलबत्ता, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने हिमाचल प्रदेश में अपनी-अपनी शाखाएं खोलने के वास्ते प्रस्ताव भेजे हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम	जिले का नाम
भारतीय स्टेट बैंक	घुमारविन	बिलासपुर
	पोंगडेम	कांगड़ा
	नैचौक	मण्डी
	लारजी	कुल्लू
पंजाब नेशनल बैंक	नालजर	हमीरपुर
	काठेग	कांगड़ा
	बनखण्डी	-तदैव-
	नूरपुर	,,
	संसारपुर-टैरेस	,,
	चामुण्डा	,,
	परौर	,,
	मोहाकल	,,
	घल्लौर	,,
	सन्धोल	मण्डी

शमशी	कुल्लू
बजौरा	-तदैव-
नांगरान	ऊना
तेउरी	-तदैव-
नंगल कलां	,,
मारवारी	,,
लहराली	,,
बेहदल	,,

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे चलकर यह भी बताया है कि आमतौर पर, बैंकों का आबंटन नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, राज्य सरकारों से प्राप्त पता लगाये गये केन्द्रों की सूचियों के आधार पर किया जाता है न कि अलग-अलग बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेजे गये केन्द्रों के नामों पर आबंटन के वास्ते इसलिये विचार नहीं किया गया था क्योंकि या तो उन केन्द्रों का पता लगाया ही नहीं गया था और अगर पता लगाया भी गया था तो वे नीति में निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते थे। पंजाब नेशनल बैंक को, उक्त केन्द्रों में से कुछ केन्द्र आबंटित कर दिये गये थे क्योंकि उन केन्द्रों के नाम पता लगाये गये केन्द्रों की सूची में शामिल थे और वे नीति में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते थे। उन केन्द्रों के जिलेवार नाम और शाखाएं खोलने की तारीख नीचे दी गयीं हैं :

केन्द्र का नाम	जिले का नाम	शाखा खोलने की तारीख
नालती	हमीरपुर	28-11-1987
बनखण्डी	कांगड़ा	28- 3-1987
संसारपुर-टैरेस	कांगड़ा	30-10-1987
धल्लौर	कांगड़ा	24-12-1987
सन्धोल	मण्डी	11-12-1987
बेहदल	ऊना	12- 9-1988

शिमला मेल को पुनः चालू करना

3230. **प्रो० नारायणचन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को शिमला मेल को फिर से चालू करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जो कालका और अमृतसर/पठानकोट के बीच सम्पर्क स्थापित करती है; और

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, हरियाणा, पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर के लोगों को, जो एक राज्य के दूरस्थ जिलों से दूसरे राज्य के दूरस्थ जिलों की यात्रा करते हैं, को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस रेलगाड़ी को कब से पुनः चालू किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के परिसर में भारतीय स्टेट बैंक की विस्तार शाखा खोलना

3231. **प्रो० नारायणचन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के परिसर में भारतीय स्टेट बैंक की विस्तार शाखा खोलने का लाइसेंस प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस किस तारीख को दिया गया है तथा विस्तार शाखा कब तक खोली जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा विस्तार शाखा के लिये कब तक लाइसेंस दिया जायेगा तथा इसे कब तक खोला जायेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के परिसर में विस्तार काउन्टर खोलने के भारतीय स्टेट बैंक के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय को पहले ही अपेक्षित लाइसेंस जारी करने के लिये अनुदेश दे दिये हैं।

पोटेशियम पेनिसिलीन-V के लिये आयात लाइसेंस

3232. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान पोटेशियम पेनिसिलीन-V फस्ट क्रिस्टल का आयात करने के लिये किन-किन कम्पनियों को लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम द्वारा इस संबंध में तकनीकी निरीक्षण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कम्पनियों ने तकनीकी निरीक्षण के पश्चात वर्ष 1988-89 में एन्जाइम का और भी आयात किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) मै. जक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स लि. नामक एक लघु एकक को 6 महीने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 1988-89 के दौरान पेन्सिलिन-V फर्स्ट क्रिस्टल का 75 एम एम यू का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस दिया गया है।

(ख) और (ग) रसायन और पैट्रोकैमिकल्स विभाग ने इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. आई डी पी एल के तकनीशियनों के जरिये मै. जक्सनपाल फार्मास्यूटिकल्स लि. के संयंत्र का निरीक्षण कराया था। आई डी पी एल द्वारा दिनांक 6.11.1988 को प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

(1) मै. जक्सनपाल ने डेन्मार्क की नोवा इण्डस्ट्री (व्यापार का नाम श्रेमासिल्स टी एम) द्वारा सप्लाई की गई पेनिसिलिन-वी एकिलैस को अंगीकार किया है। यह कम्पनी अपने एन्जाइम के प्रयोग के लिये अपेक्षित उपस्कर और संयंत्र के विवरण प्रदान करती है : संयंत्र की संरचना आई आई टी, दिल्ली के डा. सरकार और डा. रामचन्द्रन की सलाह के अनुसार की गई है। दौरे के समय संयंत्र बंदपड़ा था और दीवाली की छुट्टी के बाद पुनः खुलना निर्धारित था :

(2) कुछ परिवर्तन और समायोजन करके संयंत्र के निश्चित रुप से पेन्सिलिन जी एकिलैस के प्रयोग के लिये उपयोगी बनाया जा सकता है। चूंकि उनके पास नोवो पेन्सिलिन वी एकिलैस का पहले ही स्टाक है इसलिये उन्हें पेन्सिलिन वी की तब तक आवश्यकता नहीं पड़ती जब तक एन्जाइम का वर्तमान बैच प्रयोग नहीं हो जाता है।

(घ) और (ड) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

तस्करी व्यय

3236. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी व्यय में कटौती करने के लिए कुछ निर्धनता उन्मूलन योजनाओं का कार्यान्वयन छोड़ने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी तिर्धनता उन्मूलन योजनाओं का कार्यान्वयन छोड़ दिए जाने की संभावना है/वस्तुत छोड़ा जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नही। ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खारापन समाप्त करने के संयंत्रों की स्थापना

3241. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री जल का खारापन दूर करने और इसे पेय जल में बदलने के लिये अब तक देश में खारापन समाप्त करने के कितने संयन्त्रों की स्थापना की गई है ;

(ग) इन संयन्त्रों के स्थापना स्थल कहां हैं ;

(ग) इनमें प्रत्येक संयन्त्र की क्षमता कितनी है ;

(घ) क्या देश में खारापन समाप्त करने के ऐसे और अधिक संयन्त्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इसके लिये चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) शहरी विकास मन्त्रालय ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु नामक चार राज्यों के 8 गांवों में 8

निरुपण विलवणीकरण संयन्त्रों को प्रतिष्ठापित करने के वास्ते 24 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन्हें प्रत्येक राज्य के दो गांवों में प्रतिष्ठापित किया गया है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यातक एककों के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना

3242. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों ने विलम्ब से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान पर वाणिज्यिक बैंकों के जरिये निर्यातक एककों के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) दिल्ली एक्सपोर्टस एसोशिएशन ने भारतीय रिजर्व बैंक के बजाए बैंकों से विदेशी मुद्रा दिये जाने के लिए व्यापी (ब्लॉकेट) परमिट जारी करने का अनुरोध किया था। इस सुझाव की भारतीय रिजर्व बैंक ने जांच की है और इसे स्वीकार्य नहीं पाया।

रेलवे बांड (विदेशी धारक)

3243. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी ग्राहकों को रेलवे द्वारा जारी बांड खरीदने की अनुमति देने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे बाण्ड जारी करने के शासी विवरण पत्र के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार विदेशी नागरिक निगम द्वारा जारी किये गये बांडों को खरीदने के हकदार नहीं हैं। इस शर्त में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शेयर बाजार की आन्तरिक जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा शेयरों का क्रय-विक्रय

3244. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर बाजारों की आन्तरिक जानकारी रखने वाले व्यक्यिों द्वारा शेयर बाजारों में शेयरों का क्रय-विक्रय करना पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या शेयर बाजार की आन्तरिक जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा शेयरों का क्रय विक्रय करने को रोकने के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) शेयर बाजार की आन्तरिक जानकारी रखने वाले उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकेविरुद्ध शेयरों का क्रय-विक्रय करने के लिये मामला दर्ज किया गया है और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) शेयर बाजारों में अन्तरंग क्रय-विक्रय को समाप्त करने के लिये सतत-प्रयत्न किया जाता है।

(ख) से (घ) शेयर बाजार और सम्बंध कम्पनी के मध्य सूचीबद्धता संबंधी करार के अन्तर्गत यह व्यवस्था मौजूद है कि बोनस, प्रीमियम सहित अथवा बिना प्रीमियम के अधिकारिक निर्गम (राइट इम्यु) लाभांश, कार्यचालन विषयक परिणामों आदि के संबंध में की गई किसी घोषणा के बारे में संबंधित शेयर बाजार को सूचित किया जाएगा।

इसके अलावा कदाचारों पर, जिनमें अन्तरंग व्यापार भी शामिल है, नियन्त्रण रखने के लिये, शेयर बाजारों में निगरानी समितियां/दल व्यापार स्थल पर ही मौजूद रहते हैं।

आशा है कि भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड अन्तरंग व्यापार के रोकथाम के उपायों को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं कार्रवाई करेगा।

निर्यात संवर्धन जोन से निर्यात किये गये माल पर मूल्य-वर्धन प्रावधान का पालन

3245. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन जोन क्षेत्रों द्वारा निर्यात किये गये सामान पर मूल्य-वर्धन प्रावधान का सामान्यतः पालन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात संवर्धन जोन क्षेत्रों से गुजरने वाले माल पर कम स्तर पर मूल्य-वर्धन की छूट दिये जाने की मांग की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न कारणों से मूल्य वर्धन में कटौती के लिये कुछ अनुरोध प्राप्त हुए एकक पर लागू संगत मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रत्येक मामले में मूल्य वर्धन निर्धारित करती है। इन मान दण्डों के संदर्भ मे अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है।

जीवन बीमा निगम की व्ययगत पालिसियों का पुनर्वर्गीकरण

3246. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जनवरी, 1989 को 'व्ययगत पालिसी पुनर्वर्गीकरण मास' घोषित किया है;

(ख) क्या पुनर्वर्गीकरण हेतु कोई विशेष सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार व्ययगत पालिसियों के पुनर्वर्गीकरण के लिए शर्तों में छूट देने अथवा उन्हें व्ययगत न होने देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एजुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 दिसम्बर, 1988 से 28 फरवरी, 1989 तक एक विशेष पुनः प्रवर्तन अभियान चलाया था, जिसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 1989 तक कर दी गई है।

(ख) जी, हां। ब्याज की दर और अच्छे स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण के सम्बन्ध में रियायतें दी गई हैं।

(ग) जीवन बीमा निगम को पालिसीधारकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है।

(घ) पालिसियों के व्ययगत होने से रोकने के लिए निगम द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं। व्ययगत पालिसियों के पुनः प्रवर्तन के बारे में मौजूदा शर्तें बिल्कुल उचित हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समय-समय पर आयोजित विशेष पुनः प्रवर्तन अभियानों के दौरान ब्याज की दर और अच्छे स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत करने में रियायतें प्रदान की जाती हैं।

चुरहट बाल कल्याण सोसाइटी को आयकर से छूट

3247. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुरहट सोसायटी की बाल कल्याण लाटरी का धर्मार्थ निकाय होने के कारण इसे आयकर से छुट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोसाइटी ने 4·6 करोड़ रुपए के इनाम घोषित किए थे, यद्यपि इसने केवल 57·5 लाख रुपए के इनाम दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सोसाइटी के लेखाओं की जांच के पश्चात् उसकी ओर एक करोड़ रुपए से भी अधिक के आयकर की देनदारी का निर्धारण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि का कर वसूल किया गया और क्या सोसाइटी को आयकर से निरन्तर छूट देते रहना उचित है।

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां। चुरहट चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की आय (लाटरी से प्राप्त होने वाली आय सहित) पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23–ग) (iv) के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष 1984–85 से 1988–89 तक के लिए छूट प्राप्त है।

(ख) ये आंकड़े सही नहीं हैं। तथापि, घोषित किए गए पुरस्कारों और अदा किए गए पुरस्कारों की राशि के बीच अन्तर होने की सूचना मिली है। चूंकि मुकदमेबाजी चल रही है, इसलिए सही आंकड़ों का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) और (घ) चूंकि चुरहट चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1988–89 तक के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23–ग) (iv) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए अधिसूचित किया गया है इसलिए उसका उक्त वर्षों के लिए आयकर निर्धारित नहीं किया गया है।

सोसाइटी ने आयकर अधिनियम की धारा 10 (23–ग) (iv) के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 के बाद आयकर छूट को जारी रखने के लिए अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है।

औषधों का निर्यात

3248. **श्री शान्तिलाल पटेल** :

श्री जी० एस० बासवराजू : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने मूल्य की औषधों का निर्यात किया गया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में निर्धारित किये गये लक्ष्य से अधिक निर्यात किया गया;

(ग) यदि हां, तो कितना अधिक निर्यात किया गया; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान 235·50 करोड़ रुपए मूल्य के औषधों के निर्यात किए गए थे जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1987 के दौरान 105·10 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात किए गए।

(स्रोत : मूल रसायन, भेशज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई)

(ख) जी, नहीं। अप्रैल-दिमम्बर, 1988 के लिए यथा अनुपात लक्ष्य 255 करोड़ रुपए का था।

(ग) और (घ) प्रश्न नही उठते।

जापान को निर्यात किए गए लौह अयस्क का मूल्य

3249. **श्री शान्तिलाल पटेल :**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत से आयात किए गए लौह अयस्क के मूल्य में वृद्धि करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम के किसी दल ने इस सम्बन्ध में जापान का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) खनिज एवं धातु व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि मंडल ने जापान का दौरा किया और वर्ष 1989-90 के लिए जापान के लौह अयस्क निर्यात की कीमतें और मात्राएं तय करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1988 में जापानी स्टील मिलों के साथ विचार विमर्श किया। इसके परिणामस्वरूप लौह अयस्क का निर्यात वर्ष 1988-89 में 112 लाख मी. टन से बढ़ाकर वर्ष 1989-90 से 112 लाख मी. टन किया जाना सम्भव हो सका है (इसमें कुडेमुख लौह अयस्क सान्द्रण शामिल हैं)। इसके अलावा 12 लाख मी. टर की वैकल्पिक मात्रा भी उपलब्ध कराई गई है। जापानी स्टील मिलों के सभी अयस्कों के लिए, जिसमें कुडेमुख सान्द्रण भी शामिल हैं। औसत कीमत 15·82% बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है।

भुवनेश्वर में निर्यात प्रसंस्करण मंडल

3258. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने निर्यात प्रसंस्करण मंडल स्थापित किये गये हैं और प्रत्येश को किस तारीख को मंजूरी दी गयी थी ;

(ख) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक निर्यात प्रसंस्करण मंडल स्थापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) देश में 6 निर्यात संसाधन जोनों की स्थापना की गई है जिनके ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

		मंजूरी की तारीख
1.	कांडला युक्त व्यापार जोन, गांधीधाम, कच्छ ।	21-2-1963
2.	सांताकुज इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन जोन, बम्बई ।	17-11-1972
3.	मद्रास निर्यात संसाधन जोन, मद्रास	28-6-1983
4.	फाल्टा निर्यात संसाधन जोन, फाल्टा (प० बंगाल)	28-6-1983
5.	नौयडा निर्यात संसाधन जोन, नौयडा (उत्तर प्रदेश)	28-6-1983
6.	कौचीन निर्यात संसाधन जोन, कौचीन ।	28-6-1983

विशाखापतनम में एक सातवें निर्यात संसाधन जोन की स्वीकृति 8-3-1989 को दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) परियोजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, 12 करोड़ रुपये की लागत का अवस्थापना सम्बन्धी विकास का प्रावधान है । इसमें 10 वर्षों में 100 करोड़ रुपये से वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक एयर कार्गो कम्पलैक्स भी शामिल है और इससे 42 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होगी । उत्पादन की प्रस्तावित मदें हैं : इलैक्ट्रानिक्स, सिले-सिलाए परिधान, समुद्री उत्पाद इंजीनियरी उत्पाद, हस्तशिल्प, लकड़ी पर आधारित मदें, चमड़ा उत्पाद, मशीन औजार, हाथ के औजार, प्रेषण तथा हार्डिंग मशीन, अल्यूमिनियम उत्पाद आदि । इनसे 10,000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ।

(घ) भुवनेश्वर में निर्यात संसाधन जोन की स्थापना के लिए तभी विचार किया जा सकता है जब अधिक निर्यात संसाधन जोन स्थापित करना आवश्यक समझा जाये और इसके अलावा सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने की स्थिति में भी हो ।

उड़ीसा में सुवर्ण रेखा परियोजना का सिंचाई लक्ष्य

3259. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1991 तक सुवर्ण रेखा अन्तरांज्यीय सिंचाई परियोजना के माध्यम से कितनी हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी ;

(ख) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या कार्य की गति निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है ; और

(घ) यदि नहीं, तो परियोजना के शीघ्र निर्माण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) आठवीं योजना के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुसार, वर्ष 1991 तक लगभग 2300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) से (घ) मुख्य नहर तथा वितरण प्रणाली पर कार्य प्रारम्भिक स्तरों पर है। राज्य सरकार का प्रस्ताव आने वाले वर्षों में परिव्यय बढ़ाने का है ।

गैर-परम्परागत राज्यों में चाय और काफी की खेती

3260. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गैर-परम्परागत राज्यों में रोजगार देने तथा निर्यात के लिए चाय और काफी की खेती करने का कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार चाय और काफी की खेती ऐसी भूमि पर करने का है जो आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र से तो बाहर है परन्तु इन राज्यों में अधिकार अभिलेख में जिसकी प्रविष्टि 'वन' भूमि के रूप में है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक चाय का सम्बन्ध है चाय बोर्ड वर्ष 1982-83 से नये चाय एकक वित्त-पोषण योजना चला रहा है। जिसका उद्देश्य उन गैर-परम्परागत क्षेत्रों के चाय की खेती में नए चाय क्षेत्रों को शामिल कर उत्पादन में वृद्धि करना है जो मूल रूप से पिछड़े हैं और जहां अनुसूचित जाति तथा पिछड़े समुदाय के लोग बसे हैं ।

जहां तक चाय का सम्बन्ध है, सातवीं योजनावधि 1985-90 के दौरान गैर-परम्परागत क्षेत्रों में काफी की खेती में 15000 हेक्टेयर भूमि शामिल किये जाने की संभावना है, इसके फलस्वरूप 48750 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।

(ग) और (घ) ग्रेड बाहर की गई वन-भूमि में चाय तथा काफी के बागान लगाना वन्य संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अधीन क्लीयरेंस के अध्यधीन होता है ।

मणिपुर के जिला मुख्यालयों में बैंक की सुविधाएं

3264. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के उखरूल, तमेंगलौंग, सेनापति, चन्देल, चुराचांदपुर थौबल और बिशेनपुर जिला मुख्यालयों में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया तथा राज्य के लीड बैंक से व्यवस्था कर ट्रेजरी/बैंक सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ट्रेजरी सुविधाओं के अभाव में दूरदराज के जिलों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालयों में उक्त सुविधायें प्रदान करके के लिए लीड बैंक को निदेश जारी करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) मणिपुर के जिलों के लिए अग्रणी बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसने मणिपुर के निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में ट्रेजरी/बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराई हैं :-

जिले का नाम	बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध कराए जाने की तारीख	ट्रेजरी सुविधायें उपलब्ध कराए जाने की तारीख
उखरूल	18-6-1971	—
तमेंगलोंग	24-12-1976	—
चुराचांदपुर	21-9-1970	1978
थौबल	14-11-1972	1986

जहां तक मणिपुर के अन्य जिला मुख्यालयों का सम्बन्ध है यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया को राज्य सरकार से ये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

आर्किड का निर्यात

3265. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के दुर्लभ आर्किड के निर्यात की वर्तमान स्थिति/व्यवस्था, इस कार्य में शामिल एजेंसियों तथा विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित धन-राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मणिपुर तथा निकटस्थ राज्यों, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम से दुर्लभ आर्किड के निर्यात के प्रस्ताव लेकर आने वाली एजेंसियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) (क) : चालू निर्यात नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित को छोड़कर आर्किड की सभी किस्मों के निर्यात की अनुमति दी जाती है :-

1. जंगली आर्किड
2. बरबई अरिस्टेटा
3. एक्लीटम हैटरोफीलम
4. कोपटिस टीटा
5. डिस्कोरिया डेलटोयडिया
6. जेनटीना कुरया

7. नारडोस्टाचीस जटमांसी
8. फोलोकियमा प्रैल्टा
9. पौडोफीलम हेक्सनड्रम
10. नेवलटीया सर्वमलिया

आर्किड का निर्यात सामान्यतया अलग-अलग निर्यातकों द्वारा किया जाता है। निर्यात से अर्जित आय का कोई राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है। फिर भी 1986-87 के दौरान आर्किड के निर्यात से अनन्तिम रूप से 10.30 लाख रुपये की आय हुई।

(ख) और (ग) बीज विकास पर सरकार की नई नीति, जो बीज के अच्छे किस्म, अन्य पौध सामिग्री आदि के आयात में मदद करती है, इस दिशा में एक कदम है। एपीडा आर्किड के इच्छुक निर्यातकों को बाजार सम्बन्धी सूचना प्रदान करने, बाजार विकास, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग विकास आदि के जरिए प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान करता है।

मणिपुरी में केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद

3266. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का मणिपुरी राज्य की राजभाषा मणिपुरी में, जिसे साहित्य अकादमी से एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार, केवल उस भाषा में, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित है और जो किसी राज्य की राजभाषा के रूप में भी घोषित की जा चुकी है, केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने के लिए वचनबद्ध है।

परिष्कृत कपड़े के जूतों का आयात

3267. **श्री एन० डेनिस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परिष्कृत चमड़े के जूतों का आयात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का किन-किन देशों से आयात किया जाता है और गत दो वर्षों के दौरान कितनी वस्तुओं का आयात किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों द्वारा रबड़ का आयात

3268. **श्री एम० डेनिस :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन उद्योगों को रबड़ आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) उनके द्वारा इस अनुमति का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ का आयात राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) के जरिए सारिणीबद्ध किया जाता है तथा वह ऐसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को वितरित किया जाता है क्योंकि वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं। संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों को ऐसे माल की उपयोगिता सुनिश्चित करनी पड़ती है।

विज्ञापन एजेन्सियों पर छापे

[हिन्दी]

3269. **श्री मदन पांडे :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में काले धन में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर विभाग ने इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान विज्ञापन एजेन्सियों पर छापे मारे हैं;

(ग) क्या इन एजेंसियों से अघोषित धन के रूप में भारी धन-राशि बरामद हुई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और सरकार का इन एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : काले धन की राशि के बारे में कोई अधिकृत अनुमान उपलब्ध न होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि देश में काले धन की राशि बढ़ रही है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर विभाग ने अहमदाबाद तथा नई दिल्ली स्थित दो विज्ञापन एजेंसियों के परिसरों की तलाशियां ली हैं। इन तलाशियों के दौरान प्रथम दृष्टया कुल मिलाकर 11.38 लाख रुपए की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई। इन मामलों में प्रत्यक्ष कर अधिनियमों अध्यहीन के उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

समाज में कमजोर तथा गरीब वर्गों के लाभ हेतु बीमा योजनाएँ

3270. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा समाज के कमजोर तथा गरीब वर्गों के लाभ हेतु सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्तर्गत चलाई जा रही बीमा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं में सुधार लाने के संबंध में मन्त्रालय को कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है अथवा लेने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आरम्भ की गई महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

भारतीय साधारण बीमा निगम :

(1) 1985-86 के बजट में, प्रारम्भिक तौर पर, देश के 100 जिलों में लागू करने के लिये, निर्धन परिवारों के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त, 1985 को आरम्भ की गई इस योजना को उसके बाद चरणबद्ध तरीके से देश के 214 जिलों में लागू कर दिया गया था। 15 अगस्त, 1988 से, इस योजना को देश के उन जिलों में भी लागू कर दिया गया है, जो इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं थे, इस प्रकार यह योजना सारे देश में लागू हो गई है। इस योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के वे सभी लोग सम्मिलित हैं, जिनकी वार्षिक आय समग्र स्रोतों से मिलाकर 7,200/-रुपए से अधिक नहीं है। निर्धन परिवारों, जिनमें भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, पारम्परिक शिल्पकार आदि शामिल हैं, के अर्जक सदस्य की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर, मृतक के आश्रितों को 3,000/-रुपए की अदायगी की जाती है। यह योजना भारतीय साधारण बीमा निगम और इकसी चार सहायक कम्पनियों द्वारा प्रशासित की जा रही है तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र भी इस योजना में सक्रिय रूप से सहयोग देते हैं। इस योजना से सम्बन्धित समस्त प्रीमियम लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के लिए अग्नि बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु पहली मई, 1988 से एक झोंपड़ी बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों तथा अन्य अत्याधिक निर्धन परिवारों पर लागू होती है जिनकी वार्षिक आय समग्र स्रोतों से मिलाकर 4,800/-रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना की व्यवस्था के अनुसार, अग्नि के कारण हुई किसी हानि की स्थिति में बीमा कम्पनी बीमित व्यक्ति को झोंपड़ी के लिए अधिकतम 1,000/-रुपये तथा अग्नि के कारण नष्ट हुए झोंपड़ी के सामान के लिए अधिकतम 500/-रुपए की अदायगी करेगी। यह योजना भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना से सम्बन्धित समस्त प्रीमियम लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम :

(3) **भूमिहीन खेतिहर मजदूर सामूहिक बीमा योजना :** इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवार के मुखिया का 1000/-रुपए के लिए बीमा किया जाता है। इस योजना में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर, उसके परिवार को 1000/-रुपए की राशि अदा की जाएगी। इस योजना से सम्बन्धित प्रीमियम की अदायगी केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की जाती है तथा यह योजना सारे देश में लागू है।

(4) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कर्जदार सामूहिक बीमा योजना :** एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्जदार व्यक्तियों का इस योजना के अनुसार 3000/-रुपये की राशि का बीमा किया जाता है। 1-4-1983 से 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले सभी नये कर्जदार

व्यक्तियों को इस योजना में शामिल किया गया है। ऐसे कर्जदार व्यक्ति की, 60 वर्ष की आयु से पूर्व, मृत्यु होने पर उसके परिवार को 3,000/-रुपए की राशि अदा की जाती है तथा यदि कर्जदार की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई हो तो उसके परिवार को 6,000/-रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना के लिए भी, समस्त प्रीमियम लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(5) **सामाजिक सुरक्षा निधि योजनाएं** : जीवन बीमा निगम के एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की है जिससे हथकरघा बुनकरों, रिक्शा चालकों तथा आटो-रिक्शा चालकों से सम्बन्धित सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत की जाने वाली प्रीमियम लागत के 50 प्रतिशत भाग की अदायगी की जाती है। शेष 50 प्रतिशत भाग की अदायगी लाभानुभोगियों अथवा उनकी सहकारी समिति अथवा राज्य सरकार अथवा हथकरघा बोर्ड आदि जैसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा की जाती है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस योजना के अन्तर्गत 3000/-रुपए की राशि की अदायगी की जाती है।

(ख) और (ग) उपर्लिखित सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं में से कुछ योजनाओं में संशोधन/सुधार करने के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। उन सुझावों पर विचार करने के पश्चात उन पर अमल किया गया है।

रुग्ण एककों को बैंक ऋण

[अनुवाद]

3272. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण एककों की बैंक ऋण में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दिसम्बर 1988 के अन्त तक रुग्ण एककों को बैंकों से कितनी धनराशि के ऋण दिये गये ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टें मिलती हैं कि उद्यमी लोग बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए ऐसी नीति अपना रहे हैं जिससे कि उनके एकक रुग्ण समझे जायें ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार का कौन-सी नीति अपनाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के लिए रुग्ण इकाइयों के नाम बकाया राशियों के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	(राशि रोकड़ रुपए)
दिसम्बर 1985	4270.93
दिसम्बर 1986	4874.49
जून 1987 (अद्यतन उपलब्ध)	
रुग्ण इकाइयां	4222.69
कमजोर इकाइयां	1515.19

(जून 1987 के लिए, रुग्ण इकाइयों में रुग्ण औद्योगिक कम्पनी) विशेष उपबन्ध अधिनियम, 1985 में की गई परिभाषा के अनुसार इकाइयों को शामिल किया गया है।)

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर ये अनुदेश दिए हैं जिनमें उनसे अन्य बातों के साथ-साथ, प्रारम्भिक स्तर पर ही रुग्णता का पता लगाने और समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के क्षेत्राधिकार में आने वाली इकाइयों के मामले में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने का प्राधिकार प्राप्त है जिन्होंने बोर्ड के विवेकानुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी की धनराशियों या सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है या जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के सम्बन्ध में अपकरण, दुष्करण अथवा विश्वास भंग के दोषी पाये गए हों।

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही सिंचाई परियोजनाएं

3273. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1988 तक कितनी सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण की पहली किश्त मिलने के बावजूद कितनी सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं ; और

(ग) उनको शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1988 तक विभिन्न राज्यों में 43 सिंचाई परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया इनमें से, 20 निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, जो कि इस समय विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर रही है। इन परियोजनाओं को ऋण सहायता 5 से 7 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है तथा प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करने पर द्विमासिक आधार पर वितरित की जाती है। यह प्रत्याशा है कि इन परियोजनाओं के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त घटक को सम्पूर्ण ऋण प्राप्त करने के बाद पूरा कर दिया जाएगा।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक प्राप्त की गई सहायता का 70 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता के रूप में राज्यों को भेजा जाता है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रबोधन किया जा रहा है तथा राज्य सरकारों को पर्याप्त निधियों के प्रावधान सहित किए जाने वाले विभिन्न क्रियान्वयन उपायों के बारे में समय-समय पर सलाह दी जाती है।

शेयर बाजार में तेजी

3274. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर बाजार में एक अभूतपूर्व तेजी आई है ;

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा इसके कारणों का विश्लेषण किया गया है ;

(ग) क्या स्टाक एक्सचेंज के विशेषज्ञ ने अगले वर्ष इसमें गिरावट आने की आशंका व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का छोटे शेयरधारकों की शेयर बाजार में व्याप्त बड़े पैमाने की सट्टेवाजी से रक्षा करना तथा कम्पनियों द्वारा शेयरों के मूल्यों को मनमाने तरीके से घटाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) शेयर बाजार में कोई अभूतपूर्व तेजी नहीं आई है। प्रमुख शेयर बाजारों में सामान्य शेयरों के (इक्विटी) मूल्यों में 1987-88 की अधिकांश अवधि के दौरान नरमी आ रही थी, किन्तु वर्ष 1988-89 के दौरान फिर से तेजी आ गयी। जैसा कि वर्ष 1989-90 के आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इसके लिये निम्नलिखित कारण बताये हैं : "शेयर बाजार में वृद्धि का कारण आर्थिक विकास में प्रभावशाली वृद्धि, पर्याप्त मानसून निगमित क्षेत्र में सन्तोषजनक परिणाम, प्रभावकारी आर्थिक उपाय, सक्षम प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए नीति में सुधार सम्बन्धी कार्यों को जारी रखना और निवेशकर्ताओं में विश्वास उत्पन्न करना है। वित्तीय संस्थानों द्वारा संग्रह की गई प्रचूर धनराशियों और सांझी निधियों का भी गौण बाजार में व्यापक इक्विटी निर्गमों में निवेश के लिए इस्तेमाल किया गया है।"

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों के विरुध भ्रष्टाचार के कथित आरोप

3276. **श्री एन० वेंकटरत्नम**: क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड (गुंटूर) के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) तम्बाकू बोर्ड के तीन नीलामी अधीक्षकों (एक नीलामी अधीक्षक के खिलाफ दो मामले हैं)। एक सहायक प्रबन्धक (लेखा) और छः क्षेत्र अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

(ग) तम्बाकू बोर्ड में प्रारम्भिक जांच पड़ताल के आधार पर एक नीलामी अधीक्षक, एक सहायक प्रबन्धक (लेखा) और तीन क्षेत्र अधिकारियों के खिलाफ नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड में एक नीलामी अधीक्षक और तीन क्षेत्र अधिकारियों के बारे में प्रारम्भिक जांच जारी है। उसका परीक्षण चल रहा है। एक नीलामी अधीक्षक के खिलाफ शिकायत 9-3-1989 को प्राप्त हुई है तथा बोर्ड में जांच पड़ताल के अधीन है।

सऊदी अरब, इन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन और थाइलैंड के साथ व्यापार

3277. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सबदी अरब, इन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलपिन और थाइलैंड से किये गए आयात का मूल्य क्या है ; और

(ख) इसी अवधि के दौरान इन देशों को किए गए निर्यात का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से सऊदी अरब, इन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलपीन्स तथा थाइलैंड को आयात एवं निर्यात (मूल्य-वार) नीचे दर्शाये गए हैं :

मूल्य करोड़ रु०

देश	आयात*		निर्यात*	
	1986-87	1987-88	1986-87	1987-88
	अ.स.	अ	अ.स.	अ
1. साऊदी अरब	862.53	1386.96	213.56	295.91
2. इण्डोनेशिया	99.35	82.39	23.03	26.56
3. मलेशिया	552.15	819.93	84.83	89.17
4. फिलीपीन्स	5.26	6.75	7.06	20.13
5. थाइलैंड	63.72	63.89	63.49	81.61

अ: अनन्तिम

अ.स. अनिन्तम रूप से संशोधित

* स्रोत ; डी जी सी आई एन्ड, कलकत्ता ।

बैंक डकैतियां

3278. **श्री कमल चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान बैंक लूटने/डकेती की घटनाओं में कुल कितनी धनराशि लूटी गई ;

(ख) लूटे गये बैंकों तथा लूटी गई धनराशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) कितनी धनराशि पुनः प्राप्त की गई/बरामद की गई तथा अब तक डकैती के कितने मामले सुलझाये गए ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) वर्ष 1988 के दौरान देश में हुई डकैतीं/लूट ाट की घटनाओं की संख्या, उनमें अन्तग्रस्त राशि और वसूल की गई राशि का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इन सभी मामलों को पुलिस के पास दर्ज कर वाया गया है जो मामलों की जांच कर रही है ।

विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	डकैतियों/लूटपाटों की संख्या	अन्तर्गस्त राशि (लाख रुपए)	वसूल की गई राशि (लाख रुपए)
1.	इलाहाबाद बैंक	3	1.28	--
2.	आन्ध्र बैंक	2	2.87	0.45
3.	बैंक आफ बड़ौदा	5	8.06	0.05
4.	बैंक आफ इंडिया	6	6.18	1.14
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1	1.00	--
6.	केनरा बैंक	4	7.75	4.40
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	5	6.33	3.14
8.	इंडियन बैंक	1	0.13	0.13
9.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2	1.37	--
10.	न्यू बैंक आफ इंडिया	2	0.18	--
11.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1	1.49	--
12.	पंजाब एन्ड सिंध बैंक	8	8.50	--
13.	पंजाब नेशनल बैंक	12	13.96	1.87
14.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर/जयपुर	1	19.07	--
15.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2	1.07	--
16.	भारतीय स्टेट बैंक	17	26.49	0.11
17.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	4	28.85	5.86
18.	यूको बैंक	6	3.43	0.13
19.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	4	2.55	0.71
20.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2	11.37	--
	जोड़	88	151.93	17.99

(आकड़े अनंतिम)

मारीशस को ऋण

3279. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारीशस को पांचवां ऋण दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की कुल धनराशि कितनी है;

(ग) क्या भारत और मारीशस के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्यमन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) मारीशस सरकार को सरकार से सरकार को आधार पर 5 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने हेतु भारत सरकार और मारीशस सरकार के बीच 2.2.1989 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। मारीशस सरकार को दिया गया सरकार से सरकार को तह पांचवां ऋण है। यह ऋण, ऋण प्राप्त करने वाली सरकार को भारत से पूंजीगत सामान तथा परामर्शी सेवाओं के आयात के लिये उपलब्ध है। इस ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा और इसकी वापसी अदायगी पहली नवम्बर, 1991 से आरम्भ होने वाली 24 छःमाही किस्तों में की जायेगी।

मिस्र को इंजीनियरी सामान का निर्यात

3280. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिस्र अरब गणराज्य को इंजीनियरी सामान का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मिस्र अरब गणराज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य का इंजीनियरी सामान निर्यात किया गया;

(ग) इस देश को वर्ष 1989-90 में कितने मूल्य के इंजीनियरी सामान के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मिस्र अरब गणराज्य को इंजीनियरी माल के निर्यात निम्नलिखित रहें:-

		(करोड़ रु. में) (अनन्तिम)
1985-86	30.90	इलेक्ट्रानिकी माल सहित
1986-87	27.00	
1987-88	25.00	

(ग) और (घ) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने मिस्र अरब गणराज्य हेतु वर्ष 1989-90 के लिये 50.00 करोड़ रु. मूल्य के इंजीनियरी माल का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संबंध में परिषद ने वर्ष 1989-90 के दौरान मिस्र के बाजारों में एकीकृत मांग हेतु ये क्षेत्र अभिज्ञात किये गये हैं:-मोटर-गाड़ी पुर्जे, डीजल इंजिन, पम्प तथा पुर्जे, निर्माण उपस्कर, ट्रैक्टर, पैकिंग मशीनरी, बिजली का अनुषंगी सामान तथा उपकरण, फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चरल्स, बोल्ट तथा नट, हाथ के लघु तथा तराशने के औजार और विद्युत शक्ति की मशीनरी।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और आयात

3281. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कितने प्राकृतिक रबर का उत्पादन और खपत होने की आशा है; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इस कमी को पूरा करने के लिये इसका कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 1989-90 के दौरान अनुमानित उत्पादन एवं खपत क्रमश: 280,000 एम टी तथा 334,000 एम टी होने की आशा है ।

(ख) इस समय एस टी सी को 35,000 एम टी प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के लिये अनन्तिम रुप से प्राधिकृत किया गया है । फिर भी आने वाले महीनों के दौरान वास्तविक आयात रबड़ के उत्पाद तथा इसकी खपत पर निर्भर करते हैं ।

सायाजी एक्सप्रेस को पालघर (पश्चिम रेलवे) पर रोकना

3282. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई चलाई गई "सायाजी एक्सप्रेस" रेलगाड़ी को बड़ोदरा और बम्बई के बीच पश्चिम रेलवे में पालघर पर रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) बायसर और तारापुर जैसे पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों की रेल सुविधा प्रदान करने वाले इस पालघर स्टेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 155/156 सायाजी नगरी एक्स-प्रेस गाड़ियों को पालघर में ठहराने के लिये मांग की गई है ।

(ख) परिचालनिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

बोकारो में रेलवे भूमि के सम्बन्ध में तथाकथित अनियमितता

[हिन्दी]

3283. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग द्वारा बोकारो स्टील सिटी के रेलवे भू-क्षेत्र में "अभिनन्दन टाकीज" के लिये भूमि और अन्य सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा नियमों के अनुसार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है और क्या सरकार का इस मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी/सतर्कता एजेन्सी द्वारा करवाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) रेलवे के सतर्कता संगठन ने यह मामला जांच-पड़ताल के लिये अपने हाथ में ले लिया है तथा दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध उपर्युक्त कार्रवाई की जायेगी ।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण जमा राशि का अनुपात

[अनुवाद]

3284. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण जमा राशि का वर्तमान अनुपात कितना है;

(ख) इस राज्य में इस समय (अद्यतन आकलन के अनुसार) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि और ऋणों में अनुपात की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सितम्बर 1988 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त में उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात 82 प्रतिशत था ।

(ख) सितम्बर 1988 के अन्त में उड़ीसा में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 87.8 प्रतिशत था ।

(ग) दिसम्बर 1985, दिसम्बर 1986 और जून 1987 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उड़ीसा में कमजोर वर्गों को दिये गये बकाया अग्रिमों की रकमें क्रमशः 167.84 करोड़ रुपये, 201.82 करोड़ रुपये तथा 238.29 करोड़ रुपये थी ।

न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामले

3285. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के न्यायालयों में रिश्वतखोरी की घटनाओं सहित भ्रष्टाचार के अनेक मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में इसे रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

टिन का आयात और विवरण

3286. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिन उत्पादक देशों के सात राष्ट्रों के संघ की कार्यकारी समिति ने अपने सदस्य देशों को टिन निर्यात कोटा के संबंध में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में कितनी मात्रा में तथा किस किस्म की टीन का आयात किया जायेगा;

(ग) इसके राज्य-वार वितरण के लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(घ) सामान्य प्रयोग के लिये खुले बाजार में टिन किस मूल्य पर बेचा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) जी हां। परंतु भारत टिन उत्पादक देशों के सात राष्ट्रों के संघ का सदस्य नही है।

(ख) से (घ) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा 99.85 की न्यूनतम शुद्धता वाले अनराट अनएलोयड रिफाइण्ड का आयात वास्तविक प्रयोक्ता के पास पंजीकृत मांग और इस उद्देश्य के लिये रिलीज की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर किया जाता है। आयात के देश कीमतों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट अन्य शर्तों पर निर्भर करते हैं। एम एम टी सी द्वारा आयातित टिन की आपूर्ति पंजीकृत वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) को मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की अध्यक्षता में कार्यरत समिति द्वारा प्रत्येक महीने निर्धारित की गई कीमतों पर की जाती है।

सोने तथा चांदी के व्यापारियों द्वारा बम्बई में बन्द का आव्हान

3287. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सोने तथा चांदी के व्यापारियों द्वारा 13 जनवरी, 1989 से 15 जनवरी, 1989 तक, तीन दिन के "बन्द" का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का रुख क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्यमंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम् का उल्लंघन करने पर, नवम्बर, 1988 से जनवरी, 1989 के दौरान, बम्बई के 10 सोने के व्यापारियों के लाइसेंस निलम्बित किये गये थे। "बन्द" निलम्बन के विरोध में किया गया था तथा उनकी मांग थी कि निलम्बन के इन आदेशों को रद्द किया जाये।

(ग) मामलों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया: मामला यह है कि उक्त सोना-चांदी के व्यापारियों द्वारा अवैध स्रोतों से तस्करी का तथा गैर कानूनी तरीकों से हासिल किया गया सोना प्राप्त करते रहे हैं तथा इस सोने को विभिन्न ग्राहकों से स्वर्णाभूषणों के रुप में खरीद कर प्राप्त किया गया दिखाते रहे हैं। गैर कानूनी रुप से हासिल किये गये ऐसे सोने की मात्रा अनुमानत: बहुत अधिक है। यह सरकार को सुविचारित रुप से तथा इरादतन धोखा देने की योजना का एक हिस्सा है। जांच की समाप्ति पर कानून के अनुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

[12.00 मध्याह्न]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : महोदय, आपकी अनुमति से.....

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ?

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैंने आपको एक पत्र लिखा था और मैंने नियम 184 के अधीन एक सूचना भी दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा टक्कर आयोग की रिपोर्ट के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं, मैंने इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

डा० कृपासिन्धु भाई (सादलपुर) : हमारे माननीय वित्त मन्त्री कुछ दिन पहले बता रहे थे कि हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में 1300 करोड़ रु० की कमी आ गई है इस लिए हम.....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।

डा० कृपासिन्धु भाई : महोदय, मैं दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

डा० कृपासिन्धु भाई : महोदय, आप मुझे नियम 377 के अधीन अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

डा० कृपासिन्धु भाई : महोदय, मैंने आपसे 'सुकिंदा निफल' के बारे में बात की थी।.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे थोड़ा करते हैं। आपको कहूंगा तो कैसे दूसरों को इन्कार करूंगा।

[अनुवाद]

मैं दूसरों को कैसे इन्कार कर सकता हूं ? नहीं कुछ नहीं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, हम इस बारे में चिंतित हैं क्योंकि प्रधान मन्त्री का नाम लिया गया था और पश्चिम बंगाल विधान सभा में एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें उन्हें भूततूर्व प्रधान मन्त्री की हत्या से उन्हें जोड़ा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री सोमनाथ रथ : हम चिंतित हैं क्योंकि प्रधान मन्त्री का नाम लिया गया है। इसलिए हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए।.....(**व्यवधान**).....आप केवल लोकसभा अध्यक्ष ही नहीं हैं बल्कि आप भारतीय सी० पी० ए० के सभापति भी हैं। उस राज्य का विधान सभा अध्यक्ष उस शाखा का सभापति है और इन मामलों पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी विचार होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों में विचार करके इस घटना की इन सम्मेलनों में और इस सभा में भर्त्सना करें।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई पीठासीन अधिकारी ऐसा करता है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री सोमनाथ रथ : हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि प्रधानमन्त्री का नाम लिया गया है। उस राज्य की प्रक्रिया एवं नियम इस सभा की भांति ही हैं। प्रधान मन्त्री का नाम कहां कैसे लिया जा सकता है ? आप इस सभा में किसी मुख्यमन्त्री का नाम लेने की अनुमति नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रथ, आप क्या कर रहे हैं ? आप जानते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह उस सभा के अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। मैं इस सभा का अध्यक्ष हूं न कि वहां का। उन्हें नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। विवेक से ही काम होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए ? प्रत्येक अध्यक्ष अपनी सभा के प्रति उत्तरदायी है और वे सभी स्वायत्तशासी निकाय हैं। उन्हें नियमों के अनुसार विधान मंडलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के हितों का ध्यान रखना है और उन्हें यह कार्य करना चाहिए। यदि कोई गलती करता है तो उन्हें ही उस गलती को दूर करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ? मुझे बताइए कि मुद्दा क्या है ?

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे निवेदन की आवश्यकता नहीं है। आप लिखित रुप में प्रस्ताव मुझे दीजिए और मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री पी० एम० सईद : मैं चिल्लाना नहीं चाहता इसलिये मैं कहता हूं कि

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचारार्थ कोई भी बात मुझे परिवत रूप में दें और मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, कल आपने सभा में एक वक्तव्य दिया था कि विपक्षी दलों द्वारा सभा में भाग न लेने के कारण आपको दुख और खेद है। उन्हें निलम्बित किया गया है। क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? अब जब कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट, इसके महत्व और इससे उत्पन्न विकट स्थिति के बारे में देश भर में अफवाहें हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं ?

श्री पी० एम० सईद : क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि कुछ विपक्षी नेताओं, और प्रधान मन्त्री और सरकार से आप सम्पर्क करें ताकि उन्हें बताया जा सके कि यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित नाजुक मुद्दा सभा में प्रस्तुत किया गया तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए, मैं अपनी सीमायें जानता हूं।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद : आप पहल कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी यही बात कही थी।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नामी) : महोदय, मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। आप मुझ से कुछ भी करा सकते हैं। मेरा पद और सेवायें आपके लिये हैं।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, आपको पुनः प्रयत्न करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भरसक प्रयास किया । मैं अब भी प्रयास कर सकता हूं और हमेशा प्रयासरत रहूंगा ।

श्री पी० एम० सईद : हमारा भी यही कहना हैं, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं । परन्तु ताली दोनों हाथों से बजती है । एक से नहीं । प्रश्न समझौते की इच्छा का है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मिल बैठ कर बात करने का सवाल है । यदि वे बात नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता । मैंने उन्हें और दोनों पक्षों से सभी को बुलाया था । अध्यक्ष विपक्ष के और सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों की सेवा में सदैव तत्पर है । मुझे कोई संकोच नहीं है । मुझे कोई पूर्वधारणा नहीं है । इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है मैं केवल इस संस्था का संचालन करना चाहता हूं । मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं । मेरी सेवायें जैसी हैं, आपको सदैव मिलती रहेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, इस्लामिक राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों ने अब अफगानिस्तान की विद्रोही सरकार को मान्यता दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री बृजमोहन महन्ती : मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए । यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमें भी उस सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कौनसी सरकार को ?

श्री जी० एम० बनातवाला : अफगानिस्तान की मुजतिदीन सरकार को ।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार का कार्य है । मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमें उन्हें मान्यता दे देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका दृष्टिकोण है । बस ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय हाजियों के बारे में मुझे एक निवेदन करना हैं । गत वर्ष.....

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । यह विषय कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है ।

(व्यवधान)*

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इसका सम्बन्ध इस वर्ष की हज यात्रा से है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दे दीजिए ।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

आप मुझे लिखकर दे सकते हैं। मैं उसे देख लूंगा। इस प्रकार मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

12.00 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

बजट प्रस्तावों के सन्दर्भ में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद में परिवर्तन तथा छूट के बारे में अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1982 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 243 (अ) से 335 (अ), जो 1 मार्च 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 28 फरवरी, 1989 को लोक सभा में वित्त मन्त्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष-करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा-शुल्क में परिवर्तन तथा छूट के बारे में हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 7558/89]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 137 (अ) से 242 (अ), जो 1 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 28 फरवरी, 1989 को लोक सभा में वित्त मन्त्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष-करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में परिवर्तन तथा छूट के बारे में हैं, की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 7559/89]

निर्यात निरीक्षण अभिकरण (भर्ती) संशोधन नियम, 1988 आदि तथा भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम का 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1983 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण (भर्ती) संशोधन नियम 1988, जो 31 दिसम्बर 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7560/89)

(2) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) आयात (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1988, जो 16 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 1187 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) का०आ० 1186 (अ), जो 16 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति (ओपजनरल लाइसेंस) संख्या 15/88 में कतिपय संशोधन किए गये है ।

(तीन) का०आ० 175 (अ), जो 24 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति ओपन जनरल लाइसेंस संख्या 4/88 में कतिपय संशोधन किए गये हैं ।

(चार) का०आ० 158 (अ), जो 24 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च 1988 की खुली सामान्य अनुज्ञपप्ति ओपन जनरल लाइसेंस संख्या 9/88 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7561/89]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : .

(एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखानिरीक्षक की टिप्पणियां

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7562/89]

(5) (एक) गर्म मसाला बोर्ड कोचीन के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) गर्म मशाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लेखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7563/89]

12.08 म० प०

लोक सेवा समिति

143 वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : महोदय, मै सामान्य पूल आवास के निर्माण के लिए द्रुत आवास कार्यक्रम के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का एक सौ तेतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.08॥ म० प०

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

21 वां प्रतिवेदन

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : महोदय : मैं आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.09 म० प०

पंजाब बजट 1989-90

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पंजाब बजट पर बिचार करेगी ।

श्री एस० बी० चव्हाण

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतपुर) : महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय पंजाब में व्यय आय तथा परिस्थितियों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें । सामान्यतः मन्त्री ऐसा वक्तव्य देते हैं । इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे वक्तव्य दें ।

12.10 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गद्दवी) : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए पंजाब राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा के पटल पर रख रहा हूं ।

2. संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 मई, 1987 को जारी की गई, उद्घोषणा के परिणाम स्वरूप, पंजाब राज्य के विधान मंडल के अधिकारों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाना है । इसलिए 1989-90 के वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

संशोधित अनुमान 1988-89

3. चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राज्य का कर और कर-भिन्न राजस्व 1185.10 करोड़ रुपए आंका गया है जो बजट अनुमानों की तुलना में 9.25 करोड़ रुपए कम है जिसका

कारण राज्य में अशांत परिस्थितियां बनी रहना है। केन्द्रीय करों, शुल्कों और भारत सरकार से सहायता-अनुदान में राज्य का हिस्सा 177.32 करोड़ रुपए अधिक होकर 528.92 करोड़ रुपए होगा, जबकि बजट में यह राशि 351.60 करोड़ रुपए थी। संशोधित अनुमानों में राजस्व खाते का खर्च 1990.65 करोड़ रुपए आंका गया है जबकि बजट अनुमानों में यह 1785.17 करोड़ रुपए था, 205.48 करोड़ रुपए की वृद्धि, कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के वेतन-मानों में संशोधन करने से उत्पन्न व्यय की अदायगी तथा समाज सेवाओं, अर्थात प्राकृतिक विपदाओं के संबंध में राहत, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति, शहरी विकास तथा पुलिस पर हुए अधिक खर्च के कारण हैं। इसके फलस्वरूप बजट में राजस्व खाते में 239.22 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा अन्ततः 276.63 करोड़ रुपए के घाटे में बदल जायगा।

पूंजी खाते के अन्तर्गत, बजट अनुमानों में 2375.17 करोड़ रुपए की प्राप्तियों की तुलना में 1306.01 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है। लोक खाते के लेन-देनों और प्रारम्भिक घाटे को हिसाब में शामिल करने के बाद, चालू वर्ष के बजट में 76.84 करोड़ रुपए का कुल घाटा होने का अनुमान है जबकि बजट में "शून्य" शेष का अनुमान लगाया गया है।

बजट अनुमान, 1989-90

5. 1980.86 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है जो 1988-89 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 266.84 करोड़ रुपए की वृद्धि का द्योतक है। राज्य की कर और कर-भिन्न प्राप्तियां 1988-89 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 257.78 करोड़ रुपए अधिक, अर्थात 1442.88 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। केन्द्रीय करों और अनुदानों में राज्य का हिस्सा 537.98 करोड़ रुपए है जो वर्ष 1988-89 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 9.06 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्व खाते में 2041.57 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है। जिन क्षेत्रों में व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है, वे हैं : पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, परिवार कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति, कृषि लघु सिंचाई, सामुदायिक विकास और परिवहन सेवाएं।

6. पूंजी खाते के अंतर्गत 1896.4 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है और ऋणों तथा अग्रिमों सहित व्यय सहित व्यय 1891.74 करोड़ रुपए का आंका गया है। राजस्व खाते, पूंजीगत खाते और लोक खाते को ध्यान में रखते हुए लेन-देनों के संबंध में वर्ष 1989-90 का बजट संतुलित है, इसमें पिछले वर्ष से लाए गए 76.84 करोड़ रुपए के घाटे को अपरिवर्तित रखा गया है।

आयोजना परिव्यय

7. वर्ष 1989-90 के लिए राज्य का आयोजनागत परिव्यय 789 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें नौवें वित्त आयोग के निर्णयानुसार विशेष समस्याओं के लिए 89.01 करोड़ रुपए के अनुदान शामिल हैं। वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 36.62 करोड़

रुपए होगी। वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य को 560.00 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी जायगी। वार्षिक आयोजना में 394.65 करोड़ रुपए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली के लिए 82.27 करोड़ रुपए कृषि और सहकारिता के लिए और 23.65 करोड़ रुपए उद्योग और खनिजों के लिए निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकार चालू परियोजनाओं और उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना जारी रखेगी जिन पर काफी काम पूरा हो चुका है।

लेखानुदान

8. अपेक्षानुसार, वर्ष 1989-90 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है और संबंधित अनुदानों की मांगें अन्य बजट पत्रों के साथ माननीय सदस्यों के बीच परिचालित की जा रही है। मैं इस समय खाद्य वसूली के संबंध में आवश्यकताओं को छोड़कर, जिसके मामले में वार्षिक आवश्यकता स्वीकृत किए जाने की जरूरत है ताकि वसूली का काम जारी रहे, वित्तीय वर्ष 1989-90 के पहले छः महीनों के लिए केवल "लेखानुदान" प्राप्त करने की मांग कर रहा हूं।

12. 13. म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब) 1989-90

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं वर्ष 1988-89 के लिए पंजाब राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.14 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराजगंज मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में शीघ्र बदले जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराजगंज में अत्यन्त पुरानी रेल लाइन थी। मीटरगेज से बड़ी लाइन में मान परिवर्तन के प्रारम्भिक प्रस्ताव में इस लाइन को अन्त में मान परिवर्तन हेतु रखा गया था। लगातार 80 से इस योजना को पूरा करने हेतु मांग करता आया हूं। प्रायः यही जवाब मिला कि अर्थाभाव के कारण इसमें कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। परन्तु इसमें बहुत बड़ी धनराशि लगने का प्रश्न ही नहीं है।

अतः आग्रह है कि रेल मन्त्री जी इस योजना को पूर्ण करने हेतु आदेश दें। यदि इसमें कोई बाधा हो, तो नई रेल लाइन दरौदा से छिवबालिया तक सर्वे करावें।

(दो) हाथकरघा बुनकरों की स्थिति में सुधार किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल कृत्रिम धागों के प्रचलन के कारण हथकरघा निर्मित वस्त्रों की लोकप्रियता घटने लगी है और बुनकर वर्ग भीषण कठिनाई

[श्री मदन माण्डे]

का सामना कर रहा है। सूत के दामों में बेतहासा बढ़ोत्तरी तथा सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद तथा भुतातन संबंधी अनियमितता इस कठिनाई को और अधिक भयंकर रूप दे रही है। हाल ही में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम भी कारगर नहीं सिद्ध हो रहे हैं।

देश के हथकरघा उत्पादन केन्द्र जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित गोरखपुर, खलीलाबाद, मऊनाथ भंजन, टोढ़ा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां लाखों बुनकर उपरोक्त परिस्थिति के कारण भुखमरी से जूझ रहे हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार वस्त्र नीति में उचित संशोधन कर बुनकरों को सस्ते मूल्य पर सूत उपलब्ध कराने तथा उत्पादन के उचित मूल्य पर खरीद और भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करे। गोरखपुर जैसे हथकरघा वस्त्र उत्पादक केन्द्र पर सूत मिल, प्रिंटिंग तथा प्रोसेसिंग व रंगाई संस्त्रों की स्थापना करे तथा गोरखपुर आदि स्थानों पर बुनकरों को आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित किए जाने हेतु हथकरघा नगरों की स्थापना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

(तीन) "विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम" का उड़ीसा के गंजम जिले के सभी खंडों तक विस्तार किये जाने तथा इसे मार्च, 1989 के बाद भी चालू रखे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम उड़ीसा राज्य के खंडों में आरम्भ किया गया है। इनमें से 7 खंड गंजम जिले के हैं जो कि मुख्यतः कृषि प्रधान जिले है इस जिले के व्यक्ति मेहनती किसान हैं जो अक्षरशः कृषि उत्पादन में विश्वास रखते हैं।

गंजम जिले में जहां आजकल विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है, मार्च 1989 में यह समाप्त हो रहा है। चूंकि इस कार्यक्रम की प्रगति प्रशंसनीय है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे मार्च 1989 के बाद भी जारी रखा जाए। इस कार्यक्रम का विस्तार गंजम जिले के सभी खण्डों में किया जाना चाहिए।

गंजम जिले में बार-बार सूखा पड़ता है और अप्रत्याशित जलवायु के कारण कड़ी मेहनत के बाद भी लोगों को वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। यदि विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम का विस्तार इस जिले के सभी खंडों में कर दिया जाए तो इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की उनकी भावना जागृत होगी।

चूंकि कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से चल रहा है, अतः पूरे जिले को इसका लाभ मिलना चाहिए।

(चार) टोंक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को विशेष वित्तीय सहायता अथवा अनुदान दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : उपाध्यक्ष महोतय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भागों में पेयजल की बड़ी भीषण समस्या है। मेरे क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था संबंधी योजनायें अपर्याप्त हैं। पिछले चार वर्षों में वर्षा की कमी के कारण कुंओं में या तो पानी नहीं रहा है या उसका स्तर अत्यन्त नीचे चला गया है। यह राजस्थान प्रदेश की विडम्बना है कि हर वर्ष होने वाले अकाल एवं अन्य दैवी विपदाओं से जूझने में भारी खर्च के कारण राज्य सरकार के पास पेयजल की समस्या सुलझाने हेतु आर्थिक साधनों की भारी कमी है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेषकर टोंक शहर की पेयजल समस्या को दूर करने हेतु एवं प्रत्येक ग्राम में जानवरों के लिए पेयजल की हेतु "खेली" निर्माण हेतु राजस्थान सरकार को विशेष आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जाए।

(पांच) पश्चिम तट नहर को "राष्ट्रीय जलमार्ग" घोषित किये जाने के लिए विधान बनाए जाने, क्विलोन-त्रिवेन्द्रम क्षेत्र में जल माप सम्बन्धी सर्वेक्षण कराये जाने तथा वेली-कोपलम जलमार्ग के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को अन्तिम रूप दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, पश्चिम तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रश्न काफी समय से लंबित है, इस जलमार्ग के कोचीन-क्विलोन क्षेत्र में जल माप संबंधी सर्वेक्षण तथा तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण बहुत समय से पूरा हो चुका है। इसके महत्व को देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए आवश्यक विधान संसद के इसी सत्र में पारित किया जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि इसके साथ साथ जलमाप सम्बन्धी सर्वेक्षण तथा क्विलोन-त्रिवेन्द्रम क्षेत्र में आवश्यक अध्ययन कर लिया जाए जिसके लिए आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं तथा वेली-कोवलम जलमार्ग के लिए पायलट परियोजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए ताकि इसे भी अविलम्ब राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा सके।

(छः) देश में एक विशेष योजना द्वारा टेलिफोन सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के व्यस्त जीवन में टेलीफोन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसी कारण टेलीफोन की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि भी हो रही है। आजादी के समय देश में 321 टेलीफोन एक्सचेन्ज और 12 हजार उपभोक्ता थे और आज 12 हजार से ऊपर एक्सचेन्ज और 38 लाख उपभोक्ता हैं और इस शताब्दी

के अन्त तक दो करोड़ टेलीफोनों की मांग का अनुमान है और आज भी लगभग 16 से 20 लाख लोग टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। यद्यपि सरकार ने इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज आदि लगा कर बिना बाधा के दिल्ली में सन् 1985 में 75.3% टेलीफोन काल पूरे होते थे इस साल वह दर 96.6% कर दिया है। इसी प्रकार एस० टी० डी० की दर भी 34.3% से 75.6% कर दिया है। पिछले वर्ष देश के 206 शहरों को दिल्ली से जोड़ा गया जबकि 13 अन्य देशों तक तक आई० एस० डी० का विस्तार हुआ तथापि देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाना कोई आसान काम नहीं दीखता। आठवीं योजना में टेलीफोनों पर 19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इस अवधि में 50 लाख टेलीफोन और लग सकेंगे जो जनता की मांग को पूरा नहीं कर पायेंगे।

अतः केन्द्रीय संचार मन्त्री जी से मांग करता हूं कि देश में बढ़ती हुई टेलीफोन सेवा की मांग को पूरा करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करें जिससे केवल देश के शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी जहां पर जनता टेलीफोन सेवा प्राप्त करने के लिए काफी उत्सुकता से आशा लगाये बैठी है, उसे भी टेलीफोन सेवा निकट भविष्य में ही उपलब्ध हो जाए।

(सात) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खां की स्मृति में शताब्दी समारोह आयोजित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : महोदय, यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद और बादशाह खान (अब्दुल गफ्फार खां) का शताब्दी वर्ष है। भारत के इन महान सपूतों की स्मृति में समारोह आयोजित करने की दिशा में अभी तक कुछ भी विशेष नहीं किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम खान अब्दुल गफ्फार खां विश्वविद्यालय रखा जाए और प्रमुख राजमार्गों, भवनों, राष्ट्रीय महत्व के शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठनों के नाम भी उनके नाम पर रखे जाएं। किसी भी प्रमुख स्मारक का नाम खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम पर नहीं रखा गया है। इस दिशा में किया गया कोई भी कार्य देश को संगठित करने और इसकी अखंडता तथा धर्म निरपेक्ष परम्पराओं को बनाए रखने में सहायक होगा। इसी तरह मौलाना आजाद के आदर्श भावी पीढ़ियों को भारत की अखंडता, प्रभुसत्ता और धर्म-निरपेक्ष परंपराओं के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगी।

भारत सरकार को मौलाना आजाद और बादशाह खान की स्मृति में देश भर में उचित और सम्मान पूर्ण ढंग से समारोहों का आयोजन करने के सम्बन्ध में पहल करनी चाहिए और सभी राज्य सरकारों की विशेष वित्तीय सहायता देकर ये निर्देश जारी करने चाहिए कि वे इन समारोहों का सही ढंग से आयोजन करें।

(आठ) गोपालगंज (बिहार) में एक श्रम न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार स्थित गोपालगंज जिले में पांच चीनी मिलें, दो कार्ड बोर्ड फैक्ट्री तथा बड़ी संख्या में लघु उद्योग एवं बीड़ी उद्योग स्थित हैं। इन सभी उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की संख्या लगभग 25 हजार से अधिक है लेकिन श्रम मजदूरों को न्याय हेतु गोपालगंज से दो सौ किलोमीटर मुजफ्फरपुर श्रम न्यायालय में जाना पड़ता है। पूर्वी चम्पारन, पश्चिम चम्पारन, सीवान, छपरा गोपालगंज जिले के सीमावर्ती जिले हैं तथा इन जिलों के मजदूरों को भी न्याय हेतु मुजफ्फर ही जाना पड़ता है। गोपालगंज जिला इन सभी जिलों के मध्य में है।

अतः मैं श्रम मन्त्री, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि मजदूरों के सरल न्याय हेतु गोपालगंज में श्रम न्यायालय की स्थापना करने की कृपा करें।

(नौ) उड़ीसा के कटक जिले के सुकिंदा क्षेत्र में प्रस्तावित निकल निष्कर्षण संयन्त्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

डा० कृपासिंधु भोई (संबलपुर) : महोदय, भारत सरकार ने 39.50 करोड़ रुपये की लागत से उड़ीसा में कटक जिले के सुकिंदा क्षेत्र में 5000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले निकल सयंत्र की स्थापना करने के प्रस्ताव को 1974 में स्वीकृति प्रदान की थी। किन्तु तकनीकी कठिनाइयों और संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। कांसा क्षेत्र में निकल तथा सुकंदा घाटी में क्रोम खानों में अयस्क का कुल भंडार 65 मिलियन टन होने का अनुमान है जिसमें निकल आक्साइड की मात्रा 1.2% है। चूंकि भारत के इस वर्ष 150 करोड़ रुपए का निकल आयात किया है और निकल की लागत पिछले वर्ष 7000 डालर प्रति टन थी और इस वर्ष 17,000 डालर है, इसलिए सुकिंदा क्षेत्र में उपलब्ध अयस्क निकल का उत्पादन करना अति आवश्यक है। अन्यथा देश को प्रति वर्ष बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हानि होगी।

विश्व में निकल निष्कर्षण की तीन प्रतिष्ठित प्रणालियां हैं अर्थात शेरेट्ट गार्डन, कनाडा, इंटरनेशनल निकल, कनाडा एड ली निकल, फ्रांस में, यदि इनमें से किसी भी प्रणाली वाले निकल निकर्षण संयत्र की स्थापना की जाए तो यह तकनीकी तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य सिद्ध होगी और एक बार संयन्त्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने पर देश को काफी मात्रा में बिदेशी मुद्रा की बचत होगी। अयस्क के बर्तन भंडार का खनन 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किया जा सकता है, भले ही इसकी कुल क्षमता, 5000 टन को दुगना भी कर दिया जाए। यही समय हैं जब इस्पात और खान मन्त्रालय को योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय को संयंत्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहमत कराना चाहिए। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह बिना और विलम्ब किए सुकिंदा क्षेत्र में निकल निकर्षण संयन्त्र की स्थापना करें।

सामान्य बजट 1989-90 सामान्य चर्चा-जारी

12.27 म. प.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 1989-90 के बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस सदन में 89-90 का जो सामान्य बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, पंडित जवाहर लाल नेहरु के शताब्दी समारोहों के चलते माननीय वित्तमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में अनेकों योजनाओं की घोषणायें की हैं। इसी बजट में उन्होंने बेरोजगारों के लिये 5 सौ करोड़ रुपये की रोजगार योजना बनाई है। लेकिन उन्होंने इसमें 120 जिलों को ही रखा है। यह बहुत ताज्जुब की बात है। हिन्दुस्तान एक बड़ा मुल्क है। और इस मुल्क में सिर्फ 120 जिलों को निकाल कर के गरीबी की समस्या को खत्म करना सम्भव नहीं है।

आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान में गरीबों की संख्या 6 करोड़ 50 लाख से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार संसार में 50 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भरपेट भोजन नही मिलता है। भारत में इनकी संख्या सात करोड़ है। उपरोक्त संस्था के अनुसार 2.79 करोड़ लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। 45 लाख लोग महाराष्ट्र में, 30 लाख लोग पश्चिम बंगाल में, 25 लाख लोग उत्तर प्रदेश में और 18 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं।

उपाध्यक्ष जी आपको ध्यान होगा कि इसी सदन में इसके पूर्व बजट में माननीय तिवारीजी ने ग्रामीणों के विकास के लिये कई घोषणायें की थीं और उन्होंने उस बजट को किसान बजट कह कर इस सदन में प्रस्तुत किया था। हम पिछले चार सालों से प्रति वर्ष बजट आते देख रहे हैं और उनमें घोषणाओं को सुनते आ रहे हैं। लेकिन उन घोषणाओं और योजनाओं का 75 परसेंट लाभ भी गरीबों तक नहीं पहुँचा। हम जो योजनायें इस सदन में गरीबों के लिये बनाते हैं अगर उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुँचेगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम उनका विकास कर रहे हैं। हिन्दुस्तान की 65 फीसदी आबादी जो कि इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य में हाथ बटा सकती है वह पैसे के अभाव में अपने नेता के पास फरियाद भी कर सकती है। जब तक बजट का लाभ गरीबों तक नहीं पहुँचेगा तब तक इस सदन में हम बजट पेश करते रह जायेंगे गरीबों की बात करते रह जायेंगे लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिल पायेगा।

पूर्व बजट में आपने घोषणा की थी कि संचार माध्यम को विकसित किया जायेगा, हमारे विचार में यह था कि टी वी के रेट्स कम किये जायेंगे, लेकिन क्या टी वी के रेट बढ़ाकर ही आप संचार माध्यम का विकास करना चाहते हैं। इसलिये इस कर को वापिस लिया जाये। पहले रेडियो महंगी चीज थी और अमीरों के महलों में ही यह बजा करता था, लेकिन सरकार की सरल नीति के कारण आज गांव-गांव में रेडियो उपलब्ध है, लेकिन टी वी के बारे में इस तरह की नीति होने से आम आदमी को यह उपलब्ध नहीं हो सकेगा, ग्रामीण जनता इसका लाभ नहीं उठा सकेगी। हमारी उम्मीद थी कि इस बजट में केरोसिन, चीनी और नमक का दाम भी घटाया जायेगा क्योंकि गरीब अमीर सब इसका उपयोग करते हैं। आपने स्टील आदि अन्य चीजों के दाम बढ़ाये, लेकिन

यह बात कई बार कही जा चुकी है कि बजट प्रस्तुत करने से पहले उसका आकलन कर लेना चाहिये कि किस उद्योगपति के पास कितनी चीज पड़ी हुई है। आज यह होता है कि बजट आने से पहले उद्योगपति सामान दबाकर रख लेते हैं और बजट आने के बाद लाखों का उससे मुनाफा कमाते हैं, इसलिये आंकलन करवाया जाये कि किस कम्पनी के पास कितना माल पड़ा हुआ है। 1994-95 में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या 20 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन केवल योजनाओं पर धन खर्च करने से इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। योजनाओं का कार्यान्वयन निष्ठापूर्वक करना होगा। बिहार के लिये अनेक योजनायें बनाई गई लेकिन गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया जायेगा तब तक बजट बनाकर और घोषणायें करने से हिन्दुस्तान का गरीब लाभान्वित नहीं होगा। गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में 440 लाख, 46.5 प्रतिशत ग्रामीण और 90.6 लाख, 40.5 प्रतिशत शहरी, बिहार दूसरे नम्बर पर है 329.4 लाख 51.4 प्रतिशत ग्रामीण और 36.1 प्रतिशत शहरी, इसी तरह से मध्य प्रदेश में 46.2 प्रतिशत, उड़ीसा में 42.4प्रतिशत, तमिलनाडु में 29.4 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 29.2 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 36.4 प्रतिशत, कर्नाटक में 35 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। बिहार का इसमें दूसरा स्थान है। मैं जानना चाहता हूं कि कोयल परियोजना बिहार में लम्बे समय से क्यों पड़ी हुई है, उसको धन आवंटित क्यों नहीं किया जाता। इसी तरह से काटी थर्मल पावर प्लांट क्यों पूरा नहीं किया जाता ताकि उत्तर प्रदेश के लोग लाभान्वित हो सकें। आप योजनाओं में पैसा देते हैं लेकिन कोयल परियोजना और काटी परियोजना को पूरा करने का हमारा लक्ष्य क्या था। योजना में राशि देने से पहले अगर इन कठिनाइयों को देखा जाता तो यह स्थिति उत्पन्न न होती। कांटी थर्मल पावर जिससे गोपालगंज, सीवान और पूर्वी चम्पारण के लोग भी लाभान्वित होते, आपने ध्यान नहीं दिया और आज तक कार्यान्वित नहीं हो सका। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, अगर कोयल-कारो परियोजना समय पर पूरी हो जाती तो झारखंड आंदोलन का नामोनिशान नहीं रहता। उत्तर प्रदेश का पिछड़े हुए प्रदेशों में पहला स्थान है, वहीं बिहार का दूसरा नम्बर है। यह वही बिहार है जहां गरीबों के उत्थान एवं लोगों में जागृति पैदा करने के लिये महात्मा गांधी ने चम्पारण से अपना अभियान शुरु किया था। यह वही बिहार है जहां मौलाना मजरुल हक जैसी महान विभूतियों ने जन्म लिया। यह वही बिहार है जहां के डा. राजेन्द्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। उसी बिहार प्रदेश से मैं आता हूं। अगर बिहार की बेरोजगारी दूर करनी है तो आप जिला स्तर पर उद्योग की स्थापना करें जिससे लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो सके। रेल में माल ढोने की वृद्धि से क्या महंगाई पर असर नहीं पड़ेगा। अगर महंगाई पर असर पड़ेगा तो हम किन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कौन से ऐसे उपाय कर रहे हैं जिससे इस घाटे को पूरा करें। अभी थोड़ी देर पहले इस सदन में ग्रामीण बैंक का मसला उठा था। मैंने भी बिहार के गोपालगंज जिले के बारे में यह पूछा था कि वहां पर किन-किन बैंकों में घोटाला हुआ है। एक बैंक बथना कुटी में है जहां 62 लाख रुपये का घोटाला पकड़ा गया। एक बैंक समरा में है जहां तीस लाख रुपये का घोटाला पकड़ा गया। सन् 85 से सी. बी. आई. को इसी सदन में जांच का आदेश दिया गया था। आज 89 में हम प्रवेश कर गये हैं लेकिन सी. बी. आई. की जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। श्रीमती गांधी ने कहा था कि सबसिडी का रुपया ग्रामीण बैंकों का जाल बिछा कर गरीबों के उत्थान के लिये दिया जाये। लेकिन गरीबों का उत्थान नही हुआ पर बैंक मैनेजरों का उत्थान हुआ। इस रुप में जो रुपया बैंक मैनेजर लूट रहे हैं, उसको रोकें तो निश्चित रुप से गरीबों

[श्री काली प्रसाद पाण्डेय]

का और इस देश का उत्थान होगा। भारतीय खाद्य निगम एक-एक गोदाम का किराया चालीस से पैंतालिस हजार रुपया दे रही है। उन खर्चों में कटौती करें तो निश्चित ही समाधान हो सकता है। अनुसूचित जन-जातियों का भी उत्थान नहीं हो पाया है, वैसे ही हालात हैं जैसे पहले थे। प्रधान मंत्री जी ने पंचायती राज की घोषणा की है। आप यह कोशिश करें कि पंचायत स्तर का विकास हो, स्कूलों का उत्थान हो तभी इस देश का विकास हो सकता है अगर गांव के लोगों का विकास हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनुवाद)

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय क्या में बैठकर बोल सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप बोल सकते हैं।

श्री जगन्नाथ राव : धन्यवाद महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1989-90 के बजट प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। सुनियोजित अर्थ व्यवस्था में केन्द्रीय बजट मात्र आय और व्यय का विवरण ही नहीं होता अपितु यह आर्थिक विकास का एक माध्यम भी है। सरकार द्वारा पिछले 3-4 दशकों के दौरान अपनाई गई विभिन्न आर्थिक और वित्तीय नीतियों के कारण देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत हुई है। हमारा देश इस समय आत्म-निर्भर है हम अपनी योजनाओं काफी हद तक वित्तपोषण स्वयं करने की स्थिति में हैं। कुछ कामों के लिये हमें कुछ विदेशी सहायता लेनी पड़ती है। किन्तु यह अपरिहार्य है। विश्व के किसी भी देश ने बिना विदेशी सहायता के विकास नही किया है। अतः इन वर्षों के दौरान सरकार ने जो भी नीतियां अपनाई हैं उनका अच्छा परिणाम निकला है और हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबुत हुई है। वर्ष 1987 में सूखा पड़ने के बावजूद खाद्यान्नों का उत्पादन 170 मिलियन टन तक हुआ जो कि 166 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक है। यदि अर्थव्यवस्था मजबूत न होती तो यह कैसे सम्भव हो सकता था।

विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और उनका कहना है कि इन नीतियों के कारण देश दिवालिया हो गया है। यह सच नही है। देश के सकल उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। निर्यात में 24% की वृद्धि हुई है। अर्थ-व्यवस्था का सर्वांगीण विकास इन वर्षों के दौरान अपनाई गई सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। इसलिए इस वर्ष का बजट पिछले वर्ष के बजट जैसा ही है और इसमें आगामी वर्षों में सरकार की नीतियों के बारे में बताया गया है। पिछले वर्ष के बजट में जो गति रखी गई थी उसे अब विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त आबंटन करके बढ़ाया जा रहा है। ये आवंटन न केवल गति बनाए रखने के लिए हैं अपितु और अधिक विकास के लिए इसमें वृद्धि करने के लिए भी हैं।

हरित क्रांति अब तक केवल पंजाब और हरियाणा में गेहूं और चावल तक ही सीमित थी। लेकिन अब इसे अन्य राज्यों में भी ले जाया जा रहा है जहां सिंचाई के चिरस्थाई साधन

शील देश में मुद्रास्फीति का दबाव होना आवश्यक है। प्रत्येक विकसित देश को ऐसा अनुभव हुआ है। इसलिए मुद्रास्फीति हर वर्ष कम हो रही है। हमें इन बातों पर निष्पक्ष ढंग से विचार करना चाहिए। यह अच्छा बजट है। निवेशों की लागत में वृद्धि से आम-आदमी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु केवल उन व्यक्तियों पर इसका असर पड़ेगा जो अतिरिक्त उत्पादन शुल्क देने की स्थिति में हैं।

जो व्यक्ति टेलीविजन खरीद सकता है वह थोड़ा और भी खर्च कर सकता है। जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 50,000 रुपये या इससे अधिक है उसे 8 प्रतिशत अधिक देना पड़ेगा। इसलिए, किसी को तो देना ही पड़ेगा। इसके बिना आपकी आय (राजस्व) कहां से होगी और आप योजना के लिए संसाधन कैसे जुटा सकते हैं? योजना में गरीबों के उत्थान के लिए दिया गया राष्ट्रीय निवेश स्वागत योग्य कदम है। यह गरीबों का बजट है। यही नहीं अर्थव्यवस्था का विकास होगा। मानव संसाधनों का विकास बहुत बड़ी बात है जिसे पंडित जी ने आरम्भ में शुरू कर दिया था।

मानव व्यक्तित्व का जन्म से मरण तक इसके सभी पक्षों का विकास करने के लिए और इसमें सुधार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य ने सुधार लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं और यहां तक कि शिक्षा की दिशा में भी नवीनतम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों अ नवोदय विद्यालयों जैसी पब्लिक स्कूल प्रणाली शुरू की जा रही है। एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है ताकि मानव व्यक्तित्व का विकास किया जा सके, अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके और देश समृद्ध बन सके। गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर गर्व कर सकता है कि वह उस भारत का वासी है जिसकी अपनी परम्परा, संस्कृति है और विश्व भर में उसका आदर किया जाता है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, संतुलित बजट पेश करने, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है, के लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देती हूं। यह विकासोन्मुखी बजट है। इसे निचले मध्यम वर्ग के लोगों को सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए तैयार किया गया है। घाटे को पूर्णतः नियन्त्रण में रखते हुए विलासिता वस्तुओं पर कर लगाकर संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है और गरीबी तथा बेरोजगारी पर सीधा हमला करने का मार्ग चुना गया है। अतः सरकार की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि पिछले वर्ष इस शताब्दी के भयंकर सूखे के बावजूद सरकार ने सुव्यवस्थित ढंग से अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध किया। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अपनी नवीनतम रिपोर्ट में सुव्यवस्थित आर्थिक प्रबन्ध के लिए सरकार को बधाई दी है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 3·6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और चालू योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की औसत विकास दर 5 प्रतिशत योजना लक्ष्य से अधिक होगी। मुद्रास्फीति की दर पर नियन्त्रण पा लिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में 8 प्रतिशत सराहनीय विकास हुआ है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य निष्पादन क्षमता को प्राथमिकता दी है और इसमें सुधार करने के लिए सतत प्रयास जारी है। सरकारी उपक्रमों को राष्ट्रीय संसाधनों को योगदान देना चाहिए और उन्हें अपने आधुनिकीकरण, विस्तार और विविधीकरण कार्यक्रमों को धन देना चाहिए।

इस सम्बन्ध में, मैं अनुरोध करूंगा कि अनावश्यक सरकारी उद्यमों को और उनको जो उपभोक्ता सामान बनाते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं और अधिक संसाधन जुटाने के लिए निजी लोगों को सौंप देना चाहिए।

अब मैं निर्यात पर आती हूं। निर्यात को बढ़ावा देने की सोच समझकर बनाई गई नीति के कारण निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है; लेकिन तिलहनों, उर्वरकों आदि महत्वपूर्ण मदों के क्षेत्र में इनके आयात के स्थान पर आयात की जाने वाली अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। इस दिशा में तिलहनों के लिए प्रोद्योगिकी मिशन एक उचित कदम है। हमें उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक नीति बनानी चाहिए। उर्वरकों के प्रशासनिक मूल्यों की प्रणाली की समीक्षा की जानी जरूरी है। इस सन्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि बड़े निजी ग्रुपों के उड़ीसा में पाराद्वीप पर उर्वरक संयन्त्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

एक बात मैं यहां भी बताना चाहता हूं कि यह बहुत चिन्ता की बात है कि पाराद्वीप में फासफेट संयन्त्र का उत्पादन आयातित कच्चे माल की कमी के कारण रुक गया है। यह भी बहुत दुःख की बात है कि इसका मुख्यालय बदलकर उड़ीसा करने पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। हम जानते हैं कि राज्य सरकार और राज्य के लोग इसका मुख्यालय उड़ीसा में बदलने की मांग कर रहे हैं। मैं नही जानता इस पर विचार क्यों नहीं किया गया है। उड़ीसा में संयन्त्र है लेकिन वहां मुख्यालय नहीं है—इसका मुख्यालय यहां है। यह यहां कब तक रहेगा ? मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा : क्या मुख्यालय बदल दिया जायेगा ? संयन्त्र को चलाने के लिए कुशलता और समन्वयन की बहुत आवश्यकता है। अतः इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

तालचेर में उर्वरक संयन्त्र को भली प्रकार चलाने के लिए इसके प्रौद्योगिक सुधार की भी आवश्यकता है।

अब मैं बजट पर आती हूं जिसमें अमीरों पर कर लगाया गया है और गरीब व्यक्तियों की सहायता की गई है। इस बजट में यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार गरीबों के पक्ष में है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को एक साथ जोड़ने का सुझाव स्वागत योग्य कदम है लेकिन यहां मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए किये जाने वाले अंशदान को गरीब राज्यों के सम्बन्ध में जैसे उड़ीसा आदि राज्य के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जाये जबकि सम्पन्न राज्यों के लिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। क्योंकि हमें यह देखना है कि क्षेत्रीय असन्तुलन और क्षेत्रीय विविधता को दूर किया जा सके। हम जानते हैं कि जब गरीबी दूर करने के लिए हमारे पास विभिन्न योजनाएं हैं तो हमें पहले यह देखना चाहिए कि कितनी गरीबी है। अब हम कह रहे हैं कि वे लोग जिनका आय स्तर 6500 रुपये से कम है वह गरीब लोग हैं और जिनकी आय केवल 1000 रुपये है वह भी गरीब लोग हैं। लेकिन इन्हें गरीबी रेखा से, लेकिन जिनकी आय 1000 रुपये या 2000 रुपये है, उन्हें कब तक गरीबी की रेखा के ऊपर लाया जाएगा। सम्पन्न राज्यों में संसाधनों की गतिशीलता अधिक है। लेकिन गरीबी रेखा से नीचे होने के कारण और उड़ीसा जैसे राज्यों में 40% जन-

उपलब्ध हैं। वहां उत्पादन दोगुना-तिगुना और यहां तक कि चौगुना भी किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो राज्यों को सदैव खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए केन्द्र पर ही निर्भर रहना पड़ता। अतः यदि प्रत्येक राज्य एक संभव सीमा तक आत्म निर्भर हो जाये तो केन्द्र सरकार का बोझ कुछ कम होगा और खाद्यान्नों को प्राप्त करने और उनकी सुरक्षा पर होने वाले खर्च को विकास कार्यों पर लगाया जा सकता है।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है हमारा निर्यात बढ़ा है और स्थान विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों में दसवां है। मेरे विचार से अब हम नवें स्दान पर हैं। यह कैसे संभव हो सका ? देश में कृषि और उद्योग के तीव्र विकास के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए जवाहर लाल नेहरु द्वारा अपनाई गई नीति के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। उस नीति का फल अब मिला है। अब हम हर जरुरी चीज का उत्पादन कर रहे हैं। निश्चय ही उत्पादन कुछ कम है और हम उस हद तक आयात कर रहे हैं। किन्तु हमारा आयात वर्ष पर वर्ष कम हो रहा है। हमारा निर्यात बढ़ रहा है और आयात न्यूनतम किया जा रहा है। अतः महोदय, विपक्ष का यह कहना उचित नहीं है कि सरकार की नीतियों के कारण देश ऋण के फंदे में फंस गया है। इसका प्रश्न ही नहीं है और हमारी विश्वसनीयता विश्व भर में है। विश्व बैंक ने 4-5 वर्ष पहले 5000 मिलियन डालर के ऋण स्वीकृत किये थे। किन्तु हमने पूरी राशि नहीं ली। हमने केवल आधा ऋण लिया और हम उसका भुगतान कर भी चुके हैं। अतः हमारी विश्वसनीयता विश्व भर में है। यदि हमारी अर्थ व्यवस्था मजबूत न होती तो हम यह कैसे कर पाते ? हमें सरकार की नीतियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और बिना कोई वैकल्पिक मार्ग सुझाये जैसा कि विपक्ष ने किया है, सरकार की आलोचना ही नहीं करनी चाहिए। सरकार जिन नीतियों का अनुसरण कर रही है वे काफी ठोस हैं। किन्तु मुख्य समस्या यह है कि हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। प्रथम तीन योजनाएँ आधारिक संरचना तैयार करने पर केन्द्रित थी। चौथी योजना में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। वर्ष 1969-70 में इन्दिरा जी ने गरीबी के विरुद्ध जंग छेड़ने की घोषणा की और इस लड़ाई को **गरीबी हटाओ** का नारा दिया तथा गरीबी हटाने और गरीबों का उत्थान करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया। वर्ष 1971 से 1980 तक दस वर्ष की अवधि में देश में आन्तरिक अशांति, ढाई वर्ष के लिए जनता पार्टी के सत्ता में आने और इसी प्रकार के अन्य बहुत से कारणों से कुछ विशेष कार्य नहीं किया जा सका। इन सभी कारणों से विघटनकारी माहौल बन गया और कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी प्रभावी रूप से नहीं हुआ। केवल वर्ष 1980 से ही 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है और अब इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रह रही 37 करोड़ जनसंख्या में से 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा को पार कर चूके हैं। गरीबी उन्मूलन कार्य रात भर में नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ वर्षों का समय लगता है। हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा अत्यधिक उत्साह, शक्ति और निश्चय के साथ 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गरीबी समाप्त की जा सके। हमने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम नाम की एक योजना तैयार की है। इस एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ई, लोहार, मोची आदि जैसे स्वतरोजगार प्राप्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों की सहायता करती है जिनके पास कोई व्यवसाय है या जिनके पास कुछ कौशल है। वे ऋण के रूप में प्राप्त किए गए धन का उपयोग करके अपने व्यवसाय में सुधार अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। किन्तु उन लोगों के बारे में क्या है जिनके

[श्री जगन्नाथ राव]

पास कोई कौशल नहीं है और जिन्हें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण भी दिया गया है ? वे उस धन का उचित रुप से उपयोग करने में समर्थ नहीं हैं। वे उस धन को लड़की की शादी या भाई के घर पर खर्च कर देते हैं। एक भी रुपये का निवेश नहीं किया जाता जिससे कि वह रुपया एक और रुपया बना सके। इसलिए वे देनदार बन जाते हैं और बैंकों द्वारा दिया गया बहुत सा धन बिना वसूली के पड़ा है। हजारों करोड़ रुपये वसूल नहीं किए जा सके। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस प्रकार सफल हो सकता है; किस सीमा तक कितने लोगों को लाभ पहुँचता है; और किस प्रकार के लोगों को लाभ पहुँचता है; जिन लोगों को लाभ नहीं पहुँचता है उन्हें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। आर.एल.ई.जी.पी. या कुछ ऐसे ही सहायता प्रदान करने वाले कुछ अन्य कार्यक्रम भी होने चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नाम का एक कार्यक्रम है। यह भी एक ऐसी परियोजना है जो 50-50 आधार पर चलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं ? प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, गांवों में सड़कें बनाई गई हैं, गांवों में तालाबों की खुदाई की गई है और इसी प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। अतः इसमें कितना समय लगेगा ? कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है ? कितनी नौकरियों का सृजन किया जा सकता है ? इस प्रकार यह बहुत ही कठिन और जटिल समस्या होगी। यद्यपि सरकार इस कार्य को करने में इच्छुक है और उसका इरादा भी है तथा इस दिशा में बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं तथापि मुझे आश्चर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियां उत्पन्न नहीं की जा सकी हैं। बात यह है कि जहां कभी संभव हो, जिन लोगों के पास कौशल है, खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड उनके कार्य में सुधार करके उन्हें प्रोत्साहन दे सकते है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार किया जाना चाहिए न कि सरकार की इस बात की आलोचना करके कि कुछ भी नहीं किया गया है। जहां कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है या जहां धन का सदुपयोग नहीं किया गया है वहां हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए और यह देखने चाहिए कि इसे और अच्छे ढंग से कैसे किया जा सकता है ? आप नौकरियों का सृजन किस प्रकार करेंगे ? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एक समस्या है। मैं यह नहीं जानता कि सरकार आने वाले वर्षों में इस रोजगार की समस्या को किस प्रकार हल करेगी ? गरीबी कम नहीं हुई है। यदि आप उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं जहां कोई उद्योग हो या कोई सिंचाई परियोजना हो अथवा कोई औद्योगिक परियोजना हो तो केवल 10-15 कि.मी. के घेरे में आने वाले लोगों को ही लाभ पहुँचा है क्योंकि वे उन परियोजना में कार्यरत हैं। पति-पत्नी दोनों ही काम पर लगे हुए हैं। उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। उन्हें अच्छा वेतन मिलता है। वे अच्छे कपड़े पहनते हैं। उन्हें अच्छा खाना मिलता है आदि-आदि। किन्तु आन्तरिक क्षेत्रों में रोजगार की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पानी नहीं है। वहां भूमि नहीं है। किसी के पास भूमि नहीं है जिससे कि वे उस भूमि पर काम कर सके। इसलिए यह जटिल समस्या है। इसमें समय लगेगा। सरकार इस समस्या को अधिक निश्चय और अधिक ध्यान देकर हल नहीं कर रही है।

मैं बजट के प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। इन सब बातों के होते हुए भी बजट में घाटे पर नियन्त्रण रखा गया है। घाटा केवल 7000 करोड़ रुपये या कुछ इतना ही है। किसी विकास-

हिल्स का दौरा किया तो उनके मन्त्रिमण्डल के अनेक वरिष्ठ सहयोगी जैसे रक्षा मन्त्री श्री के.सी. पंत, उस समय नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री श्री जगदीश टाइटलर तथा अनेक अधिकारियों सहित अन्य केन्द्रीय नेता उनके साथ थे और उन्होंने तुरा (बालजेको) हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी। यद्यपि उस दिन रविवार था फिर भी काफी लोगों ने इस जलसे में भाग लिया। आप संभवतः जानते होंगे कि देश में हमारे भाग में पहाड़ी क्षेत्र में विशेषकर रविवार के दिन ईसाई लोग आमतोर पर सार्वजनिक समारोहों में उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से किसी बड़ी घोषणा की आशा में समारोह में भाग लेने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। और उनकी उपस्थिति में प्रधानमन्त्री ने आधार शिला रखते हुए कहा कि अब इन्जीनियर यहां आयेंगे और शीघ्र ही हवाई अड्डा बनाने का कार्य प्रारम्भ करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। एक पहाड़ी आदमी के लिये वायदा तो वायदा ही है। जब एक बार वायदा किया गया तो इसे पूरा किया जाना चाहिए। यह फायल में सिर्फ एक प्रस्ताव भर नहीं रहना चाहिए। इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

उसी दिन प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा भी की कि सिजू से दुदनाई तक रोपवे बनाने का कार्य भी शीघ्र शुरु होगा। इस परियोजना को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने ही स्वीकृत किया था और 22-12-1980 को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर परिषद की विशेष बैठक में उन्होंने घोषणा की थी कि इस पर छटी योजना अवधि में ही कार्यवाही होगी। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

तुरा हवाई अड्डे के बारे में मुझे कल ही उस समय के नागर विमानन राज्य मन्त्री से पता लगा कि इसके लिए वित्त को भी मंजूरी दे दी गई है। महोदय, आप जान सकते है कि ऐसी स्थिति में लोगों की भावनायें और प्रतिक्रिया कैसी होगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्रालयों के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं है। में एक उदाहरण देता हूं। जब मैं मेघालय का मुख्यमन्त्री था तब मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मन्त्रियों की समिति में भाग लिया करता था। मैंने बार-बार जोजीगोपा और पंचरथना के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रेल तथा सड़क का पुल बनवाने का आग्रह किया था। काफी जोर देने के बाद भारत सरकार एक रेलवे तथा सड़क का पुल बनवाने के लिए सहमत हो गई। प्रारम्भ में यह रेलवे पुल के लिए सहमत हुई थी लेकिन बाद में यह रेलवे तथा सड़क पुल के लिए सहमत हो गई। रेलवे पुल को रेलवे तथा सड़क दोनों का पुल बनाने हेतु आवश्यक पुनः डिजाइन तय समय में ही पूरा हो गया था और स्थान का सर्वेक्षण भी पूरा हो गया था। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी ने कुछ वर्ष पूर्व इस रेलवे और सड़क के पुल की आधारशिला रखी थी। जब मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मन्त्रियों की समिति में यह मामला उठाया तो यह दुर्भाग्य पूर्ण था कि अपने अपने अफसरों द्वारा गलत बताये जाने के कारण रेल राज्य मन्त्री ने बैठक में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि स्थान का सर्वेक्षण पूर्ण किया जा रहा है। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। महोदय, आधारशिला रखने के समारोहों में लाखोंलोगों ने भाग लिया था। लेकिन अब मन्त्री महोदय ने कहा कि स्थान के सर्वेक्षण को पूरा किया जा रहा है। मैं नही जानता कि कार्य किस प्रकार हो रहा है।

[श्री विलियमसन ए० संगमा]

महोदय, एक और अत्यन्त महत्पूर्ण योजना, इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्था की आवश्यकता को, हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने महसूस किया था। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी संस्था खोलने के लिए सिद्धान्त रुप में सहमत थी और इसे शिलांग में खोलने के लिए सहमत थी। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार ने 300 एकड़ से अधिक आवश्यक जमीन अधिग्रहण कर ली थी। हमने अपने वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी से इसकी आधार-शिला रखने का अनुरोध किया। पहले तो प्रधानमंत्री ने अपनी असमर्थता जताई। मैंने कारण जानने चाहे। मुझे बताया गया कि कुछ प्रशासनिक कारणो से हमारे अनुरोध को मानने में कुछ कठिनाई है। फिर भी हमने उन्हें 1986 में पुनः अनुरोध किया कि वह शिलान्यास करें। वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गये और मई 1986 ने शिलांग में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान इसका शिलान्यास किया। जब एक बार प्रशासन में सर्वोच्च व्यक्ति एक वायदा करता है और शिलान्यास करता है तो ऐसी परियोजना को कार्यान्वित करना सम्बद्ध मन्त्रालय का कर्तव्य होता है यह एक प्रमाण पत्र की तरह फाइल में ही पड़ा नहीं रहना चाहिए।

महोदय, मैं बजट प्रावधानों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सदा ही वर्तमान वित्त मंत्री और उस समय के योजना मन्त्री को बाध्य करने का प्रयास करता रहा हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों के लिए एक आदिवासी उप योजना होनी चाहिए। जहां पर पर्याप्त संख्या में आदिवासी जनसंख्या है उन सभी राज्यों में एक सामान्य वार्षिक योजना होती है और इसके अलावा वहां एक अदिवासी उप योजना भी होती है। दुर्भाग्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ राज्य जैसे मणिपुर, असम और त्रिपुरा के लिए उनकी सामान्य योजना के अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना भी है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन पहाड़ी राज्यों, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश के लिये आदिवासी उपयोजना नहीं है। मैंने यह मामला वर्तमान वित्त मन्त्री के सम्मुख रखा जो उस समय योजना मन्त्री थे। योजना आयोग मेरे अनुरोध से सहमत नही हुआ। उनका तर्क यह था कि सारा राज्य अदिवासी राज्य है और सम्पूर्ण योजना अदिवासी योजना थी और इसलिए आदिवासी उप-योजना की जरुरत नहीं है। मैंने मांग की कि इन राज्यों की सम्पूर्ण योजना को आदिवासी योजना माना जाए और अन्य राज्यों में आदिवासी उप-योजना के लिए उपलब्ध शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता की तरह शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाए। अभी तक मैं अपने मत से सहमत कराने में उन्हें बाध्य करने में सफल नहीं हुआ हूं लेकिन मैं उनके मत में कोई तर्क नहीं पा रहा हूं।

भारत सरकार ने स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के दौरान तथा अब श्री राजीव गांधी के शासन में भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की देख रेख के लिए मन्त्रियों की एक समिति गठित की थी। इस समिति का अब स्तर ऊंचा कर दिया गया है और इसमें मुख्य मन्त्री हैं तथा गृह मन्त्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस समिति को यह अवसर मिला कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वीकृत अनेक योजनाओं की समीक्षा करे और देखें कि कार्यक्रम कार्यान्वित हुए हैं और रुकावटें और कठिनाइयां कौन-कौन सी हैं।

परन्तु ऐसा लगता है कि पिछले दो वर्षों से ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। मेरा यह सुझाव है कि इसका पुर्नरुद्धार किया जाना चाहिए और सम्बन्धित मन्त्रालय तथा योजना मन्त्रालय द्वारा जिन योजनाओं को अनुमोदित करके स्वीकृति दी जाए उनके कार्यान्वयन में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की होने के कारण ऐसे राज्यों से क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करना बहुत कठिन है । अतः इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

तत्पश्चात् हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक नई रोजगार योजना शुरू की है । यह एक बहुत अच्छा कदम है और मेरी राय में इसे केवल 120 जिलों के बजाय सभी जिलों में लागू किया जाना चाहिए । आई. सी. डी. एस. परियोजना का भी यही मामला है, इससे अब 500 से अधिक जिलों में लागू किया जायेगा । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि भारत के लोग विशेषतया महिलाएं चाहती है कि इस परियोजनाओं के अन्तर्गत सभी जिलों को शामिल किया जाना चाहिए ।

1.00 म. प.

बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए 251 करोड़ रुपये का अल्प उपबन्ध है । बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है ।

कृषि के लिए सिंचाई मुख्य उपकरण है । विभिन्न आर्थिक अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में कृषि सम्बन्धी भूमि का प्रति एकड़ औसत रोजगार जापान जैसे देशों की तुलना में कम है । इसका अर्थ है कि कृषि सम्बन्धी सुविधाओं के सुधार, कृषि कार्यों में तीव्रता लाकर और फार्म विकास से अतिरिक्त श्रम बल को काफी संख्या में खपाया जा सकता है । यह आम बात है कि बहुत से राज्यों में बांध बन जाने के बाद वितरण तन्त्र के अभाव में सिंचाई की बहुत सी क्षमता बेकार पड़ी है । मैं सुझाव दूंगी कि इन परियोजनाओं का पता लगाया जाये और केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गरीब राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाये जिससे लोगों को शीघ्र ही सिंचाई का लाभ मिल सके ।

मैं नई योजना जो होम लोन अकाउन्ट योजना के नाम से जानी जाती है, का स्वागत करती हूं । यह आवास कार्यक्रम के विकास के लिए एक काल्पनिक योजना है। प्रधानमन्त्री जी ने हाल ही की घोषणा में इन्दिरा आवास योजना स्कीम के अन्तर्गत आवासीय स्थलों के लिए संयुक्त नाम देने का सुझाव दिया है । मैं सरकार को सभी महिलाओं के लिए आवासीय स्थलों में संयुक्त मालिकाना हक प्रदान करने की व्यवस्था करने का अनुरोध करती हूं अन्यथा एक अकेली महिला जो एक परिवार की मुखिया है और विशेष रूप से जिस परिवार की मुखिया महिला है उसको आवास के लिए विशेष सुविधाएं देनी चाहिए । यह उस परिवार और महिलाओं की बुनियादी आवश्यकता है ।

सीमेन्ट और एल्युमिनियम का विनियन्त्रण एक ठीक कदम है । लघु उद्योगों को अपने इस्तेमाल के लिए एल्युमिनियम धातु व अन्य सामग्री नहीं मिलती है । मैं यह नहीं पूंछूंगी कि हम एल्युमिनियम और एल्युमिना का निर्यात क्यों कर रहे हैं । एक धातु कैल्शियम एल्युमिना भी है । लघु उद्योगों को अपने प्रयोग के लिए यह सब चीजें नहीं मिल रही हैं, जबकि हम इस धातु का निर्यात कर रहे हैं । हमें पहले अपने देश की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए और बाद में निर्यात करना चाहिए । इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए । पिछले वर्षों से पूरे विश्व में धातु के मूल्यों में वृद्धि हो रही है । हमारे देश को इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और धातुकर्मीय उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए । इस सन्दर्भ में मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार उड़ीसा में,

जहां ऐसे कच्चे धातु उपलब्ध हैं, वेनाडियम और निकिल के निष्कर्षण के लिए परियोजनाएं स्थापित करने की व्यवहार्यता की जायें। इन आयातित मदों के ऊंचे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने और सामरिक महत्व की वस्तुओं पर निर्भर विदेशी मुद्रा को कम करना चाहिए।

स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन एक सही दिशा है और इससे सुनारों और कारीगरों को सहायता मिलेगी। नये राष्ट्रीय बचत पत्र की शुरूआत से बचत को बढ़ावा मिलेगा। पैंशन योजनाओं में संशोधन से सेवा निवृत्त लोगों को लाभ पहुंचेगा। स्वतन्त्रता सेनानियों की पैंशन में वृद्धि एक उचित कदम है, इससे स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है उससे उन्हें सहायता मिलेगी। खादी और ग्रामीण उद्योग और दस्तकारों को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। चूंकि इन गतिविधियों से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, इस क्षेत्र में दो तरीकों से पूंजी निवेश करना आवश्यक है। पहले के. वी. आई. सी. और इसी तरह की वित्तीय संगठनों में लागत को बढ़ाना चाहिए। दूसरा हस्तशिल्प और हैण्डलूम ग्रामीण उद्योगों और शिल्पकार क्षेत्रों द्वारा नये प्रशिक्षण संगठनों को अधिक आधारभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए और एजेन्सियों के क्रियान्वयन को मजबूत करना चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि देश में चुने हुए जिलों में ग्रामीण शिल्प कार्यक्रम के लिए केन्द्र की सहायता से अलग से आधारभूत ढांचा बनाया जाना चाहिऐ, वर्तमान जिला उद्योग केन्द्र जो अपना ध्यान लघु उद्योगों और स्वःरोजगार कार्यक्रम की ओर लगाते हैं उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए। जिलों में एक पृथक संगठन न होने से दस्तकारी का क्षेत्र और ग्राम उद्योग क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। दस्तकार कार्यक्रम को अत्याधिक बढ़ावा देने के हित में यह इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करना आवश्यक है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि बजट की एक विशेषता रक्षा व्यय को विद्यमान स्तर पर सीमित रखना है। अधिक रक्षा व्यय से संसाधनों में कमी होती है जिनकी विकास कार्यों के लिए आवश्यकता है। हमें तनाव कम करने के और पड़ौसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने के लिए किए गए प्रशंसनीय प्रयासों के लिए अपने प्रधानमन्त्री को बधाई देनी चाहिये रक्षा व्यय को कम करने का इन प्रयासों पर उचित प्रभाव पड़ेगा। यह बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह सामाजिक बजट है और इसमें गरीब लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है और उन लोगों पर कर लगाए गए हैं जो अदा कर सकते हैं और इसी कारण बजट स्वागत योग्य है। यह एक सन्तुलित बजट है और विकासोन्मुख बजट है।

श्री विलियमसन ए० संगमा (तुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, 1989-90 के बजट पर सामान्य चर्चा में संक्षिप्त रूप से भाग ले रहा हूं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए मैं बजट का समर्थन करता हूं और मैं अपने राज्य मिजोरम के लिए स्वीकृत तथा अनुमोदित अनेक योजनाओं और परियोजनाओं को लागू न करने से उत्पन्न हुई चिन्ता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस सभा का उपयोग करना चाहूंगा।

मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि जब स्वयं प्रधान मन्त्री ने एक विशेष महत्वपूर्ण स्वीकृत परियोजना की आधारशिला रखी तो यह इतने लम्बे समय से कार्यान्वित क्यों नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देता हूं। 27 दिसम्बर, 1987 को जब प्रधानमन्त्री ने मेरे जिले गारो

इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान की बात पर आते हुए जैसा कि पहले कहा गया है, इस परियोजना की आधारशिला शिलांग में सार्क सम्मेलन के दौरान मई 1986 में हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा रखी गई थी। अब तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस संस्थान के निर्देशक पद पर भी किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। इसमें एक भी ईंट नहीं लगाई गई है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि लोगों की भावना और प्रतिक्रिया क्या होगी। हमारा यह दृढ़ विश्वास था कि सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा इस संस्थान के कार्य को ईमानदारी पूर्वक आरम्भ किया जायेगा। परन्तु दुर्भाग्य से कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं सरकार से इस मामले की जांच करने और इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा कि सभी स्वीकृत योजनाओं का अविलम्ब कार्यान्वयन किया जाये और केन्द्रीय योजनाओं सहित सभी लम्बित योजनाओं को जल्दी ही अनुमति दी जाये और उन्हें आरम्भ किया जाये।

(हिन्दी)

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो इस बजट पर बोलने के लिये मुझे समय दिया है उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं तथा वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने 1989–90 का जो बजट पेश किया है उसने यह सिद्ध कर दिया है कि सरकार गरीबों के उत्थान एवं सामाजिक व आर्थिक न्याय के लिये वचनबद्ध है और उसकी कोशिश रही है कि गरीब तबके के लोगों को, मेहनतकशों को, मजदूरों को तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाये। वित्त मंत्री जी ने बजट को गरीब और ग्रामोन्मुख स्वरूप देने का प्रयास किया है। इसलिये मैं उनको बधाई देना चाहती हूं।

मैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने यह बजट उन आर्थिक संकटपूर्ण परिस्थितियों में पेश किया है जबकि हमारी अर्थ व्यवस्था आंतरिक व वाह्य ऋणों से ग्रस्त है। प्रशासन में गैर-योजना खर्च एवं फिजूलखर्ची बढ़ रही है। इसको भी रोका जाये क्योंकि विकास कार्यों पर अधिक धन की आवश्यकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री जी ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाये है और अर्थ-व्यवस्था में संतुलन एवं अनुशासन लाने की दिशा में पहल की है। मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। बजट में उद्योग के प्रति उदार रवैया अपनाया गया है। इसके बावजूद भी गरीबों को वह धन प्राप्त नहीं हो रहा है जो कि प्रधान मंत्री जी की योजनाओं के तहत, आई. आर. डी. स्कीम के तहत तथा ऋणों के तहत उन्हें प्राप्त होना चाहिये। किसी भी योजना में, चाहे वह स्कूल की हो, चाहे वह सड़क की हो, चाहे वह बिजली की हो, किसानों की समस्या की हो, उनको धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिये भ्रष्टाचार के ऊपर काफी कंट्रोल होना चाहिये तभी गरीबों को ऊपर उठाने का जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल सकती है। बैंकों के द्वारा भी गरीबों को मदद नहीं मिलती है।

अब मैं अपने जनपद लखीमपुर खेरी के बारे में कहना चाहती हूं। शाहजहांपुर-मोमकडी के रास्ते फरुखाबाद से गोला गोकर्णनाथ तक नई रेल लाईन बिछाने के लिये सन् 77 में सर्वे किया गया था। उसके पहले भी सर्वे किया गया था। लेकिन उसके बारे में रेल मंत्रालय की तरफ से एक सूखा-सा जवाब यह दे दिया कि हमारे पास धन की बहुत कमी है। इसके कारण हम इस योजना के क्रियान्वयन में आर्थिक कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। अतः मेरा वित्तमंत्री जी से अनुरोध

[श्रीमती ऊषा वर्मा]

है कि वे इस योजना के क्रियान्वयन के लिये भी धन की व्यवस्था करें, इसके लिये भी कुछ धन दिया जाये जिससे कि इस योजना को कार्य रुप दिया जा सके। इससे हमारे पिछड़े क्षेत्र में भी इस नई रेल लाईन के द्वारा लोगों को सुविधा मिल सकेगी। उस क्षेत्र में केवल एक बहुत पुरानी रेल लाईन है जिससे इतने बड़े क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः मेरा वित्तमंत्री जी से अनुरोध है कि जिस रेल लाईन का मैंने उल्लेख किया है उसके लिये धन देने की कृपा करें।

1.25 म. प.

(श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई)

जिससे कि 10 लाख आबादी वाले इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का बीस सूत्रीय कार्यक्रम और 14 सूत्रीय कार्यक्रम सही तरह से क्रियान्वित हो सके। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि गांव वालों को सुविधा देने के लिये ग्राम पंचायतों को मजबत करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, यह बहुत सराहनीय कार्य है। मैं चाहता हूं कि उनको जल्द से जल्द सुविधायें उनको दें ताकि ग्राम सभाओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की योजनायें सही तरीके से क्रियान्वित की जा सकें, गरीबों को मदद दे सकें, यही हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसके साथ-साथ किसानों को बहुत सी सुविधायें दी गई हैं, हर सुविधा किसान को दी गई है, सिंचाई की सुविधा, डीजल पम्प की सुविधा, हर तरह की सुविधा दी है, लेकिन इसके साथ-साथ उसको फसल का सही मूल्य मिलना चाहिये, ताकि वह देश की सेवा में अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन कर सकें।

मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इतने अच्छे-अच्छे कार्य इस बजट के द्वारा किये हैं, लेकिन थोड़ा दुःख है कि ग्रामीण अंचल तक इन कार्यों का पूरा लाभ नहीं पहुँच पाता है। अगर ग्रामीण अंचल तक लोग लाभान्वित हों तो कोई ताकत नहीं है जो हमारे शासन को फेल कर सके। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की भलाई के लिये अधिक से अधिक धन दिया जाये, ताकि वहां की तमाम समस्याओं को दूर किया जा सके। वहां की रेल संबंधी, सड़क संबंधी, स्कूल संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं धन्यवाद देती हूं और एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को, वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदया, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट इस देश का महत्वपूर्ण अंग है, मैं चाहता था कि विरोधी दल और शासक-दल इस पर बैठकर यहां पर बात करें, क्योंकि इस पर सारे देश की आखें लगी होती हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज विरोधी दल यहां पर नहीं है।

बजट आने से पहले विरोधी दल के लोग बहुत कहा करते थे कि ऐसा बजट आएगा, वैसा बजट आएगा, लेकिन जब बजट आया तो उनके बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, उनको बहुत निराशा हुई। सभापति महोदया, इस तरह के लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, इन लोगों

के बारे में विचार करना पड़ेगा, हमारे देश में कौन लोग गुमराह कर रहे हैं। आज विरोधी लोग जब किसानों के बीच में जाते है तो उनको कहते हैं कि आपका कर्ज माफ करवा देंगे। क्या ये कर्जे माफ हो सकते हैं। कौनसी ऐसी सरकार है जो सारे के सारे कर्ज माफ कर सकती हैं। इस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है। हमारी पोलिटीकल पार्टीज के लिए अनुशासन होना चाहिए कि वे हमारे देश के प्रति कितनी वफादार हैं और कौनसी भाषा, कौन सी बात का वे उपयोग करेंगी, यह क्लियर लाइन होनी चाहिए। मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू शताब्दी साल के अन्दर नेहरू रोजगार योजना शुरू की है। 120 जिलों के लिए शुरू की है जिसमें पांच सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं, हरिजन-आदिवासी हैं, उनको उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे देश में 36 परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। जिस तरह से एक फिक्स रेट पर आदिवासियों को अनाज सप्लाई करते हैं उसी तरह से जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको भी अनाज सप्लाई किया जाना चाहिए। पन्द्रह से पच्चीस हजार तक ऋणों के लिए ब्याज कम करने की बात कही गयी है। हमारे छोटे किसान बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको खेती के लिए पचास हजार से एक लाख के बीच रुपया लग सकता है। ब्याज इतना होता है जिसको चुकाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। जो लोग पैसा उधार देते हैं वे तो बैठे-बैठे कमाई करते रहते हैं क्योंकि उनको ब्याज भी काफी मिलता है। मैं चाहूंगा कि किसानों को इन्टरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए जिससे किसान अपना उत्पादन बढ़ा सकें और स्वयं ही समय पर उसकी किस्त भी अदा कर सकें। पैसा वसूल न होने का मुख्य कारण यह है कि किसानों के ऊपर क्लाइमेट का असर होता है, कभी बाढ़, कभी सूखा और कभी आंधी-तूफान, इससे उसकी सारी इकोनोमी डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे देश में सीलिंग है कि पच्चीस एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं रख सकते जो छोटे किसान हैं उनको अवश्य ही इन्टरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए हमारे यहां रतलाम में सज्जन मिल पिछले चार साल से बन्द है बैंक वालों ने और जिनके शेयर्स अधिक हैं उन्होंने बन्द कर दी है। आज राज्य सरकार उस मिल को चालू करना चाहती है। लेकिन बैंक वाले मदद करना नहीं चाहते। साढ़े तीन हजार लोग बेकार बैठे हुए हैं ऐसे समय पर हमको कानून के दायरे से हटकर गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर हम वैलफेयर की बात नहीं सोचेंगे और सिर्फ कानून की बात करेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। राज्य सरकार पूरी गारन्टी देकर उस मिल को चालू करना चाहती है, लोगों को रोजगार देना चाहती है इसलिए मन्त्री जी उस पर विचार कर उसको चालू करवाएं दूसरी बात मैं उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। आपने कुछ जिलों के बारे में कहा है जैसे 61 में विकास केन्द्र पर आधारभूत ढांचा तैयार करेंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र को 1975 से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया हुआ है। हमारी नेता इन्दिरा गांधी ने 23 अक्टूबर, 1984 को वहां पालिएस्टर फाइबर, उद्योग का शिलान्यास किया था, लेकिन उस जिले में अभी तक वह उद्योग नहीं खुला। आप उसके पेपर को रिव्यू करें कि जो नीति हमने घोषित की है वह काम हुआ है या नहीं और नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण हैं। हम बार-बार कार्यक्रम बदलते हैं इससे पिछड़ा तो पिछड़ा रह जाता है और आगे वाला आगे बढ़ता रहता है। इसलिए इस असमानता को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हिन्दुस्तान के पिछड़े जिले हैं उनको आप पिन पाइन्ट करके चुनें और उन पर ध्यान दें। नहीं तो 61 से 71 होंगे और फिर 100 हो जायेंगे। आप थोड़ा-थोड़ा उद्योग सबको देते रहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर गरीब को डोज देनी है तो पूरी डोज दें। उसकी गरीबी पूरी दूर कर दें तब

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

हमारा कार्यक्रम पूरा होगा। इसलिए आप सबको साथ लेकर चलें। स्वतन्त्रता सेनानियों को आपने साढ़े सात सौ रुपया देने को बात कही हैं। यह एक अच्छा कदम है। लेकिन ऐसे कई स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिनको सरकार ने प्रमाण-पत्र दे रखा है लेकिन वे जब वी. आई. पी. कोई आता है तो उसके पीछे घूमते हैं और अपनी एप्लीकेशन देते हैं। आप उनको सहायता करें वह लोग कितना जीयेंगे दस या बीस बरस तक। उनको दो सौ या ढाई सौ रुपया और देना पड़े उनकी सुविधाओं के लिए तो वह देना चाहिए। क्योंकि हमारे नेता राजीव गांधी जी की यह नीति है कि हमारे देश में समाजवाद आये और इसी चीज के लिए हमारी नेता इन्दिरा गांधी शहीद हुई। इसलिए हमें इस कार्यक्रम को लागू करने में पीछे नहीं हटना चाहिए।

1.37 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारे प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है और सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहां से कई राज्यों को सड़कें और रेल लाइन जाती हैं। सड़कों की हालत सुधारने के लिए जितनी मदद भारत सरकार से मिलनी चाहिए वह नहीं मिली। मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है अतः वहां पर सड़कों, वनों और रेलों की हालत सुधारी जाये। आपने अकाल राहत का काम बहुत अच्छा किया है। मैं प्रधान मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं इसके लिए और वित्त मंत्रीजी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किये गये सामान्य बजट का स्वागत करता हूं। केवल स्वागत ही नहीं क्योंकि स्वागत शब्द इस सामान्य बजट में माननीय प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री महोदय द्वारा लाई गई क्रान्ति के लिए अपर्याप्त और महत्वहीन है।

इस बजट में वर्तमान समय की प्राथमिकताओं को परियोजित किया गया है। यह समझा गया है कि आजकल की ज्वलन्त समस्या बेरोजगारी की है और जब तक हम इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं करते तब तक हम वास्तव में पूरी शक्ति से गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते जोकि धीरे-धीरे हमारे राष्ट्र को खोखला कर रही है। यह भी एक उचित बात ही है कि इसका नाम पंडित जी के नाम के पीछे रखा गया है क्योंकि पंडित जी ने ही यह सपना देखा था कि वास्तव में भारत केवल तभी स्वतन्त्र होगा जब हमें पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी न कि केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता। प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक नवयुवक और प्रत्येक नागरिक के आंसू पोंछने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम लाया गया है। मैं माननीय प्रधानमन्त्री माननीय वित्तमन्त्री और मंत्री मंडल को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कई वर्षों के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा सत्तारूढ़ दल को दिये गये मार्ग निर्देशों को अपनाया है। साधारणतया हमें यह बताया जाता है कि किसी न किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं है। परन्तु इस बार हमें यह बताया गया है कि निम्नलिखित कारणों से ऐसा संभव है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि हमारे संसाधनों के पूर्ण रुप से चरमराने और भुगतान सन्तुलन

की समस्या के विद्यमान होने के कारण यह एक अत्यन्त कठिन बजट रहा है। फिर भी बिना कोई त्याग किये और वास्तव में गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों और रोजगार कार्यक्रमों के आवंटन में सुधार करते हुए माननीय वित्त मन्त्री मंडल और प्रधान मन्त्री ने उचित रुप से यह पता लगाया है कि आज स्थिति ऐसी है कि साधन सम्पन्न लोगों को साधनहीन लोगों के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। अब ऐसा समय आ गया है जब उन व्यक्तियों को भी थोड़ा त्याग करना चाहिए जिन्हें सौभाग्य से दो जून रोटी मिलती रही है। वास्तव में उस संघ के सदस्यों को भी यह समझना चाहिए, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, कि उनके बच्चों का भी अच्छा भविष्य केवल तभी बनेगा जब वे थोड़ा त्याग करेंगे और थोड़ी कंजूसी बरतेंगे।

महोदय, निश्चित रुप से उस 8% कर के बारे में कुछ प्रतिक्रिया हुई है जिसे हमने बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए लगाया है यद्यपि यह सख्त कार्यवाही है परन्तु फिर भी मैं इस दृष्टिकोण से इसका स्वागत करता हूं कि अन्ततः इस राष्ट्र के नवयुवकों के भविष्य के लिए ही तो है। इसके साथ ही में जो थोड़ी सी राहत दी गयी है उसका भी स्वागत करता हूं। निम्न आय वर्गों के उन व्यक्तियों के लिए बहुत राहत की आशा की गयी थी जो वेतन संशोधन के कारण आय-कर समूह में आ गये हैं। निश्चित रुप से यह एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने वाली बात है। परन्तु जब तक ऐसा गरीबों के लिए किया जाता है तब तक हम इस बारे में सहमत हैं जब हमने कुछ वर्ष पहले यह पाया कि उच्च आयकर दाता धन कर दाता इससे बच रहे है और गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में हमारे बीच मतभेद हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। यद्यपि इससे औद्योगिक उत्पादन में वास्तविक वृद्धि हुई परन्तु इससे अमीर लोगों को और अधिक अमीर होने का अवसर मिला और उस समय गरीबों को उतना अधिक अवसर नहीं मिला.....(व्यवधान) मैं कुछ मिनटों में ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं देख रहा हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री आपको यह इशारा कर रहे थे कि समय सीमित है। मुझे विश्वास है कि यदि मैं माननीय वित्त मन्त्री का थोड़ा सा समय ले लेता हूं तो वे मुझे क्षमा करेंगे।

महोदय, इस बजट की प्रशंसा करते हुए मैं यह कहूंगा कि ऐसी छोटी-छोटी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं माननीय वित्त मन्त्री के ध्यान में लाना उचित समझता हूँ। पहली बात यह है कि हमने कारों पर 35 प्रतिशत की समान दर से जो उत्पाद शुल्क लगाया है वह उचित है क्योंकि यह निःसन्देह एक विलासिता की वस्तु है और यद्यपि मध्यम श्रेणी के व्यक्ति इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं परन्तु एक गरीब ग्रामीण इसका सपना भी नहीं ले सकता। परन्तु दुपहिया वाहनों में मोपेड तक शुल्क में कोई भी वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। परन्तु 50 सी० सी० के बाद 350 सी० सी० तक इसके लिए विभिन्न मानदण्ड क्यों हैं? 99 सी० सी० तक की बात समझी जा सकती है क्यों कि इस श्रेणी में बहुत सी मोपेड आती हैं। परन्तु 99 सी. सी. से ऊपर हमारी 100 सी. सी. की यामाह मोटर-साइकिल है, जो कि तकनीकि रुप से 100 सी. सी. की है परन्तु यह एक तेज-तर्रार मोटर-साइकिल है, जैसा नवयुवक इसे कहते हैं। यह वास्तव में धनवान लोगों के लिए है जिसकी लागत खुले बाजार में 17 हजार के आस-पास आती है। क्या इसे 25 प्रतिशत रियायत शुल्क दिया जाना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि 100 सी. सी. के ऊपर वाली सभी मोटर-साइकिलों पर भी 30 प्रतिशत शुल्क लगाया जाना चाहिए। हम उस राजस्व को छोड़ना नही चाहते जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु हमें थोड़ा और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त

[श्री पी. आर. कुमारमंगलम]

करना चाहिए । जो व्यक्ति 15 हजार रुपए का स्कूटर खरीदते हैं वे 1 हजार अथवा 2 हजार रुपये अधिक दे सकते हैं । वे जानते हैं कि वे किस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं । वे लोग उच्च मध्यम वर्ग के हैं.....(व्यवधान) महोदय, मैं अभी-अभी अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं ।

अन्तिम मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि धनकर के मामलों को निपटाते समय आप बाजार मूल्य के बारे में बात करते हैं । कभी-कभी यह उचित भी है । परन्तु पूंजी लाभ कर का यह नियम उचित नहीं है । आप अंजित मूल्य के आधार पर पूंजी लाभकर लगाते हैं और फिर यदि हम बाजार मूल्य के आधार पर सम्पत्ति कर वसूल करते हैं तो पूंजी लाभ कर का औचित्य समाप्त हो जायेगा ।

मैं दो प्रस्ताव रखना चाहूंगा । एक प्रस्ताव यह है कि निश्चित रुप से कर अपवंचन को उतना लाभकारी नहीं बनाना चाहिए जितना कि यह अब बन गया है । आयकर के अन्तर्गत धन-कर छूट देने योग्य नहीं है । धन कर अदा करने के लिए ही कोई व्यक्ति धन नहीं कमाता । वास्तव में कुछ मामलों में यह सम्भव हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये है तो उसे आय कर के अतिरिक्त धनकर के रुप में 150 रुपये की अदायगी करनी पड़ी हो । स्पष्ट रुप से यह धोखा देना है । वह 150 रुपये की अदायगी नहीं कर सकता । हमें कानून में ऐसी स्थिति की अनुमति क्यों देनी चाहिए ? जिस प्रकार हम कुछ सीमा तक आयकर में छूट देते हैं उसी प्रकार हमें व्यय के रुप में धन कर के लिए भी छूट देनी चाहिए । आय की गणना करते समय व्यय के रुप में ऐसा करना यथार्थवादी होगा । यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम हमें उन्हीं मानदण्डों को अपनाना चाहिए जिन्हें हम पूंजी लाभ और धन कर के बारे में अपनाते हैं । इसमें कोई हानि नहीं है । मैं व्यक्तिगत रुप से धन कर के विरुद्ध नहीं हूं (व्यवधान)

मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं । व्यक्तिगत तौर पर मैं यह विश्वास करता हूं कि धनकर लगाया जाना चाहिए क्योंकि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रुप से यह उल्लेख किया गया है कि धन के आर्थिक केन्द्रीयकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । ऐसा होने के कारण इसमें मूल रुप से कुछ भी गलत नहीं है : मैं केवल कार्यान्वयन और छोटी-छोटी बातों के बारे में चर्चा कर रहा हूं ।

मैं केवल यह कहते हुए अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगा कि यह आशा की जाती है कि जवाहर रोजगार योजना केवल कागजों पर ही नहीं रहेगी और निचले स्तर के कुछ नोकर-शाहों की आय का साधन नहीं बनेगी । हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें इस कार्यक्रम को वास्तविक रुप से कार्यान्वित किया जा सके और उसका परिणाम देखा जा सके । मैं माननीय वित्त मन्त्री और विशेष रुप से प्रधान मन्त्री से यह अनुरोध करुंगा कि वे व्यक्तिगत रुप से इसके कार्यान्वयन की जांच करें । मैं एक बार फिर उन्हें बधाई देता हूं ।

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के दोनों ओर के उन माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया । कम से कम एक दिन तो वे उपस्थित रहे इसलिए वे मेरी कृतज्ञता के पात्र हैं ।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : और जो लोग यहां बैठे हुए हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : ठीक है, जो यहां बैठे हुए हैं वे सब और भी कृतज्ञता के पात्र है क्योंकि उन्होंने कीमती सुझाव दिये हैं। माननीय सदस्यों को मैं यह बात बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वे या तो राज्य सरकारों से अथवा प्रशासनिक मन्त्रालयों से सम्बन्धित हैं। मेरे विचार से मैं उन अधिकांश सुझावों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता जो वित्त मन्त्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। यदि कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनका वास्तव में जवाब दिया जाना चाहिए तो बाद में मैं वित्त विधेयक की चर्चा के दौरान एकत्रित सूचना माननीय सदस्यों को दे दूंगा।

महोदय, इस समय मुझे बजट प्रस्तावों तथा उन रियायतों का उल्लेख करना चाहिए जिनके बारे में कुछ भारतीय सदस्यों ने मुझसे प्रश्न पूछे थे। सबसे पहले मुझे यह बताना है कि उसकी भी बारीकी से जाँच करने की आवश्यकता है। कोई घोषणा करने से पहले मैं कोई ऐसी घोषणा कर, सभा के समक्ष यह नहीं कहना चाहता कि यद्यपि मैंने घोषणा की है परन्तु इन कारणों से उसे ल गू नहीं कर सका। मैं ऐसा नहीं करना चाहता और इसलिए वित्त विधेयक के सम्बन्ध में जवाब देते समय मैं माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार कर सकता हूं तत्पश्चात् हम सम्पूर्ण स्थिति के बारे में अन्तिम विचार कर सकते हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होने के कारण मैं आपको वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों के बारे में कुछ जानकारी दे सकता हूं जो हमने प्राप्त किये हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जिन माननीय सदस्यों ने गत वर्ष दिये गये आश्वासनों और सरकार द्वारा उनके संबंध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही का मुद्दा उठाया था वे यहां नही है। मेरे पास दिये गये आश्वासनों और अनुवर्ती कार्यवाही की सम्पूर्ण सूची रिकार्ड के लिये है। यदि वे सदस्य जो जानकारी लेखबद्ध कर रहे हैं, चाहते हैं तो मैं उन्हें यह दे सकता हूं। अन्यथा मैं समझता हूं कि में सभा का बेमतलब समय ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि शुक्रवार होने के कारण अधिकांश माननीय सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। और इसलिये आप देख रहे हैं कि आज उपस्थिति बहुत कम है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, मैं प्रतिवाद के भय के बिना कह सकता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमने 95,534 करोड़ रुपये के वित्त का प्रावधान निर्धारित किया था परन्तु वास्तव में 131880 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इसका मतलब है कि हम योजना प्रावधान से लगभग 36,000 करोड़ अधिक प्राप्त करने जा रहे है। यद्यपि हमें मुद्रास्फीति के लिये प्रावधान करना पड़ेगा परन्तु मैं कह सकता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने कम से कम 115 प्रतिशत तथा कुछ क्षेत्रों में 120 प्रतिशत खर्च किया है। मेरे विचार से यह पहली पंचवर्षीय योजना है जिसमें हम वास्तव में शत प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में हम अत्यधिक प्रयास करने के बाद 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर सके परन्तु यह पहली पंचवर्षीय योजना होगी जिसमें हम 115 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से यह महान उपलब्धि है।

जहां तक भौतिक उपलब्धियों का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों को आंकड़े दे सकता हूं। उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि हम विभिन्न योजनाओं के लिये निश्चित प्रावधान करते रहे हैं। शायद हमने पहली बार कृषि उत्पादन में वृद्धि की आशा की थी और कुल कृषि उत्पादन का अनु-

मान 178 मिलियन टन से लेकर 183 मिलियन टन तक लगाया गया था परन्तु बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया था और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 1988-89 के अन्त तक हम 170 मिलियन टन अथवा इससे कुछ अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इससे एक वर्ष और मिल जायेगा। यदि अगले वर्ष भी अच्छी वर्षा होगी तो मुझे विश्वास है कि हमारे यहां निर्धारित लक्ष्य से अधिक कृषि उत्पादन होगा।

कठिन बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली क्षेत्र में 22245 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य रखा था। मैं प्रतिवाद के भय के बिना कह सकता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम 22000 मेगावाट बिजली प्राप्त कर लेंगे। जहां तक कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का सम्बन्ध है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि उत्पादन अन्ततः बिजली की उपब्धता पर निर्भर करेगा, सौभाग्य की बात है कि हमने प्लांट लोड फैक्टर में भी वृद्धि की है। प्लांट लोड फैक्टर अब 56 प्रतिशत हो गया है जो 50,1 प्रतिशत था, तथा थोड़े प्रयास से सभी बिजली बोर्ड 60 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त कर सकेंगे। मैंने कुछ ऐसे बिजलीघर देखे हैं जिन्होंने 95 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त कर लिया है परन्तु मैं इस तथ्य को नहीं भूल सकता कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्लांट लोड फैक्टर केवल 34 प्रतिशत ही है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : यह 95 प्रतिशत कहां है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इतना प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त कर लिया है। परन्तु यह औसतन नहीं हो सकता। परन्तु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नये बिजलीघर की मांग कर रहे हैं जबकि विद्यमान बिजलीघरों का प्लांट लोड फैक्टर केवल 34 प्रतिशत है, जो वांछनीय स्थिति नहीं है। जहां कहीं भी यह इतना प्राप्त हो रहा वहां नये बिजलीघरों की बजाय उन्हीं पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। (**व्यवधान**) वही राज्य नये बिजली घरों की मांगकर जहां प्लांट लोड फैक्टर कम होता है।

1989-90 में 340 मिलियन टन रेल माल लदान की आशा की जाती है रेलवे के कार्य, विशेषकर इस बार किये गये आश्चर्यजनक कार्य, के बारे में सुनिश्चित हूं, मुझे अपने साथी श्री सिंधिया को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने वस्तुओं में यह सुनिश्चित करने में भरसक प्रयास किया कि रेल माल लदान में अधिकतम वृद्धि हो और यदि वह 340 मिलियन टन से भी अधिक वृद्धि कर लेता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा यह अनुमान है।

अब मैं उन औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में उल्लेख करता हूं, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की जायेंगी। जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले चालू किया जायेगा—वे हैं हजीरा-बाजीपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन, नाल्को एल्युमीनियम कॉम्पलेक्स, विभाग इस्पात संयंत्र का प्रथम चरण तथा गुना, आबला और जगदीशपुर में उर्वरक संयंत्र। ये कुछ ऐसी परियोजनायें हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा किया जाएगा। इस प्रकार बुनियादी ढांचे के सन्दर्भ में जो कृषि उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे के रुप में भी कार्य कर रही हैं, यदि उन्हें समय से पूरा कर दिया जायेगा तो मुझे विश्वास है कि इससे हमारे कृषि उत्पादन में अत्याधिक वृद्धि होगी।

इस तरह यह दूसरा क्षेत्र है जिसके लिए हम सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ओर से सिर्फ आर्थिक लक्ष्यों को ही नहीं वरन् वास्तविक लक्ष्यों को भी पाने की यथेष्ट कोशिश की है।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ आम मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा। देश के विभिन्न भागों में विकास में असमानता ही हमेशा से वह मुख्य विषय रहा है जिस पर अनेक सदस्यों ने चर्चा की। माननीय सदस्यगण इस बात को जानते हैं कि राज्यों में तीन प्रकार की श्रेणियां होती हैं, जहां केन्द्रों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से अनुदान दिया जाता है। कुछ विशेष श्रेणी के राज्य हैं जहां 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। पिछड़े होने के कारण इन राज्यों को विशेष अनुदान दी जाती है और मैं इन क्षेत्रों के सभी सदस्यों से केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। दुर्भाग्यवश मैं देखता हूं कि इन राज्यों में गैर योजनागत व्यय की वृद्धि हो रही है। मैं उनसे कहूंगा कि आखिर यह आपका पैसा है। इस पर विचार न करें कि यह केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है, अतः हम जो भी खर्च करें परेशानी की कोई बात नहीं है। यह विशेष अनुदान विकास कार्यों के लिये दी जाती है ताकि एक निश्चित समय में आप देश के बाकी क्षेत्रों के साथ आ सकें और आपके मन में यह बात न आये कि पिछड़े रहने के कारण शायद हम दूसरी देशों के समान तरक्की नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। यही कारण है कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को विशेष अनुदान प्रदान किया जाता है। आपको 90% की राशी अनुदान में दी जाती है और भाग 10% ऋण दिया जाता है और उसमें भी हम हर प्रकार की रियायत कर देते हैं। फिर एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद भी है जो केन्द्र सरकार द्वारा जो भी दिया जाता है उसके अतिरिक्त है। कुछ त्रुटियां और दोष भी हैं मैं उनमें से कुछ का वर्णन करना चाहूंगा। लेकिन साथ ही मैं इन क्षेत्रों के माननीय सदस्यों से अधिकतम लाभ ऊठाने का और यह देखने का अनुरोध करूंगा कि वह उसका अधिकतम फायदा उठायें तथा संपूर्ण राशि लक्षित समूह तक पहुँचे। यदि हम इतने में असफल होते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि और अधिक भी मांग करना औचित्यपूर्ण होगा।

एक माननीय सदस्य : इन विषयों के सम्बन्ध में मैं कुछ पूछना चाहूंगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि आपको कुछ पूछना है तो मेरे भाषण के पश्चात आप पूछ सकते हैं। फिर मैं वस्तु स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा।

द्वितीय श्रेणी के राज्य वे हैं जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां संशोधित गाडगिल फर्मूला लगाया गया है। पिछड़ेपन के आधार पर इन क्षेत्रों को विशेष अनुदान उपलब्ध कराया गया है ताकि वे भी कम से कम राष्ट्रीय औसत के स्तर तक पहुँच सकें। यदि वे इससे भी ऊपर उठ सके तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन इन क्षेत्रों के लिये हमारी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द ये राष्ट्रीय औसत तक पहुँचे। अन्य तीसरे श्रेणी के ऐसे राज्य हैं जहां साधारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार सहायता दी जाती है। इस प्रकार राज्यों के ये तीन प्रकार हैं।

अब मुद्दा यह उठता है कि राज्यों में भी आपस में एक अनुभूति है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का यह भाग बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में लोग कहते हैं,

[श्री एस० बी० चव्हाण]

"हम बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं।" उड़ीसा में कुछ माननीय सदस्य कहते हैं (**व्यवधान**) आप सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य समझ रहे हैं। लेकिन इस राज्य में भी कुछ विकसित और कुछ अल्प विकसित क्षेत्र हैं। इस प्रकार की भावना कुछ लोगों के अन्दर आती है। मैं नहीं समझता हूं कि राज्य के अन्दर असमानता दूर करने के लिए केन्द्र सरकार अतिरिक्त अनुदान देने की जिम्मेदारी उठा सकती है। यह स्वयं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि उन्हें इस मामले को देखना चाहिए और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि उपलब्ध सम्पूर्ण धनराशि में वे अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े इलाके के विकास के लिए कुछ राशि रखने की चेष्टा करेंगे और केन्द्र से अतिरिक्त अनुदान की माँग नहीं करेंगे।

इसके अतिरिक्त कुछेक क्षेत्रों से संबद्ध कार्यक्रमों के लिये भी हम विशेष सहायता दे रहे हैं कुछ ऐसे जन जातीय क्षेत्र भी हैं जहाँ केन्द्र सरकार पूर्ण राज्य सहायता दे रही है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए करीब-करीब सौ प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले मरुस्थलिय इलाके भी हैं। अनुदान और ऋण की राशि भिन्न-भिन्न अनुपातों में इन राज्यों को दी जाती है ताकि वे इन क्षेत्रों पर ध्यान देने में समक्ष हो पाये और यहाँ के लोग उपेक्षित महसूस न करे।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूगा कि हमें इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि ऐसे अवसर न आने दिए जायें जब आप विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से विशेष अनुदान राशि की मांग करें। केन्द्रीय मन्त्रालयों में भी हमेशा मेरे सहयोगियों के बीच प्रतियोगिता की भावना रहती है। विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय योजनायें लागू की गई है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, यदि संविधान के तहत संसाधनों के ह्रास की तुलना करें और उनकी तुलना इस बात से करें कि केन्द्र को क्या मिलता है और राज्य को क्या मिलता है मैंने इन सारे विषयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, मैं कह सकता हूं कि कुछ राज्यों द्वारा यह आशंका व्यक्त करना कि उनकी उपेक्षा की गयी है और कर लगाने के उनके अधिकार केन्द्र सरकार द्वारा ले लिये गए हैं। कर लगाने के सारे अधिकार केन्द्र सरकार के पास हैं और उनके वैधानिक राजस्व के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया है तो ये सारी बातें सत्य नहीं है। वर्ष 1951 से ही ह्रास के साथ अगर मैं आपको आंकड़े दूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम 51 प्रतिशत राज्य सरकारों को मिला है और मुश्किल से 49 प्रतिशत केन्द्र सरकार के हिस्से में आया है। विपक्ष के किसी भी सदस्य के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिये मैं तैयार हूं। मेरे आँकड़े सत्य हैं अथवा नहीं, निश्चयपूर्वक हम इसकी चर्चा कर सकते हैं और किसी दूसरे को विश्वास दिलाने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का विश्वास क्यों फैलाया जाए कि केन्द्र सरकार जानबूझ कर कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा करने की कोशिश कर रही है। केन्द्र सरकार अनावश्यक रूप से स्वयं कराधान कानूनों की अपने हाथ में ले रही है, सभी राजस्व केन्द्र सरकार के अधिकार में है? ये बातें सत्य नहीं है और इसलिए, यदि आपको प्रश्न के इस पहलू पर जरा संदेह हो तो हम निश्चित तौर पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। यदि कहीं कोई त्रुटि है तो मैं इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाऊगा, अवश्य ही मैं उनके साथ चर्चा करूगा। यदि कहीं कोई गलती हो तो निश्चित रूप से हम उसमें संशोधन करेंगे लेकिन कुछ राज्यों द्वारा, जो इस प्रकार की भावना का प्रसार कर रहे हैं जो मेरे समझ से अनुचित है, इस प्रकार अयथार्थवादी रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए।

जहां तक इस वर्ष के बजट का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि मेरे भाषण के खण्ड 'क' का पहला वाक्य ही यह स्पष्ट करता है कि इस बजट की मूल बातें क्या हैं। ये मूल बातें हैं। विकास, आधुनिकीकरण, आत्म निर्भरता, सामाजिक न्याय और रोजगार उत्पन्न करना। ये पांच मुद्दे हैं जिन्हें हमने ध्यान में रखा है और हमने यह ध्यान रखा है कि इनका विकास हो लेकिन यह विकास आधुनिकोकरण की राह में आड़े न आये। विशेषकर कुछ क्षेत्रों में हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ स्पर्धा करनी है। हम इस बात से अवगत हैं कि लोग भारत के प्रति मित्रवत व्यवहार करते हैं लेकिन साथ ही मैं नहीं समझता हूं कि आप यह आशा करते हैं कि उन्हें मित्रवत होने के नाते आप पर दया करनी चाहिए अथवा विशेष रूप से आपका ध्यान रखना चाहिए और आपके निम्न स्तर के माल को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपका माल भी उच्चस्तर का होना चाहिए और इसलिए यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि यह सामान मकनीकी रूप से अति उन्नत हो। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास संसाधनों की कमी है और विदेशी मुद्रा संसाधन भी कम हैं यदि हमें कुछ रियायत भी देनी पड़े तो भी नयी तकनीकी की जानकारी बाहर से लेनी है। लेकिन इसके साथ ही, यदि आप विश्व में सफल होना चाहते हैं और अपने माल की प्रतियोगिता में लाना चाहते हैं तो आपको तकनीकी को अद्यतन करना होगा और इसका आयात करना होगा। जानकारी भी हासिल करनी होगी ये देखने के लिए कि हमारा माल एक विशेष स्तर का हो, बहुत सी मदों का आयात किया जाना है। इस बात के लिये पूर्व प्रयास करना होगा कि हम अपने निर्यात में वृद्धि कर सकें। हम अनिवासी भारतीयों को खाते खोलने में, "पोर्टफोलियो" निवेश में और अन्य मामलों में हर प्रकार की रियायतें दे रहे हैं। आखिरकार यह बहुत अस्थायी किस्म की सुविधायें हैं जो हम दे सकते हैं। समस्या का सही हल तब होगा जबहम यह जान सकें कि निर्यात कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमें इस बात के भरसक प्रयत्न करने होंगे कि परंपरागत वस्तुओं और गैर परंपरागत वस्तुओं का निर्यात परंपरागत और गैर परंपरागत देशों को अधिक से अधिक मात्रा में हो। हमारी साख हर जगह अच्छी है। सौभाग्यवश हमारे प्रधान मंत्री हर जगह जाते रहे हैं और उनकी सलाह ली जा रही है। हरेक को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे युवा प्रधान मंत्री से हाल ही में आजाद हुए राष्ट्रों के समुदाय द्वारा सलाह ली जा रही है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि हर हफ्ते आप कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को दिल्ली में सलाह लेने के लिए आये पायेंगे। यही वह साख है जो हमारे प्रधान मन्त्री बना पाये हैं हमें इस बात का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और इस बात की भावना पैदा करनी चाहिए कि न केवल विकासशील देशों अपितु अल्पविकसित देशों को संगठित होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा आश्रय विकसित देशों द्वारा हमारी उपस्थित को महसूस कराना है। यदि हमें इस स्थिति पर पहुँचाना है तो हमें इस बात के जोरदार प्रयास करने होंगे कि न केवल विकासशील देशों को अपितु विकसित देशों को भी निर्यात कर सकें। इस दिशा में निर्यात बढ़ाने की बहुत अधिक संभावनायें हैं।

यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन सभी रियायतों का उल्लेख करूं जिनका वास्तव में हमने घोषणा की है। जहां तक रियायतों का संबंध है, निर्यात के लिए जो आर्थिक और वित्तीय हम कर रहे हैं उनमें वे है निर्यात से लाभ को आयकर अधिनियम की धारा 80 एच और सी के अधीन आयकर से पूर्णतया मुक्त रखा गया है मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को दी जाने वाली पांच साल की कर छूट को सौ प्रतिशत निर्यात वाली ईकाइयों पर भी लागू कर दिया गया

[श्री एस० बी० चव्हाण]

है सी. सी. एस. और प्रक्रिया को सरल बनाकर और अधिक वस्तुओं को शामिल करके शुल्क वापसी को बढ़ा दिया गया है। लागत और कीमतों को घटाने के उद्देश्य से मोडवेट के लागू होने वाले क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है जिससे निर्यात को ज्यादा प्रतियोगितात्मक बनाया जा सके; निर्यात करने वाली इकायों को दिये गये सार्वधिक ऋणों पर ब्याज में रियायत को वहां बढ़ा दिया गया है जहां छूट सौ प्रतिशत उपयोग के लिए है या उन इकाइयों के लिए जहां कुल बिक्री का 25% निर्यात किया जाता है। माल भेजने से पूर्व या माल भेजने के बाद दिये गये ऋणों पर ब्याज में रियायत को मार्च 1989 से और बढ़ा दिया गया है। आयात-निर्यात बैंक वितरकों को दिये गये ऋणों पर सहायता ओर निर्यात को बढ़ाने के लिए खरीददारों को ऋण दे रहा है। इन ऋणों पर ब्याज की दर बहुत ही रियायती होती है। व्यापक विनिमय पर्मिट योजना के आधार को बढ़ाया गया है और कुछ उत्पादों को छोड़कर अन्य के उदारवादी निर्यात की अनुमति दी गई है जिससे निर्यात से प्राप्त होने वाली आय के 10% को निर्यात को बढ़ावा देने वाले कार्यों रर इस्तेमाल किया जा सके। कम्प्यूटर सोफ्टवेयर के निर्यातकों के लिए अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा के 30 प्रतिशत को व्यापक विनियमन पर्मिट के अन्तर्गत इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अन्तराष्ट्रीय मूल्य क्षतिपूर्ति योजना को भी लागू किया गया है। बोली छुड़ाने के लिए स्थगित भुगतान में जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थगित भुगतान के आधार पर आयात-निर्यात बैंक को 50 करोड़ रुपये तक का अनुदान इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात पर देने का आदेश दिया गया है। फिर, एजेन्सी कमीशन उदारतापूर्वक देना निर्यातोन्मुख इकाइयों की सहायता के लिए उत्पादकता निधि ओर लाइसेंस प्रणाली में उदारता और अन्य संस्थागत उपायों द्वारा सरकार ने निर्यात में लगे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है।

मैं नहीं समझता कि जिस तरह की रियायतें हम दे रहे है, उन्हें हम दे भी सकते हैं, लेकिन में समझता हूँ कि ये रियायतें इसी समय दी जानी जाहिए क्योंकि इनसे निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी जो कि हमारी समस्याओं का सही समाधान है।

दूसरी बात आठवीं योजना और अगले वर्ष के लिए संसाधन जुटाना है वास्तव में बजट में इस बारे में कुछ उल्लेख किया गया है कि अगली पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधनों को कैसे जुटाना होगा। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह मेरे भाषण का भाग (ख) देख सकते हैं जिसमें मैंने ध्यान में रखे गये उद्देश्यों के बारे में कहा है। ये हैं उत्पादक रोजगार बढ़ाना, गरीबों के उपभोग स्तर को बनाये रखना, अनावश्यक विलासिता की वस्तुओं की खपत को निरुत्साहित करना विशेषकर जब यह आयात को बढ़ावा देने वाली हों, मध्यम आय वर्ग के लोगों को करों से कुछ राहत ओद्योगिक आधुनिकीकरण की गति को बनाये रखना और 1989-90 के बजट घाटे को सीमित रखना। ये वे मुख्य उद्देश्य है जिन्हें समय 1989-90 के बजट की अन्तिम रूप देते समय हमने ध्यान में रखा है।

सबसे पहले में 1989-90 के घाटे की समस्या को लूंगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है वर्ष 1988-89 में राजस्व घाटा 11030 करोड़ रुपये था और 1989-90 यह 7012 करोड़ होने जा रहा है। कुल घाटा जो 7940 करोड़ रुपये था घटकर 7337 करोड़ रुपये रह गया है। यह सरकार द्वारा कुल घाटे को कम करने के लिए यह जानबूझकर और होशियारी से उठाया गया कदम है ताकि कुल घाटे में कमी आये और विकास कार्यों में निवेश के लिए कुछ धन बचाकर रखा जा सके। इस प्रयास को तेज करना होगा। कम से कम में इस बात से

संतुष्ट नहीं हूं कि गैर जरूरी खर्चे में बचत करने में हमें सफलता मिली है। ये प्रयास जारी रहेंगे और मुझे विश्वास है कि 1989-90 के अन्त तक हमारे लिए यह सम्भव हो सकेगा कि हम सदन में यह कहें कि हमारे तीव्र प्रयासों के फलस्वरूप वे योजनायें जो बहुत सामयिक नहीं हैं कई योजनाएं जो 30 वर्ष पहले चलाई गई थी अभी भी जारी हैं और मैं नहीं समझता कि किस तरह चल रही हैं। उन्हें छोड़ दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंगलयों से और केन्द्रीय सरकार में अपने साथियों से मेरा निवेदन है कि वह अपना ध्यान इस तरफ लगायें और देखें कि गैर-जरूरी मदों पर विशेषकर गैर-योजना व्यय न किया जाये और हम एक निश्चित बचत दिखा सकें।

माननीय सदस्य, श्री माधव रेड्डी, ने एक सबाल उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अब यहां मौजूद नहीं है। सवाल था ओ० सी० सी० खाते में से 2300 करोड़ रुपये को राजस्व में हस्तांतरित कर देना, यह सबाल का खुलासा कल मेरे साथी द्वारा कर दिया गया है। माननीय सदस्य को इस हस्तान्तरण में कुछ हेरा फेरी दिखाई देती है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि वह इसे पूर्णतया समझ नही पाये हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। यदि माननीय सदस्य बजट को पढ़ें, "बजट एक नजर में" और जो व्याख्यात्मक ज्ञापन साथ है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस तरह 2300 करोड़ रुपये डेबिट और क्रेडिट दौनों तरफ दिये हुए है इस तरह इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है और न ही सदन को गुमराह करने का कोई प्रयास है और चुपके से एक खाते से उसके खाते में धन डालने का कोई प्रयास नहीं है या फिर राजस्व घाटे में कोई दिखावटी कमी दिखाने का भी कोई प्रयास नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सच्चाई है और इसीलिए कल मेरे साथी, श्री गडवी, ने असरदार तरीके से इस बात को समझाया था। इसके बाद किसी तरह की गलत-फहमी का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे आशा है कि विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य भी इस बात से सन्तुष्ट होंगे कि इस हस्तांतरण के विरुद्ध कोई बात कहने की गुंजाइस ही नहीं है। ओ० सी० सी० खाते में काफी धन पड़ा है, तकरीबन 8700 करोड़ रुपये, जिसमें से हमने मात्र 2300 करोड़ रुपये लिए हैं - बाकी धन को इस दृष्टिकोण से रखा गया है कि अगर कभी भविष्य में प्रतिरक्षण मूल्य और बाजार मूल्य में कोई फर्क आता है तब यह धन हमें आसानी से उपलब्ध रहे। कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए मैं ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं करता हूं इसी खाते में प्रति वर्ष हम 1100 करोड़ रुपये जोड़ रहे है। मैं नहीं समझता कि हम इस प्रकार की उदारता सहन कर सकते और धन को वहीं नहीं रख सकते। धन को विकास के लिए खर्च न करना सही दृष्टिकोण नहीं होगा और इसीलिए इतनी राशि को हस्तान्तरित करना सही था। बाकी धन को भी वहीं रखना न्यायसंगत नहीं है लेकिन मैं नहीं समझता कि सारे धन को तुरन्त हस्तान्तरित किया जा सकता है इस तरह हमने एक शुरूआत की है। पिछले वर्ष से पहले वर्ष में भी यह किया गया था इस वर्ष भी ऐसा किया गया है। इसलिए सदन/सभा से सच्चाई छुपाने के लिए इसमें शब्दों का कोई हेर-फेर नहीं है निश्चय ही मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने कभी भी सदन को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया है। यदि मुझे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैंने उसको कभी नहीं छुपाया जब तक उसको छुपाना लोकहित में न हो। वह तो अलग बात है। किंतु यह ऐसे मामले हैं जिनकी जानकारी कोई भी ले सकता है। आप स्वयं आकर देख सकते हैं और अपना सन्देह दूर कर सकते हैं।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

विपक्ष इस बात से दुखी है कि हम घाटे को कम कर सके हैं। यह श्री राजीव गान्धी के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रधान मन्त्री घाटे में इस प्रकार की कमी कर सके हैं और विश्व भर को यह दिखा सके हैं। कि संसाधनों में कमी के बजाय हमने राजस्व घाटे को कम कर दिया गया है। यही हमारी निश्चित दिशा है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने घाटे को उचित सीमा तक घटाएं किंतु यह आशा करना कि घाटा बिल्कुल नहीं होगा दूसरी सीमा है। मैं समझता हूं कि कोई भी विकासशील देश संभवतः घाटे के बिना की स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता है। घाटे के बिना वाली स्थिति लगभग असम्भव है। मैं समझता हूं कि घाटे से कोई हानि नहीं होगी यदि इसका सदुपयोग किया जाए। किन्तु दुर्भाग्यवश, यदि घाटे का उपयोग राजस्व के लिए किया जाता है तब यह अत्यन्त हानिकर बन जाता है। इसीलिए हमें काफी सतर्कता तथा विवेक से काम लेना है। हमें देखना चाहिए कि हम इस घाटे का उपयोग किसी अच्छे उद्देश्य के लिए करें, जैसे कुछ ऐसी परियोजनाओं का पूरा करना जो अन्यथा अधूरी रह जाती। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को पूरा ध्यान देना पड़ेगा।

श्री विपिन पाल दास ने रक्षा के आवंटन में कमी का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि रक्षा में नौ सेना के प्रावधान को कम नहीं किया जाना चाहिए था। हम सभी को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि हमारी प्रधान मन्त्री ने इस के लिए बहुत प्रयास किया है। वह चीन, पाकिस्तान और श्री लंका गए। अब हम यह नया संकेत दे रहे हैं। हम कहते है कि हम सच्चे मन से यह मामले बात चीत से ही निपटायेंगे। हमें संघर्ष में कोई रुचि नहीं है। संघर्ष न तो भारत के हित में है और न ही हमारे पड़ौसी देशों के हित में है। अतः समस्याओं का उत्तम समाधान बातचीत ही है। हम संसारभर को यह समझा रहे हैं कि हमें अपनी समस्याओं को संघर्ष से नहीं, बातचीत से निपटाना चाहिए। अतः यही मार्ग यहां भी अपनाया गया है। इसी कारण से हमने जानबूझ कर रक्षा व्यय के प्रावधान में कमी की है। मुझे विश्वास है कि रक्षा मन्त्रालय में मेरे साथी देख लेंगे कि आवश्यक परियोजनाओं के लिए राशियां अवश्य उपलब्ध हों। आवश्यक मदों पर खर्च को कम करके वे चालू परियोजनाओं के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों तथा रक्षा सेनाओं को इस सदन के माध्यम से यह आश्वासन देना चाहता हूं। कि भगवान न करे यदि कोई सामान्य घटना होती है जिसमें अधिक प्रावधान की आवश्यकता है, तो वे आश्वस्त रहें कि सरकार अपनी रक्षा तैयारियों में पीछे नहीं रहेगी हमारी कार्यसूची में रक्षा तैयारी को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम रक्षा बालों की अपेक्षा करने जा रहे हैं हम निश्चय ही रक्षा तैयारी चाहते हैं। कोई हमें ऐसा-वैसा नहीं समझे सभी को मालूम होना चाहिए कि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं। यदि कोई खतरा पैदा हुआ तो हम अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकते हैं। हम कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। साथ ही अपनी रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। भारत पर आक्रमण करने का साहस किसी में नहीं है। यदि एसी स्थिति उत्पन्न होती है और यदि अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है तो हम निश्चित रूप से अधिक धन देने के लिए तैयार हैं। इन परिस्थियों में मुझे किसी किस्म के शक का कोई कारण नजर नहीं आता।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : नौ सेना पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री एस० बी० चाव्हाण : नौसेना ही नहीं बल्कि तीनों सेनाओं को आवश्यक सहायता दी जायगी और यदि आवश्यकता हुई तो अधिक सहायता भी प्रदान की जायगी।

एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही, और जिस पर मैं बल देना चाहूंगा वह दो विद्यमान योजनाओं का विलय और उन्हें नेहरू रोजगार योजना के साथ जोड़ना है। सभी माननीय सदस्यों द्वारा वास्तव में जो मुद्दा उठाया गया था वह यह था कि योजनायें तो बहुत अच्छी हैं किन्तु जिस ढंग से इन योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है उनमें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राज्य सरकारों से टकराये बिना हम किस प्रकार स्थिति में यथासम्भव सुधार ला सकते हैं, यह मुख्य बात है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। छोटे-छोटे मसलों को हल करने के लिए हमें बड़ा विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। इसलिए, बात यह है कि हमें यह देखना होगा कि एक-एक पाई (पैसा) संबंधित व्यक्ति को पहुँचे और उस पैसे को कोई बिचौलिया हथियाने में सफल न हो चाहे वह व्यक्ति विपक्ष अथवा हमारी पार्टी से ही सम्बन्ध क्यों न रखता हो। कभी-कभी कुछ लोग लोगों की गरीबी से लाभ उठाने का भी प्रयत्न करते हैं। मैं सदन को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हम गरीबी समाप्त करने की समस्या को केवल धन देकर, जितना हम अधिक से अधिक दे सकते हैं, ही हल नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उस व्यक्ति को आत्म-सम्मान की और उसकी नवीन परिवर्तन करने की क्षमता की हत्या कर रहे हैं। वह अपनी पहलशक्ति के साथ काम चाहता है। आपको उस व्यक्ति पर यह विश्वास होना चाहिए कि यदि उसे काम दिया दिया गया तो वह व्यक्ति हमारे समाज में प्राकृतिक सम्पत्ति का सृजन करने के लिए कार्य करेगा। अतः किसी व्यक्ति को खैरात देने की बजाय उसे कुछ काम दिया जाना चाहिए। अपना आत्म-सम्मान खोये बिना उसे काम करने दिया जाय। यदि हम उसे काम के बदले में कुछ देते हैं तो मेरे विचार में उसके श्रम का का सम्मान भी रखा जा सकेगा और इस प्रकार हम बहुत अच्छा काम कर पायेंगे जिसे हम करना चाहते हैं। मेरे इस विचार का कोई खण्डन नहीं कर सकता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पूरी सातवीं योजना में अपेक्षित मानव दिवस 24.50 मिलियन या इसके लगभग प्रस्तावित है और मुझे पूरा विश्वास है कि सातवीं योजना के अन्त तक रोजगार सृजन की यह संख्या हमारे तय किए गए लक्ष्य से अधिक ही होगी सातवीं पंचवर्षीय योजना की यह सबसे मत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह आने वाली आठवीं योजना के लिए बहुत ही मजबूत आधार साबित होगी। मेरी प्रार्थना यही है कि सरकार ने संयुक्त क्षेत्र और आर्थिक सहायता के लिए धन उपलब्ध कराया है ताकि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लोगों की गरीबी से, जो इस मामले में पूर्णतः अहसाय हैं, लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो लोग संगठन में हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिये कि एक-एक पाई उन लोगों तक पहुँचे और मैं हर सदस्य को सदन के माध्यम से यह विश्वास दिला सकता हूं, जो यह देखने के इच्छुक है कि हम इस योजना के लाभ गरीबों को देने में सफल हुए हैं, कि उन्हें भारत-सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। उन्हें इस में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी राज्य सरकार इसका दुरुपयोग करती है तो, वास्तव में, मुझे बहुत ही साधारण ढंग से बताने की बजाय यदि मेरे नोटिस में कुछ मामले लाए गए कि ये कुछ उदाहरण हैं—आपको 5-6 से अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है—और यदि मुझे यह लगा कि राज्य सरकारें योजना के उद्देश्य को विकृत कर रही हैं और वे इस योजना का प्रयोग किन्हीं दूसरे उद्देश्यों के लिए कर रही हैं तो, उन राज्य सरकारों को बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे और सम्बन्धित राज्य सरकारों से पूरा धन वापिस ले लिया जायगा। मैं नहीं समझता कि हम इस प्रकार की बात सहन कर सकते हैं किन्तु साथ ही राज्य स्तर और जिला स्तर पर सदस्यों द्वारा किसी न किसी प्रकार की निगरानी देश के हित में होगी और लोक प्रतिनिधियों की भागी-

[श्री एस० वी० चव्हाण]

दारी अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए मैं सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहूंगा-मैं विशेष रूप से सभी मुख्यमन्त्रियों को पत्र लिख रहा हूं, चाहे वे हमारी पार्टी के हों अथवा दूसरी पार्टियों के हों–कि वे यह देखें कि ये समितियां जिला स्तर और राज्य स्तर पर भी बनाई जायें और निगरानी सेल भी बनाए जायें। ये निगरानी सेल यह पता लगाने के लिए कि भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस धन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, यहां से विभिन्न राज्यों में जायेंगे और वे अपनी रिपोर्ट सीधे सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों को भेजेंगे। यदि ये दो कार्य हो जायें तो मैं समझता हूं कि हम कुछ हद तक अवांछनीय गतिविधियों को, जो कुछ क्षेत्रों में अभी भी हो रही हैं, समाप्त कर सकते हैं।

मेरे साथी श्री पैलीरो भी बैंकरों से मिल रहे हैं और उनके साथ संयुक्त बैठकें कर रहे हैं यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि बैंकों में कुछ लोगों द्वारा की जा रही अवांछनीय गतिविधियों को भी कैसे समाप्त किया जाए इस समय तो यही एक तरीका है। हम अभी भी कुछ अन्य तरीकों पर विचार कर रहे हैं किन्तु जब तक सम्पूर्ण योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता मेरी ओर से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। किन्तु हमें जानकारी है कि ऐसी समस्या विद्यमान है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि कुछ लोगों द्वारा की जा रही ऐसी गतिविधियों को रोका जाय।

अब अगली बात यह है कि माननीय सदस्य श्री रेड्डी ने भी यह कहते हुए "एक ओर तो आप यह योजना बना रहे हैं कि विकास की दर 5 प्रतिशत होगी और दूसरी ओर हम देखते हैं कि दीर्घ अवधि के आधार पर यह दर 3.5 प्रतिशत है, हवाला दिया था। मैंने इन आंकड़ों की जांच की है। दीर्घ-अवधि आधार पर भी यह दर 3.5 प्रतिशत से अधिक है और पिछले दस वर्षों से हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यह दर 5 प्रतिशत के लगभग रही है। इसलिए मैं नहीं समझता कि जो कुछ भी रेड्डी ने कहा है वह तथ्यों पर आधारित था। हो सकता है उन्होंने पिछले वर्षों के आंकड़े पढ़े हों। निः सन्देह तब दर 3.5 थी। किन्तु इसके बाद पिछले पांच वर्षों से हम पाते हैं कि यह दर निश्चित रूप से 3.4 प्रतिशत से अधिक रही है, जैसा कि उन्होंने इसका उल्लेख किया था।

अतः इससे सन्तोष मिलता है, अर्थात हम इस सीमा को पार कर पाये हैं; और हम 5 प्रतिशत के निकट होंगे ये तथ्य समग्रत 8वीं योजना के लिए बहुत ही शुभ है।

उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के बीच होने वाले समझौता ज्ञापनों के सिद्धान्त का भी उपहास करने का प्रयास किया है। वास्तव में उन्हें इसके बारे में खुश होना चाहिए क्योंकि ये उपक्रम, वस्तुतः विकास उद्देश्यों के लिए सामान्य राजस्व में कोई योगदान नहीं कर पाए हैं अब यह स्पष्ट संकेत है क्योंकि हम 57 करोड़ रुपए से अब लगभग 650 करोड़ रु. तक पहुँच गए हैं। और अधिक योगदान का भी औचित्य है, किन्तु साथ ही आप संभवतः यह नहीं कह सकते कि इस बात का कोई निश्चित संकेत नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इस प्रकार का योगदान अपेक्षित था। जब हम यह कहते हैं कि उन्हें अर्थव्यवस्था के शिखर पर होना चाहिए तो उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि वे जनसाधारण की आम भलाई के लिए योगदान दें। इसीलिए ये समझौता ज्ञापन इस प्रयोजनार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर अधिकारियों के एक दल द्वारा निगरानी रखी जा रही है जिसमें वित्त मन्त्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं; और

हम यह देखेंगे कि इसका पालन किया जाये । यह मात्र ऐसा दस्तावेज नही है जिसे जिम्मेवारी की भावना के बिना उन्हें दे दिया गया हो । यदि वे उसका पालन नहीं करते तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे । वे इस सच्चाई को जानते हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही वांछनीय कार्य था, जिसे हमने किया । इससे तेल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सुधार हो रहा है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है और यह कि उसे प्राप्त करना होगा और यदि इसमें सुधार असम्भव है और जहां आप यह पाएं कि हमारे प्रयासों के बावजूद वे हमारे स्तर तक पहुँचने में असमर्थ रहे हैं, तभी अन्तिम उपाय के तौर पर हमें उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी ।

मुझे इस तथ्य की जानकारी है - एक माननीय महिला सदस्य ने पश्चिम बंगाल का एक हवाला दिया था; और उन्होंने हमें यह बात बताई कि जब कारखाना बन्द किया जाता है तो कामगरों को छंटनी का मुआवजा दिया जाता है, या जब कामगारों की संख्या में कमी की जाती है तो उनमें से कुछ कामगारों को काफी मुआवजा (गोल्डन हैंडशेक) दिया जाता है ।

इसके बाद जितना रुपया उपलब्ध होता है उस पर भी आयकर लगता है । मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि, इस मानवीय कार्य के लिए, यदि इस प्रकार का आयकर लगाया जाता है तो हम निश्चित रूप से अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेंगे ताकि कामगरों को छंटनी मुआवजे के रूप में मिले धन में से हम कुछ कटौती न करें ।

कुछ माननीय सदस्यों ने ऋण ग्रस्तता - आन्तरिक ऋण और बाह्य ऋण, विशेष रूप से बाह्य ऋण के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है । हर व्यक्ति इस बात से अत्यधिक भयभीत दिखाई देता है कि हमें उस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए जिस पर कि अन्य विकासशील देश जा चुके हैं अब वे भयंकर स्थिति में हैं और सभी विकसित देश उनका पूर्णतः शोषण कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमें इस तथ्य की जानकारी है; हम इसके बारे में बहुत सतर्क हैं ; और हम अपनी परियोजनाओं के लिए बुद्धिमत्ता से धन लेने का प्रयास करते हैं, किन्तु साथ ही, हम यह भी ध्यान रखते हैं कि हम उनके द्वारा बिछाए गए किसी जाल में न फंसे ; इस प्रकार के चेतन विचार हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए ।

मैं यह कह सकता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में कुल ऋण, मध्यकालीन और दीर्घ-कालीन ऋण, सरकार के खाते, गैर सरकारी खाते में मिला और बकाया ऋण, अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विदेशी वाणिज्यिक ऋण कुल 55,000 करोड़ रुपये है । इसमें से करीब 70% राशि सरकारी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण दाताओं को सरकारी और गैर-सरकारी लेखे के आधार पर लिए गए ऋणों की हैं (2) 10% से कम राशि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली गई । (3) तीन चौथाई से कम राशि विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की है जबकि विदेशी ऋण के आंकड़े अधिक लग सकते हैं परन्तु यह महत्वपूर्ण है कि भारत और विश्व बैंक के अनुसार अत्यधिक मध्यम आय वाले 17 सबसे अधिक ऋणी देशों के अनुपात की तुलना की जानी चाहिए । 1987-88 में भारत ने सकल राष्ट्रीय आय का कुल 17% ऋण लिया था जबकि अत्यधिक ऋणी देशों का अनुपात 60.8% है । इसकी तुलना नहीं की जा सकती ।

[हिन्दी]

श्री वीरसेन (खुर्जा) : यदि दूसरों के मुकाबले हमारा ज्यादा है तो कोई सन्तोष की बात नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : सन्तोष की बात है या नहीं, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम किसी जाल में नहीं फँस रहे हैं।

[अनुवाद]

दूसरा मुद्दा ऋण की वापसी के बारे में है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का यह 1.8% है जबकि अत्यधिक ऋणी देशों में 1986 में यह 4.9% था। ऋण पर ब्याज को वर्तमान बसूली जमा निर्यात जमा अप्रत्यक्ष से विभाजन करने पर यह 9.5% है जबकि उनके मामले में यह राशि 18.7% है ब्याज को सकल राष्ट्रीय उत्पाद से विभाजित करने पर यह 0.7% बैठता है जबकि उनके मामलों में यह 3.2% है सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारन्टी प्राप्त कुल ऋण में से रियायती ऋण का प्रतिशत 0.8 है जबकि उनके मामले में यह 5.6% है। 1986–87 के विश्व बैंक के तुलनात्मक आंकड़े जो उपलब्ध हैं, इसमें सभी ऋण दाताओं द्वारा भारत से लिए जाने वाले वाले औसत ब्याज की दर 5.1% है जबकि अत्यधिक ऋणी देशों के मामले में यह 7.9% है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जहां निजी क्षेत्र के लोगों के विदेशों से संयुक्त व्यापारिक सम्बन्ध हैं, वहां इनकी क्या आवश्यकता है ?

श्री एस. बी चव्हाण : इसमें समूचे बाह्य ऋण को उचित रूप से जोड़ लिया गया है। मैं तो निश्चित रूप से यही कहूँगा कि यह सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम ऋण के जाल में फंसने जा रहे हैं, यद्यपि हमें भी इस बारे में सचेत रहना होगा। अन्य देशों से ऋण लेने के लिए मैं उस संभावना से इन्कार नहीं कर सकता। यह सम्भव है कि हम उस तरह का ऋण लेने का प्रयास करें। यदि इसका सही तरह से उपयोग नहीं किया जाता तो हमें उस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

अतः हमें इसकी पूरी जानकारी है। हम यह भी जानते हैं और हम इस बारे में सचेत भी हैं ताकि हम उस स्थिति में न पहुँच जाएं।

अगला मुद्दा बचत दर के बारे में है। दुर्भाग्य से यद्यपि हमने छठी योजना करीब 24% बचत के आधार पर व्यापक रूप से शुरू की थी, परन्तु बचत दर गिर गई है और इसी कारण हम पायेंगे कि बचत की तीन-चार योजनाएं बनाई गई हैं जिनकी विशेष रूप से घोषणा की गई है और इनमें बचत करने वालों को विशेष ब्याज दिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि राज्य सरकारें इन योजनाओं तथा इसके अन्तर्ग्रस्त समूचे तन्त्र का सही उपयोग करें। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि "आपने इस बचत योजना को केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित क्यों रखा है, आप इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू क्यों नहीं करते ?" वे भी तो एक तरह से सरकारी कर्मचारी ही हैं। क्या हम इस योजना को उन पर लागू कर सकते हैं यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके प्रति हमें सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना होगा ताकि वे भी बचत करके विकास के

मामले में राष्ट्र की सहायता कर सकें। ये दो उद्देश्य हमारे सामने हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कुछ किया गया है, यदि उसे उन लोगों पर भी लागू किया जाए तो वे भी इसका पूरा फायदा उठा पायेंगे। इसका विस्तार से पता लगाना होगा। मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि योजना का स्वरूप क्या होगा और इसका ब्यौरा क्या है। इन बातों पर हमें विचार करके ब्यौरा तैयार करना होगा।

केवल एक मुद्दा ऐसा है जिसके बारे में मैं आपको स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा और मैंने ऐसा ही किया है। यह गलतफहमी पैदा की गई थी कि हमने सभी मदों पर शुल्क 5% बढ़ाया है इस आम धारणा के विपरीत हमने सभी वस्तुओं पर 5% केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाया है। केवल कुछ मदें ऐसी हैं जिन पर विशेष दर से शुल्क लगायी गयी है।

यह देखा गया है कि जहां ऐसी वस्तुओं के मूल्यों में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, वहां मूल्य वृद्धि के अनुरूप विशिष्ट दर में परिवर्तन नहीं किया गया है। बजट से पूर्व विशिष्ट दरों में 5% वृद्धि करके इन वस्तुओं की दरों की नई तालिका बनाने का प्रयास किया गया था। अतः मुझे यही एक स्पष्टीकरण देना है क्योंकि बहुत से लोगों को यह गलतफहमी हो गई थी और यह, गलत अफवाहें फैलाई जा रहीं थी कि सरकार द्वारा 5% वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। अतः बड़ी मात्रा में उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल, वनस्पति, सूत और सूती वस्त्र तथा बिजली के बल्बों पर शुल्क न लगाने के सम्बन्ध में भी सावधानी बरती गई थी। 5% वृद्धि से एक वर्ष में करीब 220 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह राजस्व मुख्यतः सोडा-वाटर सीमेंट, टायर, कागज-बोर्ड, हस्त निर्मित कागज, सूत और रेशों से प्राप्त होगा। अतः मेरे विचार से इस बात को ठीक से समझा नहीं गया था और वास्तव में विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच यह गलतफहमी हो गई थी कि हमने उस तरह की वृद्धि की है।

केवल एक मुद्दा और है जिसका उल्लेख करके मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा और वह है कुछ स्पष्टीकरणों के बारे में जो वास्तव में बहुत जरूरी है, विशेषकर कृषि के मामले में कृषि के लिए हमने 4000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रखी है और ब्याज दर 14% से घटाकर 12% कर दी है। अतः हमने ऐसा करने का प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे काफी लोग फायदा उठा पायेंगे। जो लोग लघु और सीमांत कृषक की सीमा में आते हैं, उनके मामले में सभी बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि उन्हें उनसे मूल राशि से अधिक वसूल नहीं करना चाहिए। इसे ही हम **डमबुपट** कहते हैं। ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात यह 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने लघु और सीमांत कृषकों के मामले में यह निर्देश दिया है।

कृषि आय से संबंधित संशोधन उपबंध के बारे में मैं एक स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहा हूं।

> "1 अप्रैल 1970 से पहले, कृषि भूमि के स्थानांतरण से होने वाले लाभ पर कर नहीं लगाया जाता था क्योंकि कृषि भूमि को आय कर अधिनियम की धारा 2 (14) में 'पूंजीगत आस्ति' की परिभाषा में नहीं रखा गया है। धारा 2 के खंड 14 के उपखंड (iii) के संशोधन के कारण 1 अप्रैल 1970 से नगरपालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्राधिकार

[श्री एस० बी० चव्हाण]

में आने वाले किसी भी क्षेत्र (जिसकी जन संख्या 10 हजार से कम न हो) में स्थित अथवा किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की सीमाओं के बाहर के क्षेत्र (जिनकी जन-संख्या 10 हजार से कम न हो) में, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी सीमाओं से अधिकतम 8 किलोमीटर दूरी तक, स्थित कृषि भूमि की 'पूजीगत आस्ति' की परिभाषा में शामिल किया गया है और इसलिए ऐसी कृषि भूमि के स्थानांतरण से होने वाले किसी तरह के फायदे को पूजीगत लाभ कराधान के क्षेत्राधिकार में रखा गया था। तथापि, कुछ न्यायालयों ने माना है कि कृषि भूमि की बिक्री से होने वाले लाभ। कृषि आय का अंश हैं और इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत इसे कर से छूट प्राप्त है। कुछ न्यायालों ने माना है कि ऐसी आय-कर योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से इस न्यायिक अपवाद के निपटारे में काफी समय लग सकता है तब तक कानून में अनिश्चितता वांछनीय नहीं होगी। इसलिए युक्तियुक्त उपाय के रूप में, यह प्रस्ताव है कि एक स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित करके यह स्पष्ट किया जाय कि उपर्युक्त भूमि के स्थानातंरण से हुए पूँजीगत लाभ को आय-कर अधिनियम की धारा 2 (1क) के अर्थ में 'राजस्व' नहीं माना जाएगा।"

हमारा यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और अब वे 'आय' की परिभाषा से बिलकुल बाहर हो जायेंगे। कृषक को इस भूमि से जो बहुमूल्य भूमि हो सकती है, लाभ प्राप्त होगा और इसलिए वह ऐसी कृषि भूमि की बिक्री से होने वाली आय का पूरा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

मुर्गी पालन के क्षेत्र में हमने अपवाद किया है। उस क्षेत्र में हमने कुछ रियायतें दी हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था कि डेरी क्षेत्र में भी ऐसी ही रियायतें क्यों नहीं दी जाती। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि वे 'कृषि' की परिभाषा पढ़ें तो वे समझ जायेंगे कि 'कृषि' में 'डेरी' भी शामिल है। इसलिए चूंकि 'कृषि को छूट दी गई है, 'तो डेरी' क्षेत्र को भी स्वतः ही छूट मिल जाती है। यही कारण है कि मुर्गी पालन और डेरी दोनों को छूट दी गई हैं। यह इसकी दूसरी विशेषता है जो माननीय सदस्यों को समझनी चाहिए- (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मछली पालन के बारे में आप क्या कहेंगे ?

श्री० एस० बी० चव्हाण : मछली पालन के बारे में मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। किन्तु जब तक मेरे पास पूरा ब्यौरा न हो, मेरे लिए यहां पर कोई घोषणा करना ठीक नहीं होगा। वित्त विधेयक को अन्तिम रूप देने से पहले, मैं निश्चित रूप से उस मामले की जांच करूंगा। बशर्ते कि उनके पास ट्रालर न हो।

यदि उनके पास ट्रालर न हो - साधारण मछुआरों के मामले में हम उनकी हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है किन्तु हमें इसके लिए पूरा ब्यौरा तैयार करना होगा।

महोदय, मैं इस सदन को फिर आश्वासन देता हूं कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से जानबूझ कर तैयार की गई है। इनमें से एक नेहरू योजना

है। दो योजनाओं का विलय एक अन्य योजना दें। तीसरी बात यह है कि बहुत सी योजनाएं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के झन्डे तले तैयार ही रहे है। अधिकांश सदस्यों को यह पता होगा कि यह काफी हद तक रोजगार उत्पन्न करने वाला संगठन है। यदि प्रत्येक गांव के खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के यूनिट हो, तो मुझे विश्वास है कि उस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी और उस क्षेत्र के लिए किसी नई योजना की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु दुर्भाग्य से हमारी कुछ प्राथमिकताएं हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं वास्तव में जिनकी बहुत मांग है। किन्तु हमें बाबूगीरी वाले काम चाहिए। युवा लोगों को केवल ऐसे काम चाहिए। वे खेतों में काम नहीं करना चाहे भले ही वो आपको 100 रुपये प्रतिदिन देने को तैयार हैं किन्तु आप केवल बाबुओं वाला काम करने को तैयार हैं और खेतों में काम करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि हमारे में यह भावना घर कर गई है कि इस प्रकार का शारीरिक श्रम का काम एक व्यक्तिकी प्रतिष्ठा को कम करना है। इस रवैये को बदलना होगा। और आप पाएंगे कि गांवों और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए, खादी और ग्रामोद्योग एक अन्य क्षेत्र है जहां काफी रोजगार पैदा किया जाने वाला है।

तीसरा क्षेत्र आवास सम्बन्धी गतिविधियों का है जिसे हमने बढ़ावा दिया है। जीवन बीमा निगम की एक आवास योजना है। हमारे यहां आवास वित्त निगम है। हमने जो आवास बैंक स्थापित किया है, वह समाज के छोटे वर्गों को धन देगा। और अन्य सभी बैंकों से भी आवासीय प्रयोजनों के लिए ऋण देने के लिए कहा गया है। आवास क्षेत्र में भी रोजगार की काफी संभावनाएं हैं।

इस प्रकार, हमने इस बजट में जो तीन व चार योजनाएं रखी हैं, उनसे काफी रोजगार उत्पन्न होगा। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार के सहयोग की मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं, उससे हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर पाएंगे जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, शहरों में झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को यह महसूस हो कि वह भी समाज के अंग हैं और समाज उनकी देखभाल के लिए है। हमें इस मामले में इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना होगा। मुझे विश्वास है कि हम सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से इस प्रकार का वातावरण तैयार करने में सफल होंगे।

अब मैं इस बजट पर सभा की स्वीकृति चाहता हूं।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : मैं एक बात क्षेत्रीय विषमता के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने उन उपायों का जिक्र किया है जो उन्होंने किए हैं जिनमें गाडगिल फार्मूला में परिवर्तन, सौफ्ट प्लान अप्रोच, क्षेत्रीय आयोग शामिल हैं। इस सब के बावजूद क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या क्षेत्रीय असमानता में कोई अनुबोधक परिवर्तन आया है ? यदि नहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री द्वारा और क्या नई नीतिअपनाई जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आश्वासन दिया है कि आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएंगे।

जहां तक लघु और सीमान्त किसानों का सम्बन्ध है दाम दुपत ऊन्हें उपलब्ध नहीं होगा। मुझे, मन्त्री महोदय से यह जानकर प्रसन्नता हुई है। किन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि एक छोटा निदेशक एक ऐसा व्यक्ति जो रिक्शा खरीदता है उससे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा और दाम दुपत उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं, माननीय वित्त मन्त्री और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने कुशलता से बजट के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की है और विशेष कर यह मुद्दा जिसके लिए वह उत्तरदायी है और जिस पर इतना विवाद और बहस हुई है अर्थात उन्होंने राजस्व प्रयोजनों के लिए सभी आरक्षित भण्डारों का प्रयोग क्यों किया है। उन्होंने अत्यन्त संतोषजनक उत्तर दिया है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हम उसे बेकार क्यों पड़ा रहने दें जबकि सरकार को कर्ज लेना पड़ता है और बजट घाटे के कारण मुद्रा स्फिति होती है। मैं उनको, उनकी इस ईजाद के साहस पर बधाई देता हूं।

दूसरे महाराष्ट्र सरकार ने भारत में पहली बार प्रत्येक परिवार के एक बालिग सदस्य को रोजगार देने का आश्वासन दिया है। मैं नहीं जानता कि उस समय मेरे आदरणीय मित्र उस सरकार के प्रधान थे या नहीं। मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूं। किन्तु भारत सरकार सम्पूर्ण देश में इसी का विस्तार करना चाहती है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार अपने मार्ग दर्शन तथा अन्य राज्य सरकारों तथा संसद सदस्यों के मार्ग दर्शन के लिए महाराष्ट्र की उस योजना के क्रियान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित करें।

तीसरे मेरे मित्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार संभावनाओं के बारे में ठीक ही कहा है। मुझे विश्वास है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि हथकरघा बुनकरों की हालत बड़ी खराब है और काफी बुनकरों ने आत्महत्या भी की है। उनमें से बहुत से लोग लम्बे समय तक कुपोषण और बेरोजगारी के कारण भी मर गए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र उन लोगों सम्पूर्ण हथकरघा उद्योग की सहायता का कोई तरीका अविलम्ब खोजे। इस उद्योग में लगे लाखों लोग वर्षों से अपने उन्हीं कच्चे पक्के घरों में ही रहते चले आ रहे हैं। इसलिए, नई योजनाओं के माध्यम से उन्हें अपने मकान बनाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएं।

डा० कृपा सिन्ध भोई (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मन्त्री महोदय को निश्चित रूप से बधाई दूंगा, किन्तु, मन्त्री महोदय ने श्री माधवराव सिन्धिया को बधाई दी है। किन्तु मेरे विचार से हम संसद सदस्य उन्हें इसलिए बधाई नहीं दे रहे हैं कि पिछले वर्ष उन्होंने 38% योजना सहायता प्राप्त की थी और इस वर्ष यह घट कर 32% हो गई है। मैं राशि के रूप में सहायता की जिक्र कर रहा हूं। यदि पिछले वर्ष उन्होंने अपने मन्त्रालय के लिए 38% प्राप्त किया था तो इस वर्ष उन्हें वित्त मन्त्री से कहना चाहिए था कि कम से कम वही स्तर बनाए रखें। उदाहरण के लिए मैं सम्बलपुर, तालचर रेललाईन की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत बात की अनुमति नहीं दे सकता। समय कम है और मुझे इसे पूरा करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह पूरा करना है। मैं पूरी बहस फिर से आरम्भ नहीं कर सकता।

डा. कृपा सिन्धु भोई : महोदय, कृपया मेरी बात सुनें उस क्षेत्र से 1 अरब रुपए के हीरों और जवाहरात की तस्करी होती है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगली मद पर बोल सकते हैं। वह इन सब प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

डा. कृपा सिन्धु भोई : मैं मन्त्री महोदय की आन्तरिक संसाधन जुटाने में मदद कर रहा हूं। वह 100 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई दूसरी बात नहीं। यदि आप ऐसी बातें कहते रहे तो मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

डा. कृपासिन्धु भोई : परमाणु संयंत्र पर वे लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन इससे लोगों के मरने की आशंका है क्योंकि ताप नाभिकीय दुर्घटना हो चुकी है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन बातों की अनुमति नहीं दे सकता हूं। जो आप पूछ रहे हैं यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मौहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : मैं माननीय मन्त्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि विदेश जाने वाले यात्रियों पर टैक्स लगाने की जो बात है, क्या जो लोग हज करने के लिए जायेंगे, उनके ऊपर भी यह टैक्स लगाया जायेगा या वे उससे मुस्तसना होंगे ?

[अनुवाद]

श्री सीरसेन : महोदय, मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे वही नियम लघु उद्योगों और रुग्ण उद्योगों पर भी लागू करेंगे जो किसानों पर लागू करते हैं, अर्थात कुल ब्याज की मूल धन से अधिक राशि वसूल नही करेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, माननीय सदस्य श्री महन्ती ने दो मुद्दे उठाये थे। एक मुद्दा ऐसी योजना के सम्बन्ध में था जो अब छोटे तथा मझले भू स्वामियों पर लागू की जाती हैं। ऐसी ही योजना रिक्शा चालकों के लिए भी लागू की जा रही है। मेरे पास कोई उपलब्ध जानकारी नहीं है, किन्तु एक ऐसी योजना है जो समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करती है। सभी कमजोर वर्गों से ब्याज भी विभेदी दर वसूल की जाती है किन्तु मुझे पूरा यकीन नहीं है कि क्या इसके अन्तर्गत सभी रिक्शाचालाक भी आते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में मुझे तथ्यों का पता लगाना पड़ेगा और फिर मैं सदस्य महोदय को जानकारी दे सकता हूं।

3.00 म. प.

महोदय, मुझे बुनकरों से पूरी सहानुभूति है। मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसे बहुत सारे बुनकर हैं जिनकी स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। मैं यह भी जानता हूं कि कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो इन गरीब बुनकरों का शोषण कर रहे हैं। जो भी राशि सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में उपलब्ध की गई थी, किसी ने उसका दुरुपयोग किया है। निश्चय ही मैं इस तथ्य का

[श्री एस० बी० चव्हाण]

पता लगाऊँगा। मेरे पास कोई बनी बनाई योजना नहीं है। किन्तु मैं वस्त्र मन्त्रालय से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। किन्तु निश्चय ही इस वर्ग को सहायता मिलनी चाहिए और इस बात को अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इस मामले में तत्काल क्या कार्यवाही की जाएगी और यह योजना के स्वरूप और इसके समग्र वित्तीय परिणामों पर निर्भर करता है।

माननीय सदस्य ने जो मुद्दा अन्त में उठाया वह यह है कि मैंने जो अपने साथी रेल मन्त्री को बधाई दी थी, उन्हें इस बात पर आपत्ति है। यह इसलिए है कि वहां एक विशेष लाइन है जिसके लिए मैंने उन्हें बधाई दी है। यह तथ्य अपने आप में गर्व की बात है कि जितने माल का पारेषण किया जाता है, वह योजना के दौरान उठाए जाने से दुगना है। इसी कारण से मैंने उन्हें बधाई दी है। यह तो देश के समग्र हित में है और माल ढुलाई में निश्चत दर पर वृद्धि हुई है ताकि अधिक राशि प्राप्त हो और उन सभी रेल लाइनों के लिए इस राशि का अपेक्षित उपयोग किया जा सके। यह राष्ट्र के हित में है और इसलिए मैंने उन्हें इस मामले में उनके द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए जानबूझ कर बधाई दी है।

(व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती : मेरा प्रश्न रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में था।

श्री एस० बी० चव्हाण : रुग्ण उद्योगों के मामले में भी हमारे पास आई० बी० आर० आई० तंत्र उपलब्ध हैं और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव दिया है और यह अलग-अलग योजनाओं के गुणों पर निर्भर करता है। एक वर्ग के तौर पर संभवतः मैं यह नहीं कह सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्याज की रियायती दर दी जायगी किन्तु रुग्ण उद्योग को पुनः आरम्भ करने के लिए यदि यह एक व्यवहार्य इकाई है और यदि केन्द्र की सहायता के बिना इसे पुनः आरम्भ नहीं किया जा सकता है, तो निश्चय ही हमने ऐसी रुग्ण इकाइयों को सहायता देने की जिम्मेदारी ली है यह नीति सम्बन्धी मामला है जिसके बारे में हमने निर्णय लिया है। यदि यह एक रुग्ण इकाई है, चाहे व्यवहार्य हो या नही, तो इसको सहायता देने के मामले में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1989-90 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में मांग संख्या 1 से 28, 30, 31, 33 से 86,88, 90 से 95 के सामने दिखलाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के सम्बन्ध में कार्य सूची के स्तम्भ 5 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1989-90 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

	राजस्व रुपए Rs.	पूंजी रुपए Rs.
कृषि मन्त्रालय		
1. कृषि	70,79,00,000	3,34,00,00
2. कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें	56,77,00,000	25,88,00,000
3. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	38,50,00,000	
4. ग्रामीण विकास विभाग	1072,97,00,000	5,00,000
5. उर्वरक विभाग	1015,94,00,000	41,75,00,000
नागर विमानन मन्त्रालय		
6. नागर विमानन विभाग	12,09,00,000	3,11,00,000
7. पर्यटन विभाग	8,15,00,000	3,01,00,000
वाणिज्य मन्त्रालय		
8. वाणिज्य विभाग	292,88,00,000	28,24,00,000
9. पूर्ति विभाग	3,79,00,000	
संचार मन्त्रालय		
10. संचार मन्त्रालय	1,08,00,000	
11. डाक सेवायें	204,79,00,000	8,03,00,000
12. दूर संचार सेवायें	529,53,00,000	364,58,00,000
रक्षा मन्त्रालय		
13. रक्षा मन्त्रालय	121,67,00,000	29,33,00,000
14. रक्षा पेंशनें	224,93,00,000	
15. रक्षा सेवायें-थल सेना	1128,59,00,000	
16. रक्षा सेवायें-नौ सेना	130,75,00,000	
17. रक्षा सेवायें-वायुसेना	312,26,00,000	
18. रक्षा आयुध कारखाने	23,35,00,000	
19. रक्षा सेवायें पर पूंजी परिव्यय		649,08,00,000
ऊर्जा मन्त्रालय		
20. कोयला विभाग	24,75,00,000	250,83,00,000
21. विद्युत विभाग	60,31,00,000	332,87,00,000
22. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	18,74,00,000	55,00,000
पर्यावरण और वन मन्त्रालय		
23. पर्यावरण और वन मन्त्रालय	35,11,00,000	51,00,000

विदेश मन्त्रालय		
24. विदेश मन्त्रालय	82,89,00,000	10,73,00,000
वित्त मन्त्रालय		
25. आर्थिक कार्य विभाग	66,66,00,000	24,86,00,000
26. करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	49,17,00,000	30,86,00,000
27. वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	49,34,00,000	811,03,00,000
28. पेंशनें	88,74,00,000	
30. राज्य सरकारों को अन्तरण	625,94,00,000	17,50,00,000
31. सरकारी सेवकों आदि को उधार		30,17,00,000
33. व्यय विभाग	134,30,00,000	42,00,000
34. लेखा परीक्षा	37,48,00,000	
35. राजस्व विभाग	29,30,00,000	51,00,000
36. प्रत्यक्ष कर	32,16,00,000	20,00,00,000
37. अप्रत्यक्ष कर	51,43,00,000	21,23,00,000
खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय		
38. खाद्य विभाग	395,84,00,000	29,43,00,000
39. नागरिक पूर्ति विभाग	4,99,00,000	64,00,000
खाद्य संसाधन उद्योग मन्त्रालय		
40. खाद्य संसाधन उद्योग मन्त्रालय	2,67,00,000	1,68,00,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय		
41. स्वास्थ्य विभाग	71,59,00,000	27,87,00,000
42. परिवार कल्याण विभाग	122,81,00,000	26,00,000
गृह मन्त्रालय		
43. गृह मन्त्रालय	31,07,00,000	1,33,00,000
44. मन्त्रिमण्डल	3,50,00,000	
45. पुलिस	206,82,00,000	24,28,00,000
46. गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय	42,56,00,000	24,04,00,000
47. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	10,37,00,000	5,51,00,000
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय		
48. शिक्षा विभाग	253,68,00,000	13,00,000
49. युवा कार्य और खेल विभाग	15,92,00,000	32,00,000
50. कला और संस्कृति	18,79,00,000	3,42,00,000
51. महिला और बाल विकास विभाग	49,51,00,000	33,00,000

उद्योग मन्त्रालय		
52. औद्योगिक विकास विभाग	57,50,00,000	45,34,00,000
53. कम्पनी कार्य विभाग	1,33,00,000	1,00,000
54. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	2,83,00,000	14,01,00,000
55. सरकारी उद्यम विभाग	6,04,00,000	69,90,00,000
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय		
56. सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	12,71,00,000	45,00,000
57. प्रसारण सेवायें	85,37,00,000	50,39,00,000
श्रम मन्त्रालय		
58. श्रम मन्त्रालय	50,15,00,000	21,00,000
विधि और न्याय मन्त्रालय		
59. विधि और न्याय	30,99,00,000	
संसदीय कार्य मन्त्रालय		
60. संसदीय कार्य मन्त्रालय	17,00,000	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय		
61. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	6,87,00,000	54,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
62. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	18,56,00,000	27,53,00,00
योजना मंत्रालय		
63. आयोजना	6,80,00,000	2,08,00,000
64. सांख्यिकी विभाग	6,22,00,000	....
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
65. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	14,00,000	....
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
66. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	38,30,00,000	5,26,00,000
67. वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग	37,64,00,000	88,00,000
68. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	8,44,00,000	75,00,000
इस्पात और खान मंत्रालय		
69. इस्पात विभाग	10,11,00,000	107,79,00,000
70. खान विभाग	26,22,00,000	10,54,00,000
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय		
71. जल-भूतल परिवहन	4,96,00,000	24,40,00,000

72. सड़कें	53,69,00,000	173,64,00,000
73. पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	18,71,00,000	76,55,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
74. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	94,54,00,000	51,88,00,000
शहरी विकास मंत्रालय		
75, शहरी विकास और आवास	16,25,00,000	19,78,00,000
76. लोक निर्माण कार्य	29,61,00,000	21,27,00,000
77. लेखन-सामग्री और मुद्रण	13,01,00,000	72,00,000
जल संसाधन मंत्रालय		
78. जल संसाधन मंत्रालय	54,51,00,000	3,44,00,000
कल्याण मंत्रालय		
79. कल्याण मंत्रालय	50,33,00,000	60,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग		
80. परमाणु ऊर्जा	63,11,00,000	96,34,00,000
81. न्यूकलीय विद्युत योजनाएं	70,70,00,000	40,00,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग		
82. इलेक्ट्रानिकी विभाग	12,76,00,000	5,39,00,000
महासागर विकास विभाग		
83. महासागर विकास विभाग	4,82,00,000	48,00,000
अन्तरिक्ष विभाग		
84. अन्तरिक्ष विभाग	44,18,00,000	43,93,00,000
संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
85. लोक सभा	2,93,00,000	
86. राज्य सभा	1,16,00,000	
88. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	4,00,000	
गृह मन्त्रालय - संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)		
90. दिल्ली	138,89,00,000	72,73,00,000
91. अंदमान और निकोबार	20,55,00,000	13,24,00,000
92. दादरा और नगर हवेली	4,22,00,000	1,08,00,000
93. लक्षद्वीप	4,84,00,000	2,49,00,000
94. चण्डीगढ़	23,67,00,000	6,44,00,000
95. दमन और दीव	2,43,00,000	1,70,00,000

3.03 म. प.

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1986*

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी आये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं ।

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं प्रस्ताव करता हूं;**

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करते हैं :
प्रश्न यह है;

"कि खंड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत ।

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विधेयक पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.06 म० प०

रेल अभिसमय समिति के १३वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प

रेल बजट 1989-90—अनुदानों की माँगें और अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेल), 1989-90

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब रेल अभिसमय समिति,1985 की सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प पर विचार करेगी और 1989-90 के अनुदानों की मांगों और 1988-89 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में अनुमोदन पर चर्चा तथा मतदान आरंभ करेगी जिसके लिए 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं ।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनकी अनुदानों की मांगों के कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे अपनी पर्चियां 15 मिनट के अन्दर-अन्दर सभा पटल पर भेज दें जिसमें वे उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या लिखें जिनका वे प्रस्ताव करना चाहते हैं । केवल इन प्रस्तावों को ही प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा ।

प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की एक सूची शीघ्र ही सूचना-पट पर लगाई जाएगी । यदि किसी सदस्य को सूची में कोई भिन्नता दिखाई दे तो कृपया बिना किसी विलम्ब के सभापटल अधिकारी की नोटिस में लाएं

अब श्री माधवराव सिंन्धिया प्रस्ताव करेंगे ।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से संबन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति, 1985 के तेरहवें प्रतिवेदन, जो 22 फरवरी, 1989 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट पैरा 9 से 12 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है ।"

---

*दिनांक 17 मार्च, 1989 के भारत के राज्यपाल-असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

महोदय, 29 मार्च, 1985 को लोकसभा में पारित तथा 28 मार्च,1985 को राज्य सभा में स्वीकृति प्राप्त संकल्प के द्वारा 21 मई, 1985 को रेल अभिसमय समिति का गठन किया गया था। यह समिति "रेल उपक्रम द्वारा फिलहाल राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त अर्थात सामान्य वित्त से संबन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने और तत्संबंधी सिफारिशें करने के लिए" सातवीं योजना अवधि (1985-90) के लिए नियुक्त की गई थी।"

रेल मन्त्रालय ने चौथा अन्तरिम ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें समिति से निवेदन किया गया था कि रेल अभिसमय समिति, 1980 द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उनकी अन्तिम सिफारिश मिलने तक वर्ष 1989-90 के लिए रेल और सामान्य वित्त के बीच वित्तीय व्यवस्था जारी रखने और वर्ष 1988-89 के लिए उसे लागू रखने का अनुरोध किया गया था और, जिसके लिए समिति को ज्ञापन भी दिया गया है। रेल अभिसमय समिति, 1985 ने इस बीच अन्तरिम ज्ञापन पर विचार किया है और यथा समय समिति की अन्तिम सिफारिशों के पश्चात् पूर्वव्यापी समायोजनों के अध्यधीन उसमें किए गए रेल मन्त्रालय के प्रस्तावों को स्वीकार किया है।

इन शब्दों के साथ मैं यह संकल्प सभा के विचार के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त यथा सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने के लिये नियुक्त रेल अभिसमय समिति, 1985 के तेरहवें प्रतिवेदन, जो 22 फरवरी, 1989 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट पैरा 9 से 12 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांगशीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाए गए मांगशीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनाधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :– मांग संख्या 4,9,10,12,13, और 16।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की सं०	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांग की राशि
		रु०
1	रेलवे बोर्ड	9,20,14,000
2	विविध व्यय (सामान्य)	65,32,07,000
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें	431,93,78,000
4	रेलपथ और निर्माणकार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	902,20,81,000
5	रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण	702,15,47,000
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	940,83,94,000
7	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	482,14,05,000
8	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	766,38,45,000
9	परिचालन व्यय—यातायात	1147,17,71,000
10	परिचालन व्यय—ईंधन	1433,28,93,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधायें	309,05,93,000
12	विविध संचालन व्यय	472,95,76,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृति लाभ	706,35,32,000
14	निधियों में विनियोग	26,21,00,00,000
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन	856,39,62,000
16	परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव :	
	राजस्व	50,01,74,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	5058,65,55,000
	रेलवे निधियां	1886,07,33,000

लोक सभा की स्वीकृति हेतु, प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग सं०	मांग का नाम	मांग की रकम जो सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जानी है
		रु०
4	रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	8,52,92,000
9	परिचालन व्यय—यातायात	19,00,18,000
10	परिचालन व्यय—ईंधन	30,82,36,000
12	विविधि संचालन व्यय	5,78,77,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	80,34,29,000
16	परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण तथा बदलाव :	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1,00,000
	रेलवे निधि	30,64,18,00

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत बोलेंगी।

[हिन्दी]

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

इस देश में रेलवे एक सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, जिसका कार्य बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। मान्यवर, जो रेलवे बजट पेश किया गया था, वह इतने अधिक व्यवस्थित तरीके से पेश किया गया कि उससे यह सिद्ध होता है कि एक बहुत ही विवेकशील, बहुत सोच–समझ कर और जिम्मेदाराना तरीके से यह रेलवे बजट बनाया गया। मान्यवर, खास तौर से इसमें जो नई रेलवे लाइनें बनाने की बात कही गई है, उसका मैं बहुत अधिक स्वागत करती हूँ और खास तौर पर रेलवे मन्त्री जी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कोटा से चित्तौड़गढ़ तक बड़ी लाइन इतनी शीघ्र पूरी करवाने में मदद की और यह बहुत ही सुखद आश्चर्य है क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 31 मार्च तक यह लाइन पूरी हो पाएगी परन्तु मन्त्री जी के सतत प्रयत्नों और इस विभाग के फुर्ती से किए गए काम का यह परिणाम है कि कोटा-चित्तौड़गढ़ ब्रोड गेज लाइन पूरी हुई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी बहुत लम्बे समय से एक अभिलाषा रही है। यह रेलवे लाइन ऐसे स्थानों को जोड़ती है, जो एतिहासिक स्थान है और जहां पर मीरा का नाम कोई नहीं भुला सकता।

इसलिए इस तरफ जो भी आप रेल चलाएं, उसके लिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि उसका नाम मीरा एक्सप्रेस जरूर होना चाहिए। क्योंकि 1980 से जब से मैं लोक सभा में आयी हूं मैंने मीरा एक्सप्रेस की बात जरूर कही है। इसलिए आप जो नई रेल चलाएं उसके लिए मेरी प्रार्थना पर जरूर ध्यान दें।

राजस्थान रेलवे की दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़ा हुआ प्रांत है। अगर हम यह कहें कि इसके लिए जो भी कार्य हुआ है वह बहुत आंशिक है तो उसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्यों कि राजस्थान की राजधानी जयपुर भी ब्राडगेज से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए रेल मन्त्री जी कम से कम एक छोटा सा टुकड़ा ब्राडगेज का उससे जोड़ दें जिससे कि ब्राडगेज से जुड़ जाए। सवाई माधोपुर तक ब्राडगेज लाइन जाती है। अगर उसे जयपुर तक जोड़ देते हैं तो इससे राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर ब्राडगेज से जुड़ सकती है।

लम्बे समय से हमारी यह भी मांग रही है कि दिल्ली-अहमदाबाद रेलवे लाईन जो कि बाया जयपुर होकर जाती है उसका की कार्य पूरा हो। उसके सर्वेक्षण के लिए भी इस बार आपने कुछ प्रावधान नहीं रखा है। कम से कम इस इलाके में जहां पर कि जयपुर और अजमेर आदि बहुत सारे इलाके जुड़ते हैं, उसके लिऐ भी मन्त्री जी ध्यान दें।

मन्त्री जी ने हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। परन्तु टूरिस्ट्स के प्वाएंट आफ व्यू से एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है जिसका नाम चेतक एक्सप्रेस है। यह चेतक एक्सप्रेस बहुत सारे टूरिस्ट्स सेन्टर्स को जोड़ती है; जैसे गुलाबी नगरी जयपुर, प्रसिद्ध दरगाह के नगर अजमेर शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ और झीलों की नगरी उदयपुर। इसके बारे में आपने केवल एक प्रार्थना पर ध्यान दिया है कि इसमें डीजल-इन्जन लगा दिया है। बाकी और किसी तरह का परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। इसमें देशी और विदेशी टूरिस्ट्स

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

यात्रा करते हैं। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि इसमें फर्स्ट ए०सी० नहीं तो ए० सी० चेयर को इस चेतक एक्सप्रेस में जरूर जोड़ दें।

इसके बारे में दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इसके टाईम शेडयुल को बदलने के लिए भी हमने कई बार आप से कहा है। क्योंकि महत्वपूर्ण यह ट्रेन है जिसका कि नाम चेतक एक्सप्रेस है। राणा प्रताप के घोड़े चेतक जिसका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, के नाम पर इस का नाम रखा गया है। इसलिए इसकी गति को आप चेतक के समान ही बनाइए तभी इसका नाम उपयुक्त होगा। बहुत से लोग तो इसे खच्चर एक्सप्रेस भी कह देते हैं। इससे इसका महत्व नहीं रहता। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इसकी गति बढ़ायी जाए और इसका टाईम बदला जाए। यह उदयपुर से 6 बजे चलकर के दूसरे दिन ढाई बजे दिल्ली पहुँचती है। जब आप नया टाईम टेबिल बनाने जा रहे है तो उसमें आप यह तो करिये कि यह गाड़ी दिल्ली कम से कम 10 या 11 बजे पहुँच जाए। इसमें लोगों को काफी अधिक सुविधा होगी। अब क्या होता है कि दिन में ढाई बजे यह गाड़ी दिल्ली पहुँचती है जिससे कि कोई उस दिन कोई काम दिल्ली में नहीं कर सकता है। उसे दूसरे दिन रुकना पड़ता है और इस तरह के उसके तीन दिन लग जाते हैं। यदि यह टाईम पर दिल्ली पहुँचती है तो यात्री का एक दिन बच सकता है। इसलिए इसका टाईम परिवर्तन किया जाए।

आपने पिंक सिटी जो कि पहले सप्ताह में तीन दिन चलती थी उसको अब 6 दिन कर दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। परन्तु इसमें या तो ट्रेक में कुछ डिफेक्ट है या कोई और डिफेक्ट है कि इसमें जो बैठने वाला आदमी है वह जब शाम को अपने घर पहुँचता है तो धूल में सना हुआ पहुँचता है। इसमें आप ए. सी. या और किसी प्रकार की सुविधा जरूर करें।

एक निवेदन और करना चाहती हूं, कोटा जिले में रामगंज मण्डी नामक स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वहां पर पत्थर की सबसे बड़ी मण्डी है और राजस्थान का कोटा स्टोन सारे हिन्दुस्तान में यहीं से जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर तेज गति से रुकने वाली ट्रेन नहीं है। कई बार इसके लिए लिखकर दिया है, मेरा निवेदन है कि फ्रंटियर मेल या अवध एक्सप्रेस जो इस रास्ते से गुजरती हैं, इनका स्टापेज रामगंज मन्डी पर किया जाए, ताकि वहां के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

राजस्थान में कई नई रेलवे लाइन्स की आवश्यकता है, खासतौर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी इलाका है, वहां पर ट्रेन की सुविधा नहीं है। अभी नहीं, लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम ऐसे आदिवासी इलाके को रेल सुविधा से जोड़ने के लिए जरूर सरवे करवाए, जिससे इस इलाके को सुविधा मिल सके। एक निवेदन और है कि जयपुर से बड़ी सादड़ी ट्रेन जाती है, यदि इसको छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और दोहद तक सर्वे कराते हैं तो यह आदिवासी इलाका भी रेल सुविधा प्राप्त कर सकेगा, उनके लिए भी विकास के रास्ते खुल जाएंगे, इसलिए इस पर अवश्य ध्यान दीजिए।

रेलवे विभाग के कई फाटक बिना आदमी के हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह 7-8 बजे तक दरवाजा खुलता है, कई बार तो ऐसा

होता है कि बीमार आदमी अस्पताल में नहीं पहुँच पाता, इस तरह की परेशानियां मेरे क्षेत्र के लोगों को हो रही हैं। इसलिए कम से कम वहां पर एक आदमी अवश्य रखें।

मुसाफिरों की सुविधाओं के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि पीने के पानी की व्यवस्था एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा दूसरी यात्री गाड़ियों में भी कंटेनर आदि द्वारा करनी चाहिए, ताकि यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इसी तरह से पहले महिलाओं के लिए रिजर्व डिब्बे होते थे, लेकिन आजकल उनके न होने से महिलाओं को यात्रा में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसकी व्यवस्था भी फिर से की जानी चाहिए।

कभी-कभी यात्रियों को सामान ले जाने में काफी असुविधा होती है, मेरा निवेदन है कि जैसे एयरपोर्ट पर सामान ले जाने लिए ट्राली होती है, कुछ स्टेशनों जैसे मद्रास में भी यह सुविधा है इसी तरह से दिल्ली आदि बड़े स्टेशनों पर भी इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो।

एक निवेदन और है कि बहुत से यात्रियों को पत्र-पत्रिकाएं ट्रेन में पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन काफी महंगी होने की वजह से लोग उनको खरीद नहीं पाते। इसलिए डिब्बे में कंडक्टर के पास पत्र-पत्रिकाएं होनी चाहिए और थोड़े पैसे के बदले में यात्रियों को यह सुविधा दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने जो डिमांड रखी हैं, उनका मैं समर्थन करती हूं और निवेदन करती हूं कि राजस्थान जैसी बहुत बड़ी स्टेट के लिए विशेष प्रकार का आवंटन निश्चितरूप से किया जाना चाहिए।

(अनुवाद)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोत्रानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(मंगलोर और बम्बई के बीच (दक्षिण रेलवे) प्रतिदिन रेल सेवा चलाने में असफलता) 159

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(मंगलोर और शोरुवण्णूर के बीच (दक्षिण रेलवे)दोहरी लाइन बिछाने में असफलता)160

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया कम किया जाये।"

(तिरूर, कालीकट और शोरुवण्णूर (दक्षिण रेलवे) के पिछड़े क्षेत्रों के गरीब किसानों के लिए पान के पत्तों जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, की ढुलाई के लिए तीव्र गति की पर्याप्त रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने में असफलता जिसके कारण इस शीघ्र खराब होने वाली सामग्री की भारी हानि होती है) 161

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(दक्षिण रेल के अन्तर्गत मालाबार क्षेत्र के लिए पर्याप्त यात्री गाड़ी सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता) 162

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[श्री जी० एम० बनातवाला]

(त्रिचूर-गुरुवायूर रेलवे लाइन (दक्षिण रेलवे) को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता) (163)

"कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

(मंगलोर और बम्बई को जोड़ने वाली पश्चिम तटवर्ती रेलवे लाइन को शीघ्र पूरा किये जाने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता।) (164)

"कि परिसम्पत्तियां–खरीद, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में भी 100 रुपये कम किए जायें।"

(दक्षिण रेल के पालघाट मंडल में कुट्टिपुरम और फेरोक (दोनों सहित) के बीच रेलवे स्टेशनों में सुधार किए जाने, पर्याप्त छत बनाने, दूसरे प्लेटफार्म का निर्माण करने, ऊपरि पैदल पारपथ बनाने और मछलियों की टोकरियों आदि जैसे सामान की बुकिंग कराने के लिए अलग शेड़ बनाने की आवश्यकता।) (165)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

(तिरूर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे, पालघाट मण्डल) के दोनों प्लेटफॉर्मों को जोड़ने के लिए ऊपरि पैदल पारपथ को व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता) (166)

"कि परिसम्पकियां-खरीद, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 10 रुपए कम किए जायें।"

(तिरूर रेलवे स्टेशन पालघाट मंडल (दक्षिण रेल) के दूसरे प्लेटफार्म पर पर्याप्त छत की व्यवस्था किए जाने को आवश्यकता) 167)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट पर विस्तार से नहीं बोलूंगा लेकिन मैं केरल के मालाबार क्षेत्र में रेलगाड़ियों की सुविधाओं में पर्याप्त सुधार लाने का आग्रह करने के लिए इस अवसर का उपयोग करूंगा।

जैसी स्थिति है, उसके अनुसार रेलगाड़ी सुविधाओं के मामले में केरल अत्यधिक उपेक्षित है और केरल में भी मालबार सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र है। हम बार-बार माननीय मंत्री महोदय, रेल प्रशासन और अन्य से अनुरोध करते रहे हैं लेकिन इनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।

महोदय, मैं इस सभा में पिछले कई वर्षों से यह अनुरोध करता रहा हूं कि गुरुवायूर-कुट्टिपुरम में रेलवे लाइन बिछाई जाये। दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल में गुरुवायूर-कुट्टिपुरम रेलवे लाइन के लिए बार बार आग्रह के बाद तत्कालीन रेल मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने घोषणा की थी कि इस पर कार्य प्रारम्भ किया जायगा। लेकिन उसके बाद से इस विशेष रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए बजट में आवंटन बहुत अपर्याप्त रहा है। यदि इसी प्रकार अपर्याप्त आवंटन होता रहेगा तो निकट भविष्य में इस रेलवे लाइन का पूर्ण होना बिल्कुल भी संभव नहीं

है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए ताकि गुरुवायूर-कुट्टिपुरम रेलवे लाइन यथा संभव शीघ्र ही पूर्ण हो जाए।

महोदय, शुद्धि के अध्याधीन मेरे विचार से माननीय रेल राज्य मन्त्री श्री माधवराव सिंधिया ने वायदा किया था कित्तिचूर-गुरुवायूर की नई लाइन मई 1991 तक पूर्ण हो जाएगी। मैं समझता हूं कि यह आश्वासन 30 अगस्त, 1988 को दिया गया था। अब हम इस सरकार से बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि वह कम से कम अपना वायदा तो पूरा करे और यह सुनिश्चित करे कि वायदे पूर्ण किए जाए और इस रेलवे लाइन के कार्य में तेजी लाई जाऐ। अब हमें बताया जा रहा है कि यह सब धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हम अनेक वर्षों से इस रेलवे लाइन के लिए अनुरोध करते रहे हैं इसका सर्वेक्षण किया गया था और सारे कार्य हुए थे। तथा तब रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई थी। अब हमें बताया गया है कि सारी परियोजना काफी समय बाद पूरी होगी। इसलिये मैं पुरजोर अनुरोध करता हूं कि पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए और तेजी से कार्य हो ताकि वायदे के मुताबिक मई 1991 तक नियत समय में यह परियोजना पूरी हो जाए।। वास्तव में मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि आग्रह कर सकू कि यह लाइन 1991 से पूर्व ही पूरी होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस आग्रह पर आवश्यक ध्यान दिया जाएगा।

महोदय, मैं कहता हूं कि सरकार का उचित ध्यान न पाने के लिए मालाबार अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी छोटी छोटी मांगों पर भी विचार नहीं किया जाता है। जब हम दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक के पास जाते हैं तो उनका उत्तर भी वही घिसापिटा होता है और तकनीकी प्रकार के उत्तर दिये जाते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हम माननीय रेल मन्त्री के पास भी गये थे। हमरा आग्रह व्यर्थ ही गया था। तिरूर से हमें पान के पत्ते मिलते हैं। तिरुर दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल के अन्तर्गत आता है। कालीकट, तिरूर और शोरूवण्णूर पिछड़े क्षेत्र हैं। यहां पान के पत्तों का ही मुख्य व्यवसाय होता है। आप जानते हैं कि पान के पत्ते अर्थात पान, जल्दी नष्ट होने वाली चीज है। इनकी टोकरियां प्लेटफार्मों पर अधिक दिनों तक पड़ी हुई नहीं रह सकती और इस कारण नुकसान होता है। तिरूरु, शोरूवण्णूर और कालीकट के पिछड़े क्षेत्रों में पान के पत्तों के व्यापारियों और कृषकों की प्रतिदिन 10 टन की आवश्यकता होती है। लेकिन मुश्किल से चार टन का कोटा ही आवंटित किया गया है जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन पान के पत्ते उठाने की क्षमता में 6 टन की कमी रहती है। इसके अतिरिक्त पान के पत्ते नष्ट हो जाते हैं और ये निर्यात भी होते हैं। पान के पत्तों के नष्ट होने से हमें न सिर्फ विदेशी मुद्रा की क्षति होती है बल्कि कृषकों को, इन पिछड़े क्षेत्रों के गरीब किसानों को भी नुकसान होता है। कुछ दिन पहले में माननीय मन्त्री महोदय के पास गया और कहा "भगवान के लिए कुछ कीजिए ताकि ये टोकरियां रेलवे स्टेशनों पर नष्ट न हों।" जब मैं वापस गया तो पाया कि विद्यमान कोटे को भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जबकि मैं तो कोटा बढ़ाने का आग्रह कर रहा था। यह कैसी स्थिति है ? हमारे पड़ौसी देशों को निर्यात हो रहे इस पान के उत्पादक इस अत्याधिक पिछड़े क्षेत्र के गरीब कृषकों को तकलीफें उठानी पड़ रही हैं मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि कालीकट, तिरूर और शोरुवण्णूर के लोगों से पान लाने के कोटे के लिए मद्रास में कोटे में आवश्यक वृद्धि की जाए। मुझे आशा है कि उनकी इस शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा :

[श्री जी० एम० बनातवाला]

तिरूर को ही लीजिए। काफी आग्रह के बाद वहां दूसरा प्लेटफार्म बना। लेकिन दूसरा प्लेटफार्म काफी नीचा है। मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। लेकिन यह मानक आकार का नहीं है। यह बहुत नीचा है। मैं भी जब वहां जाता हूं तो गाड़ी में चढ़ने के लिए मुझे दो आदमियों की सहायता की आवश्यकता होती है, फिर बूढ़े लोग और महिलायें हैं, ऐसी दयनीय स्थिति है कि मालाबर के लोगों के लिए सही आकार का एक प्लेटफार्म भी नहीं बनाया जा सकता है। उस प्लेटफार्म का तल भी उचित प्रकार से नहीं बनाया गया है। वहां यह स्थिति है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने भाषण अभी शुरू किया है। कृपया मुझे सुनिए। मैंने नौ कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। यह अत्याधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे प्लेटफार्म पर कोई छत नहीं है, केरल के इस भाग में मानसून की वर्षा होती है और मानसून आने वाला है यह आने वाला ही अत्यधिक मात्रा में है। एक प्लेटफार्म को दूसरे प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए कोई ऊपरी पुल नहीं है। प्लेटफार्म पर पहुँचने के लिए रेल पटरियों पर से कूद कर पटरियों को पार करना पड़ता है। नीचे कूदने और फिर दूसरे छोर पर ऊपर चढ़ने के लिए दो या तीन व्यक्ति आमतौर पर मेरी मदद करते हैं। यह स्थिति सिर्फ तिरूर रेलवे स्टेशन की ही नहीं बल्कि फेरोक और कुट्टिपुरम के बीच सभी रेलवे स्टेशनों की यही स्थिति है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि इन स्टेशनों पर पर्याप्त यात्री सुविधायें हों।

फिर वहां पर मछलियों की टोकरियां भी आती हैं। वहां सभी प्लेटफार्मों पर मछलियों की टोकरियां पड़ी रहती हैं और सारा क्षेत्र गन्दा रहता है। क्या आप इन मछलियों की टोकरियों की बुकिंग करने के लिए एक पृथक शेड नहीं बना सकते हैं? इस उद्देश्य के लिए एक पृथक छोटा शेड बनाने के लिए अधिक लागत की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बहुत अधिक बजट की मांग नहीं कर रहा हूं। यह तो छोटी छोटी मांगें हैं।

हमें अत्याधिक खराब सवारी डिब्बे दिए जाते हैं। हाल ही में मैं 49 कन्नानौर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस की प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहा था। मैंने पाया कि सभी सीटें टूटी हुई थी और हैंडल टूटकर हमारे हाथ में आ गये। फिर मैं शौचालय में जाने के लिए उठा। मेरी तो भगवान ने ही मदद की क्योंकि शौचालय में पहुँचने से पूर्व ही मैंने पाया कि टैंक से पानी नीचे बह रहा था और सीधा डिब्बे में आ रहा था। लोगों ने मुझे बताया, "माननीय संसद सदस्य, यह तो रोजमर्रा की बात है।" ये सिर्फ लोगों से सुनी हुई बातें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत अनुभव है। हम इस तरह कब तक कष्ट उठायेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों में बहुत असन्तोष है। कृपया स्थिति की तरफ ध्यान दीजिए। धैर्य की एक सीमा होती है। इस सम्बन्ध में मैंने नौ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं गाड़ियों की सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं तथा सोरनूर पलघाट खंड में लोगों के लिए यात्री सुविधायें नहीं है: वहां पर्याप्त कोटा नहीं है' इसलिए आज मैंने केवल एक बात पूछी है। इन सभी वर्षों में मैं रेलवे बजट के बारे में एक व्यापक भाषण देता रहा हूं, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है इसलिये मैंने सोचा कि आज मुझे लोगों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहिए।

मंगलौर से बम्बई तक गाड़ियों की सुविधाओं के बारे में मन्त्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था । उस समय मन्त्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि यदि प्रतिदिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में पाँच दिन गाड़ी अवश्य चलेंगी यह आश्वासन बहुत दिन पहले दिया गया था ।फरवरी 1988 में उसी आश्वासन को दोहराया गया था परन्तु 5 दिन के बजाए गाड़ी मुश्किल से 3 दिन ही चल रही है । हम रोजाना चलाने के लिए कह रहे हैं परन्तु आपका आश्वासन पूरा नहीं हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करने का समय है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं बाद में भाषण जारी रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप दो-तीन मिनट में समाप्त कर सकते हैं ? अन्यथा आपको बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ेगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

हम भी कहते रहे हैं कि मंगलौर और बम्बई के बीच यह गाड़ी

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री कुछ कहना चाहती हैं ।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं एक प्रस्ताव रखूंगी, तत्पश्चात माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं । हमें आज 3.30 म० प० पर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य शुरू करने हैं । मैं प्रस्ताव करती हूं कि हम इस चर्चा को जारी रखें और रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगें 4.15 म० प० या उससे पहले पारित करें ताकि सदस्य इस अवसर का लाभ उठा सकें । हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 4.15 म० प० तक स्थगित कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इन 45 मिनटों का समायोजन कर सकते हैं और सभा की कार्यवाही 6.45 म० प० तक बढ़ा सकते हैं । यदि सदस्य यह चाहते है तो हम ऐसा कर सकते हैं ।

प्रस्ताव यह है कि हम 4.15 म. प. तक रेलवे की मांगों पर चर्चा करें और इसे समाप्त करें । 4.15 म. प. के बाद हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करेंगे और सभा की कार्यवाही में 45 मिनट तक बढ़ा देंगे तथा यह सभा 6.45 म. प. तक चलेगी । मेरे विचार से सभा इसे स्वीकार कर लेगी ।

श्रीमती शीला दीक्षित : सभा की कार्यवाही 6.45 म. प. तक बढ़ाने के लिए सभा की अनुमति ले ली जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए हमें 2.30 घंटे देने पड़ेंगे । हम पहले भी स्थगित कर सकते हैं । परन्तु 4.15 म. प. के पश्चात गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए 2.30 घंटे दिये जायेंगे । यदि सदस्य इसे पहले समाप्त करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हमारी परम्परा के अनुसार, इस चर्चा को दिये गये 45 मिनटों को 6.00 म प. के बाद समायोजित किया जायेगा और सभा की कार्यवाही 6.45 म. प. तक बढ़ा दी जायेगी । और मेरे विचार से सभा इससे सहमत होगी ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला अपना भाषण जारी करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध कर रहा था कि दक्षिण रेलवे के मालाबार क्षेत्र में सवारी गड़ी की पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जायें। मैं सरकार से यह भी निवेदन कर रहा था कि मालाबार और बम्बई के बीच प्रतिदिन गाड़ी चलाई जाए। इस समय यह सप्ताह में तीन दिन चलती है जबकि मन्त्री महोदय ने एक वर्ष पहले का अपना आश्वासन दोहराया था कि इसे सप्ताह में 5 दिन चलाया जायेगा।

मंगलौर और शोरनूर के बीच केवल एक लाइन है। हम बहुत दिनों से निवेदन कर रहे हैं कि दक्षिण रेलवे के मंगलौर और शोरनूर के बीच दोहरी लाइन बनाई जाए। इस खंड अर्थात मंगलौर-शोरनूर में यातायात आवागमन की क्षमता में वृद्धि के लिए कार्य शुरू किए जायें। यह एक नितान्त व्यवहारिक आवश्यकता है और मुझे इस क्षेत्र में यातायात के आवागमन जिस पर पर्याप्त सुविधाओं के प्रावधान की जरूरत है, की वृद्धि के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नही है।

महोदय, मंगलौर और बम्बई को जोड़ने वाली पश्चिमी तटीय रेलवे लाइन को भी प्राथमिकता दी जाए। इस विशेष खंड में कुछ रेलवे फाटक हैं और वहां रेल फाटकों पर चौकीदार की आवश्यकता है। वहां ऊपरी पुलों की भी आवश्यकता है। हम जब कभी इस मामले में सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं तो हमें बताया जाता है कि इन सभी निर्माण कार्यों की लागत देने के लिए पंचायतों को आगे आना चाहिए। आप जानते हैं कि यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र हैं। पंचायतों अथवा स्थानीय निकायों के पास धन नहीं है। वे ऊपरी पुलों और चौकीदार वाले फाटकों के निर्माण हेतु आवश्यक लागत नहीं दे सकते। परन्तु क्षेत्र की गरीबी और पिछड़ेपन के कारण यह सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में पिछड़ापन न रहे। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे नियमों में लचीलापन होना चाहिए और सरकार को आगे आना चाहिए। हमसे राज्य सरकार के पास जाने के लिए कहा जाता है। राज्य सरकार से आप क्या आशा कर सकते हैं ? यदि वामपंथी शासन में है तो आप उनसे किसी बात की आशा नहीं कर सकते। वे इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं परन्तु केन्द्र सरकार और रेलवे बोर्ड को इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

महोदय, मैंने जो नौ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में मैं बहुत चिंतित हूं। मैं इस निवेदन पर पुनः जोर देते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि दक्षिण रेलवे के पालाघाट खंड में फीरोकी और कुटट्टीपुरम के बीच सभी स्टेशनों का सुधार तथा यात्री सुविधाओं का सुधार किया जाए। ऐसी स्थिति है कि अनेक कार्य किए जायें और मुझे आशा है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि केरल के मालाबार क्षेत्र में पर्याप्त गाड़ी सुविधाओं की तरह उचित ध्यान दिया जाए। जैसा कि मैंने कहा, लोगों में बहुत असन्तोष है। अनेक आन्दोलन हो रहे हैं तथा धैर्य की सीमा होती है। हम लगातार अभ्यावेदन दे रहे हैं परन्तु हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जनसंख्या के आधार पर केरल को 174 करोड़ रुपये दिये जाने चाहिए परन्तु 174 करोड़ रुपये के बजाय बजट में केरल को लगभग 19 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं केरल की उपेक्षा की गई है। मुझे आशा है कि रेलवे बोर्ड और सरकार, केरल, विशेषतः मालाबार मंडल के फीरोकी-कुटट्टीपुरम खंड की तरफ उचित ध्यान देगी।

श्री महावीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ सुझाव पहले ही दिये हैं परन्तु उनके अतिरिक्त मैं समस्तीपुर मंडल में रेलों के समय के बारे में कुछ और सुझाव देना चाहता हूं।

रेलवे बजट का समर्थन करते समय बिहार के सदस्यों ने कुछ नई लाइनों तथा कुछ गाड़ियों के समय में परिवर्तन करने के लिए कहा था परन्तु वित्तीय विवशताओं के कारण रेल राज्य मन्त्री ने उस संबंध में हमारी सहायता करने से मना कर दिया है क्योंकि उनकी सीमायें और धन की विवशता है। कम से कम उस क्षेत्र के हम सांसद आम जनता के हितों में रेलों के समय में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। उदाहरण के लिए, 191 अप और 192 डाउन मगध एक्सप्रेस को लीजिए। उस क्षेत्र के सदस्यों ने क्षेत्रीय बैठक में रेल मन्त्रालय से निवेदन किया था कि मगध एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया जाए। यह पटना से 19.30 पर चलती है और अगले दिन 12.00 बजे दिल्ली पहुँचती है। सभी सदस्यों ने रेल मन्त्रालय और रेलवे बोर्ड को बताया था कि इससे यात्रियों को असुविधा होती है। परन्तु रेल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह इससे यात्रियों समेत सांसदों को अनेक कठिनाईयां होती हैं।

जानकी और कोसी एक्सप्रेस, दो गाड़ियां हैं। ये दोनों गाड़ियां सहरसा एक साथ पहुँचती हैं और सकरी जंक्शन पर अलग हो जाती हैं। एक जयनगर और दूसरी निरमाली चली जाती है। हमने इन दोनों रेलमार्गों सहरसा से सकारी तक डीजल इन्जन चलाने का निवेदन किया है। परन्तु उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैं विशेष रूप से उप रेल मन्त्री श्री प्रसाद का ध्यान आकर्षित करता हूं। हम पटना 16 घंटे में पहुँचते हैं जो 992 किमी. दूर है और 216 किमी. की दूरी 12 घंटे में पूरी होती है। आप यात्रियों की कठिनाई और परेशानी की कल्पना अच्छी तरह से कर सकते हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि मानसी और सहरसा के बीच रेल पुल सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। धरारा घाट रेलवे स्टेशन के निकट एक रेल पुल है। उदाहरण के लिए, एक्सप्रेस गाड़ियां, 15 अप और 16 डाउन, गुवाहाटी-बनारस एक्सप्रेस, 41 अप और 42 डाउन धानार घाट पर नहीं रुकती हैं। लेकिन गाड़ियों को रेलवे पुल, पर लगभग 15 मिनट के लिए रुकना पड़ता है। मैंने रेलवे मन्त्री का ध्यान इस ओर किया है कि इस लकड़ी के पुल को पक्के पुल में बदला जाये। सभी पुल जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं उनके उपयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः गाड़ियों की गति सामान्य नहीं है। इसलिए मैं सभी पुराने पुलों को दुबारा बनाने और लकड़ी के पुलों को जल्दी ही हटाने का अनुरोध करूंगा। मेरे कहने पर और पहल पर पूर्वोत्तर रेलवे ने साहरसा और बनमेनखी के बीच 417 अप और 418 डाऊन गाड़ियां चलाई थीं। गाड़ी का समय ऐसा है कि इन्जन का ड्राइवर और गार्ड को बिना यात्रियों के गाड़ी चलानी पड़ती है। मैंने रेलवे मन्त्री से पहले ही अनुरोध किया है कि इन दो गाड़ियों को रद्द किया जाये और जानकी एक्सप्रेस के साथ इसके डिब्बों को जोड़ा जाये जो एक बहुत महत्वपूर्ण गाड़ी है और इस गाड़ी से अधिकतम संख्या में लोग यात्रा करते हैं। यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों की कल्पना और वर्णन नहीं किया जा सकता।

इन शब्दों के साथ, मैं रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं।

रेलवे के विकास के बिना, राज्यों में वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है। कश्मीर घाटी में यातायात की कमी के कारण हमें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

कश्मीर के बीच केवल एक 'हाईवे' पर्याप्त नहीं है और नहीं इस पर निर्भर किया जा सकता है और बहुत बार रास्ता ब्लाक हो जाता है और यातायात ठप्प पड़ जाता है। दिल्ली को श्रीनगर तक रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए एक योजना थी लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है और रेलवे सम्पर्क के बिना कश्मीर का विकास संभव नहीं है। मुझे याद है कि मैंने यह मुद्दा चार वर्ष पूर्व उठाया था जब श्री गनी खान चौधरी रेल मन्त्री थे। मैंने कहा था कि भारत सरकार के समक्ष यह एक चुनौती है और उन्हें दिल्ली को श्रीनगर के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं और निर्धारित समय में हम दिल्ली को श्रीनगर से जोड़ देंगे। इस पर चाहे जो कुछ भी लागत आये और चाहे इस रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां आयें। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

उचित परिवहन प्रणाली के बिना इस दूर-दराज क्षेत्र का वास्तविक विकास और इसके पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता। केवल आधुनिक यातायात के साधन अर्थात रेलवे इसमें हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए, मैं भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कश्मीर के लोगों के लिए किए गए वायदों को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

उस घाटी को देखने के लिए भारत से तथा विदेशों से बहुत से पर्यटक आते हैं, उस घाटी के बहुत से पर्यटक स्थल हैं और पर्यटक उन्हें देखने आते हैं जब वह घाटी देखने आते हैं तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार को बारामूला से काजीगंड जोड़ने के लिए मीटरगेज लाइन बनाने में कठिनाई नहीं होगी जिससे कि पर्यटक वैली के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आसानी से जा सकते हैं। इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है लेकिन कुछ नहीं किया गया है।

सरकार ने जम्मू से ऊधमपुर तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के कार्य की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन मैं इस बात में शर्म महसूस करता हूं कि यद्यपि हमने भारत सरकार के कहने पर लोगों से वायदा किया था कि इसे कार्यान्वित किया जायेगा, लेकिन पिछले कई वर्षों से कुछ नहीं किया गया है। यहां तक कि 40–50 किमी. की इस रेल लाइन को भी पूरा नहीं किया गया है। मैं सरकार से लोगों की कठिनाइयों पर ध्यान देने और ऊधमपुर और जम्मू के बीच इस रेलवे लाइन का निर्माण जितनी जल्दी संभव हो सके, करने का अनुरोध करता हूं।

दिल्ली और जम्मू के बीच दो गाड़ियां चल रही हैं एक जम्मू-मेल और दूसरी झेलम एक्स-प्रेस हैं। जम्मू मेल समय पर चलती है। दूसरी गाड़ी पुणे से आती है। कभी-कभी पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास दिल्ली से जम्मू और जम्मू से दिल्ली के बीच चलाने के लिए पर्याप्त गाड़ियां नहीं हैं। गर्मियों के मौसम में दिल्ली से कश्मीर जाने वाले लोगों की बहुत भीड़ होती है और अधिकतर स्वदेशी पर्यटकों को जो इस परिवहन के साधन पर निर्भर रहते हैं, गाड़ियों की कमी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अन्त में यात्री किराए में वृद्धि से पर्यटन प्रभावित हुआ है। मैं हाल ही में श्रीनगर में था और विभिन्न पर्यटक संगठनों के लोग मुझ से मिलने आए। उनकी शिकायत थी कि बहुत से पर्यटक दलों ने बम्बई से जम्मू तक के अपने ट्रिप रद्द कर दिये है। क्योंकि प्रति बोगी के किराए में वृद्धि की गई थी जो पहले बुक की गई थी और अब इसके किराए में काफी वृद्धि की गई है।

यह राज्य के हित में है । कि पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए ।पर्यटन क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की इस शिकायत को दूर किया जाना चाहिए और कश्मीर में पर्यटन के विकास में विशेष रुचि ली जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं रेल मन्त्री महोदय ने यह माना है कि राजस्थान के अन्दर जो रेलवे लाइन का एवरेज है वह नेशनल एवरेज से कम है । जहां नेशनल एवरेज 18.81 किलोमीटर प्रति हजार किलोमीटर है वहां राजस्थान में प्रति हजार किलोमीटर केवल 16.41 एवरेज है । इतना होते हुए भी दिल्ली से अहमदाबाद ब्राड गेज लाइन नहीं बनाई जाती है जबकि उसके बिना राजस्थान का विकास संभव नहीं है । स्वयं मेरे निर्वाचन क्षेत्र पाली में बिलाड़ा से बड़ रेल लाइन को जोड़ने की बात है जो कि केवल 33 किलोमीटर का हिस्सा है । 1983 में इसका सर्वे हो चुका है । अगर आप दोबारा सर्वे कराना चाहें तो करा लें लेकिन उसको बनाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है । रेल मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि बिलाड़ा से बड़ रेलवे लाइन का सर्वे कराकर उस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए ।

पश्चिमी रेलवे में सेंदड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर दिल्ली अहमदाबाद ट्रेन रुकती थी 20 वर्ष पहले लेकिन आपने उसको बन्द कर दिया । यह कहकर बन्द कर दिया कि वहां पर लोग उतरते नहीं हैं जबकि आप वहां के लिए टिकट ही नहीं देते हैं । आफ टिकट ब्यावर से देते हैं यदि कोई सेंदड़ा का टिकट लेने वाला हो तो आप देते नहीं हैं । और काम करना तो दूर रहा बीस साल से जहां पर रेलवे का स्टापेज होता था उसको भी आपने बन्द कर दिया है जबकि वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और काफी संख्या में सैनिक वहां पर रहते हैं । मेरा निवेदन है कि अहमदाबाद मेल को सेंदड़ा में रोकना चाहिए ।

तीसरा निवेदन यह है कि आश्रम एक्सप्रेस 505-506 का आपने फालना पर हाल्ट चालू किया है अभी 16 फरवरी से, लेकिन वहां के लिए आप टिकट नहीं देते हैं । मैंने स्वयं एवं श्री अशोक गहलौत जी ने वहां का टिकट पाना चाहा था तो आबू रोड़ का टिकट दिया गया, फालना का टिकट नहीं दिया गया । इसके बाद आप कहते हैं कि फालना अनएकोनोमिक है आगे चलकर हो सकता है आप वहां का स्टापेज भी बन्द कर दें । तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए । मेरा आपसे निवेदन है कि आप परमानेण्ट आर्डर निकालिए कि फालना के लिए टिकट इश्यु किये जायें ।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि पाली टाउन एक इण्डस्ट्रियल टाउन है और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भी है लेकिन वहां से कोई डायरेक्ट कोच जयपुर-दिल्ली के लिए नहीं है । यदि पाली से कोई दिल्ली जाना चाहे तो उसको जोधपुर जाकर वहां से बैठना पड़ता है जो कि वहां से 75 किलोमीटर है । इसलिए मेरा निवेदन है कि एक डायरेक्ट कोच पाली से जयपुर-दिल्ली के लिए लगाई जानी चाहिए ।

जहांतक ओवर-ब्रिजेज बनाने की बात है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पाली एक इण्डस्ट्रियल एरिया है वहां पर ब्रिज न होने की वजह से ट्रैफिक बहुत टाइम के लिए रुक जाता है । वहां पर ब्रिज बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेण्ट भी पैसा देने के लिए तैयार है क्योंकि ब्रिज

[श्री शंकरलाल]

के बिना वहां पर सारा ट्रैफिक रुक जाता है। एक दूसरा ब्रिज फालना में बनाया जाना चाहिए क्योंकि रणकपुर एक वर्ल्डफेम टूरिस्ट प्लेस है और वहां सड़क से जाने वाले लोग हेल्ड-अप होते हैं, जबकि ट्रेन वहां से गुजरती है, वे घण्टों खड़े रहते हैं। इसलिए वहां पर भी ब्रिज बनना चाहिए। इसी तरह से मारवाड़ जंक्शन पर भी ब्रिज होना चाहिए।

इसके साथ-साथ पाली और मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन किया जाना चाहिए। जोधपुर-अहमदाबाद सुपरफास्ट ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पर रुकती है लेकिन वहां से टिकट इश्यु नहीं किए जाते हैं।। मारवाड़ जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां से टिकट इश्यु होने चाहिए। रेलवे के संबंध में और भी छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन रेलवे के अधिकारी आप को मिसलेड करते हैं। इस लिए आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार दिल्ली-महसाना एक गाड़ी चलती है, जिसमें कि आम आदमी सफर करता है। इस गाड़ी में काफी भीड़ होती है और आदमी ऊपर-नीचे गाड़ी में बैठे होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आप कोचेज नहीं बढ़ाते हैं। आप एयरकन्डीशन्ड और फर्स्ट क्लास के लोगों की बात करते हैं, लेकिन जहां पर सैकिण्ड क्लास में लोगों की भीड़ होती है, वहां पर कोचेज बढ़ाने में आपको दिक्कत होती है। मेरा निवेदन है कि आप इस गाड़ी में कोचेज बढ़ायें। एक और गाड़ी 41-अप और 42-डाउन अहमदाबाद से आबू के लिए चलती है। इस गाड़ी में जाने के लिए लोगों को घंटों रुकना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि आप इस गाड़ी को, जो अहमदाबाद और आबू के बीच में चलने वाली है, इसको अजमेर तक चलाया जाय।

बातें तो और भी बहुत सी मन्त्री महोदय से निवेदन करने की हैं, लेकिन यदि मन्त्री इन छोटी-छोटी बातों को ही कर दें, तो मैं समझूंगा कि रेलवे विभाग ने कुछ काम किया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय पर बोलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं सुक्ष्म में रेल मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के पांच डिस्ट्रिक्ट्स से लगता है—मुरैना से शुरू होता है, शिवपुरी, गुना, शाहजहांपुर और मंदसौर। यह करीब 300 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। माननीय रेल उप मन्त्री जी और मेरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इसलिए जो कुछ भी एडज्वाइनिंग एरिया में हो रहा है, उसका असर मेरे क्षेत्र पर भी आता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, रेलवे प्वाइन्ट आफ व्यूह से जो चीजें आवश्यक हैं और मेरे क्षेत्र को मिलनी चाहिए, उन्हीं के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा। इसलिए सबसे पहला मेरा निवेदन यह है कि कोटा एक इण्डस्ट्रियल टाउन है, कोटा से बहुत दिनों से इस बात की मांग है कि कोटा से एक गाड़ी दिल्ली के लिए डायरेक्ट चलाई जाय। वहां पर पैसेंजर बहुत ज्यादा हैं। इस चीज को आपने एग्जामिन भी करवा लिया है और एग्जामिन करने के बाद रेलवे बोर्ड के पास रिकमेंडेशन भी आई है कि यह बहुत जरूरी है कि कोटा से दिल्ली के लिए एक गाड़ी दी जाये।

मैंने एक गाड़ी के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को एक पत्र लिखा था, जिसका जवाब भी मिला है। उनका जवाब है मथुरा और दिल्ली के बीच में इतना ज्यादा ट्रैफिक है और ट्रैक पर इतना ज्यादा लोड है कि एक्सट्रा ट्रेन नहीं दी जा सकती है। इसलिए वहां पर ट्रेन देना सम्भव नहीं है। यह

एक्सक्यूज आपका था, लेकिन अभी आपने एक नई ट्रेन उज्जैन से गुना होते हुए दी है और वह ट्रेन भी मथुरा से होकर उन्हीं ट्रेन में जायगी, जिसको आप कन्जैस्टेड बता रहे हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि जहां पर जस्टिफाई ट्रैफिक है और जहां रिकमैंडेशन है और किसी एक खास वजह से ट्रेन नहीं मिल रही है, तब तो बात दूसरी है, नहीं तो मेरी मांग है कि कोटा से दिल्ली के लिए एक गाड़ी दी जाय।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आपने एक नई गाड़ी उज्जैन से गुना, बिना दिल्ली होते हुए हरिद्वार के लिए दी है। मेरा निवेदन है कि आप इस गाड़ी में कोटा को जोड़ दें और यह कोटा से इधर भी आ सकती है। यदि आप पेसेंजर गाड़ी नहीं दे सकते हैं, एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं दे सकते हैं, तो इसको आप गुना से डाईवर्ट कर दें और बारां से कोटा होते हुए दिल्ली लाकर इसको हरिद्वार पहुँचा सकते हैं। इस ट्रेन पर ज्यादा डिमांड है, बनस्पति जो आपने नई लाइन सैंगशन की है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करें, ताकि उस जगह जो ज्यादा ट्रैफिक हैं, उसको कुछ हद तक कम किया जा सके।

एक बात यह भी है कि आपके यहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक ऐसे आदमियों का है, जो रिजर्वेशन करा कर नहीं चलते हैं। मेरी समझ में जो रिजर्वेशन का ट्रैफिक है, वह 25 प्रतिशत भी नहीं होगा। रिजर्वेशन करा कर जो चलते हैं, चाहे वह सैकेंड क्लास का हो, फर्स्ट क्लास का हो या एयर-कंडीशन्ड का हो, वह 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। उनके लिए तो आपने बहुत कुछ किया है। रिजर्वेशन के लिए आपने बहुत ज्यादा सहूलियतें दी हैं। लोग डिसटैंस पर जो ट्रेन चलती हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ किया है।

4.00 म० प०

लेकिन जो अन-रिजर्ड ट्रैविल करने वाला ट्रैफिक है, उसके लिए आपने बहुत ज्यादा फेसेलिटीज नहीं दी है और कभी कभी आदमी को बिना रिजर्वेशन के अक्समात भी कहीं जाना पड़ता है, जिसमें उसको बहुत दिक्कत होती है। मैंने पहले भी पार्टी मीटिंग में कहा था कि कम से कम ऐसे आदमी को, जो सहुलियत से ट्रैविल करना चाहता है, एक सीट देने का आप अरेजमेंट करें। उसको चाहे थोड़ा एक्सट्रा पे करना पड़े लेकिन भीड़-भाड़ में बैठने की बजाए, वह सहूलियत से चल सके।

[अनुवाद]

अगर उसे कुछ अतिरिक्त देना पड़ता है तो वह अतिरिक्त धन देने के लिये तैयार हो जायेगा लेकिन उसे कम से कम यात्रा सहुलियतें दी जानी चाहिये। मेरे विचार से आप इस प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे कि ऐसे यात्रियों के लिए कुछ इस प्रकार के प्रबन्ध किये जाने चाहिए जो लोग पहले से आरक्षण नहीं करा पाते लेकिन जो आखिरी क्षणों में आते हैं और उनके लिए यात्रा पर जाना बहुत जरूरी है।

[हिन्दी]

उसके इलावा में आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इन्दौर से आप की एक डाइरेक्ट ट्रेन बम्बई के लिए भी है और इन्दौर से एक डाइरेक्ट ट्रेन दिल्ली भी आती है और उसके बाद भी ट्रेनें हैं। इन्दौर से, नागदा से 6 डिब्बे देहरादून एक्सप्रेस में लग कर कोटा तक

[श्री जुझारसिंह]

जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि नागदा से 6 डिब्बे आप दिल्ली के लिए लगाते हैं और 6 डिब्बे बम्बई के लिए लगाते हैं, इसके बजाय आप 12 डिब्बों की एक ट्रेन बनाकर रोजाना चलाने की बजाय आप आल्टरनेट डेज पर इन्दौर से दिल्ली वाया कोटा कर दें, तो इससे आपकी रेलवे पर कोई एक्सट्रा बर्डन भी नहीं आएगा और हमारी जो आवश्यकता है, वह भी किसी तरह से पूरी हो जाएगी।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा प्रान्त है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर कुछ रेल सुविधायें बढ़ाना अति-आवश्यक है और वहां के सब लोग और जितने भी संसद सदस्य हैं, सभी यह चाहते हैं कि बिहार में रेल सुविधायें बढ़ाई जांय। कुछ ऐसी मांगें हैं, जो बहुत दिनो से चली आ रही हैं। गंगा नदी पर जो रेल पुल पटना में बनाने की बात है, वह बिहार के दो भागों को जोड़ेगा, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार और दोनों भागों के विकास के लिए वह आवश्यक है। इसलिए मैं रेल मन्त्री जी से पुरजोर अनुशंसा करता हूं कि इस पर वे विचार करें और जल्दी से जल्दी यह पुल वहां पर बने।

कुछ ऐसी चीजें हैं, जो बिना खर्च किए हो सकती हैं। बम्बई, जो भारतवर्ष का कामर्स का कैपीटल समझा जाता है, उससे पटना, जो बिहार की राजधानी है, किसी भी फास्ट ट्रेन या सुपर फास्ट ट्रेन से नहीं जुड़ा हुआ है। कई फास्ट ट्रेनें बनारस तक तो आती हैं, जैसे महानगरी एक्सप्रेस है, पर पटना तक नहीं जाती है। या तो पटना के लिए कोई फास्ट ट्रेन दे दें या उस ट्रेन को पटना तक कर दें। मद्रास के लिए पटना से ट्रेन जाती है लेकिन अब यह डिमाण्ड हो रही है कि उस ट्रेन को सप्ताह में दो दिन कर दिया जाय। पटना से जो मगध एक्प्रेस दिल्ली आती है, वह ऐसे समय पर आती है कि पूरा दिन समाप्त हो जाता है। 12 बजे के बाद यहां पहुंचती है और इसी तरह से पटना एसे समय पर पहुंचती है कि सारा समय नष्ट हो जाता है। इसलिए आप समय में ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए कि वह दिल्ली दो घंटे पहले पहुँचे और पटना भी उपयुक्त समय पर पहुँचे। इससे यह होगा कि कोई आदमी अपने पूरे दिन का दिल्ली में या पटना में उपयोग कर सकेगा।

पटना की जो पहले आबादी थी, वह अब बहुत बढ़ गई है और उसके चलते ही पटना के अगल-बगल से लोग पटना कैपीटल में नौकरी करने सुबह आते हैं और शाम को चले जाते है। तो एक पैसेन्जर ट्रेन आरा और मुकामा के बीच देने की आवश्यकता है। रेल मन्त्रालय एक एक्सट्रा ट्रेन इस के लिए दें। पटना की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और रेलवे लाइन के दक्षिण की तरफ बहुत आबादी बढ़ गई है। मंकोघाट एक जगह है, जहां पर पचासों गावों के लोगों को रेल के नीचे सड़क से जाना होता है और बरसात के दिनों में वहां पर सड़क अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए वहां पर रेलवे क्रोसिंग कर दी जाय इसी तरह से रानीपुर, खिरकी और बेगनपुर में भी क्रोसिंग बनाया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं कि फतवा-इस्लामपुर रेलवे बन्द हो गई है। उसको फिर से चालू किया जाय ताकि उस इलाके के लोग आ, जा सकें और आरा-सतना रेलवे जो बन्द हो गई हैं, उसको फिर से चालू करने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मन्त्रालय से मुझे बहुत शिकायतें हैं। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि हमारी रेलवे कमेटी ने जो रिकमण्ड किया था कि राजस्थान के लिए रेलवे का एक अलग जोन बना दिया जाय लेकिन उसको रेल मन्त्रालय नहीं बना रहा है। यह रेल मन्त्रालय इतना बड़ा मन्त्रालय बन गया है कि यह एक होच-पौच हो गया है। इसका इतना विस्तार हुआ है कि केवल दिल्ली में बैठकर ही सारे देश की रेलों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यह जो रेलवे बोर्ड इतनी बड़ी संस्था है इसको अलग अलग जोनवाईज कर दिया जाये और अलग-अलग जोनों में वहां के जोनल आफिसों द्वारा वहां रेलों की व्यवस्था की जाय। इससे लोगों की बहुत सी शिकायतें दूर हो जायेंगी। अभी सभी लोग यह शिकायत करते हैं कि हमारे यहां नई रेलवे लाईन नहीं बनती। कुछ क्षेत्रों में आप नई रेलवे लाईन बना रहे हैं, कुछ में बिल्कुल नहीं बना रहे हैं इससे रीजनल इम्बेलेंस बढ़ता है और इसके लिए लोग रात-दिन रोते और चिल्लाते हैं। किसी की उसके बारे में सुनवाई नहीं होती।

रेलवे बोर्ड जिसमें कि 6 मेम्बर हैं, जिस पर कि दस करोड़ रुपया आप हर साल खर्च करते हैं, उसके बारे में हम जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं उन सबको उसके बारे में असंतोष है। क्योंकि उनकी कठिनाइयों का समाधान नहीं होता है इसलिए इसको जोनवाईज बनाना जरूरी है ताकि सभी क्षेत्रों की व्यवस्था सुधर सके और सभी को नई रेल लाइनें मिल सकें।

मुझे पार्लियामेंट के अन्दर आये हुये दस साल हो गए। मैं बराबर तीन रेल लाइनों के बारे में निवेदन करता आ रहा हूँ—एक टोढारायसिंह से नाथद्वारा, दूसरी, कोटा से देवगढ़ और तीसरी, लाम्बिया से ब्यावर।। इन तीनों लाइनों का सर्वे हो चुका है। इस टोढा-रायसिंह से नाथद्वारा लाइन को अनइकोनोमिक, अनवाएबल बता कर नहीं बनाया जा रहा है। जयपुर से टोंढारायसिंह लाईन चलती है और अहमदाबाद से नाथद्वारा ट्रेन चलती है। मेरी समझ में नही आता कि रेलवे में कौन से इकोनोमिस्ट्स बैठे हुए हैं जो इस लाइन को अनइकोनोमिक बता कर इसको चलने नहीं देते। इस तरह की व्यवस्था रेलवे बोर्ड में चल रही है। राजा-महाराजाओं के जमाने में हमारे यहां रेल लाईन बनी थी। उदयपुर से चित्तोड़ गढ़ तक गाड़ी चलती थी। अब हमारे राजा बैठे हुए हैं। सिवाए कुछ क्षेत्रों के और कहीं नई रेलवे लाईन नहीं बनाई जा रही है। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर इस नीति में परिवर्तन नहीं लाया जायगा तो हमारा जो असंतोष है वह दूर नहीं होगा।

माननीय उपमन्त्री जी आप इसको खास तौर पर सुनिए। आप अपने क्षेत्रों में रेलों को बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमने कहा कि भीलवाड़ा में रिजर्वेशन की अधिक व्यवस्था करो, गरीबनवाज में रिजर्वेशन बढ़ाओ तो कह दिया गया कि गुंजाइश नहीं है, डिब्बे ही नहीं हैं। अगर हमारे लिए आपके पास कुछ नहीं है तो हमें फांसी दे दो ताकि हम लोग कुछ कह ही नही सकें।

इस तरह का जो रेल विभाग से इतना बड़ा असंतोष है इसके लिए मैं उपमन्त्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। आप तो राजा नहीं हैं आप तो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता हो। आप तो हमारी बातों पर ध्यान देने की कृपा करो जिससे आपका रेल विभाग भी मजबूत बने।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

आप इस रेल विभाग को जोनवाईज बनायें ताकि लोगों को नई रेल लाईन मिल सकें और रेलों की पूरी व्यवस्था ठीक हो सके।

मुझे पूरी आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे।

*श्री आर जीवरत्नम (आर्कोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेलवे मन्त्री द्वारा प्रस्तुत रेलवे, की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

आर्कोनम से काटपाडी तक ऐक शटल सर्विस शुरू की जानी चाहिए। यह गाड़ी आर्कोनम से सांय 5.30 चले और काटपाडी सांय 6.45 बजे पहुँचे। कोवाई एक्सप्रेस और वृंदावन एक्सप्रेस से यात्री काटपाडी पर उतरते हैं, वे इस शटल गाड़ी पर चढ़ सकें। शटल को काटपाडी से रात्रि 7.45 पर चले और आर्कोनम रात्रि 9 बजे पहुँचे शटल सेवा शुरू करने से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उस क्षेत्र का विकास होगा।

हाल ही में रेलवे मद्रास से त्रिरुवालुर तक तीन बड़ी लाइन बिछा रहा है इन लाइनों को आर्कोनम तक बढ़ाया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो सका तो बम्बई और अन्य उत्तरी क्षेत्रों से आने वाली गाड़ियां मद्रास बिना देरी के पहुँच सकेंगी।

आर्कोनम जंक्शन पर रेलवे के ऊपरी पुल का शीघ्र ही निर्माण किया जाना चाहिए। इसी तरह पांडिचेरी-बंगलौर रेल सम्पर्क की घोषणा रेल मन्त्री ने अपने भाषण में की थी उसे भी शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिए।

गाड़ी नम्बर 39 और 40 बंगलौर से मद्रास और मद्रास से बंगलौर तक चल रही है जो आजकल शोलीगनगर नहीं रुकती है। शोलीनगर एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। इस शहर में औद्योगिक विकास की बहुत अधिक क्षमता है। मैं मन्त्रीजी से शोलीनगर पर गाड़ी रोकने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं। तमिलनाडु में सभी मीटरगेज लाइनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इन लाइनों को चरणों में बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए। कारूर-डिंडगल बड़ी लान परिवर्तन परियोजना को शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिए। जनता ने मांग की है कि इस परियोजना के लिए अधिक आबंटन किए जाने चाहिए। मैंने मुख्य बजट पर अपने भाषण में भी बताया था कि परियोजना के लिए कम आबंटन किया गया है। मैं इस परियोजना के लिए आबंटन बढ़ाये जाने का अनुरोध करता हूं। अन्त में मैं मन्त्री जी से रेलवे में कार्यरत व्यक्ति को मकानों के निर्माण के लिए दी जाने वाली ऋण राशि को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। रेल मन्त्री को ध्यान देना चाहिए कि रेलवे में कार्यरत लोगों को वांछनीय स्थानों पर आवासीय सुविधायें दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : रेलवे बजट पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए में आपका आभारी हूं। मैं माननीय रेलमन्त्री द्वारा प्रस्तुत रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। सरकार की नीति पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता देने की है। रेलवे लाइनों के संबंध में मध्य प्रदेश और उड़ीसा पिछड़े राज्य हैं और वहां रेलवे सुविधाओं की उचित व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में रेलमन्त्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि जहां तक राष्ट्रीय औसत का संबंध है इस

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बारे में पिछड़े राज्यों उड़ीसा और मध्य प्रदेश को अधिकाधिक रेलवे सुविधायें प्रदान करने के कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दी जाये। इस संदर्भ में मैं यह अनुरोध करूंगा कि रुपसा-बांगिरी-पूर्वी छोटी रेलवे लाइन जो कि सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र से होकर गुजरती है, और जिसका निर्माण लगभग 100 वर्ष पहले किया गया था, उसे गरुमा हिसानी के निकट बम्बई लाईन से जोड़ने के लिए बड़ी लाइन में बदला जाये। ऐसा करने से 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी और इसके परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्रीय धन की बचत होगी और समय की भारी बचत के साथ-साथ रेलवे पुर्जों की अधिक टूटफट भी नहीं होगी।

नवम्बर 1988 के महीने में उड़ीसा राज्य की कुछ गाड़ियां रद्द कर दी गई थीं। में यह अनुरोध करूंगा कि उन रेलगाड़ियों जैसे पुरी-हावड़ा यात्री गाड़ी, पुरी-आसनसोल-यात्री गाड़ी और मद्रास-हावड़ा-गान्टा एक्सप्रेस गाड़ियों को पुनः आरम्भ किया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त लिंक एक्सप्रेस और संबलपुर यात्री गाड़ी को भी पुनः आरम्भ किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हाल ही में नवम्बर के महीने से रेलवे ने गाड़ी सं. 915 और 916 तथा 175 और 176 नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ियों के समय में परिवर्तन किया है। यदि इन रेलगाड़ियों के पूर्व समय को ही जारी रखा जाये तो हम इसकी सराहना करेंगे।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस बात के लिये बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बालासौर और हल्दीपड़ा के बीच पारीकुल में एक रेलवे स्टेशन की स्वीकृति दे दी है। इस स्टेशन का निर्माण कार्य ईमानदारीपूर्वक किये जाने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि राजघाट और मयूरभंज नयागांव रोड में लगभग 30-40 वर्ष पहले रेलवे स्टेशनों की स्वीकृति दी गई थी। परन्तु अभी तक उन्हें 'फ्लैग स्टेशनों' में नही बदला गया है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इन रेलवे स्टेशनों को फ्लैग स्टेशनों में परिवर्तित किया जाये।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि भाड़े के कुलियों और भार वाहकों की सेवाओं को स्थाई बनाया जाये। इसके अतिरिक्त वाहनांतरण श्रमिक जिनकी अब बहुत खराब स्थिति है को भी यदि स्थाई नहीं तो कम से कम नैमित्रिक श्रमिक बनाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को समाप्त करने के लिये हम सदन के समय में 10-15 मिनट और वृद्धि कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : हम सदन के कार्यकाल में 15-20 मिनट की और वृद्धि करके इस मुद्दे को समाप्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन इस बारे में सहमत है। अब मन्त्री महोदय अपना भाषण देंगे।

श्री माधव राव सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे वित्त व्यवस्था की इस छोटी सी चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा। कुछ दिन ही पहले मैंने रेलवे के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और मैंने उन मार्ग निर्देशों को विस्तृत बनाने का प्रयास किया है जिनमें निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के आधार पर विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। मैं उस विषय पर पुनः नहीं जाना चाहूंगा। बहुत से सदस्यों ने अपने क्षेत्रों और चुनाव क्षेत्रों के बारे में सुझाव दिये हैं। हम निश्चित रूप से उनके सुझावों की जांच करेंगे और उन्हें हर सम्भव रूप से सन्तुष्ट करने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

इस छोटी सी चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने सड़क ऊपरिपुलों का उल्लेख किया है। इस देश के बहुत से क्षेत्रों में बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए, हम बड़ी उदारता से आवश्यकतानुसार सड़क ऊपरिपुलों की स्वीकृति दे रहे हैं। परन्तु मुझे माननीय सदस्यों को यह ध्यान दिलाना चाहिऐ कि राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे इन प्रस्तावों के बारे में पहल करें और इन्हें अपने राज्य-बजटों में सम्मिलित करें ताकि हमभी इस बारे में कार्यवाही कर सकें तथा इस बारे में और आगे विचार-विमर्श करके दृढ़ निर्णय ले सकें। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, राज्य सरकारों के लिए इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बारे में पहल करना आवश्यक है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि परिवहन की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा पहल किये गये प्रस्तावों के आधार पर हम अपनी बजट सीमाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक सड़क ऊपरपुलों की अनुमति देंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ रेलवे लाइनों का भी उल्लेख किया है जम्मू-ऊधमपुर लाइन का भी उल्लेख किया गया था। हमने जम्मू-ऊधमपुर लाइन के लिए आबंटन में भारी वृद्धि करके उसे लगभग 13 करोड़ रुपये कर दिया है। यह एक बहुत कठिन भाग है। यह बहुत कठिन क्षेत्र है और इसमें बहुत से पहाड़ हैं। इसमें बहुत सारी सुरंगों की भी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन्जिनियरिंग दृष्टिकोण से उस कठिन क्षेत्र में भारतीय रेलवे के इन्जीनियर बहुत सन्तोषजनक कार्य कर रहे है। ऊधमपुर से आगे काजीगुंड और श्रीनगर तक की लाइन के लिए एक 'बायो-माण्डल' अध्ययन किया जा रहा है जिससे इस बात का निर्धारण होगा कि एक रेलवे लाइन बनाने अथवा एक चौड़ी लाइन बनाने में कितना खर्चा आयेगा। यह अध्ययन पूरा होने पर ही योजना आयोग किसी निश्चित निर्णय पर पहुँच सकता है, जिसे चर्चा के बाद हमें बता दिया जायेगा। महोदय, मैं रेलवे लाइन के ऊधमपुर से आगे के विस्तार के बारे में चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं। हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि रेलवे लाइन को ऊधमपुर तक पूरा किया जाये और जम्मू और कश्मीर राज्य को एक नई लाइन दी जाये।

महोदय, मैं श्रीमती शक्तावत का बहुत आभारी हूं जिन्होंने कोटा-चित्तोड़गढ़ लाइन का शीघ्रता से निर्माण करने के लिए रेलवे कर्मचारियों और रेलवे अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है। इस लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने को है। निश्चित रूप से पिछले दो वर्षों से हम इसके लिए भारी मात्रा में आबंटन कर रहे हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही कुछ महीनों में उस भाग को यातायात के लिए खोल दिया जायेगा और बाद में इस लाइन पर यात्रियों को ले जाने की बात पर भी विचार किया जा सकता है। मैं उनका आभारी हूं क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां आबंटन में वृद्धि के बावजूद भी कुछ माननीय सदस्य उस वृद्धि के बारे में भूल जाते हैं। और केवल उन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जिनके लिए संसाधनों की कमी के कारण नाममात्र का आबंटन किया गया है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान

कर्नाटक के एक माननीय सदस्य ने ऐसा उल्लेख किया था जिन्होंने कर्नाटक की उपेक्षा की बात की थी। ऐसी बात नहीं है। मैं बार-बार यह कह चुका हूं कि रेलवे मन्त्रालय एक कार्यरत मंत्रालय है और इसे अखिल भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य यात्रियों को विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्गों के अधिकतम यात्रियों को लम्बी दूरी की यात्रा कराना और प्रचुर मात्रा में माल की ढुलाई की व्यवस्था करना है। यदि हम इस अखिल भारतीय उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखते हैं तो इससे कठिन बाधायें उत्पन्न होंगी जिससे जन वितरण प्रणाली, आर्थिक विकास और ऐसी बहुत सी मूल-भूत गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो भार के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे पर निर्भर हैं। हमारे ध्यान में सदैव यह बात होनी चाहिए और इस विशेष प्राथमिकता के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों को भी यातायात के लिए सुलभ बनाने के कार्य को कुछ महत्व दिया जाना चाहिए। हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने हमें देश के पर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर बल देने के लिए कहा है। इसीलिए रेलवे ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चार नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को परा करके अपनी बचनबद्धता की पूरा किया है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे अखिल भारतीय दृष्टिकोण से इस बारे में विचार करें। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि अपनी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत ही हम पिछड़े क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दें। उदाहरणतया कर्नाटक में बंगलौर-मैसूर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 17 करोड़ रुपये दिये गये हैं। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए हमारा कुल बजट लगभग 84 करोड़ रुपये का है। अतः कर्नाटक की एक रेलवे लाइन के लिए दी गई 17 करोड़ रुपये की धनराशि सम्पूर्ण देश में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए कुल आबंटित धनराशि का लगभग 20 या 25 प्रतिशत बनती है। विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि कुछ वर्ष पहले ही कांग्रेस सरकार और श्री जाफर शरीफ के प्रयासों के कारण बंगलौर में व्हील एण्ड एक्सल के एक बड़े सयन्त्र की स्थापना की गई है। हमने इस वर्ष 32 करोड़ रुपये की लागत से 70,000 पहियों से लेकर 85,000 पहियों को बड़े विस्तार कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय किया है। इसे भी बड़ी आसानी से भुला दिया गया था। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से यह मेरा अनुरोध है कि हमारी कमियों के लिए हमारी आलोचना करते समय अथवा जहां हमारी आशाओं से कम काम रहा है, इसमें कमी हो तो यह हमारी अपनी गलती के कारण हो सकता है और कभी-कभी यह संसाधनों की कमी की वजह से हो सकता है, आप हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी उठाने का प्रयास कीजिए और उन्हें उजागर कीजिए। उदाहरण के लिए देश में नई रेल लाइनों के कुल बजट का 36 प्रतिशत हमने उड़ीसा को दिया है। 250 करोड़ रुपयों में से 90 करोड़ रुपया उड़ीसा को दिए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो अभी भी पिछड़े हुए हैं और जिन्हें रेल द्वारा नहीं जोड़ा गया है उनके लिए हम अपनी सीमाओं के अन्दर अधिक से अधिक जितना सम्भव होता है, करते हैं।

मैं श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रेल कार्मचारियों और रेल अधिकारियों द्वारा किये जा रहे प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की है। जबकि दूसरी ओर राजस्थान के कुछ अन्य माननीय सदस्य हैं जिन्होंने बहुत ही आलोचना की है। मैं उनके सुझावों की भी प्रशंसा करता हूं क्योंकि मुझे यकीन है, यह बहुत ही रचनात्मक तरीके से दिए गए हैं। लेकिन मैं राजस्थान के माननीय सदस्यों को, राज्य के मुद्दों को उठाये बिना, केवल फिर से यह याद दिलाना चाहता हूं कि मथुरा-अलवर रेल लाइन के लिए आबंटन को काफी घटा दिया गया है।

[श्री माधव राव सिन्धिया]

श्री नटवर सिंह इसके लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। कोटा-चित्तोड़गढ़ लाइन को अब आगे नीमच तक बहुत जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा, सवाई माधोपुर से जयपुर, फुलेरा, जोधपुर और बीकानेर के लिए बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए स्थान का अन्तिम रूप से सर्वेक्षण करने का काम शुरू किया जा रहा है और इसके बाद जोधपुर से बाड़मेर और जैसलमेर से आगे दूसरे चरण पर विचार किया जा रहा है, और जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, रेलवे में बोलचाल में स्थान के लिए अन्तिम सर्वेक्षण का अर्थ है कार्य का अन्तिम स्थिति में पहुंचना, हालांकि यह शत प्रतिशत नहीं है, अन्यथा स्थान के लिए अन्तिम रूप से वर्वेक्षण बहुत ही कम शुरू किये जाते हैं। अतः ये सारी बातें हैं।

दूसरी बात जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने पश्चिम तट पर लाइन के बारे में कहा था। श्री ओस्कर फर्नाण्डीज और श्री जनार्दन पुजारी इससे विशेष रुचि ले रहे हैं। हमने एक वर्ष अपने बजट में मंगलौर-उडीपी रेल लाइन को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। विपक्षी सदस्यों की और से यह बात कही गई है कि इसके लिए बहुत ही कम धनराशि दी गई है। यदि आप किसी भी रेल लाइन को देखें कि बजट सत्रों में प्रथम वर्ष की प्रविष्ट के लिए, धनराशि हमेशा ही कम रखी जाती है क्योंकि भूमि का अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं जैसी सभी औपचारिकतायें सबसे पहले पूरी की जाती हैं प्रथम वर्ष में उससे अधिक धनराशि खर्च करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जो धनराशि खर्च नहीं की जा सकती है उसका आबंटन करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मंगलौर और पश्चिम तट लाइन, यह एक ऐसी लाइन है जिसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। जब इन शुरू की प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप दे दिया जायगा और जब भूमि को अधिग्रहण करने का काम पूरा हो जायगा तो निश्चित रूप से हम इस रेल लाइन के लिए बजट में अन्तिम धनराशि और पर्याप्त आबंटन करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए विभिन्न सुझावों के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री चिंतामणि जेना ने भी बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए हैं। मुझे उन्हें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उनकी इच्छाओं के अनुरूप, मई में हम नीलांचल रेलगाड़ी के समय पहले वाले ही बहाल करने जा रहे हैं। जहां तक लिंक एक्सप्रेस का सवाल है, उसके लिए भी मई महीने में पुराने वाले समय बहाल कर दिए जायेंगे। इसके अलावा, ऐसी बहुत सी अन्य बातें हैं। जिन्हें हम उड़ीसा के लिए कर रहे हैं। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी सुझाव उन्होंने रखे हैं अथवा उड़ीसा से अन्य सदस्यों ने रखे हैं, उनकी ओर निश्चित रूप से पूरा ध्यान दिया जायगा और यह हमारा प्रयास रहेगा कि हम माननीय सदस्यों और भारत के लोगों तथा रेलवे का उपयोग करने वालों की आशाओं के अनुरूप कार्य करते रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं रेल अधिनियम समिति, 1985 के तेरहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में श्री माधव राव सिन्धिया द्वारा रखे गये संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त

रेल अभिसमय समिति, 1985 के तेरहवें प्रतिवेदन, जो 22 फरवरी, 1989 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट पैरा 9 से 12 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती हैं।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी० एम० बनातवाला ने वर्ष 1989-90 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) के लिए कटौती प्रस्ताव रखे हैं। क्योंकि वह यहां उपस्थित नहीं है, मैं उनके सभी कटौती प्रस्तावों को एक आम सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

''कटौती प्रस्ताव संख्या 159 से 162 सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1989-90 के लिए अनुदान की मांगें (रेलवे) सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1 से 16 में प्रविष्ट मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3में दिखाई गई राशियों से अनाधित संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1988-89 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों में प्रविष्ट मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों में अनाधिक संबंधित अनुपूरक राशियां संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाये :–

मांग संख्या 4, 9, 10, 12, 13, और 16'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.32 म० प०

विनियोग (रेल) विधेयक, 1989

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों को संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 17 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित

[श्री माधव राव सिन्धिया]

"कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित** करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1989-90 की सेवाओं के लिए, भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड पर विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित/प्रस्तुत।

4.34 म० प०

विनियोग (रेल) संख्यांक २ विधेयक, 1989*

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय, यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनयोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*दिनांक 17 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र-असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.36 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

(61वां प्रतिवेदन)

[हिन्दी]

श्री राम अवध प्रसाद (बस्ती) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 15 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए 61वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दिनांक 15 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए 61वें प्रविवेदन, से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.37 म० प०

राज्यपालों की नियुक्त और उनमें स्थानान्तरण के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में संकल्प—जारी,

उपाध्यक्ष महोदय । अब हम श्री एस० जयपाल रेड्डी द्वारा 3 मार्च, 1989 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करें :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करें ।"

श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव अपना भाषण जारी रखेंगे । वह यहां उपस्थित नहीं हैं । श्री गिरधारी लाल व्यास अपना भाषण शुरू करें ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जयपाल रेड्डी साहब ने यहां पर प्रस्ताव रखा है कि

[अनुवाद]

"सरकार राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करें।"

[हिन्दी]

इस प्रस्ताव में कोई तथ्य नजर नही आता है। जो हमारा कांस्टीट्यूशन बना हुआ है, उसके आधार पर ही गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। गवर्नरों की क्या-क्या ड्यूटीज हैं वह सब अपने कांस्टीट्यूशन में दी हुई हैं।

यह बात सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गवर्नर प्रेजीडेंट की तरफ से नियुक्त किये जाते हैं। चाहे किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार हो या विरोधी दल की सरकार हो वहां गवर्नर अपने कर्तव्यों के आधार पर ही सारा काम करते हैं। इसलिए नियुक्ति के सम्बन्ध में या ट्रांसफर के सम्बन्ध में कोई गाइडलाइन्स तय करना भारत सरकार से ताल्लुक नहीं रखता है इस कारण यह जो रैजोल्यूशन लाया गया है वह बिल्कुल ही दिशाहीन है। न तो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की गाइडलाइन्स बनायी जा सकती है और न ही आज तक बनी है। राष्ट्रपति जो के द्वारा जो गवर्नर नियुक्त किये जाते हैं वह इसलिए नियुक्त किए जाते हैं जिससे कि राज्य सरकारें अपनी व्यवस्थायें ठीक प्रकार से चलयें। राज्य सरकारें अपने काम में अगर किसी प्रकार की सहायता उनसे लेना चाहती हैं तो वह सहायता बराबर उनकी करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सही तरीके से वह व्यवस्था चलाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी राज्य में विरोधी दल की सरकारें होती हैं तब भी गवर्नर अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभाते हैं और बराबर सरकार को चलाने में अपना योगदान देते हैं इसके अलावा जिस किसी स्टेट में उस सरकार की जो नीतियां होती हैं उन्हीं नीतियों के आधार पर गवर्नर अपना कामकाज करते रहते हैं और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालते हैं। अगर कोई संविधान के खिलाफ किसी प्रकार का कामकाज चलाना चाहता है तो उस समय निश्चित तरीके से गवर्नर का कर्तव्य हो जाता है कि वह उस सरकार को वह काम करने से रोके और उसके ऊपर पावंदी लगाए। इस तरीके से जो भी अवस्थायें होती हैं जो विरोधी दल की सरकारें इस देश के अन्दर 7-8 प्रान्तों के अन्दर बनी हुई हैं। निश्चित तरीके से संवैधानिक तौर पर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है लेकिन जिस तरह से ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने की गवर्नर कोशिश करता है तो उनके मन को नहीं भाता और वह उनके विपरीत काम करने की कोशिश करते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि थोड़े दिन पहले केरल की असेम्बली के अन्दर वहां के गवर्नर के खिलाफ रैजोल्यूशन पास किया गया कि वहां के गवर्नर को हटाया जाय क्योंकि यह हमारी नीतियों के अनुसार काम नहीं करते, इस तरह की गलत परम्परा में असेम्बली के अन्दर डालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, विरोध पक्ष के लोग, और भी प्रान्तों के अन्दर, चाहे आन्ध्र प्रदेश में तेलगूदेशम् की सरकार को, चाहे कर्नाटक की सरकार हो या अन्य प्रान्तों में विरोधी की सरकारें बनी हुई हैं अगर गवर्नर उनकी किसी गलत नीति को स्वीकृति देने में आनाकानी करता है तो वह यह समझते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता इसलिए उनको हटाने की व्यवस्था में बराबर लग जाते हैं इसलिए यह व्यवस्थायें नहीं चल सकतीं। संवैधानिक तरीके से गवर्नर स्टेट का हैड होता है और हैड के हिसाब से वहां की व्यवस्थाओं को देखना उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह स्टेट कांस्टीट्यूशन के आधार पर ठीक से काम हो रहा है या नहीं और गलत तरीके से काम कर रहा है तो

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

उसको गाइड करने का उनका प्रथम कर्तव्य होता है और गाइड करने के बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो निश्चित तरीके से राष्ट्रपति को उनके खिलाफ सिफारिश करने की भी उनकी जिम्मेदारी है कि यह सरकार कांस्टीट्यूशन के आधार पर काम नहीं कर रही है इसलिए इस सरकार के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए, चाहे उसको बन्द करो, चाहे हटाओ चाहे राष्ट्रपति शासन स्थापित करो, यह सारे कर्तव्य उनके होते हैं। हालांकि आर्डिनरी डेज में रोजमर्रा के कामकाज में दखल देने का कोई काम नहीं होता है लेकिन कोई कांस्टीट्यूशन क्राइसिस आता है, कोई झगड़ा टण्टा होता है तो निश्चित तरीके से गवर्नर का कर्तव्य होता है कि उस काम काज में निश्चित तरीके से दखल दें और वहां पर व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करें। जयपाल रेड्डी साहब का जो प्रस्ताव आया है, अभी दो चार गवर्नर्स का एपाइण्टमेण्ट हुआ था, एक को वेस्ट बंगाल में भेजा गया, पहले किसी और प्रान्त के अन्दर थे जिनको वेस्ट बंगाल के अन्दर भेजा गया, वहां की राज्य सरकार ने कहा कि हमसे किसी प्रकार की जानकारी इस संबन्ध में नहीं मांगी गई और बिना हमारी स्वीकृति के गवर्नर को वहां पर नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है, संविधान इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार की स्वीकृति लेकर किसी गवर्नर को नियुक्त किया जायेगा या एक प्रान्त से किसी दूसरे प्रान्त में किसी गवर्नर को ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें भी इसी तरह से उस राज्य सरकार से, चाहे जिस राज्य में पहले उनकी नियुक्ति थी या दूसरे प्रान्त में जहां पर उनको नियुक्त किया जा रहा है उनकी किसी प्रकार की स्वीकृति लेना आवश्यक हो, इस प्रकार का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो रेजोल्यूशन लाया गया है, केवलमात्र इस व्यवस्था को जो ठीक प्रकार से चल रही है, उस व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने के लिए ये लोग बराबर कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरह की अव्यवस्था पैदा करने की हमारे विरोधी दल के लोगों की खास तौर से भावना है। अभी जो नई पार्टी बनी है, कई पार्टियों की मिली जुली, जिसमें जनता पार्टी भी शामिल है, जिसमें लोकदल-अ भी शामिल है, जिसमें लोकदल-ब भी शामिल है, और जन मोर्चा भी है और पता नहीं कौन-कौन से मोर्चे उसमें शामिल हो गए हैं। भानुमति का कुनबा वह बन गई है और तब इस प्रकार की पार्टी बन गई है जिसको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी तक स्वीकृति भी नही दी है, आपके यहां तो दल बना भी नहीं है, उस दल के माननीय सदस्य हैं जो रात दिन इधर उधर पार्टियां बदलने में लगे रहते हैं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाते हैं और इनका काम ही यह है कि किसी तरीके से कांग्रेस के द्वारा जो व्यवस्था इस दिशा में चलाई जा रही है और कांग्रेस के द्वारा इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए की जा रही है, इस राष्ट्र की तरक्की के लिए काम किया जा रहा है, इस देश में जो गरीबी और बेरोजगारी मिटाने की व्यवस्था की जा रही है और इसके डवलपमैंट को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है उस व्यवस्था को गड़बड़ाने के लिए यह लोग बराबर कोशिश में लगे हुए हैं और निश्चित तरीके से इनकी यह कोशिश है कि कांग्रेस के शासन में जो व्यवस्थायें चल रही हैं और जिस रास्ते पर कांग्रेस इस देश को आगे लाना चाहती है, मजबूत बनाना चाहती है, राजीव गांधी के नेतृत्व में, वह नेतृत्व कमजोर हो। और ये लोग उन पर हावी हो जायें- इस प्रकार की अव्यवस्था करने की कोशिश में लगे हैं। अभी दो दिन पहले ही आपने देखा विरोधी दल वालों ने ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर यहां पर कितना हंगामा मचाया, लोकसभा की प्रोसीडिंग्ज को चलने नहीं दिया। इसी

प्रकार से सारे देश में ये लोग अव्यवस्था फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अन्य प्रान्तों में जहां पर विरोधी दलों का बहुमत है, वहां पर तो विधान सभाओं में प्रस्ताव पास किये गए कि ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया जाये। और जहां पर ये विरोध पक्ष में है उन विधान सभाओं में इन्होंने धरना देकर अव्यवस्था फैलाने की चेष्टा की। जबकि स्थिति यह है कि हमने इसी पार्लमेन्ट में यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि इस रिपोर्ट को पार्लमेन्ट में नहीं रखा जायगा। उसको आउट नहीं किया जायगा। जबकि हमने यहां पर यह प्रस्ताव पास कर रखा है फिर भी ये लोग इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं। इसी प्रकार से यह प्रस्ताव भी यहां पर लाया गया है ताकि हमारे देश में जो व्यवस्थायें चल रही हैं-गवर्नर द्वारा, प्रेसीडेन्ट द्वारा, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, उन व्यवस्थाओं में अनावश्यक रूप से रुकावट डालकर उनको नाकाम किया जाए। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं यह प्रस्ताव बिल्कुल बेकार है और इसके कोई मायने नहीं है। किसी गवर्नर को ट्रांसफर करना या गवर्नर को एप्वाइन्ट करना- यह पावर प्रेसीडेन्ट की है जिसमें कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता है। माननीय सदस्य जो प्रस्ताव लाये हैं उसमें उन्होंने कहा है कि इसके लिए गाइडलाइन्स तय होनी चाहिए, एप्वाईन्टमेन्ट की व्यवस्था तय होनी चाहिए लेकिन राष्ट्रपति जी की ओर से हर किसी को तो गवर्नर बनाया नहीं जाता है। जिसकी कोई स्टैंडिंग होगी, जिसने पहले ज़िम्मेदारी के काम किये होंगे, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का वाइड एक्सपीरियन्स होगा ऐसे व्यक्ति ही गवर्नर बनाये जाते हैं। हमारी होम-मिनिस्ट्री निश्चित तरीके से राष्ट्रपतिजी को सलाह देती है कि कौन लोग इस जगह के लिए उपयुक्त है जिकको गवर्नर बनाया जा सकता है, जिनके नेतृत्व में राज्य सरकार को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ऐसे उपयुक्त लोगों को ही गवर्नर बनाया जाता है जो कि ठीक प्रकार से राज्य की सारी व्यवस्थाओं को संचालित कर सके और राज्य सरकार को गाइड कर सकें। साथ ही यदि राज्य में कोई अव्यवस्था पैदा करना चाहे तो उसकी जानकारी केन्द्र सरकार को दें ताकि केन्द्रीय सरकार उनके परामर्श से कार्यवाही कर सके। यह व्यवस्था कोई आज की नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के जमाने में क्वीन की ओर से जो गवर्नर बनते थे उन्हें तो बहुत अधिक जिम्मेदारियां मिलती थीं जबकि आज उनके पास वह जिम्मेदारियां नहीं हैं। अब गवर्नर केवल कांस्टीट्यूशनल हेड हैं। यदि कहीं पर कोई गड़बड़ी की बात होती है या संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है या जनता को तकलीफ है तो निश्चित रूप से गवर्नर के पास यह अधिकार है कि वे अपनी सलाह राष्ट्रपति जी को दें और उसके बाद जो भी कार्यवाही आवश्यक होती है वह की जाती है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि गवर्नर इन लोगों की मंशा के मुताबिक रखा जाये ताकि गलत काम हो सके। इन लोगों की हां में हां गवर्नर मिलायें लेकिन अगर ऐसे लोग गवर्नर बनाये जायेंगे तो इस देश की व्यवस्था सुचारु रुप से कैसे चलेगी। फिर तो देश में कोई व्यवस्था चल नहीं पाएगी। सारी व्यवस्थायें ठीक प्रकार से चलाने के लिये ही हमारे संविधान में आवश्यक प्रावधान रखे गये हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी व्यवस्थायें चल रही हैं। माननीय सदस्य, श्री जयपाल रेड्डी जी, ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बिल्कुल बेकार है और गलत है इस प्रस्ताव को निश्चित तरीके से रद्द किया जाना चाहिए और अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव बिल्कुल निरर्थक है और हमारे संविधान के विपरीत है। संविधान के निर्माताओं ने दो-तीन साल देखभाल करके संविधान को बनाया है, सारे देश के विद्वानों ने, सारे देश के स्वतन्त्रता सैनानियों ने और देश के बड़े-बड़े नेताओं ने हरदल के नेताओं ने मिलकर इस संविधान को बनाया है। उस संविधान के विपरीत जो सुझाव यहां पर दिया गया है, वह बिल्कुल निरर्थक है और बेकार है, इसलिए इस प्रस्ताव को निरस्त और अस्वीकार किया जाए।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में वही वातावरण हो रहा है, जो किसी न किसी तरह से 1974-75 के आसपास हुआ था। उस वक्त लोगों को याद होगा कि एक अराजकता लाने की देश में कोशिश हुई थी। रेलवे स्ट्राइक कराया गया था, जगह-जगह बन्द हुए थे और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक वही बात किसी न किसी रूप में आज फिर से दोहराई जा रही है। आप देखेंगे, विरोध पक्ष के नेता जिनमें कि एक मत है ही नहीं और जिनके बारे में रोज समाचार आते हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। हां, एक बिन्दु पर वे जरूर सहमत हैं कि कैसे कांग्रेस दल को बदनाम करो और नीचा करने का प्रयास करो और प्रयास तो हो ही रहा है। बहुत जोर से यह बात उठाई जा रही है कि गवर्नर के एम्पवाइटमेंट में और गवर्नर के ट्रांसफर में मनमानी हो रही है। यह किस तरह की मनमानी हो रही है, यदि उनके मन मुताबिक काम किया जाये तो इस देश में क्योस हो जायेगा। यदि क्योस हो जाये तब तो मनमानी नहीं हो रही है, यदि आर्डर हो तो मनमानी है। मैं कहता हूं कि कहां पर गवर्नर के एप्वाइमेंट और ट्रांसफर में दिक्कत है। आप कान्सटीचूएंट एसेम्बली की डिबेट को पढ़ें, इतने दिनों तक जो गवर्नर का इन्स्टीयूशन चल रहा है उसको देखें तो आप पायेंगे कि ठीक ठाक चल रहा है। इसमें संशोधन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लोग कहते हैं कि गवर्नर के बहाल करने के लिये और गवर्नर के ट्रांसफर, करने के लिये गाइडलाइन्स बनाई जाये। आज वे गवर्नर के लिये कह रहे हैं, कल वे कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर भी जो अपने काउन्सिल आफ मिनिस्टर बनाते हैं, उनके लिये भी गाइड लाइन बनाई जाये। फिर एसेम्बली के लोग कहेंगे कि इस तरह की बात। कान्स्टीचूशन में साफ लिखा हुआ है -गवर्नर-एज-एन-इंडिविज्युअल-एक्टस एट-दि-प्लैजर-आफ-दि-प्रेजीडेंट। इसमें दो राय नहीं है, प्लैजर आफ प्रेजीडेंट का मतलब है केन्द्रीय सरकार से। आज तक जितने भी गवर्नर बनाये गये हैं, सभी इंटिग्रिटी के लोग रहे हैं। विपक्ष के लोग जब सत्ता में आये थे, तो उन्होंने भी गवर्नर बनाये थे, उस समय तो हम लोगों ने नहीं कहा था कि वे गवर्नर गलत ढंग के लोग हैं। हमने भी उनका स्वागत किया था। गवर्नर की पोस्ट तो बहुत ही संजीदगी की पोस्ट होती है। उसमें अच्छे प्रोफैसर भी आते हैं, अच्छे वकील भी आते हैं और अच्छे जज भी आते हैं, जो रिटायर कर चुके होते हैं। अच्छे राजनीतिज्ञ भी होते हैं और अच्छे ब्यूरोक्रेट भी होते हैं। हर तबके के लोग किसी न किसी तरह से गवर्नर की पोस्ट पर आते हैं और आज भी हैं। बड़ी भारी कन्ट्रोवर्सी उठाई गई पश्चिम बंगाल के बारे में, केरल के बारे में और कर्नाटक के बारे में। मैं कहता था और कहता हूं कि जब नुरुल हसन जी पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, तब तो उनको शान्ति से नहीं रहने दिया, रोज उनपर कोई न कोई आरोप लगाते थे और जब वे चले गये, तो कह रहे हैं कि वे ठीक थे, उन को क्यों हटाया गया। यह कोई बात हुई। श्रीमती रामदुलारी सिन्हा के खिलाफ एसेम्बली में रिज्यूलूशन पास कर दिया। गैर कानूनी और असंवैधानिक काम करने की भी कोई सीमा होती है। ऐसा आज तक इस देश में नहीं हुआ था कि गवर्नर के खिलाफ एसेम्बली रिज्यूलूशन पास कर दे। बाहर के मुलकों के लोग जब यह पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, तो यह सोचते होंगे कि यहां पर विपक्ष के लोग कितने हताश हो गये हैं जो इस तरह की गैर-कानूनी बातें करते हैं। सरकारिया कमीशन ने लिखा है कि गवर्नर की पोस्ट एक बहुत ही इज्जत की पोस्ट है। यह कहीं कांस्टीट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है और कांस्टीटुयेन्ट एसेम्बली की डिबेट्स में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि गवर्नर का एपाइन्टमेंट राज्य सरकारों की मर्जी के मुताबिक होना चाहिये। ऐसा कभी नहीं होना चाहिये चाहे कांग्रेस की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो। राज्य सरकारों से पूछ कर गवर्नर का एपाइन्टमेंट कभी नहीं किया जाना चाहिये। गवर्नर जो होता है, वह केन्द्र का प्रति-

निधि होता है और अक्सर मोमेन्ट्स आफ क्राइसिस जब आते हैं और मोमेन्ट्स आफ क्राइसिस किसी को कह कर नहीं आते हैं, वे अचानक आ जाते हैं, उस समय इनटेग्रिटी का आदमी हो, सूझबूझ का आदमी हो, तो वह अपने विचार से निर्णय लेता है। कौन चीफ मिनिस्टर है, जो लूज करते हुए यह नहीं कहता है कि अभी भी स्टेट में एम.एल.एज. उसके साथ हैं। यदि उसे लगे कि हाऊस में वह अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकेगा और हाऊस का सैशन बुलाने में दो-तीन सप्ताह लगेगा, तो वह कहेगा कि नहीं। गवर्नर के घर पर कोई परेड की बात मैं नहीं मानता, हाऊस में कराइये और इस बीच वह एम.एल.एज. को तोड़ेगा और हौर्स-ट्रेडिंग होगी और एक-एक एम.एल.ए. को उसकी तरफ आने के लिये 50 हजार, एक लाख और दो लाख रुपये दिया जायेगा और यदि उसे लगा कि हाऊस में अपनी मेजोरिटी नहीं साबित कर सकूंगा, तो कहेगा कि हम देख लेते हैं, अभी हमें हटाने की जरुरत नहीं है। जो कुछ तमिलनाडू में हुआ, जो कुछ नागालैंड में हुआ, उसको देखकर यदि गवर्नर ठीक-ठाक न होता, तो इस देश में अराजकता आ जाती। यह दूसरी बात है कि तमिलनाडू में कांग्रेस हार गई। डेमोक्रेसी में कोई पार्टी हारती है और कोई जीतती है, यह कोई सवाल नहीं है लेकिन वहां के गवर्नर ने यह ठीक किया कि एसेम्बली को भंग कर दिया और नागालैंड के गवर्नर ने ठीक किया कि वहां की एसेम्बली को भंग कर दिया और लोग संतुष्ट हुए। मैं कहूंगा कि गवर्नर की जो जगह है, वह ऊपर से देखने में इनोकुअस लगे लेकिन मोमेंट्स आफ क्राइसिस में उसकी जगह बहुत महत्वपूर्ण है और वह राज्य सरकार में क्या गतिविधियां हो रही हैं, उनके बारे में राष्ट्रपति को खबर देता है। मान लीजिये कि सेन्टर से किसी राज्य को जो पैसा जाता है, उसको वह राज्य अपनी पार्टी के हित में खर्च करता है, तो क्या यह गवर्नर का कर्त्तव्य नहीं है कि वह केन्द्र सरकार को सूचित करे कि या तो उसे पैसा देना बन्द किया जाये या इंटेलीजेन्स एजेन्सियों के द्वारा यह पता लगाया जाये कि वह पैसा कहां खर्च हो रहा है और ऐसा कई राज्यों में हो रहा है। अक्सर यह सुनने में आता है कि केन्द्र बहुत ही दखलान्दाजी करता है। राज्यों में गवर्नर के द्वारा दबाव बना रहता है कि वह देखें कि कहां क्या हो रहा है। चाहे कु. कुमुद बेन जोशी हों, या श्री वेंकट सुबैया हों या श्रीमती रामदुलारी सिन्हा हों, इन लोगों ने कहीं कोई ऐसा काम किया, जिससे लोग परेशान हों लेकिन आजकल समाचार पत्रों में बड़े एडीटोरियल आ रहे हैं और खासकर एक पत्र है, जो लोगों को भड़का रहा है। आज ही एक समाचार पत्र में सम्पादकीय आया है जिसमें लिखा है कि गवर्नर की अपोइंटमेंट में बहुत दखलन्दाजी होती है। मैं कहता हूं कि यह तो छाया को भूत समझने वाली बात है। यह ठीक नहीं है।

5.00 म.प.

सबसे बड़ी सर्वोपरि बात यह है कि हम राष्ट्रहित को देखें। किसी भी राज्य का प्रशासन ठीक ढंग से चल पा रहा है या नहीं, गरीबों को और आम लोगों को राहत मिल रही है या नहीं, ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक है या नहीं, यदि कोई राज्य सरकार यह सब करने में विफल रहती है तो यह काम गवर्नर का है कि वह सारी बातों को देखे और सच बात को सच कहे। क्या उसको ऐसी स्थिति में चुप रहना चाहिये ? यदि वह वहां की स्थिति के बारे में केन्द्र से सच बात करता है तो आप कह देते हैं कि उस गवर्नर को हटाया जाये। आप कहते हैं कि हम इसको चलने नहीं देंगे।

गवर्नर का एक खास महत्व होता है। हरेक राज्य में वह अपने पद पर रहकर उस राज्य के सारे विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है और उन सारे विश्वविद्यालयों के बारे में स्वतन्त्र

[डा० गौरीशंकर राजहंस]

निर्णय लेता है और स्वतन्त्र रूप से उनके कामकाज को देखता है। बहुत से राज्यों को यह भी पता नहीं है कि किसी भी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति उसकी इच्छा से होती है। बहुत सी राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बिल्कुल उनकी मुट्ठी का हो, कोई भी पोलिटिशियन हो और विश्वविद्यालयों में ऊधम मचता रहे उनकी पार्टी से किसी को बहाने सहयोग करता रहे। गवर्नर का यह फर्ज होता है कि विश्वविद्यालय का चांसलर होने के नाते वह विश्वविद्यालय में अपना पूरा रोल अदा करे ताकि वहां सही ढंग से काम चलता रहे।

मैं कहूंगा कि यह जो प्रस्ताव लाया गया है वह बिल्कुल बेमानी है। संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार और गवर्नर ठीक ढंग से काम करें और हमारे देश में गवर्नर की इंस्टीच्युशन ठीक ढंग से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिये इसमें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्याय महोदय, श्री जयपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तावित संकल्प का मैं पूर्ण विरोध करता हूं। राज्यपालों की संस्था, हमारे संविधान के अनुसार और इस संविधान को कार्यान्वित करने का चालीस वर्षों का हमारा अनुभव राज्यपालों की आवश्यकता, उनके महत्व और प्रतिष्ठा को स्पष्ट करता है। राज्य द्वारा नये दिशा निर्देश दिए जाने की मांग को हम आवश्यक नहीं समझते हैं।

जैसाकि मुझसे पिछले वक्ता ने अभी जिक्र किया है कि राज्यपाल का अलग व्यक्तित्व होता है और वे विभिन्न क्षेत्रों से चुने जाते हैं। किसी दिए गए सन्दर्भ में विभिन्न परिस्थितियों में एक या अन्य जगह पर समय-समय पर विरोधाभास होना निश्चित है। यहां तक कि जब सभी राज्यपाल कांग्रेसी दलों के थे तब भी ऐसे अवसर आये थे जब प्रकाशित या अप्रकाशित रूप से विरोध उत्पन्न हुआ था। हम वस्तु स्थिति जानते हैं क्योंकि हम में से वे, जो केन्द्र अथवा राज्य में जनजीवन के बीच रहते हैं, जानते हैं कि इस संस्था का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। राज्यों की राजधानी में राज्यपालों की उपस्थिति अति महत्वपूर्ण है। कुछ राज्य बहुत छोटे हैं। एक समय पूर्वोत्तर राज्य में एक राज्यपाल ने पांच राज्यों का कार्य भार उठाया था।

5.05 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

मजाकिया तौर पर हमें उन्हें गवर्नर जनरल कहते थे क्योंकि वे पांच राज्यों का कार्यभार सम्भाल रहे थे। हमने प्रधान मन्त्री और अन्य नेताओं से कहा था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत रूप में राज्यपाल की राजधानी में राज्यपाल की उपस्थिति राज्य के कार्य कलापों पर बड़ा प्रभाव डालती है। यह एक अलग विषय है कि वे भाग संवैधानिक प्रधान हैं या नाम भाग के अथवा नहीं और यह एक स्वीकारात्मक तथ्य है। लेकिन राज्य की राजधानी के राजभवन में राज्यपाल की व्यक्तिगत उपस्थिति बड़ा प्रभाव डालती है।

इस आधार पर हम में से वे, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं, ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से यह प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक बड़े राज्य में कम से कम एक राज्यपाल होना चाहिए। यदि हम राज्यपाल की उपस्थिति की आवश्यकता महसूस नहीं करते तो हम यह प्रस्ताव क्यों पेश करते ? राज्यपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आज भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के चार राज्य ऐसे हैं जहां पृथक राज्यपाल नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल हैं और मिजोरम में राज्यपाल हैं और असम में राज्यपाल हैं। असम के साथ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा भी सम्बन्धित हैं। प्रत्येक बड़े अथवा छोटे राज्य की राजधानी में राज्यपाल की उपस्थिति के दृष्टिकोण से यह बहुत आवश्यक है। एक छोटा राज्य होने के बावजूद सिक्किम में राज्यपाल हैं, गोवा में राज्यपाल हैं, हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल हैं...यह इन राज्यों के लिए बहुत अच्छी बात है। यदि हम त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में तीन राज्यपाल नियुक्त कर पाये तो मैं समझता हूं कि राज्यपालों के द्वारा केन्द्र का अच्छा नियंत्रण स्थापित हो जायेगा।

अनुभव की बात है कि जब मणिपुर राज्य की राजनीति कमोबेश क्षेत्रीय दलों द्वारा प्रभावित थी तो उन दलों में जो सत्ता में आना चाहते थे राज्यपाल के अनुमोदन के लिये ही संघर्ष था। क्योंकि उस समय करीब-करीब सभी दलों को बराबर बहुमत प्राप्त था। अतः उन्हें राज्यपाल के निर्णय पर ही आधारित होना पड़ा था। कभी-कभी बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था। विपक्ष द्वारा शासित आन्ध्र प्रदेश या केरल या अन्य राज्यों जहां विपक्ष सत्तारूढ़ है, के विवाद की भांति यह विवाद नहीं था।

आन्ध्र प्रदेश और केरल में उत्पन्न विवाद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि संकल्प की प्रस्तावना में जयपाल रेड्डी जी द्वारा दिया गया भाषण यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने इस संकल्प का उपयोग विरोध बढ़ाने के लिये करना चाहा और बेवजह इससे एक मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने इस संकल्प का पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहा और केरल, आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित और यहां के राज्यपालों के चरित्र और क्रिया कलापों से सम्बन्धित विषयों की चर्चा करनी चाहिए थी। शायद यह इतना महत्वपूर्ण था कि इसे छिपाया न जा सका।

इस तरह के विवादों पर हम अपना समय बरबाद करना नहीं चाहते हैं। तो भी हम कुछ पहलुओं तक अपने आपको सम्बोधित कर सकते हैं। केन्द्र में चाहें जो भी सरकार हो, इस देश को चाहे जो भी चला रहा हो, चूंकि इस देश में अनेक राज्य और संघशासित प्रदेश हैं, यह निश्चित है कि कभी भी जैसा कि आज है, केन्द्र में कोई दल सत्तारूढ़ हो और विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न दल सत्तारूढ़ हों। इस प्रकार की स्थिति में जो कि बिल्कुल संभव है कुछ विवादों का उत्पन्न होना निश्चित है। लेकिन वे विवाद इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि केरल और आन्ध्र प्रदेशों में इन्होंने सरकार और राज्यपाल के मतभेदों का राजनीतिकरण कर दिया है। जी हां, मतभेद अवश्य उत्पन्न होंगे, लेकिन हम उनका राजनीतिकरण क्यों करें और उन्हें नीचता की हद तक क्यों ले जायें? इस तरह के विवादों को समाप्त कर देना चाहिए और राज्यपालों की संस्था को इस प्रकार के विवादों में नहीं घसीटना चाहिए।

फिर भी हम गृह मंत्रालय को चेतावनी दे सकते हैं और इस प्रकार केन्द्र में अवस्थित केन्द्र सरकार को भी कि राज्यपालों के चुनाव में उन्हें बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। हम जानते हैं कि सेना, अधिकारियों, न्यायविदों, प्रशासकों और अन्य क्षेत्रों से विशिष्ट व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में चुना जाता है लेकिन राज्यपाल के चुनाव के वक्त हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि यदि हम ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जिनकी अपनी कोई विचार अभिव्यक्ति न हो और जो कहीं और से 'हां' या 'ना' की प्रतिक्षा करते रहें तो राज्यपालों की सम्पूर्ण संस्था और संविधान का ढांचा अव्यवस्थित और बदनाम हो जाता है। अतः सभी परिस्थितियों के लिए हम राज्यपालों के चुनाव में केन्द्र सरकार को सावधान कर सकते हैं।

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

अन्त में इस विधेयक का लाभ उठाते हुए मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हममें से वे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं, महसूस करते हैं कि इस गवर्नर जनरल की धारणा वहां बनी रहने के कारण हम लोग कष्ट उठा रहे हैं। हमारे यहां प्रत्येक बड़े या छोटे राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए तब इन छोटे राज्यों में गुणात्मक और स्थायित्व की दृष्टि से काफी विकास होगा। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री और उनके माध्यम से प्रधान मन्त्री इस मुद्दे पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग राज्यपालों की नियुक्ति करेंगे।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*डा० फूलरेणु गुहा (कन्टाई) : सभापति महोदय, हम राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के मार्ग निर्देश तैयार करने सम्बन्धी श्री जयपाल रेड्डी के संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, हमारी संविधान सभा ने हमारे देश की सरकार को चलाने के सम्बन्ध में काफी समय तक और गहराई से विचार विमर्श किया और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने देश को त्रुटि रहित संविधान दिया है। इस देश की सरकार उस त्रुटिहीन संविधान पर चल रही है। मैं नहीं समझती कि राज्यपालों के बारे में चर्चा करने की कोई जरुरत है। श्री जयपाल रेड्डी ने अपने संकल्प पर चर्चा आरम्भ करते हुए अपने भाषण में जो कुछ कहा मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, वह उनका व्यक्तिगत मत है। मैं इस संकल्प के बारे में ही कुछ शब्द कहना चाहती हूं। किन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती कि श्री रेड्डी ने अपने भाषण में कुछ राज्यपालों को गाली दी हैं। उन्होंने उनके पूर्व चरित का मजाक उड़ाया है। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि राज्यपाल केवल व्यक्ति ही नहीं है। वह एक संस्था है और उसे व्यक्ति मानना गलत होगा। उसे एक संस्था माना जाना चाहिए।

राज्यपाल निश्चित रुप से राज्य सरकार के सहयोग से काम करता है। किन्तु यदि राज्य सरकार कोई ऐसा काम करे जिसे राज्यपाल स्वीकार नहीं कर सकता या यदि राज्यपाल यह अनुभव करे कि राज्य सरकार का कोई कार्य पूर्णतः असंवैधानिक है तो वह उस पर निश्चित रूप से राय प्रकट कर सकता है या फिर राज्य सरकार के साथ उस मामले पर विचार विमर्श कर सकता है। यदि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता तो वह निश्चित रूप में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार या भारत के राष्ट्रपति को भेज सकता है क्योंकि वह वहां पर एक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। सभापति महोदय, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूं। जो माननीय सदस्य इस संकल्प को इस सभा के समक्ष लाये हैं उनके दल ने भी तो इस देश की सरकार चलाई थी चाहे थोड़े समय के लिये। उस समय उन्होंने भी बहुत से राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किये थे। किन्तु उन्होंने उस समय इन बातों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान राज्यपालों की नियुक्ति के लिए मार्ग निर्देश बनाने की बात क्यों नहीं उठाई ?

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारे बहुत से सहयोगी यह भूल जाते हैं कि जब वे स्वयं सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया। वे यह समझते हैं कि जो कुछ वे करते हैं वही ठीक है और जो कुछ अन्य लोग करते हैं वे हमेशा ही गलत करते हैं। किन्तु इस प्रकार की

*मूलतः बांगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मनोवृत्ति प्रजातंत्र में नहीं चल सकती। यदि वे अपने सोचने का ढंग नहीं बदलते तो इस देश की समस्यायें बढ़ेगी ही देश को चलाने के लिए विभिन्न विश्वासों और विचार धाराओं के लोगों को अपने साथ लेना होता है। और संविधान के उपबन्धों के भीतर रह कर ही काम करना होता है। हमारा देश प्रजातंत्र में विश्वास रखता है और लोकतांत्रिक सिद्धांन्तों पर चल रहा है तथा चुनाव भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों और तरीकों से कराये जाते हैं। केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारें लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर चल रही है। किन्तु ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपनी सुविधा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक भाग तो माने और दूसरा नहीं। इस प्रकार का दृष्टिकोण और मानसिकता अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सभापति महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहती। मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करती हूं कि मैं इस संकल्प का समर्थन नहीं करती और इसका पूर्णतः विरोध करती हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं श्री जयपाय रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का विरोध करता हूं। मुझे इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत करने में कोई बुद्धिमानी नजर नहीं आती, विशेषकर उस समय जब सदन में केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर चर्चा होने वाली है। आप जानते हैं कि सरकारिया आयोग ने भी इस सम्बन्ध में काम किया है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट भी चर्चा के लिए सदन के समक्ष आएगी। उस पर विशेष संकल्प लाने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। संकल्प प्रस्तुत करते समय माननीय सदस्य अपनी सीमा से बाहर चले गये हैं और उन्होंने कई बाहरी विषयों को शामिल कर लिया है। आप जानते हैं कि राज्यपाल हमारे देश में एक सम्मानित संस्था है। जब इस विषय पर संविधान सभा में बहस हुई थी तो कई विचार प्रकट किए गए थे। उनमें से एक विचारधारा यह थी कि राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए। किन्तु संविधान सभा ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसका विरोध किया और उन्होंने राष्ट्रपति अर्थात भारत सरकार द्वारा राज्यपाल को नामित करने का प्रावधान किया। राष्ट्रपति अपने आप कुछ नही कर सकता। मन्त्रिपरिषद उसकी सहायता करता है। वह मन्त्रि परिषद की सलाह से कार्य करता है। मन्त्रि परिषद जो भी सुझाव देता है तथा गृह मन्त्रालय जो भी सुझाव देता है राष्ट्रपति उन्हें ही राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है। बेशक राज्यपाल अपने-अपने राज्य में भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।

संविधान सभा के बाद-विवाद से यह भी पता चलता है कि मूलतः राज्यपाल की भूमिका सीमिति रखी गई थी किन्तु बाद में संविधान के निर्माताओं ने इस बात पर बल दिया कि उसे व्यापक कानूनी शक्तियां दी जानी चाहिए। मेरे विचार से वे दूरदर्शी थे और उनकी यह बात सही थी कि उसकी शक्तियां सीमित नहीं होनी चाहिए। उसके पास व्यापक कानूनी शक्तियां होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य का संविधानिक प्रमुख होना है।

सभापति महोदय : इस मद के लिए अबंटित समय समाप्त हो गया है। क्या सभा इस मद के लिए समय बढाए जाने के लिये सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय : ठीक है, इस मद के लिए एक घंटा बढ़ा दिया गया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, राज्यपाल के नाम पर, राज्य का प्रशासन चलता है। हालांकि तकनीकी रूप से यह स्थिति है किन्तु, वास्तव में व्यवहारिक रूप से राज्य का प्रशासन मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है। अतः महोदय, यह स्वाभाविक

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

ही है कि हर समय, हर मौके पर और प्रत्येक मामलों में राज्यपाल और मुख्यमन्त्री की राय एक ही हो यह जरूरी नहीं है। हम इसकी आशा भी नहीं करते। उनमें कई बार मतभेद भी होता है। जैसा कि मेरे से पहले वक्ता ने ठीक ही कहा है कि उन सभी राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है और राज्यपाल भी कांग्रेस सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि राज्यपाल और मुख्य मन्त्री प्रत्येक मुद्दे पर सहमत ही हों। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। आज यदि एक राज्यपाल मुख्यमन्त्री से सहमत नहीं हो पाता तो हम उस राज्यपाल या मुख्यमंत्री में दोष नहीं बता सकते। हमारे यहां ऐसी ही व्यवस्था है। उन्हें समझौता करना होता है। उन्हें अपनी सीमा के भीतर काम करना होता है। कुछ निर्धारित मापदण्ड हैं। इसलिए आज जो कुछ आन्ध्र प्रदेश में हो रहा है, किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है। दुर्भाग्य से विपक्ष के सदस्य अनुपस्थित हैं वरना मैं तेलुग देशम के सदस्यों से पूछता कि मुख्य मन्त्री से बड़ा राजनैतिक तानाशाह कौन है।****

सभापति महोदय : नाम कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा ; मुख्य मंत्री कहिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : ठीक है, श्रीमान। तब कौनसा ऐसा राज्यपाल है, जिसमें आत्म-सम्मान और गरिमा है, और मुख्य मन्त्री जो कुछ भी कहेगा उसे शतप्रतिशत मान लेगा ? मानलो वह लोकपाल की नियुक्ति से सम्बन्धित कुछ फाइलें मंगवाता है। फाइलें नहीं भेजी जाती। बाद में कोई विवाद उठ खड़ा होता है और वह पाया जाता है कि हालांकि यह कहा गया था कि फाइलें भेजी गई हैं किन्तु वास्तव में वह नहीं भेजी गई। और यह सब गलती से हुआ। इस प्रकार की बातें होती हैं। राज्यपाल को फाइलें मंगवाने और सरकार को सलाह देने और चेतावनी देने का पूरा अधिकार है। विश्व में हमारा सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। हमारे यहां विभिन्न राजनैतिक दल हैं। और राजनैतिक दलों में भी गुट हैं।

आज आन्ध्र प्रदेश में क्या हो रहा है। सत्ताधारी दल में ही कई गुट हैं। वह एक दूसरे के खिलाफ दोष निकालते रहते हैं। किसी को भी कोई शिकायत है तो वह राजभवन जाकर राज्यपाल से अपनी शिकायत कर सकता है। राज्यपाल तो एक अम्पायर की भांति है। हमें यह देखना है कि वह किस प्रकार का निर्णय लेता है या लेती है। किन्तु आज हो यह रहा है कि यदि किसी को कोई भी शिकायत होती है तो वह राजभवन जाकर राज्यपाल में दोष निकालता है।

इस संकल्प का प्रस्तुतकर्ता राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में कुछ मार्ग निर्देश चाहता है। जैसा कि मैं समझता हूं उनका कहना यह है कि राजनैतिक लोगों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि राजनैतिक लोगों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि उन्हें राज्यपाल के रुप में नियुक्त करने के लिए अछूत समझा गया है यह बात मेरी समझ में नहीं आयी है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

महोदय, क्या आप जानते हैं कि अमरीका में क्या हो रहा है? जब व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बदलता है तो उसके साथ सचिव भी बदल जाते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने सचिव लाता है यहां सबसे बड़े प्रजातन्त्र में एक प्रशासक को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है एक सेना अध्यक्ष या एक पत्रकार को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यदि वे राज्यपाल बनते हैं तो मैं इसके विरोध में नहीं हूं। इसी तरह प्रतिष्ठित खिलाड़ी और प्रतिभाशाली व्यक्ति

****कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज्यपाल बन सकते हैं किन्तु वे राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। हम राजनीतिज्ञों के बिना लोकतन्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे राज्यपाल क्यों नहीं बन सकते ? हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में आप क्या कहेंगे ? क्या वह राजनीतिज्ञ नहीं है ? हमारे उप-राष्ट्रपति और सभापति महोदय के बारे में आप क्या कहेंगे, जो हमारे प्रभारी अधिकारी भी हैं ? क्या वे राजनीतिज्ञ नहीं हैं ? किन्तु जब वे पद को संभाल लेते हैं तो कभी भी वे राजनैतिक नहीं माने जाते और वे अपने कार्य निष्पक्षता से करते हैं। हमारे राष्ट्रपति स्वयं राज्य सभा के सभापति हैं। यही हमारे लोकतन्त्र की खासियत है। हमारा यह कहना कि किसी भी राजनीतिज्ञ को राज्यपाल के रूप में राजभवन नहीं भेजा जाए, अपने लोकतन्त्र को कमजोर बनाना माना जाएगा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। उसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इस निष्कर्ष पर पहुँच जाना चाहिए। जो लोग जो इस समय इस विषय पर बोल रहे हैं, 1977 से 1980 के दौरान, जब वे सत्ता में थे, उनके ही कई साथी राज्यपाल थे। क्या उन्होंने अपने दल के कार्यकर्त्ताओं को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया ? मैं उन सबके नाम बता सकता हूं। निश्चय ही मैं उनके द्वारा इस तरह की नियुक्ति किए जाने के विरुद्ध नहीं है। यदि वे देशभक्त और सुयोग्य हैं, तो उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति भी राज्यपाल रह चुके हैं। क्या किसी ने उनमें कोई दोष पाया ? वे यह कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञों के अलावा किसी को भी राज्यपाल बनाया जाए। यह सचमुच अद्भुत बात है। मैं इस तरह की धारणा के एकदम विरुद्ध हूं। साथ ही, मैं यह भी कहूंगा कि इस उच्च पद के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। सरकार को इसका चयन सावधानीपूर्वक करना होगा। कुछ साल पहले, एक राज्यपाल ने आंध्रप्रदेश राज्य में कुछ घोटाला किया था। इसीलिए मैंने कहा कि हमें व्यक्तियों का चुनाव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तविकता यह है कि उस व्यक्ति की गलतियों के कारण, उस राज्य में सत्तारूढ़ दल सत्ता से हट सकता था। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि उन्हें उसका आभारी होना चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति की त्रुटियों के कारण ही वे सत्ता में आ पाये। जब वे लोग प्रयास कर रहे थे, उस व्यक्ति की त्रुटियों के कारण उन्हें सहायता मिली।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अब वही व्यक्ति उनका साथी है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : संभवतः वह बड़े अवसरवादी हैं।

अब मुझे यह सुनकर हैरानी हो रही है कि ये लोग राज्यपाल का पद ही समाप्त करना चाहते हैं। मैं हैरान हूं कि उनके दिमाग में इस तरह की बातें कैसे आ जाती हैं। यह तो ऐसे हुआ कि सिरदर्द को दूर भगाने के लिए सिर को ही काट दिया जाय। यदि कुछ समस्यायें है तो हमें उनका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। हमें राज्यपाल का पद ही समाप्त करने की मांग नहीं करनी चाहिए ? राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसका पद भारत के संघीय ढांचे में विशेष रूप से संगत है। भारत की जनसंख्या, इसके क्षेत्रफल, विभिन्न परम्पराओं और संस्कृति तथा विविधता को देखते हुए हमें इसे लघु-विश्व की उपमा दे सकते हैं। विविधता में इसकी एकता को मजबूत बनाने और इसे कायम रखने के लिए केन्द्र का मजबूत होना जरूरी है। केन्द्र को मजबूत बनाए बिना हम देश की एकता और अखण्डता को बनाए नहीं रख सकते और न ही देश को प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर ले जा सकते हैं। हमें केन्द्र को मजबूत बनाना होगा और संघीय ढांचे में केन्द्र का राज्यों पर कुछ नियन्त्रण होना चाहिए। कई बार देश के कुछ भागों

[श्री बल्लभ पाणिग्रही]

में प्रादेशिकता बढ़ जाती है और इसे भावुकता के साथ जोड़ा जाता है। भावुकता को प्रादेशिकता से अलग नहीं किया जा सकता कई बार भावुकता काम नहीं आती। राज्य का प्रशासन राष्ट्रीय आधार पर काम नहीं करता। क्या इस पर केन्द्र से नजर रखने की जरूरत नहीं है ? वह काम कोन करेगा ? सक्षम राज्यपाल के बिना यह संभव नही है। कुछ मुख्यमन्त्री ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके राज्यपाल उनकी कठपुतलियां बनें। जब उन्होंने देखा कि वे उनका साथ नहीं देते अथवा उनका विरोध करते हैं, तब वे कई कहानियां गढ़ते हैं और राज्यपाल के पद की निंदा करते हैं। और उसका महत्व कम करते हैं। इस बात को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता :

आप पंजाब की स्थिति देखिए। क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि वर्तमान में राज्यपाल कुछ काम नहीं कर रहा है ? लोगों का कहना है कि राज्यपाल पद मात्र पेंशन का पद अथवा आराम का पद है। आप देखिए चण्डीगढ़ में राजभवन के वर्तमान पदस्थ अधिकारी अर्थात पंजाब के राज्यपाल को कितनी गंभीरता से समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। उसे हर तरह से सराहना की जरूरत है। क्या कोई उसमें त्रुटि निकाल सकता है ? क्या हमें पंजाब में श्री सिद्धार्थ शंकर राय से अच्छा कोई राज्यपाल मिल सकता है ?

तमिलनाडु में जब राज्यपाल शासन की घोषणा की गई थी, उस की जानकारी सबको है। श्री पी० सी० अलेक्जेण्डर ने तमिलनाडु में काफी कुछ किया। उन्होंने राज्य प्रशासन को पुनः सही स्थिति में लाने के भरसक प्रयास किए। राज्य प्रशासन की स्थिति खराब हो चुकी थी। इसकी जानकारी सबको है। इसी तरह, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री जगमोहन ने भी कई कार्य किए। यह प्रशंसनीय था। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो राज्य के मुख्य मन्त्री को पसंद नहीं है तो हमें इस निस्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि हमें राज्यपाल का पद ही समाप्त कर देना चाहिए और उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगा देने चाहिए राज्यपाल का पद एक प्रतिष्ठत पद है। आप मार्गदर्शी सिद्धांत क्यों बनाते हैं ? वे सम्माननीय लोग हैं। उन्हें सार्वजनिक जीवन का काफी अनुभव है और उन्हें अपनी भूमिका की जानकारी भी है। किसी दिन विपक्ष के लोग आकर यह भी कह सकते हैं कि राज्यपालों के लिए उपस्थिति रजिस्टर होना चाहिए और उसे रोज उसमें हस्ताक्षर करने चाहिए तथा इसी तरह वह जहां भी जाएं उन्हें यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता के बिल भी तैयार करना चाहिए। जो भी हो, क्या हम राज्यपाल के पद की महत्व कम आंकेंगे। अब हम केन्द्र राज्य संबंधों की भी चर्चा करेंगे। हमारे प्रधानमन्त्री राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व विपक्षी नेताओं के साथ विशेष रूप से परामर्श या बैठक करना पसंद करते हैं। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के समय से यह प्रक्रिया चली आ रही है। वह हर अवसर पर उनसे परामर्श करते थे लेकिन इसे उनकी कमजोरी मानी गई। यहां तक कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी कुछ मुख्यमन्त्री असाधारण व्यवहार कर रहे थे और निराली बातें उठा रहे थे। हमारा देश कहां जा रहा है। स्वाभाविक है कि मुख्यमन्त्रियों को अपनी सीमा में रहना चाहिए।

यह एक बहुत नाजुक विषय है। भारत सरकार इसे सहज रूप में नहीं ले रही है। लोगों का चुनाव करते समय, उन्हें बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही हमें अपनी प्रणाली का संघीय रूप बनाये रखना है हमें इन बातों पर चर्चा करते समय देश की एकता और अखंडता की सम्पूर्णता को बनाये रखना चाहिए। हमें मात्र हिमायती बनकर नहीं बोलते रहना चाहिए।

हम लोकतन्त्र चला रहे हैं। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में राजनीति और राजनीतिज्ञों का महत्व होता है। राजनीतिज्ञ अलग नहीं है। मैं कई लोगों के नाम ले सकता हूं मैंने कुछ के नाम बताये हैं। श्री उमाशंकर दीक्षित को लीजिए, वह भी राज्यपाल थे। उनमें कोई व्यक्ति दोष नहीं निकाल सकता। ऐसे कई प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका सार्वजनिक सेवा के दौरान का रिकार्ड साफ-सुथरा था। हम जीवन के अन्य क्षेत्रों से लोगों की नियुक्ति करके वरिष्ठ राजनैतिक हस्तियों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? हम उन लोगों में से समय-समय पर राज्यपाल की नियुक्ति करके उनकी परिपक्वता का लाभ उठा सकते हैं जिनकी सार्वजनिक क्षेत्र में काफी साख रही है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तावित संकल्प के पीछे मात्र अंधभक्ति ही है। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, जयपाल रेड्डी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसमें साफ कहा गया है—

[अनुवाद]

"यह सभा सिफारिश करती है कि सरकार राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत रखे।

[हिन्दी]

किन आधारों पर गवर्नरों की नियुक्ति होगी, किन सर्कम्सटान्सेस में उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है—इसके विषय में एक बार नहीं कई बार विचार किया गया है। संविधान में स्थिति तो स्पष्ट है ही। पिछले दिनों सरकारिया कमीशन ने भी विचार किया और उन्होंने भी अपनी सिफारिशें दी हैं। जयपाल रेड्डी जी को मैं जब सुन रहा था, तो उनकी बात बिल्कुल साफ थी। वे इस मामले में इन्टरेस्टेड नहीं थे कि क्या गाइडलाइन्स होनी चाहिए, उनमें कहां पर सुधार की जरूरत है, तो सुधार के विषय में बतायें, उन्होंने सारे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। उन्होंने न केवल राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, बल्कि कतिपय गवर्नरों के ऊपर कई प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आरोप लगाने की भी चेष्टा की। मैं समझता हूं कि यह एक गलत परम्परा है और एक गलत शुरूआत है। हम सदन का उपयोग गवर्नरों की मान-मर्यादा को प्रतिष्ठित न करके उसको बिगाड़ने की कोशिश करें तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकती है। कोई भी गवर्नर हो, इस पूरे सिस्टम के अन्दर उसका एक अपना स्थान है। एक ऐसा स्थान है, जिस स्थान को कम करके आंका नहीं जा सकता है और न आंका जाना चाहिए। एक बार नहीं जब कभी भी राज्यों में किसी प्रकार का संकट आया, राजनीतिक संकट आया तो राजनीतिक संकट के निवारण के लिए हमेशा राजपालों ने कुछ कदम उठाए हैं। और उन कदमों की वजह से राज्य के अन्दर राजनीतिक परिपक्वता आई है और राजनीतिक स्थिति में स्थिरता आई है और राज्यों का हित हुआ है। इस से पालीटीकल सिस्टम का हित ही नहीं हुआ है बल्कि लोकतन्त्र को भी उससे ताकत मिली

[श्री हरीश रावत]

है। यदि हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन पर इस सर्वोच्च सदन में छींटाकशी करने की कोशिश करें, तो यह ठीक नहीं है। कुछ लोगों से हम नाराज हो सकते हैं और कुछ लोगों के काम करने के तरीके हमें पसन्द नहीं आ सकते लेकिन बुनियादी तरीके से संविधान के अन्दर जो कुछ कहा गया है, उस के अन्दर जब तक काम करते हैं, तब तक मैं समझता हूं कि गवर्नर की भूमिका के विषय में बार बार शंका जाहिर करना और उस मामले को सदन में उठाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। तर्क संगत नहीं है और यह राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक नहीं है। माननीय जयपाल रेड्डी आज सदन में नहीं हैं, राजनीतिक कारणों से उन्होंने हल्ला-गुल्ला मचा कर सदन का समय बरबाद किया और अन्त में उपाध्यक्ष महोदय ने यह उचित समझा कि उन को सदन से निष्कासित किया जाए। अच्छी बात होती यदि वे यहां पर मौजूद होते। हम उन से पूछना चाहते थे क्योंकि जिस समय वे बोले, उस समय उन्होंने इस बात को कहीं नहीं कहा कि कहीं पर गवर्नर की नियुक्ति के मामले में केन्द्र सरकार ने नियमों को वायलेट किया है, कहीं पर नियमों का उल्लंघन हुआ है और नियुक्ति के संबंध में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कहा है, उस का परिपालन केन्द्र सरकार नहीं किया है। यदि वे एक भी उदाहरण बताते, तो हम उन का अहसान मानते, उनका गुणगाण करते और हम अपनी सरकार से कहते कि अमुक-अमुक मामले में आप ने गवर्नर के मामले में जो संविधान निर्माता चाहते थे, उसका परिपालन नहीं किया। जो योग्यता गवर्नर के लिए होनी चाहिए, यदि उन योग्यताओं के न होने वाले किसी गवर्नर को नियुक्त किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सारा देश जानना चाहेगा कि आखिर ऐसा व्यक्ति कौन है मगर श्री जयपाल रेड्डी और उन की पार्टी के लोगों को यदि कोई व्यक्ति केवल इस लिए पसन्द नहीं है कि उसका अतीत किसी राजनीतिक दल से था, तो भगवान ही उन का मालिक है और उनकी बुद्धि और विवेक पर मुझे तरस आता है। हिन्दुस्तान जैसे प्रजातांत्रिक देश में इस तरह के पद पर हमेशा राजनीतिक पार्टी से सम्बद्ध लोग ही आएंगे। यदि राजनीति नहीं होती, तो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। हिन्दुस्तान आजाद हुआ और हमने प्रजातांत्रिक सिस्टम को चुना, हमने दलीय राजनीतिक प्रणाली को चुना। इसलिए इस पर यकीनन राजनीतिक पार्टियों से सम्बद्ध लोग आएंगे और मैं समझता हूं कि जो पार्टी केन्द्र में शासन में है, उस पार्टी को पूरा अधिकार है इस बात का कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो संविधान के अन्तर्गत, संविधान निर्माताओं के द्वारा बताई गई गाइडलाइन्स के अन्तर्गत काम कर सकता है। जिस को वह अच्छी तरीके से जानती है और उसके बारे में संतुष्ट है, उस को वह नियुक्त कर सकती है। हमारे विपक्ष के मित्रों को ऐसा लगता है कि जिस को भी केन्द्र सरकार नियुक्त करती है या कांग्रेस सरकार नियुक्त करती है, विशेष कर उन राज्यों में जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन्हें वह अच्छा नहीं लगता और उस व्यक्ति में उन को खामियां ही खामियां दिखाई पड़ती हैं। उन का अतीत अच्छा नहीं लगता है और वर्तमान भी अच्छा नहीं लगता और उनकी कार्य प्रणाली में दोष ही दोष दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं, जिनमें विपक्षी दलों के मुख्य मंत्री हैं लेकिन वे गम्भीर और सुव्यवस्थित विचारों के रहे हैं, तो उन राज्यों में गवर्नर के साथ ठीक निभी है लेकिन यह स्थिति हर राज्य में नहीं है। कुछ राज्यों के अन्दर मुख्य मंत्री गवर्नर के पद का उपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए करना चाहते हैं और जब गवर्नर उन की बात मानने से इनकार करता है और उनका किसी प्रकार का मोहरा बनने से इनकार करता है, वह जो कुछ कहता है, उस को मानने की बजाए, जो कुछ सुझाव वह देता

चाहता है क्योंकि गवर्नर की सरकार कहलाएगी, तो उसके वे सुझाव नहीं माने जाते हैं। अगर कोई गवर्नर अपनी सरकार को कुछ सुझाव देता है, तो इस में कोई असंगति नहीं है। संविधान के अन्तर्गत जो कुछ कहा गया है, उसके अन्तर्गत ही वह कुछ कहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों में जो इस समय विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वे गवर्नर के पद का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए करना चाहती हैं और जब गवर्नर उन के राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने से इनकार करता है, तो उस पर नाना प्रकार के कटाक्ष कर के, उस के खिलाफ कई प्रकार की बात कह कर, अखबारों में बात कह कर, राजनीतिक मंचों का उपयोग करके और विधान मण्डलों का उपयोग कर के, उन को बदनाम करने की चेष्टा की जाती है, गवर्नर के पद को बदनाम करने की चेष्टा की जाती है। मैं समझता हूं कि सदन को एक मत से इस की निन्दा करनी चाहिए। और हमारे विपक्ष के मित्रों को भी इस विषय में सोचना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि एकाध राज्य के मुख्य मंत्री तो ऐसे हैं कि वे कुछ दिनों के बाद यह भी कहने लगेंगे कि गवर्नर को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, खद्दर नहीं पहननी चाहिये और इस रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और ऐसी साड़ी पहननी चाहिए। वे इस सीमा तक जाने को तैयार हैं। आन्ध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से सारे काम को देखते हैं और कांग्रेस से और कांग्रेस की कल्चर से घृणा करने वाले वे व्यक्ति हैं क्योंकि अतीत में वे न तो स्वाधीनता के साथ जुड़े रहे और न देश के निर्माण के साथ जुड़े रहे और केवल फिल्मों में काम कर के, एक ग्लेमर हासिल कर के किसी तरीके से इस गद्दी पर पहुंचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन के राज्य की जो गवर्नर हैं, वे देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली सीढ़ी के साथ सम्बद्ध रही हैं, देश की आजादी के लिये लड़ने वाले परिवार के साथ उन का सम्बद्ध है, इसलिए वे उनको अच्छी नहीं लगती। जब गवर्नर सामाजिक कार्य में रुचि लेती हैं, बाल-कल्याण के कार्यों में रुचि लेती हैं, तो उस में उन्हें राजनीति दिखाई देती है। मैं समझता हूं कि यह बात किसी तरह से भी उचित नहीं है और उनको अपनी भावनाओं पर कन्ट्रोल करना सीखना चाहिए और यह सीखना चाहिए कि किस तरह से गवर्नर का आदर करना चाहिए और गवर्नर के पद का आदर करना चाहिए।

केरल के जो मुख्य मन्त्री हैं, वे इस से भी बढ़ कर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। उस राज्य के गवर्नर और उस राज्य की सरकार के बीच अच्छे तालूकात होने चाहिये लेकिन हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हम यह देखते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी केरल में है, उस के कुछ सदस्यगण गवर्नर के खिलाफ न केवल वहां के विधान मण्डल का उपयोग करना चाहते हैं बल्कि विधान मण्डल में उन के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लाने की कोशिश करते हैं और वहां के जो नेतागण हैं, जो मुख्य मंत्री हैं, वे उन को प्रोत्साहित करते हैं। यह परम्परा हम को कहां ले जायेगी। इस पर न केवल कांग्रेस को बल्कि सारे राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिये और बड़ी शान्ति के साथ विचार करना चाहिए।

मैं श्री जयपाल रेड्डी का जो प्रस्ताव है, उस को इस नजरिये से देखता हूं कि यह प्रस्ताव किसी प्रणाली में सुधार लाने के लिये नहीं लाया गया है। यह प्रस्ताव, यह संकल्प इसलिये लाया गया है कि गवर्नरों को किसी प्रकार से ब्लैक-मेल किया जा सके और गवर्नरों पर दबाव डाला जा सके और गवर्नर अपने विवेक से और संविधान निर्माताओं के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत कार्य न कर सके। यहां यह कहा गया कि राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति से पहले मुख्य मन्त्री के साथ परामर्श नहीं किया जाता और सरकारिया कमीशन ने भी इस विषय में कहा

[श्री हरीश रावत]

है कि राज्य के मुख्य मन्त्री से यदि परामर्श कर लिया जाये, तो ठीक है। मैं यह नहीं कहता कि परामर्श नहीं करना चाहिए मगर इस सिस्टम में, चुनाव की इस पद्धति में, जिसमें केन्द्र में एक दल की सरकार हो और प्रान्तों में दूसरे दल की सरकार हो, कितना मतैक्य इस मामले में होगा और किसी एक व्यक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार परामर्श करना चाहे, गृह मंत्रालय परामर्श करना भी चाहे, तो राज्य के मुख्य मन्त्री कुछ न कुछ अड़ंगा लगायेंगे और उनसे बात चीत करने के बाद यदि उन के मन-माफिक व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता, तो राजनीतिक वातावरण को विषाक्त करने की चेष्टा की जायेगी। मैं समझता हूं कि सरकारिया कमीशन ने जो इस विषय में कहा है, उस ने एक लिमिट से बाहर जा कर इस बात को कहा है। बल्कि एक संत बनने की, अपने आप को उस रूप में प्रोजेक्ट करने की जो भावना होती है कि उसकी सीमा तक जाया जाए, उस रूप में कमीशन ने कहा है। इसको मानने की या इस पर अमल करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इससे कोई हित होने वाला नहीं है।

यहां कहा गया है कि गवर्नरों के जो दिशा निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। सर, केन्द्र और राज्यों के संबंधों के विषय के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने विचार किया था और उसके बाद राज्यों के मुख्य मंत्रियों की और गवर्नरों की भी एक बैठक हुई थी। उसके बाद इस बात का निष्कर्ष निकला कि वर्तमान जो मानक हैं, गाईडलाइंज हैं उनमें कुछ सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुछ कहा गया है, जो मार्गदर्शक सिद्धांत तय किये गये हैं उनको अपने आप में पूर्ण पाया गया था।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि यहां पर जो बातें कही गयी हैं, माननीय जयपाल रेड्डी जी द्वारा, वे राजनीतिक उद्देश्य से कही गयी हैं और उन्होंने परिस्थितियों का फायदा उठा कर के, इस सदन का फायदा उठा कर के गवर्नर पद के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की है, व्यक्तियों के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की है।

मैं समझता हूं कि इस संकल्प में न केवल त्रुटियां हैं बल्कि उसके पीछे जो मनोभावना छिपी हुई है वह भी माननीय नहीं हो सकती है। इसलिए मैं इस संकल्प का पुरजोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : मैं श्री जयपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं।

यह संकल्प स्वयं में राजनैतिक रूप से प्रेरित है तथा संविधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। संकल्प की भाषा संविधान के उद्देश्यों तथा संविधान में उल्लिखित नियुक्ति के अधिकारों के अनुरूप नहीं है। जहां तक राज्यपाल की नियुक्ति का सम्बन्ध है, उसमें कुछ अस्पष्टता नहीं है। संविधान में उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है किन्तु इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल तब तक पद पर बना रहेगा, जबतक राष्ट्रपति चाहेगा। इसलिए, स्थानान्तरण, जैसा कि संकल्प में उल्लेख किया गया है, का प्रश्न ही नही उठता।

राज्यपाल की नियुक्त के बारे में संविधान के अनुच्छेद 155 में विशेष उल्लेख है। इस अनुच्छेद से यह एकदम स्पष्ट है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस संकल्प के प्रस्तावक राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किस तरह के निदेश

चाहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 में कहीं अस्पष्टता नहीं है। अतः यह संकल्प स्वयं संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है और ऐसा लगता है कि माननीय प्रस्तावक मात्र राजनीतिक प्रेरणा से ऐसा कर रहे हैं।

6.00 म० प०

अब मैं दूसरा मुद्दा उठाता हूं, अर्थात राज्यपालों के तबादले का। राज्यपालों के तबादले की बात कहीं भी नहीं कही गई है। अनुच्छेद 158 (1) में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह इस प्रकार हैं :

"राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन का सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन को अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।"

राज्यपाल की पदावधि के सम्बन्ध में अनुच्चेद 156 में लिखा हुआ है कि :

"(1) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परन्तु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नही कर लेता है।"

"राज्यपाल का तबादला" शब्दों की अपेक्षा संविधान में नहीं की गई है अतः संविधान के अधीन तबादले का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

संकल्प का प्रस्ताव करने वाला राज्पालों के साथ सरकारी कर्मचारियों जैसा व्यवहार करना चाहता है। वास्तव में वह राज्यपाल के पद के ही खिलाफ हैं। विपक्ष का रवैया यही रहा है कि राज्यपाल के पद को बदनाम किया जाए जब श्री धर्मवीर प. बंगाल के राज्यपाल थे उस समय भी विपक्ष राज्यपाल के पद को बदनाम करना चाहता था वे नैतिकता के खिलाफ, जबर-दस्ती से, संविधान के विरुद्ध चाहते हैं कि उस राज्यपाल के अधीन जो मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री जी काम कर रहे थे उन्हें वही राज्यपाल अपराधी ठहराए जो उस समय राज्य के अध्यक्ष थे। अतः मैं कह सकता हूं कि जहां तक विपक्ष का सम्बन्ध है, वे राज्यपाल के पद के विरुद्ध हैं। वे उनका उपहास करना चाहते हैं, राज्यपाल के पद को बदनाम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं कई बार उन्होंने यह दावा किया है कि राज्यपाल केन्द्र की या केन्द्रीय सरकार के हाथों में कठपुतली की भांति काम करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करता हूं कि इस मामले पर कई बार न्यायालयों ने निश्चय किया है और यही माना गया है कि राज्यपाल को संविधान द्वारा जो भी निर्णायक शक्ति दे दी गई है, अर्थात सम्पूर्ण निर्णय और इसे किसी व्यक्ति के काम से अथवा किसी प्राधिकरण की किसी सलाह से नहीं रोका जा सकता है इस सम्बन्ध में मैं पश्चिम बंगाल के एक मामले का जिक्र

[श्री रामसिंह यादव]

करता हूं यह एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय वर्ष 1968 में किया गया था और यह है एम० पी० शर्मा बनाम पी० सी० घोष। इस विशेष मामले में राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाया किन्तु बैठक होने से पूर्व अध्यक्ष ने एक अन्तरिम विनियोग दिया कि सभा का अवैध रूप से सत्रावसान किया गया था अतः वह इसको अनिश्चत काल के लिए स्थगित करते हैं। न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं और एक निर्णय है : अनुच्छेद 163 (2) के अधीन, राज्यपाल को एकमात्र निर्णायक बनाया गया कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करें और न्यायालयों को इस प्रश्न का निर्णय लेने से प्रतिबन्धित किए गए। अब सारा अधिकार राज्यपाल के अधिकार में ही है। राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत जो सम्पूर्ण अधिकार दिया गया है वह यह है कि इसको कैसे प्रयोग से लाया जाए। विपक्ष चाहता है कि ऐसे राज्यों में जहां विपक्षी सरकार है राज्यपाल को अपनी सरकार अथवा उनकी सरकार की सलाह अथवा पसन्द के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा करना उस सिद्धांत के विरुद्ध होगा जो स्वयं संविधान में व्यक्त की गई है या जिन पर विचार किया गया है।

राज्यपाल का पद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पद है। यह इस लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 163 में व्यवस्था है कि :

"जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री होगा।"

"अपनी सलाह" शब्द विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 163 में दिए गए हैं सदन के विपक्षीय सदस्य इस बात से बहुत परेशान हैं कि वे चाहते हैं कि "सलाह" शब्द जो राज्यपाल को दिया गया है उसको अलग किया जाना चाहिए और राज्यपाल की शक्तियां तथा कृत्य उस विशेष सरकार की इच्छा के अनुसार होने चाहिए जहां राज्यपाल उस विशेष सरकार का अध्यक्ष है। इस पर बारम्बार चर्चायें और विवाद तथा निर्णय किए गए हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं और किस प्रकार राज्यपाल इन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि ऐसी निर्णायक स्थिति भी उत्पन्न होती है जब राज्यपाल का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उन्हें निश्चित करना है कि किस दल को सभा में बहुमत प्राप्त है और किसको सरकार बनाने का अधिकार है। ऐसे निर्णायक समय पर कभी-कभी विपक्ष बहुत चिंतित होता है। ऐसा राजस्थान के मामले में वर्ष 1967 में हुआ था और अन्य राज्यों में भी राज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई है कि क्या किसी विशेष दल को बहुमत प्राप्त है या नहीं कि क्या वह सरकार बना सकता है या नहीं। राजस्थान में जिस दल को वर्ष 1967 में सरकार बनाने का अधिकार दिया गया वही दल कहने लगा कि उन्हें बहुमत प्राप्त है और वह बहुमत सदन में सिद्ध किया गया। महोदय, इतना ही नहीं। विपक्ष का तर्क यह है कि मन्त्रालय को अधिक से अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए और राज्यपाल को नहीं और वे चाहते हैं कि राज्य को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए और मुख्य मन्त्री राज्यपालों की तुलना में और भारत सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात की सिफारिश की गई है कि केन्द्र शक्तिशाली होना चाहिए और यदि केन्द्र शक्तिशाली है तो राज्य भी

स्वतः ही शक्तिशाली होंगे। वास्तव में, यह तर्क और फिर विपक्ष की ओर से संवैधानिक तर्क कि राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, जो शक्तियां संविधान द्वारा दी गई हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह ऐसी शक्तियां हैं जिनका उपयोग सोच-समझ के किया जाता है और यदि ऐसा अवसर कभी आता है कि इन शक्तियों का उपयोग सोच-समझ कर नहीं किया जाता है तो राज्यपाल (का पद) ही इसको रोक सकता है नियंत्रित कर सकता है और व्यवस्थित करता है। अतः राज्यपाल का पाद अत्यन्त सुसंगत है, और संविधान के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए जो राज्यपाल की नियुक्ति, के सम्बन्ध में अत्यन्त स्पष्ट है राज्यपाल के कृत्य और राज्यपाल के विवेकाधिकार के सम्बन्ध में मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस संकल्प में कोई शक्ति नहीं है। यह संविधान की भावना से ही अलग है और यह संवैधानिक विधि के जटिल सिद्धान्त के विरुद्ध है अतः मैं इस संकल्प का सख्ती से विरोध कर रहा हूं और इस संकल्प का सदन के सभी सदस्यों को विरोध करना चाहिए क्योंकि संविधान के वर्तमान उपबन्धों की दृष्टि में इसकी कोई सम्बद्धता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (इमोह) : माननीय सभापति जी, हमारे विपक्ष के सदस्य श्री जयपाल रेड्डी जी ने राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश संबंधी प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध के निश्चित कारण हैं। हमारा इतना बड़ा देश है, इसमें अनेक तरह की संस्कृतियां, अनेक तरह की भाषाएं और अनेक तरह के लोगों के रहन-सहन के तरीके हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे राष्ट्रपति प्रान्तों में राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। प्रशासन सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमारे केन्द्र को मजबूत होना चाहिए और हमारे देश की सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में होती है। उनके द्वारा नियुक्ति हुई है राज्यपाल को, इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को हमारे देश में मानना उचित नहीं होगा। हमारे राज्यपाल नियुक्त होते हैं उसमें केन्द्रीय शासन वहां की परिस्थितियों, वहां की भाषा, वहां की संस्कृति के अनुसार और आस-पास के जो प्रदेश हैं उनको देखते हुए उनकी नियुक्ति होती है। राज्यपाल अपनी प्रान्त का एक सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता का अधिकारी होता है और विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को वहां की विषम परिस्थितियों से, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उत्पन्न स्थितियों से मुकाबला करना होता है। सत्ता में विपक्ष की पार्टी रहती है निश्चित रूप से उनके हितों की कभी-कभी अवहेलना हो सकती है, लेकिन इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संविधान में यह प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में और उसके कार्य-कलापों के सम्बन्ध में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि इस पर विचार किया जाये। हमारे विपक्ष को संकल्प रखने का अधिकार है उन्हें कुछ कार्य करना है राजनीतिक कार्य करना है। जिसका उद्देश्य प्रचार हो और उसके लिए हमारे मित्र ने यह संकल्प रखा है। अगर आज वह उपस्थित होते, हमारे साथियों ने आज जो विचार व्यक्त किये हैं तो उनको भी मानना पड़ता कि हमारा संकल्प इस सदन का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नही है। इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और जो संविधान में वर्तमान में राज्यपाल के सम्बन्ध प्रावधान है वह पर्याप्त है।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया जो कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य ने रखा है।

[श्री राम नगीना मिश्र]

हमारे बहुत से साथियों ने इस मसले पर कानूनी हवाले दिये, लेकिन मैं एक सीधी बात कहना चाहता हूं। हमारे जयपाल रेड्डी साहब बहुत तेज-तर्रार आदमी हैं और काफी हल्ला करते हैं। कुछ उनको याद होगा तो उनकी भी यहां पर सरकार थी और उनको भी विशाल बहुमत प्राप्त था। उस समय वह कहां थे, अगर उस समय यह प्रस्ताव लाते तो अधिक उपयुक्त होता। किन्तु उस समय वे यह प्रस्ताव नहीं लाये। उस समय भारी बहुमत में होते हुऐ भी आज के विरोधी नेताओं ने तब यह महसूस नहीं किया कि भारत जैसे विशाल देश में जहां पर चालीस साल से यह प्रावधान चल रहा है और जो संवैधानिक तरीका है गवर्नर की नियुक्ति का वह उचित नहीं है। यह जानकर वह आज यह प्रस्ताव नहीं लाये।

मान्यवर, आज भी सुबह यहां चर्चा हुई। भारत वर्ष ही एक ऐसा मुल्क है जो 80 करोड़ की आबादी वाला है और आज 41 साल के बाद भी यहां प्रजातन्त्र बरकरार है और प्रजातंत्र की नींव मजबूत हुई है। इसलिए इस मुल्क की कोई बराबरी इस मामले में नहीं की जा सकती है। जितने भी और मुल्क हैं चाहे वे क्षेत्रफल में बड़े हैं या आबादी में इतने सफल तरीके से प्रजातन्त्र नहीं चल रहा है। जितना भारत में चल रहा है। इतने बड़े मुल्क के संविधान के जो निर्माता रहे, जो मुल्क को आजाद कराने वाले रहे, उन्होंने बहुत सोच समझ कर संविधान की रचना की है और जिस संविधान की रचना के अनुसार आज गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसको आज इन्होंने बदलने की सिफारिश की है, जो किसी भी हालत में नहीं मानी जा सकती है।

मान्यवर, आज 40 साल के अन्दर यह देखा गया है कि कुछ प्रदेशों में सेंटर में जो पार्टी है उसके विरोधी दल की सरकारें रहीं, किन्तु आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमें याद है जब डा०लोहिया साहब थे, उन्होंने एक संयुक्त दल बनाया और बहुत से प्रदेशों में कांग्रेस के विपरीत हुकूमत बनी लेकिन उस वक्त भी डा० लोहिया ऐसा प्रस्ताव नहीं लाये लेकिन आज ये जयपाल रेड्डी साहब प्रस्ताव लाए हैं। यह मखौल है। मान लीजिए थोड़े समय के लिए, यह संघीय शासन है। आज भी विपक्ष की कई पार्टियां हैं जिनकी हुकूमत कई प्रदेशों में चल रही है। तो संघीय शासन में कुछ अधिकार प्रदेश के होते हैं और कुछ अधिकार सेंटर के होते हैं और ये समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। कुछ ऐसी विरोधी दल की हुकूमतें बनी हैं, अगर जयपाल रेड्डी साहब जैसा चाहते हैं, वैसा हो जाए, शासन चल ही नहीं सकता है। गवर्नर एक निष्पक्ष होता है और राष्ट्रपति का भेजा हुआ एक प्रतीक होता है। वह न्यायसंगत बात करने वाला और इस देश को एक रखने के लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी स्थापना के लिए होता है। हमारी जो पुरानी परम्पराएं चली आ रही हैं, वे सब बेहतरीन हैं। संविधान में गवर्नर को नियुक्त करने की जो व्यवस्था की गई है, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जिसने उसके खिलाफ विचार व्यक्त किए हों। लेकिन आज वह व्यक्ति ऐसा प्रस्ताव लाया है जिसमे कभी अपने जीवन में नियमानुसार काम नहीं किया, कभी नियम का पालन ही नहीं किया, हमेशा अवैधानिक काम किया वह हमें अब संविधान की नसीहत दे रहा है।

मान्यवर, अभी-अभी हमने देखा, सब आदमी पढ़े-लिखे हैं, अपोजीशन वालों ने कैसा नंगा नाच यहां किया। अध्यक्ष की बात मानना सबके लिए जरूरी है, लेकिन इन्होंने अध्यक्ष महोदय की भी बात नहीं मानी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो थोड़ी-बहुत गलती कर दे, तो उसे क्षमा किया

जा सकता है। लेकिन ये अपोजीशन वाले तो अपने आपको ज्ञानी समझते हैं और हमेशा अध्यक्ष महोदय की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। दो दिन पहले इन्होंने जो यहां नंगा नाच किया, वह क्षम्य नही हैं। अगर इनकी यह गवर्नर सम्बन्धी बात मान ली जाए, तो प्रजातन्त्र देश से समाप्त हो जाएगा। इसलिए जयपाल रेड्डी साहब जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं उसका विरोध करता हूं और आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूं कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने देश की बहबूदी के लिए प्रजातन्त्र को कायम रखने के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए जो गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान रखा है, वह बिलकुल वैधानिक है। इसमें कोई भी संशोधन नही होना चाहिए। अगर संशोधन होता है, तो आप देख लीजिएगा इस देश से प्रजातन्त्र उठ जाएगा। आज आप देख लीजिए प्रदेशों में जहां अपोजीशन की सरकारें हैं, वहां क्या स्थति है। आज प० बंगाल में क्या हो रहा है, वहां प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है। वहां पर विरोधी दल में कांग्रेस है, और हमारे कांग्रेस के जो विधायक जाते हैं, उन पर विधान सभा में हमला करते हैं। चुनावों में हमले होते हैं। अगर उनकी बात मान ली जायेगी तो यह प्रजातन्त्र नहीं रहेगा। उसी प्रकार आप आन्ध्र प्रदेश में चले जाइये। तेलगू देशम पार्टी में क्या हो रहा है। वहां पर एक विधायक ने अनशन किया.....(व्यवधान) वहां पर एक नंगा नाच हो रहा है। वहां के जो नेता हैं और जो कि वहां के मुख्यमन्त्री हैं उनको अपने मन्त्रियों पर विश्वास नहीं है वहां पर जो बजट पेश होने जा रहा था वह बजट पहले ही लीक आउट हो गया। जो भारत का प्रधानमन्त्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं वह कैसे देश का शासन चला सकते है। ऐसे लोगों को तो पहले खुद इस्तीफा देना चाहिए। न मालूम क्यों उन्होंने पहले अपने मन्त्रियों से इस्तीफा ले लिया। आज ऐसे लोग हम को उपदेश देते हैं।

यह सब जानते हैं कि हमारी हुकूमत पूरे देश में रही है। और वह आज भी है। आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे कि किसी को कोई ठेस पहुँची हो। हिंसा का सहारा लेकर और लोगों को धोखा देकर यह किसी तरह कुर्सी पर आ गये। उनको इतना भी नहीं मालूम कि बजट की गोपनीयता कैसे रखी जाए। आज श्री जयपाल रेड्डी जिस दल के नेता हैं उस दल की हालत हमें अच्छी तरह से मालूम है। कर्नाटक में आप देख लीजिए। वहां के पूर्व मुख्य मन्त्री श्री हेगड़े साहब अपने ही मन्त्रियों का भेद जानने के लिए उनके टेलीफोन टेप करते रहे। जब यह भेद खुल गया तो उससे उनको जाना पड़ गया। आज ऐसे लोग हम को नसीहत देने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आबंटित समय समाप्त हो गया। क्या यह सदन की इच्छा है कि चर्चा के लिए और एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

सभापति महोदय : सदन द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा के समय में एक घण्टा बढ़ा दिया गया है। श्री राम नगीना मिश्र अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, यह मैं आपको कुछ मिसालें दे रहा था। दुर्भाग्य से एक बार विरोधी दल की हुकूमत सेंटर में भी बन गई थी। उस दौरान वे आपस में ही लड़ते रहे और एक दूसरे को यह कहते रहे कि तुम फलां नेता के ऐजेण्ट हो और यहां तक कहा कि तुम रशिया

[श्री राम नगीना मिश्र]

के ऐजेण्ट हो। तीन साल से ज्यादा समय तक वह रह नहीं सके। उस दौरान बहुत गलत बयानी हुई। राष्ट्रपति जी के पास एक दल ने यह लिखकर भेजा कि हमारा दल बहुमत में है तो दूसरे दल ने यह लिखकर भेजा कि हमारा दल बहुमत में है। राष्ट्रपति जी जब इसके विस्तार में गये तो मालूम हुआ कि कोई भी बहुमत में नहीं है। आज तक पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं है जहां बिना अविश्वास प्रस्ताव के अपने आप प्रधान मन्त्री हट गया हो। यह भी एक विचित्र घटना है। इतना ही नहीं इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिससे यह पता लग जाये कि ऐसा प्रधान मन्त्री बना हो जो एक दिन भी लोक सभा में प्रधान मन्त्री की कुर्सी पर न बैठा हो। आज जयपाल रेड्डी साहब का दल हम को नसीहत देने जा रहा है। आज विरोधी दल के नेता इस लायक नहीं हैं कि प्रजातन्त्र की रक्षा कर सकें और देश में हुकूमत कर सकें। जयपाल रेड्डी आज यह जो प्रस्ताव लाये हैं उसमें कहते हैं कि जो हमारा पुराना संविधान बना हुआ हैं और जिसको कि बड़े-बड़े नेताओं ने बनाया है, उसमें संशोधन किया जाये। मैं तो यह कहूंगा कि उसमें कोई भी खामियां नहीं हैं। इतिहास में कोई ऐसी मिसाल नहीं आयी है जिसमें कि विरोधी दल को इस प्रकार से सस्पेंड किया हो।

यह उन लोगों की करामात थी, आज तक ऐसी मिसाल नही आई। आज ऐसे बिना ठहरे हुए आदमी ऐसा प्रस्ताव लाते है जो कि यह कहता है कि संविधान में संशोधन करो तो यह सदन कैसे मानने को तैयार हो सकता है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि हमारे ऋषियों ने, हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने अपना खून देकर, लाखों आदमियों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद बनाया और यहां प्रजातन्त्र की नीव डाली। आज वह प्रजातन्त्र फल-फूल रहा हैं, विश्व में एक रिकार्ड बनाया है कि 80 करोड़ का मुल्क आज प्रजातन्त्र पर कायम है, आज ऐसी कोई मिशाल नहीं है इसलिए मैं सदन के सामने यह निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और इसको सर्व सम्मति से अस्वीकार करना चाहिए। अगर यह विरोधी दल के लोग होते तो मैं उनसे यह कहता कि यह जो प्रस्ताव आप लाये हो, आप इसका विरोध करो क्यों कि यह प्रस्ताव प्रस्ताव नहीं है, यह सैद्धान्तिक मुद्दा है। सुनते हैं कि रेड्डी साहब सिद्धान्त के मामले में लोहिया जी के विचार मानने वाले हैं और जयप्रकाश जी के विचार मानने वाले हैं। जयप्रकाश जी जैसा देश के महान आदमी ने क्या कभी संविधान में संशोधन किया था, जयप्रकाश जी ने कभी नहीं किया था, लोहिया जी भी कभी प्रस्ताव नहीं लाये तो यह किस खेत की मूली हैं, कहां के पढ़े-लिखे हैं, किस नेता के मानने वाले हैं।

आज लैक्चर देने में उत्साह नहीं बढ़ रहा है। उत्साह इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि यहां अगर अपोजीशन होता तो मैं सच कहता हूं कि अपने दिल के उद्गार प्रकट करता और उनसे कहलवाता कि बोलो क्या सही है और क्या गलत है। इतना ही नहीं, हमारे यहां एक कहानी है कि गांव में तालाब होता है और लोग मवेशी रखते हैं और तालाब में भैंस को नहलाने के लिए ले जाते हैं. तालाब में एक जोंक नाक का कीड़ा होता है, भैंस के थन में दूध रहता है लेकिन वह दूध नही पीता है, वह खून पीता है। आज हमारा विरोधी दल क्या है, केवल खून पीने वाला है, दूध पीने वाला नहीं है। उनको हमारे गुण दिखाई नहीं देते हैं, हमारे अन्दर एक लाख गुण हों लेकिन वह सदैव केवल अवगुण खोजते हैं। आज विरोधी दल क्या कर रहा है, नाना प्रकार से देश को गुमराह कर रहा है, नाना प्रकार की गलत भ्रांतियां पैदा कर रहा है, आज तक कोई भी नही

तस्वीर देश के सामने नहीं ला सका है। प्रजातन्त्र में सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष होता है, विरोध पक्ष का यह पुनीत कर्तव्य होता है कि वह देश के सामने अपने विचार रखे लेकिन हमारे यहां आज तक विरोधी दल निर्बल, दुर्बल और कमजोर रहा और कोई तस्वीर देश के सामने पेश नहीं कर सका। विरोध पक्ष का यह फर्ज बनता है, फर्ज कीजिए विरोधी दल की हुकूमत होती है तो वह कैसे राज चलायेंगे, किस वर्ग को सहूलियत देंगे, देश में कैसा इन्तजाम करेंगे, उनके पास ऐसा कोई नक्शा नहीं है क्योंकि वह सोचते हैं कि जीवन में कभी सत्ता पर तो आना नहीं है जब सत्ता पर नहीं आना है तो उन लोगों ने सीख लिया है हर बात में विरोध करना। हमारे यहां देहात में एक कहानी है, एक गांव में एक पण्डित जी रहते थे, शादी ब्याह के समय में लोग जाते हैं तो अक्सर पूछा करते हैं कि तुम्हारे पास कितने खेत हैं और कितने भाई हैं, लड़का महान मूर्ख था तो पण्डित जी ने अपने लड़के को एक शब्द बता दिया, लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, कि अगर लोग पूछें कि खेत पर कितने हल चलते हैं, हमारे यहां पर एक हल पर 6 बीघा जमीन होती है, तो बता देना कि 6 हल, खःढलान यानी 6 हल चलते हैं, इसका मतलब काफी खेत हैं वह नहीं जानता था कि वह लड़के से और भी सवाल कर सकते हैं तो शादी में जितने भी लोग देखने आये तो लड़के से पूछा कितने हल चलते हैं कि खःढलान, कितने भाई हो—खःढलान, कितने पिता हैं—खःढलान। तो पण्डित जी ने कहा अरे बच्चे हर जगह खःढलान नहीं है। तो वही हाल हमारे विरोधी दल का है। उन्हें केवल यही सूझी है कि केवल विरोध करो, केवल विरोध करो। अगर आप पूरब कहते हैं तो वे कहते हैं गलत बोलते हो यह पश्चिम है। अगर हम कहते हैं दिन है तो वे कहते हैं नहीं रात है। केवल उल्टी बात कहनी ही उन्हें स्वीकार है। तो ऐसे विरोधी दल के नेता जयपाल रेड्डी जी हैं और उनका प्रस्ताव भी उसी तरह का है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं इस सदन में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का विरोध किया जायेगा।

श्री वीर सेन (खुर्जा) : सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने है इसका स्कोप बहुत ही सीमित है। प्रस्ताव कहता है :

[अनुवाद]

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करें।"

[हिन्दी]

इसमें गाइड-लाइन्स की बात कही गई है कि एप्वाइन्टमेंट और ट्रांसफर के लिए गाइड-लाइन्स तय की जायें। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर के मामले में एप्वाइन्ट-मेंट की बात तो सही है लेकिन ट्रांसफर वाली बात का उसमें कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि कास्टीट्यूशन में गवर्नर का हर एप्वाइन्टमेंट, चाहे वह एक ही आदमी का एप्वाइन्टमेंट हो, वह नया एप्वाइन्टमेंट होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि उसको ट्रांसफर करके किसी दूसरी जगह भेज दिया गया। और नया भी जो एप्वाइन्टमेंट है उसका टर्म पांच वर्ष के लिए है। यह बात अलग है कि जो कण्डीशन्स हैं उसके टर्म्स आफ आफिस की उसमें यह लिखा है कि वह प्रैसीडेन्ट के प्लेजर में रहेगा। यानी जब तक प्रेसीडेन्ट उनसे प्रसन्न हैं, उनके कार्य से प्रसन्न हैं तब तक वे रहेंगे। तो यह सिर्फ इसलिए किया गया है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जबकि गवर्नर को हटाने की आवश्यकता पड़ जाए। इन चीजों को ध्यान में रखकर "प्लेजर" शब्द रखा गया है।

[श्री वीरसेन]

इसी तरह से जो पार्लमेंटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट है उसमें कोई भी गवर्नमेंट भी प्रेसीडेन्ट के या गवर्नर के ड्यूरिंग दि प्लेजर ही रह सकती है। इसका सिर्फ मतलब यह है कि अगर हाउस में कांफिडेन्स है किसी गवर्नमेंट का तब तक तो वह रहेगी लेकिन अगर कांफिडेंन्स जाता रहता है तो उस वक्त यह माना जाता है कि प्रेसीडेन्ट का कांफिडेन्स भी खत्म हो गया। मैं समझता हूं गवर्नर के बारे में इस प्रकार की कोई कांफिडेन्स की बात किसी के ऊपर मुनेहसर करती हो, उसके कांफिडेन्स न रहने पर उसको हटाया जा सकता है–मैं समझता हूं यह ज्यादा सही बात नहीं होगी। इस तरीके से गवर्नर एप्वाइन्टमेंट और ट्रांसफर दोनों चीजें अलग-अलग हैं और मैं समझता हूं ट्रांसफर नाम की कोई बात कांस्टीट्यूशन में नहीं है।

लेकिन एप्वाइन्टमेंट के लिए गाइड-लाइन्स की जो बात कही जाती हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर गाइड-लाइन्स क्या हो सकती है? क्या कोई क्वालिफिकेशंस होंगी जैसे कि सरकारी नौकरी के लिए निश्चित की जाती हैं कि मिनिमम ग्रैजुएट होना चाहिए या कोर्ट का जज हो या कहीं पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस होल्ड किया हो या उसकी इंटेलिजेंस का जजमेंट किया जाए या लोक-व्यवहार, पब्लिक अफेयर्स में उसकी अण्डरस्टैंडिंग का जजमेंट किया जाए लेकिन मैं समझता हूं ये सारी सब्जैक्टिव चीजें हैं जिनके बारे में कोई निर्णय करना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं होगा। जिस तरह से किसी प्रेसीडेन्ट के बारे में या किसी मिनिस्टर के बारे में तय नही किया जा सकता कि उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हों या पार्लमेंट के मेम्बर या असेम्बली के मेम्बर के बारे में भी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस तय कर दी जायें–वह करना सम्भव नहीं है।

मैं समझता हूं कि गवर्नर के बारे में भी यह बात तय करना कि गाइड-लाइन्स तय कर दी जायें कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, यह मेरे ख्याल में ऐसी चीज हैं, जिसके बारे में सोचा नही जा सकता है कि क्या कंडीशन रखी जायें। श्री जयपाल रेड्डी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह यह सोच कर रखा है कि कि ऐसे गवर्नर नियुक्त हों, जिनका व्यवहार उनके खिलाफ न पड़ जाए या जहां पर विरोध पक्ष की सरकार है, उनके खिलाफ न पड़ जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या गारन्टी है कि वे जिस गाइडलाइन को बतायें और उसके मुताबिक एप्वाइन्टमेंट किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति न होगी किसी भी राज्य में, जहां पर विरोधी दल का राज्य है, वहां पर गवर्नर को फैसला खुद-ब-खुद न करना पड़े। परिस्थितियां तो कभी-कभी खराब भी पैदा हो जाती हैं। खास-तौर से परिस्थिति कब पैदा होती है, जबकि सदन के बाहर इस बात का जिक्र हो और इस बात के प्रमाण पैदा होने लगे कि किसी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास नहीं रह गया है, मैजोरिटी का विश्वास नहीं रह गया है। ऐसी दशा में गवर्नर के ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह निर्णय करे कि वाकई सरकार में सदन का विश्वास है या नहीं ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि यह संभव नहीं रहता है कि तय करना गवर्नर के लिए कि फैसला किस तरह से किया जाए। सदन में अक्सर इस बात की चर्चा की जाती है कि सरकार में सदन का विश्वास है या नहीं। उसके बारे में सदन के फ्लोर पर तय होना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं हमारे देश में जब कि गवर्नर के लिए मुमकिन नहीं था, किसी तरह से भी सम्भव नही था कि सदन के फ्लोर पर किस तरह से तय कर सकें। मुझे ऐसा याद आता है बंगाल में इसी तरह की एक बार परिस्थिति पैदा हुई। जिस में एसेम्बली को इस बात के लिए तय करने के लिए बुलाया गया कि मैजोरिटी है या नहीं। उस वक्त स्पीकर ने हाउस एडजॉर्न कर दिया। ऐसी परि-

स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वहां पर गवर्नर के लिए खुद-ब-खुद कोई रास्ता अख्तियार करना पड़े, जो सदन के बाहर करना पड़े। इसी प्रकार मिजोरम का मामला भी हमारे सामने है। वहां स्पीकर ने यह परिस्थिति पैदा कर दी कि कुछ सदस्यों को कह दिया कि ये मैम्बर्स ही नहीं रहे। मैजोरिटी को माइनोरिटी में तबदील करने के लिए स्पीकर ने इस तरह का व्यवहार किया। उस वक्त गवर्नर किस तरीके से फैसला करे, यह एक अहम सवाल है। फिर ऐसी स्थिति में यह कहना कि गवर्नर पार्शियल है या केन्द्रीय सरकार का ऐजेन्ट है- मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। गवर्नर की परिस्थितियों में काम करना बहुत कठिन काम है और खास तौर से उस वक्त जब यह परिस्थिति पैदा हो जाए। सदन में तय नहीं हो सकता और उनको बाहर तय करना पड़े और किस तरह से तय करे, यह अलग-अलग तरीके से अलग-अलग राज्यपालों ने अलग-अलग तरीके से फैसला करने की कोशिश की है। आखिर में फैसला तो उसे ही करना है। यह कहना गलत है कि वह ऐजेन्ट है, तो हमको यह फर्क करना ही पड़ेगा कि वह प्रैसीडेंट का ऐजेन्ट है या सरकार का ऐजेन्ट है। मैं समझता हूं कि जहां तक संविधान ने स्थान दिया हुआ है और जो विद्वान लोगों की राय है कि प्रैजीडेंट और गवर्नर दोनों ऐक ही तरह से हैं। जिस तरीके से प्रैजीडेंट को तय करना पड़ता है, उसी तरीके से गवर्नर को भी तय करना पड़ता है। वैसे संविधान में लिखा हुआ है कि गवर्नर स्टेट का एग्जिक्यूटिव हैड है और उसको सरकार की सलाह के मुताबिक चलना पड़ता

6.39 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां उसको चीफ मिनिस्टिर एप्वाइन्ट करना है, किसको इन्वाइट करना है, वहां पर खुद-ब-खुद फैसला करना पड़ेगा। वहां पर उस को डिसक्रिशनरी पावर अपनी इस्तेमाल करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कौन सी सरकार चल सकती है और कौन सी सरकार नहीं चल सकती है। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में यह ख्याल करना कि गवर्नर किसी पार्टी का एजेन्ट है, बिल्कुल गलत बात है। कान्स्टीच्युशन की जिम्मेदारी को निभाने के लिए पार्टी का एजेन्ट नहीं हो सकता है और न केन्द्रीय सरकार का ऐजेन्ट हो सकता है और न ही वह प्रैजीडेंट का एजेन्ट हो सकता है। वह तो इण्डिपेंडेंट है और उसको अपने विवेक के अनुसार काम करना पड़ता है। उस को किसी के मातहत काम नहीं करना होता है। तो उसको अपनी तरफ से फैसला करना ही पड़ेगा। जो यह प्रस्ताव लाया गया है इसमें मुझे कोई और दलील नजर नहीं आती है। मेरे ख्याल से यह प्रस्ताब यह सोच कर लाया गया है कि गवर्नर की पोजीशन को बांध दिया जाए, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि यह संभव नहीं है क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और यह भी नहीं जाना जा सकता है कि कब कौन-सी परिस्थिति कैसी होगीं। मिसाल के लिए जब कांस्टीच्युशन बना तो उस वक्त कोई नहीं जानता था कि कितनी मुश्किल से विधान बनता है।

जिस वक्त यह कांस्टीच्युशन बना तो किसी को भी यह एतराज नहीं था कि गवर्नर के जो अधिकार होंगे, उनका प्रयोग करने पर भी किसी को एतराज हो सकता है, उसके अधिकारों पर कोई आक्षेप कर सकता है कि वे गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी सामने आयीं जबकि गवर्नर को अपनी अक्ल से, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। अब 40 साल बाद यह आरोप लगाना कि वह किसी के इशारे पर चलेगा। उस वक्त यह ख्याल भी नहीं था कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी।

[श्री वीरसेन]

इसी तरह से आज से 20 साल बाद या 40 साल बाद यह नहीं कहा जा सकता कि क्या परिस्थितियां पैदा होंगी और गवर्नर को किन हालात में से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि न तो किसी तरह की गाइड-लाइन्ज दी जा सकती है, न कुछ और किया जा सकता है क्योंकि मानव स्वभाव जो है, जो ह्युमन रिलेशंस हैं उनके बारे में पहले से कभी नहीं सोचा जा सकता है। आने वाले दिनों में कोई आदमी कैसा बिहेव करेगा, उसके बारे में पहले से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह बेकार का ख्याल है कि पहले से साहब कोई गाइड-लाइन्ज तय कर दी जाएं, या यह तय कर दिया कि इतना पढ़ा लिखा हो, इतना तालीमयाफ्ता हो। हां अगर आप कोई काठ का पुतला बिठा दें तो उसके लिए कोई गाइड-लाइन्ज हो जाएं अगर आप किसी बुद्धिमान आदमी को बिठायेंगे तो फिर यह जरूरी नहीं है कि जैसा कि विरोधी दल के लोग चाहते हैं या जैसा कि जयपाल रेड्डी चाहते हैं वैसा ही वह करे। अगर कोई बुद्धिमान गवर्नर होगा तो वह अपनी बुद्धि से ही काम करेगा।

आज जरूरत इस बात की है कि गवर्नर का पद जिस तरह से कांस्टीच्युशन बनाने वालों ने तय किया है, वैसा ही रहे। उसमें किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है, न किसी किस्म की गाइड-लाइन्ज तय करने की जरूरत है। गाईड-लाइन्ज तो प्रेजीडेंट के विवेक के ऊपर हैं। वरना संविधान में तो यह है कि "देअर विल बी ए गवर्नर"। संविधान में तो सिर्फ इतना ही लिखा है।

गवर्नर की नियुक्ति के बारे में मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह बात ठीक सही है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि गवर्नर ऐसा आदमी होना चाहिए जोकि प्रांत राजनीति से उलझा हुआ न हो, वह डिटेच्ड होना चाहिए, उसका संबंध किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। यह लाजिमी है, इतना मैं जरूर मानता हूं।

मैं यह भी मानता हूं कि सरकारी नौकरों को या ब्योरोक्रेट्स को रखा जाए, यह लाजमी नहीं है। ऐसे लोगों को अधिकतर रखा जाऐ जिनका राजनीति में दखल हो, जो देश की राजनीति और आर्थिक स्थितियों को समझते हों और जानते हों। जो मानव स्वभाव को अच्छी तरीके से समझते हों और जो इलेक्शन में परेशानियां होती हैं उनको सुलझाने की उनमें क्षमता हो। ऐसे राजनीतिक लोग हों जो राजनीतिक सवालों को हल कर सकें। मेरी राय यह है कि ब्योरोक्रेट्स को कम स्थान दिया जाए, नहीं के बराबर दिया जाए, यह ज्यादा बेहतर होगा। जो तजुर्बेकार पोलिटिशियन्स हैं उन्हीं को गवर्नर बनाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को बिल्कुल निरर्थक मान कर इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले सदस्य इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। अपने संकलप में उन्होंने कहा है कि यह सदन सरकार से यह सिफारिश करती है कि राज्यपालों की नियुक्ति और स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित करें। दुर्भाग्यवश प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को भारत के संविधान का कोई ज्ञान नहीं है जिसमें राज्यपालों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट मार्ग निर्देश दिए गए हैं और पिछले 42 वर्षों के दौरान देखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के अनुसार थी। यह अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हुई है। दुर्भाग्यवश यह-

विवाद के दौरान यद्यपि कुछ सदस्यों ने कुछ विशेष राज्यपालों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये, मैं इस विशेष मुद्दे में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे विचार से इस सदन को इस बात की सराहना करनी चाहिए– मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, जो स्वयं उपस्थित नहीं हैं। राज्यपाल की पद प्राप्ति के बाद वह एक संस्था बनजाते हैं और संविधान के अनुसार काम करते हैं। इस विशेष संकल्प के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में नहीं कहा जाना चाहिए और मैं समसमझता हूं कि यह बेढंगा भी है। मैं इस विशेष पहलू के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य महोदय ने केरल, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश आदि के सम्बन्ध में मुद्दे उठाए। जहां तक मैं जानता हूं सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कुछ ठोस कारणों से होती है संविधान में लिखा है कि वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए है। राज्यपाल अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उस समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार सम्भालेगा। राज्यपाल स्वयं अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को अपने पद त्याग की जानकारी दे सकते हैं अन्यथा वह अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं। आदरणीय प्रस्तावक ने यह मुद्दा भी उठाया हैं कि मुख्य मन्त्रियों से क्यों सलाह नहीं ली जाती है। यह परम्परा है कि किसी व्यक्ति को राज्य का राज्पाल नियुक्त करने से पूर्व राज्य के मुख्यमन्त्री से अनोपचारिक रूप से सलाह ली जाती है। संविधान में कोई ऐसा विशेष उपबन्ध नही है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व किसी विशेष राज्य के किसी विशेष मुख्य मन्त्री से सलाह ली जाएगी। किन्तु परम्परा के तौर पर जब कोई राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो सम्बद्ध मुख्यमन्त्री से सदा सलाह ली जाती है और उनसे चर्चा के पश्चात नियुक्ति होती है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्र राज्य सम्बन्ध से सम्बद्ध अपने प्रतिवेदन में राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में लिखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान का वर्तमान उपबन्ध सही है और इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नही हैं। हर सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष दोनों से अनेक सदस्यों ने सरकारियां आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन पर गृह मन्त्रालय की सलाहकार समिति में भी चर्चा की जा चुकी है। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इतना ही नहीं। इस पर राज्य सभा में भी चर्चा हुई है और हमने माननीय सदस्यों द्वारा सरकारिया आयोग के सम्बंध में दिये गये विभिन्न सुझावों को भी नोट किया है। जब गृह मन्त्री ने राज्य सभा में उत्तर दिया उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बारे में बहुत उदार मनस्क है और चर्चा समाप्त होने पर सरकार इस बारे में अन्तिम निर्णय लेगी। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह नहीं कहा है कि राजनैतिक व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। उसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने राजनीति में विशेष रूप से हाल ही में, बहुत अधिक भाग लिया हो।" उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उसे एक राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए संकल्प के प्रस्तावक का यह कहना उचित नहीं है कि एक राजनीतिज्ञ की नियुक्ति नही की जानी चाहिए। सरकारिया आयोग ने यह भी कहा है कि उसे किसी क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति होना चाहिए वह एक सरकारी कर्मचारी, सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी, शिक्षाशास्त्री अथवा विद्वान व्यक्ति हो सकता है। राजनीतिज्ञों पर इस बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति करते समय सदैव इस बात का अनुपालन किया जाता है और हम कभी भी सरकारिया आयोग के इस सुझाव से विचलित नहीं हुए हैं। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि सरकारिया आयोग ने यह कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय

[श्री सन्तोष मोहन देव]

अध्यक्ष और सभापति अथवा उपराष्ट्रपति से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसी सिफारिश की गई हैं। जैसा कि मैंने कहा है विगत में इस मामले पर चर्चा की गई थी और भविष्य में भी इस बारे में चर्चा की जाएगी। इस बारे में सरकार माननीय सदस्यों से कोई भी सुझाव प्राप्त करने को तैयार है।

बहुत से सदस्यों ने राज्याल की नियुक्ति के लिये विभिन्न प्रक्रियायें अपनाने का सुझाव दिया है। मैंने उन सभी सुझावों को ध्यान में लिया है जब हम सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे तो बहुत से और सुझाव सामने आयेंगे।

माननीय सदस्य श्री जयपाल रेडडी ने नागालैंड के मुददे को उठाया है। मैं पूर्व चर्चा में भी यह कह चुका हूं कि जब नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर यहां चर्चा की गई थी तो अन्तिम आम चुनाव होने के कारण उस मुददे को कांग्रेस आई के विरोधी दलों ने उठाया था। लोगों ने उस मुददे के बारे में अपना निर्णय दे दिया है। जिससे यह वास्तविकता सिद्ध हो गई है कि बात रदद हो गई है कि राज्यपाल ने गलत कार्यवाही की थी।

मिजोरम में भी ऐसा ही घटित हुआ उन्होंने उच्च न्यालय में एक न्यायालय के मामले के बारे में एक मुददा उठाया। उन्होंने कहा कि वह निर्णय एक न्यायाधीश की पीठ द्वारा लिया गया है और उसे दो न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाना चाहिये। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नही करना चाहता। इसका निर्णय करना उच्च न्यायालय का काम है और जो भी निर्णय वे करेंगे हम उसकी जाँच करेंगे।

सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में राज्यपाल के शासन के बारे में भी उल्लेख किया है जो व्यक्ति उस समय आंध्र प्रदेश का राज्यपाल था वह अब विरोधी पक्ष का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं। सरकार ने इस बारे में उपचारात्मक कार्यवाही की है। मैं श्री रामलाल के कार्यकाल की उस उपकथा का उल्लेख करना नहीं चाहता जिसका यहां उल्लेख किया गया था। हमें यहां किसी विशेष राज्पाल की कार्यवाही की चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह सदन में उपस्थित नहीं होता।

कुछ सदस्यों ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से संबंधित मुद्दे को उठाया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है :

> "किसी राज्य में राज्यपाल के पांच साल के शासनकाल की अवधि में बाधा नहीं डालनी चाहिए और ऐसे अवसर बहुत ही कम होने चाहिए तथा वह भी अति मजबूरी की हालत में किया जाए।"

हमने किसी विशेष राज्य में तब तक किसी राज्यपाल की कार्यवाही के बारे में हस्तक्षेप नहीं किया है जब तक हम ऐसा करने के लिए विवश न हुये हों, और हमने केवल सार्वजनिक हित में ही ऐसा हस्तक्षेप किया है किसी अन्य कारणवश नहीं। हम इस मामले में राजनीति नहीं लाते। यदि कोई राज्यपाल बीमार पड़ जाता है अथवा वह पूर्व सेवानिवृति के लिए कहता है अथवा यदि किसी विशेष राज्य की जलवायु उसके अनुकूल नहीं होती है केवल तभी सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है अन्यथा सरकार इस बारे में हस्तक्षेप नहीं करती है। यहां तक की कांग्रेस शासित राज्यों में भी

हमने यह देखा है कि अधिकांश राज्यपालों का स्थानान्तरण उनके अपने अनुरोध पर किया जाता है, राजनैतिक हस्तक्षेप द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। यह बात पूर्णतः गलत है।

एक सदस्य, मैं समझता हूं कि श्री हरीश रावत, जिन्होंने अभी-अभी भाषण दिया है, ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के प्वाइन्ट 4.1606 का उल्लेख किया है। सरकारिया आयोग के प्वाइन्ट 4.1606 की सिफारिश का पाठ इस प्रकार है :

> "ऐसी स्थिति को छोड़कर जिसमें राष्ट्रपति राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा करना समयोचित न समझें तब तक ऐसे राज्यपाल को जिसके शासनकाल की समयावधि पांच साल की सामान्य अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त किये जाने की संभावना हो अनौपचारिक रूप से प्रस्तावित कार्यवाही का आधार उसे बता दिया जाना चाहिए ताकि उसे कारण बताने के लिए उचित अवसर मिल सके। यह वांछनीय है कि राष्ट्रपति (मन्त्रियों की संघ परिषद के प्रभाव में) को उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये, यदि कोई हो, जब किसी राज्यपाल को उसके पद से हटाये जाने के विरुद्ध राज्यपाल द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो, और उसकी जांच एक सलाहकार समिति द्वारा कराई जाये जिसमें भारत का उपराष्ट्रपति लोक सभा अध्यक्ष.....।"

यह सरकारिया आयोग की सिफारिश है। सदन में इस बारे में चर्चा की जायेगी। यह कोई संविधान का उपबन्ध नहीं है। सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की है। सरकारिया आयोग ने कुछ अन्य बातों की भी शिफारिश की है। हमने यह कहा है कि जब इस सदन में उस रिपोर्ट पर चर्चा की जायेगी तो हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं।

एक अन्य मुद्दा यह उठाया गया है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसे विगत में ही सदन में प्रस्तुत कर दिया गया था।

इस संदर्भ में, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि श्री जयपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संकल्प को सदन द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। उनके यहां उपस्थि न होने से हमें बहुत खेद है। हम चाहते हैं कि वे हमारे पास होते।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संकल्प को अस्वीकार करने के लिए सदन में प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं इस संकल्प को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह राज्यपालों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

6.56 म० प०

ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, 31 अक्टूबर, 1984 को राष्ट्र को एक राष्ट्रीय त्रासदी सहन करनी पड़ी थी। मेरे लिऐ यह एक व्यक्तिगत त्रासदी थी।

पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से भारत के लोगों को बहुत दुख हुआ है। मुझे एक बार फिर उस भयंकर यातना से गुजरना पड़ा है।

ठक्कर आयोग ने राष्ट्र के प्रधानमन्त्री की हत्या से सम्बन्धित घटनाओं की जांच की थी। उन घटनाओं का मुझसे और मेरे परिवार से बहुत गहरा सम्बन्ध है। वे मेरी मां थीं और मैं उनका पुत्र हूं।

जब ठक्कर आयोग का गठन किया गया था तो यह आशा की गई थी कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जिस प्रकार अन्य प्रतिवेदनों को प्रकाशित किया जाता है उसी प्रकार इस प्रतिवेदन को भी प्रकाशित किया जायेगा। न्यायमूर्ति ठक्कर ने स्वयं यह सिफारिश की थी कि उनके इस प्रतिवेदन को प्रकाशित न किया जाए। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में अपनी इस सिफारिश के कारणों का उल्लेख किया है। उनका यह मत था कि उनके प्रतिवेदन को प्रकाशित न किया जाये क्योंकि इससे उस समय की जा रही आपराधिक जांच पर असर पड़ सकता है।

सरकार ने न्यायमूर्ति ठक्कर की इस सिफारिश को मान लिया था। सभा को इस निर्णय की सूचना दे दी गई थी। इस सभा ने यह निर्णय किया था कि प्रतिवेदन को लोकसभा के समक्ष रखना राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है जिसे इस प्रतिवेदन का भाग बताया जाता है। इससे जानबूझ कर तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने और गैर जिम्मेदार तरीके से चरित्र हनन के प्रयासों को बढ़ावा मिल रहा है। इन सब बातों को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिवेदन के पूरे पाठ को प्रकाशित किया जाये। मैंने आपराधिक जांच के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का पता लगाया है। मुझे यह बताया गया है कि जांच पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी। अतः अब प्रतिवेदन को प्रकाशित करने से की जा रही आपराधिक जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सभा को यह सूचित करता हूं कि आगामी अवकाश के बाद, सोमवार 27 मार्च को जब सभा की बैठक होगी तब ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार 27 मार्च 1989/के 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.59 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 27 मार्च, 1989/6 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।